सप्तम माला, खंड 27, अंक 31, गुरुवार, 1 अप्रेल, 1982/11 चैत्र 1904 (शक)

# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी-संस्करण

(आठवां सत्र)

(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

# विषय सूची

अंक 34, गुरुवार, 8 अप्रैल, 1982/ 18 चैत्र, 1904 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 650, 651, 656, 658 और 660 से 663 | ... | 2—22 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 652 से 655, 657, 659 और 664 से 670 | .... | 23—30 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 7175 से 7244, 7246 से 7302, और 7304 से 7407 | ... | 30—223 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ... | —224 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति कार्यवाही-सारांश | ... | —225 |
| विधेयकों पर अनुमति | ... | —226 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति ग्यारहवां प्रतिवेदन | ... | —226 |
| भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 और भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 के निरसन के बारे में याचिका-प्रस्तुत की गई प्रो० मधु दण्डवते | ... | —226 |
| संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना विवाह विधि (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति | ... | —227 |
| नियम 377 के अधीन मामले | .... | —228 |
| (एक) उत्तर प्रदेश में देहरादून जिले के आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए उपाय श्री टी० एस० नेगी | ... | 228—229 |


* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| (दो) स्टेनलैस स्टील पर शुल्क का अपवंचन | | |
| श्री चिन्तामणि जैना | ... | 229 |
| (तीन) सीतापुर— मिलानी रेल लाइन का दुधुवा तक बढ़ाया जाना | | |
| श्रीमती उषा वर्मा | ... | 230 |
| (चार) दूरदर्शन का देश भर में विस्तार | | |
| श्री माधवराव सिंधिया | .. | 230—231 |
| (पांच) दहेज के कारण हत्या के मामलों का शीघ्र निपटान | | |
| श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा | ... | —232 |
| (छः) तमिलनाडु में एक सत्यापन अधिकारी और एक मन्दिर के चौकीदार की कथित हत्या की जांच करने की आवश्यकता | | |
| श्री के मायातेवर | ... | 232—233 |
| (सात) दार्जिलिंग जिले की तीन पहाड़ी सब-डिवीजनों के लिए एक सांविधिक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना | | |
| श्री आनन्द पाठक | ... | —233 |
| अनुदानों की मांगें, 1982-83 | | |
| (एक) श्रम मंत्रालय | ... | 234—256 |
| श्री भगवत झा आजाद | ... | 234 256 |
| (दो) वाणिज्य मंत्रालय | ... | 256 - 281 |
| श्री आनन्द पाठक | ... | 256—261 |
| श्री गिरधारी लाल व्यास | ... | 263—266 |
| श्री सी० डी० पटेल | ... | 266 270 |
| श्री कृष्ण कुमार गोयल | ... | 270—277 |
| श्री पी० ए० संगमा | ... | 277—278 |
| श्री शांतु भाई पटेल | .. | 278—280 |
| श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा | .. | 280—281 |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | | |
| चालीसवां प्रतिवेदन | ... | —282 |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि और मेहनतकश लोगों की हालत को सुधारने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में संकल्प | ... | 283 — 320 |
| श्री के० ए० राजन | ... | 283—286 |
| श्री मूलचन्द डागा | | 287—291 |
| श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह | ... | 291—296 |
| श्री सी० पलानी अप्पन | ... | 296—297 |
| श्री जेबियर अराकल | ... | 297—300 |
| श्री ए० के० बालन | ... | 300—304 |
| श्री गिरधारी लाल व्यास | | 305—308 |
| श्री चित्त बसु | .... | 308—312 |
| श्री एम० रामगोपाल रेड्डी | ... | 312—314 |
| श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा | ... | 314—317 |
| श्री हरीश रावत | ... | 317—318 |
| श्री के० मायातेवर | ... | 318—320 |

# लोक सभा

गुरुवार, 8 अप्रैल, 1982/18 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर चार मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** आज फिर हम चार मिनट विलम्ब से बैठक शुरू कर रहे हैं, यह दूसरा दिन है ।

**अध्यक्ष महोदय :** हाल्दर जी, ऐसा लगता है कि आज आप छुट्टी के मूड में हैं। कहिए तो सत्रावसान करवा दूं ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** वर्दबान में मेरे स्थायी निवास पर आपका सदा स्वागत है ।

**श्री मनीराम बागड़ी :** अध्यक्ष जी, नियम 388 के अन्तर्गत मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में बहुत ओलावृष्टि हुई है ।

**अध्यक्ष महोदय :** ओलावृष्टि से तो वैसे भी सभी चिन्तित हैं। प्रकृति का यह प्रकोप है ।

**श्री हरिकेश बहादुर :** सरकार को इसको रोकना चाहिए। ···(**व्यवधान**)··· ।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको भेजेंगे वरुण के पास इस को रोकने के लिए ।

**श्री मनीराम बागड़ी :** मैं मजाक में यह बात नहीं कहता हूं। आज किसान रो रहा है। और उस के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। कल डिप्टी कमिश्नर के यहां औरतें ··· ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आप से सहमत हूं ।

**श्री मनीराम बागड़ी :** कम से कम सदन में यह चर्चा तो चले ।

**अध्यक्ष महोदय :** चर्चा कब नहीं चलती है ।

**श्री मनीराम बागड़ी :** उन लोगों को यह पता चले कि हिन्दुस्तान के किसानों के साथ सदन की हमदर्दी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** कब नहीं चलती ? अगर उनके बारे में चर्चा नहीं चलती तो किसी के बारे चर्चा नहीं चलेगी। (**व्यवधान**)।

**श्री मनीराम बागड़ी :** किसान इस वक्त शोक में है। उसकी चर्चा तो कम से कम सदन में होनी चाहिए। (**व्यवधान**)।

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिखवा कर भिजवा दीजिए । हम ने तीन-चार दफा चर्चा की है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आपने कहा था कि ओला वृष्टि के बारे में मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा कोई नहीं मिल रहा है । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिख कर दीजिए । फिर बैठेंगे, अगर जरूरत हुई तो फिर करवा देंगे । अब आप बैठ जाइये । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिख कर दीजिए मैं करवा दूंगा । आप बैठ जाइए ।

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### फेस्टीवल आफ इंडिया के लिए जाने वाले भारतीय कलाकारों पर ब्रिटेन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना

*650. **श्री एम० एम० ए० खां** † :

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें समाचार पत्रों की इन खबरों के बारे में जानकारी है कि फेस्टीवल आफ इंडिया के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजे जा रहे विख्यात भारतीय कलाकारों को यू. के. के काम के अधिकारियों द्वारा कहा जाएगा कि वे काम के परमिटों के लिए आवेदन पत्र दें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि, ब्रिटिश कानून के अन्तर्गत कार्य परमिट जरूरी हैं, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं कि इस कानूनी औपचारिकता का, यात्रा करने वाले कलाकारों को बिना किसी असुविधा के, पालन किया जाए क्योंकि "भारत समारोह" का आयोजन भारत सरकार और यू० के० सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है ।

**श्री मलिक एम. एम. ए. खान** : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा कि एक साल तक चलने वाला ऐसा कल्चरल प्रोग्राम वहां चालू किया गया है । मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आपने स्पेशल अरेजमेंट्स बताए हैं वे क्या क्या हैं ? क्या आर्टिस्ट्स को वहां जाने के परमिटों की कोई फीस देनी पड़ती है ? क्या उनके जाने पर वहां रेस्ट्रिक्शंस हैं ? यदि हैं तो क्या क्या ? उन्हें कौन-कौन-सी फोरमेलिटीज से गुजरना पड़ता है ? क्या वे

फोरमिलिटीज उनके यू० के० पहुंचने से पहले पूरी कर दी जाती हैं ताकि उन्हें वहां पर दाखिल होने में दिक्कत का सामना न करना पड़े ?

**श्रीमती शीला कौल :** मान्यवर, यह जो फेस्टीवल आफ इंडिया मनाया जा रहा है, यू० के० में इसके लिए दो कमेटियां बनी हैं। एक फेस्टीवल आफ इंडिया यू० के० की है जिसमें कि वहां के लोग हैं और वे इन्तजाम करते हैं। दूसरी कमेटी एडवायजरी कमेटी है, सेन्ट्रल की है, वह हमारे हिन्दुस्तान की है। जब ये आर्टिस्ट्स वहां बुलाए जाते हैं और उनको इन्वीटेशन अगर यू०के० से आता है तब सारे इंतजाम वहां की कमेटी करती है। जिनको हम भेजते हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ आर्टिस्ट्स जा रहे हैं, उनका इन्तजाम हम करते हैं।

मुझसे पूछा गया कि परमिट के लिए कोई फीस देनी पड़ती है। यह नहीं है। वहाँ जो हमारी यू० के० की फेस्टीवल आफ इंडिया कमेटी है वही उनके परमिट का और दूसरी सब चीजों का इन्तजाम करती है। उनका यह कायदा है कि कोई भी आदमी अगर वहाँ यू० के० में काम करे तो परमिट लेना पड़ता है। वहां पहुंचने का पासपोर्ट, कितने दिन वे वहां रहेंगे, इस सब की सूचना सप्लाई करने का इन्तजाम कर दिया जाता है जिससे कि वे वगैर किसी तकलीफ के वहां जा सकें और उन्हें वहां जाने का परमिट मिल जाए।

**श्री मलिक एम. एम. ए. खान :** आपने स्पेशल अरेंजमेंट्स की बात अपने जवाव में कही है।

**श्रीमती शीला कौल :** स्पेशल अरेंजमेंट यह है कि अगर कोई मामूली आदमी बाहर जाता है तो उसे पासपोर्ट आफिस जाना पड़ता है, दूसरे दफ्तर जाना पड़ता है और तमाम करना पड़ता है ; हमारी कमेटी जो यहाँ पर है वह आर्टिस्ट्स का सारा इन्तजाम करती है ताकि वहां जा कर उन्हें कोई परेशानी न हो।

**श्री मलिक एम. एम. ए. खान :** ये जो दो कमेटियाँ बनी हैं, इस फेस्टीवल के सिलसिले में—एक हिन्दुस्तान में दूसरी यू० के० में तो क्या ये कमेटियाँ दोनों सरकारों की मिलीजुली कमेटियां हैं ? आर्टिस्ट पर होने वाला खर्चा दोनों सरकारें मिलकर कर रही हैं या केवल यू. के. सरकार कर रही है। इस बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं अमजदअली खां जो सरोद वादक हैं उन्होंने एक कंट्रावर्सी खत लिखकर प्रेस में भेजा है कि और आर्टिस्टों को पैसा दिया गया, लेकिन इनको आफर नहीं किया गया। यह इतने बड़े आर्टिस्ट और हिन्दुस्तान के लिए अपमानजनक बात है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कलाकारों को जो पैसा दिया जाता है वह यू. के. सरकार देती है या दोनों सरकारों के मिलेजुले फण्ड से दिया जाता है।

**श्रीमती शीला कौल :** मैंने कहा है कि फैस्टीवल आफ इंडिया के लिए दो कमेटियां हैं, यू. के. और हिन्दुस्तान की। हिन्दुस्तान की कमेटी के पास कुछ फण्ड्स हैं, कुछ डोनेशन वगैरह भी दिया जाता है, उस फण्ड से खर्च किया जाता है। जब फेस्टीवल का उद्घाटन

हुआ था तो वहां से अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों को बुलाया गया था — शुभ लक्ष्मी, रविशंकर, जुबीन मेहता अपना आर्केस्ट्रा लेकर पहुंचे थे । इनको यू. के. की कमेटी ने बुलवाया था, इनको नजराना देना उनके ऊपर निर्भर करता है, नजराना दिया होगा । हमारी तरफ से जो आर्टिस्ट भेजे जाते हैं उनको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और थोड़ा सा मामूली खर्च दिया जाता है, और कुछ नहीं दिया जाता ।

**श्री आर० एन० राकेश** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आर्टिस्ट कई तरह के होते हैं । (व्यवधान) ।

**श्री आर० एन० राकेश** : बहुत तरह के कलाकार होते हैं । क्या इस फेस्टीवल में फाइन आर्ट, इंडियन पेंटिंग, कार्टूनिस्ट, पोइट्स, लोक गीत कलाकार, इन सब को आमंत्रित किया गया है ? यदि किया गया है तो इनको भेजने पर विचार किया जा रहा है या नहीं ? यदि आमंत्रित नहीं किया गया है तो अपनी ओर से भेजने के लिए क्या सरकार प्रस्ताव करेगी ? (व्यवधान) ।

**श्रीमती शीला कौल** : वहां पर खाली म्यूजियम ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की हस्तकला, हिन्दुस्तान की पेंटिंग वगैरह की नुमाइश भी है । मैं बताना चाहती हूं कि वहां पर किस तरीके से इन्तजाम किया गया है—इस फेस्टीवल आफ इंडिया के सिलसिले में । (व्यवधान) इमेज आफ मैन, साइंस एण्ड टेक्नालाजी, लाइफ इन मुगल हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान की किताबों का आर्ट क्या है, हिन्दुस्तान में देहात की जिन्दगी कैसी होती है, देहात से शहरों तक हिन्दुस्तान में क्या-क्या लेवल आता है ··· इसके बाद बहुत से हमारे ग्राफिक्स हैं । फिर किताबों की एग्जीबीशंज हैं । फिर आर्ट्स आएंगे । उसमें फोटोग्राफी भी है । इतनी सारी चीजें हैं । कहां तक गिनाऊं ?

**अध्यक्ष महोदय** : लिखकर भेज दीजिएगा ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : गलती से सिलेबस पढ़ रही थीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : राम दुलारी जी नहीं हैं आज ।

**श्री कृष्णा चन्द्र हाल्दर** : यू. के. में फेस्टिवल आफ इण्डिया मनाजा जा रहा है । श्री खां ने विश्व विख्यात सरोद वादक श्री अमजद अली खां का उल्लेख किया है । उन्होंने कलाकारों को दी जाने वाली गतिविधियों में विभेद के बारे में एक वक्तव्य दिया है, और फेस्टिवल आफ इण्डिया कार्यक्रमों में भाग लेने से इन्कार किया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह फेस्टिवल आफ इंडिया कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और क्या खर्च में इस अन्तर को दूर किया गया है । आपने कलाकारों का चयन किया है । आप जानते हैं कि रवीन्द्र संगीत न केवल भारत में ही प्रसिद्ध संगीतों में से एक है बल्कि इसकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति भी है । आपने कहा है कि इस फेस्टिवल के संबंध में दो समितियां बनाई गई हैं । एक समिति हमारी सरकार

की है । इस फेस्टिवल आफ इण्डिया कार्यक्रमों में रवीन्द्र संगीत संबंधी विख्यात कलाकारों में से एक कलाकार क्यों नहीं भेजा गया ? यह रवीन्द्र संस्कृति और हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के लिए एक अपमानजनक बात है ।

**श्रीमती शीला कौल** : यह 22 मार्च से शुरू हुआ है ···।

**श्री मायातेवर** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यदि कोई अनुपूरक अंग्रेजी में रखा जाता है तो मंत्री जी को अंग्रेजी में उत्तर देना होता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है । अनुमति नहीं है । (व्यवधान)** ।

**अध्यक्ष महोदय** : नियमानुसार, प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं लिया जाता है । यह मंत्री जी पर निर्भर करता है । वह किसी भी भाषा में उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं । (व्यवधान)** ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : उनके द्वारा हिन्दी में उत्तर दिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । (व्यवधान) **।

**श्रीमती शीला कौल** : मेरे लिए न तो हिन्दी में और न ही अंग्रेजी में उत्तर देना कठिन है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई नियम नहीं है । आप वही करें जो आप चाहती हैं । आप या तो हिन्दी या अंग्रेजी में बोलें । (व्यवधान)** ।

**श्रीमती शीला कौल** : मैंने हिन्दुस्तानी में बोलने की कोशिश की है क्योंकि यह प्रश्न हिन्दुस्तानी में ही शुरू हुआ है । इसलिए, मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी बात मानेगा ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : अगर हिन्दी में जवाब दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

**श्रीमती शीला कौल** : यह 22-23 मार्च से शुरू हुआ है । 14 नवम्बर तक यह चलेगा । सारे प्रोग्राम एकदम से नहीं होंगे । उनको फेज आउट किया जाएगा । जहां जहाँ अच्छे आर्टिस्ट होंगे उनको उसमें लिया जाएगा । यह एक फेज है और ऐसा लगता है कि यह अभी खत्म हो रहा है दूसरे को फिर लेंगे । उस सिलसिले में बाकी चीजें उसमें इनक्लूड की जाएंगी ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है । (व्यवधान) ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है ।

---

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि यह 14 नवम्बर तक चलेगा और चयन विभिन्न क्षेत्रों से किए जाएंगे ।

**यंग मैन क्रिश्चियन एशोसिएशन, फरीदाबाद की तरह का मध्य प्रदेश में तकनीकी संस्थान**

*651. **श्री सुभाष यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद स्थित यंग मैन क्रिश्चियन एसोसियेशन, संस्थान जैसा मध्य प्रदेश में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) से (ग) जी, नहीं । फिर भी, मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा संस्थान स्थापित करने के लिए पश्चिम जर्मन सहायता हेतु एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी । परियोजना का मूल्यांकन करने के बाद पश्चिम जर्मन सरकार ने प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए सहायता देना स्वीकार नहीं किया ।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर** : यंग मैन ऐसोसियेशन के बारे में बहुत से लोगों की राय यह है कि, और विशेष कर हमारे श्री कैयर भूषण की जो रायपुर से चुन कर आते हैं, यह ऐसोसियेशन पौलिटिकल ऐक्टिविटीज में भाग लेने लगी है और एंटी नेशनल ऐक्टिविटीज भी इसकी काफी ज्यादा है । मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी जाँच करायेंगी ?

**श्रीमती शीला कौल** : मान्यवर, हमें कोई इत्तला नहीं है, न जानकारी है कि इसका पौलिटिकल इन्वाल्वमेंट कोई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्र. सं. 652, श्री बी. डी. सिंह । अनुपस्थित ।

प्र. सं. 653, श्री गुलाम रसूल कोचक, अनुपस्थित ।

प्र. सं. 654, श्री बालासाहिब विखे पाटिल नहीं ।

प्र. सं. 655, श्री सत्यनारायण जाटिया, अनुपस्थित ।

**इन्दिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़**

*656. **श्री केयूर भूषण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन्दिरा और संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ़ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री सतीश अग्रवाल** : अन्य मंत्रियों ने व्यवहार कुशलता से काम लिया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कार्यवाही करूंगा ।

**श्री कंवर भूषण** : अध्यक्ष जी, हां और नहीं में जो जबाव दिया गया है यह पूरे तरीके से इसकी जानकारी नहीं ली गयी है और पूरे तथ्य सामने नहीं आए हैं ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन से जो जानकारी मिली है और 6 फरवरी, 1982 को जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक खेरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में लिए जाने का प्रस्ताव वहां से भेजा गया है । मगर यहां हमें नहीं का उत्तर मिला है । और इसलिए दूसरा भी प्रश्न नहीं उठता यह जवाब आ गया । मगर यह जानकारी के आधार पर, यह जो एक तो सही जानकारी नहीं मिली है, इसलिए फिर से आप जानकारी दें, साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में खेरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय एक मात्र विश्वविद्यालय हैं जो पूरे देश के संगीत से संबंधित विद्यालय है उससे अफीलियेटड हैं, इसको फिर से लें । और मेरा निवेदन है कि ऐसा विश्वविद्यालय आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर प्रान्त है । वहाँ स्थित है और पूरे देश के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ देश से बाहर के विद्यार्थी भी यहां आ करके अध्ययन प्राप्त करते हैं । ऐसे संस्थान को अभी केवल मध्य प्रदेश शासन 6 करोड़ कुछ लाख रु० ही सहायता कर पाता है । तो ऐसे विश्वविद्यालय की ओर क्या केन्द्रीय शिक्षा विभाग का ध्यान गया है और उसके विकास के लिए उनके पास कोई योजना है ?

**श्रीमती शीला कौल** : मान्यवर, यह जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है यह 1956 में मध्य प्रदेश के लेजिस्लेशन से बनाया गया था···इसका असली बुनियादी काम था कि ऊंचे तबके की संगीत और फाइन आर्टस में शिक्षा दी जायेगी । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह बात सही है कि इसके नीचे 30 कालेज एफिलिएटेड हैं, और भी कुछ डिपार्टमेंटस इसमें हैं और इसमें लड़के पी. एच. डी. के लिए पढ़ते भी हैं । इस यूनिवर्सिटी को बने 25, 26 साल हो गए, जबकि रानी खेरागढ़ ने इसको शुरू किया था, लेकिन उसके बाद यह अपने आपको डैवलप नहीं कर सकी । हमारे देश में जो मुख्तलिफ किस्म के नृत्य और संगीत होते हैं, वह उसमें नहीं हैं । खास थोड़े-थोड़े हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है ।

हमारे यहां ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है कि स्टेट की यूनिवर्सिटी को सेंटर ले ले। सेंटर खोल लेती है लेकिन सेंटर किसी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी को नहीं लेती हैं जैसे सिक मिलों को सेंटर ले लेती है। जो यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके डैवलपमेंट में मदद करें और स्टेट गवर्नमेंट उसके काम को करे।

इसमें भी ऐसा ही हुआ है, यू. जी. सी. ने इसको डैवलपमेंट ग्रान्ट दी है, फाइव ईअर प्लान में 36 लाख की ग्रांट दी थी और इस्तेमाल हुई है 7 लाख से भी कम। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब पहली ग्रांट दी गई हो, वही इस्तेमाल न हो तो और ग्रांट किस रूल से दे सकें, यह रूल हमारे पास नहीं है।

**श्री आर० एन० राकेश** : इन्दिरा यूनिवर्सिटी.....।

**श्रीमती शीला कौल** : इसमें मजाक मत कीजिए। रानी साहब खेरागढ़ की जवान लड़की थीं, उनका नाम था इन्दिरा, उनकी जवान मृत्यु हो गई थी उनकी याद में यह कालेज खोला गया था। यह हंसी मजाक की बात नहीं है।

**श्री केयूर भूषण** : जिस तरीके से बताया गया है कि एक छोटे से स्थान में इसकी स्थापना हुई है और मध्य प्रदेश शासन, प्रादेशिक शासन इसको संचालित करे, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर अखिल भारतीय स्तर के विद्यालय इससे एफिलिएटेड हैं। आपने स्वयं स्वीकार किया कि 30 महा विद्यालय एफिलिएटेड हैं जिसमें भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली, आई. टी. सी. संगीत रिसर्च एकेडैमी भी इससे संबंधित हैं। इसी तरह से देश के अन्य विद्यालय भी इससे सम्बन्धित हैं। जब सारे देश का सम्बन्ध उससे जुड़ा हुआ है तो उसको यह बताना कि बहुत कमजोर स्थान है, इसलिए हम इसको विकसित नहीं कर सकते, या उस क्षेत्र को केवल पैसे के माप से मापना, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के रूप से, विदेशों के विद्यार्थी भी यहां पढ़ते हैं, तो यह केन्द्रीय शासन की और शिक्षा समाज की भी जिम्मेदारी होती है इसलिए उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इसके विकास करने की स्थिति क्या है ?

**श्रीमती शीला कौल** : मैंने यह कभी नहीं कहा कि वह कमजोर जगह पर है। मैं चाहती थी कि उस बात का जिक्र न करूं, जिससे इतनी अच्छी संस्था के खिलाफ मैं कुछ कह दूं लेकिन चूंकि अब इन्होंने कहा है तो मुझे कहना पड़ रहा है।

यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स होते हैं और यहां किसी चीज के लिए फैसिलिटी नहीं है - कर्नाटक म्यूजिक के लिए नहीं है, रवीन्द्र संगीत के लिए नहीं है ओ. डी. सी. डांस के लिए नहीं है, भरत नाट्यम के लिए नहीं है, मणिपुर डांस के लिए नहीं है। यह सारी चीजें वहां नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब तक यह चीज पूरी नहीं हो जायेगी, मुश्किल होगा। ग्रांट भी यूटिलाइज नहीं की गई है, पौंने सात लाख रुपए दी गई है।

**श्री मूलचन्द डागा** : सवाल तो यह था·····।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती ।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री फर्नांडीज—अनुपस्थित । श्री एस. एम. कृष्ण—अनुपस्थित । सदस्यों को आज क्या हो गया है ? इस तरफ के सदस्य भी अनुपस्थित हैं । अगला प्रश्न ।

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति**

*658. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** :

**श्री अशफाकहुसैन** : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में (आज तक) कितने सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ;

(ग) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और वे सेवा निवृत्ति से पूर्व सरकारी सेवा में किन पदों पर थे ;

(घ) नियुक्ति की क्या शर्तें हैं ;

(ङ) क्या सरकार देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों में सेवा निवृत्ति सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा समाप्त करेगी ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)**: (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क), (ङ) और (च) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई अलग से मानदण्ड नहीं है। फिर भी, ये विश्वविद्यालय अपने अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति सरकारी अधिकारियों को पुन: रोजगार देने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(ख), (ग) और (घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में अब तक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को पुन: रोजगार देने के 20 मामले हुए हैं। इसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं. | नाम | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व का पद | पद, जिस पर जवाहर लाल विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया | नियुक्ति की अवधि | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री ए. वी. चंदीरुमानी | संयुक्त शिक्षा सलाहकार शिक्षा मंत्रालय | रजिस्ट्रार | 30.12.1974 से 31.10.1977 | विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया। |
| 2. | श्री एस. जी. पुतली | अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षण (वैमानिकी) के. लो. नि. वि. | मुख्य परियोजना अभियन्ता | 1.12.69 से 29.10.75 | 31.5.1974 तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रति-नियुक्ति पर और उसके बाद पूर्ण रोजगार पर नियुक्त किया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | श्री के. डी. भाटिया | कार्यकारी अभियन्ता के. लो. नि. वि. | कार्यकारी अभियन्ता/ प्रमुख परियोजना अभियन्ता | 8.12.70 से 31.8.1978 | |
| 4. | श्री सी. जी. वेंकटाचारी | उप वैधानिक परामर्शदाता विधि मंत्रालय | उप रजिस्ट्रार | 23.8.1969 से 22.8.1972 | |
| 5. | श्री के. डी. धस्माना | सहायक निदेशक गुप्तचर विभाग, नौ सेना मुख्यालय | उप रजिस्ट्रार | 3.11.1969 से 2.11.1972 | |
| 6. | श्री ए. बी. सुगुमल | अधीक्षक/विशेष कार्याधिकारी— के. लो. नि. वि. | प्रशासनिक अधिकारी (इंजीनियरिंग) | 30.3.1970 से 29.3.1978 | 29.3.74 तक के. लो. नि. वि. से प्रतिनियुक्ति पर और उसके बाद पुन: रोजगार पर । |
| 7. | श्री ए. सी. जैन | लेखा अधिकारी रक्षा लेखे | अनुभाग अधिकारी | 25.5.1974 से 24.11.1981 | |
| 8. | श्री आर. गणपति | वैयक्ति सहायक योजना आयोग | आशुलिपिक | 24.2.1976 सें 14.9.1976 | |
| 9. | श्री एम. सी. माथुर | अधीक्षक, के. लो. नि. वि. | सहायक (लेखा) | 4.10.1973 से 31.1.1982 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | श्री उमा नाथ | उच्च श्रेणी लिपिक, के. लो. नि. वि. | सहायक | 7.10.1970 से 6.10.1973 | |
| 11. | श्री एन. एस. पांडे | सदस्य उ. प्र. राजस्व बोर्ड | अंशकालिक परामर्शदाता | 28.12.1981 से 6 माह के लिए | |
| 12. | श्री सरब मित्तर | उपपुलिस अधीक्षक | मुख्य सुरक्षा अधिकारी | 23.7.1981 से 2 वर्ष के लिए | |
| 13. | श्री जे. डी. धर | उप निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन | प्रलेखन अधिकारी | 20.9-1972 से 22.7.1977 | |
| 14. | श्री घनपत राय | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र | विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकाध्यक्ष) | फरवरी, 1970 से मार्च, 1972 · 1.7.72 से 2 वर्ष के लिए | प्रतिनियुक्ति पर पुन रोजगार पर |
| 15. | प्रो. अशोक मिश्र | भारत के राष्ट्रपति के सचिव | प्रोफेसर | 1.3.1975 से 28.3.1982 | |
| 16. | प्रो. बी. भाटिया | एयर कमोंडोर | वरिष्ठ फेलो | 3.12.1975 से 31.12.1978 1.1.79 से आज तक | 31.12.78 तक प्रति- नियुक्ति पर 1.1.79 से पुनः रोजगार पर । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | प्रो. ए. के. दामोदरन | भारतीय राजदूत, इटली | वरिष्ठ फेलो | 1.2.1980 से 31.10.1981 | |
| 18. | श्री सी. डी. पालिवाल | फील्ड अधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय | सहायक प्रोफेसर | 12.11.1973 से आज तक | 11.8.78 तक प्रति-नियुक्ति पर 12.8.78 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बाद पुनः रोजगार पर। |
| 19. | श्री टी. आर. आचार्य | रक्षा मंत्रालय में प्रमुख ड्राफ्ट मैन एवं वाणिज्य कलाकार | तकनीकी सहायक | | |
| 20. | श्री के. सी. सेन गुप्ता | प्रमुख मुख्य लिपिक, के. लो. नि. वि. | सहायक (लेखा) | 31.3.1973 से 1.12.1977 | |

नोट:—इनमें उन्हें शामिल नहीं किया गया है जो प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय सेवा में गए और बाद में उन्हें विश्वविद्यालय सेवा में खपा लिया गया। इस विवरण में उन्हें भी शामिल नहीं किया गया है जो रक्षा सेवाओं से सेवामुक्त हो गए और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया।

**श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : उत्तर में कहा गया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सेवा-निवृत सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई अलग मापदण्ड नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन पदों पर ये 20 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, क्या सेवा में उनके लायक दूसरे व्यक्ति नहीं मिलते थे।

**श्रीमती शीला कौल** : मान्यवर, यूनिवर्सिटीज अपने रूल्ज और प्रौसीजर के मुताबिक अपने यहां लोगों को रखती है और जो लोग उनमें क्वालिफाई करते हैं, वे रख लिए जाते हैं। दस साल की अवधि में 20 रिटायर्ड लोग रखे गए। वे 58 साल की उम्र में रिटायर हुए थे और यूनिवर्सिटी में 60 साल तक रखा जा सकता है। तो उनके तजुर्बे को मद्दे नजर रखकर उन्हें रखा गया होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि दस साल में 20 लोग रखे गए और इस समय कुल चार हैं।

**श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : ये लोग रिटायर्ड होकर, यानी सेवा में अपनी पूरी अवधि समाप्त करके, आए हैं। देश में बेरोजगारी बेहद है। जब उस योग्यता के आदमी मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे रिटायर्ड लोगों को नियुक्त करने का क्या औचित्य है ? इन लोगों को बिना विज्ञापन के रखा गया था।

**श्रीमती शीला कौल** : मैंने पहले ही कहा है कि वे अपने रूल्स और प्रौसीजर के मुताबिक रखते हैं।

**श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि उनके अपने रूल्ज और रेगुलेशन्ज होते हैं। उन्हीं के मुताविक वे करते हैं।

**श्री सतीश अग्रवाल** : इन पोस्ट्स के लिए विज्ञापन नहीं हुए।

**श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : इन लोगों को बिना विज्ञापन दिए रखा गया है। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

**श्रीमती शीला कौल** : मैंने कहा है कि उनके अपने रूल्ज और प्रौसीजर है। उन्होंने एक आदमी को तीन महीने के लिए रखा और उसके बाद हटा दिया।

**श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : इस बारे में धांधली हुई है। क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगी ?

**श्री सत्यनारायण चक्रवर्ती** : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उन लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है और उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। मन्त्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सभी आयोगों ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को चलाने

में शैक्षणिक योग्यता रखने वाले लोगों, जिन्हें विषयों की जानकारी है, की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब मैं देखता हूं कि आपने बिना शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले सेवा निवृत लोगों को नियुक्त किया है। यहां तक कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त लोगों की विश्व-विद्यालय में नियुक्ति की जा रही है। इसलिए क्या केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों को भी यह मार्ग-निर्देश देगी कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में केवल शैक्षणिक पृष्ठ भूमि वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए ? अन्यथा अनुशासन के नाम पर वास्तव में शैक्षणिक वातावरण दूषित होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशों का आदर करते हुए सभी विश्वविद्यालयों को ऐसे मार्गनिर्देश देने जा रहे हैं।

**श्रीमती शीला कौल :** मान्यवर मैंने अभी जिक्र किया था कि लोग अभी – यूनिवर्सिटी में हैं। माननीय सदस्य ने तो जेनरलाईजेशन किया है लेकिन मुझे तो जे. एन. यू. टी. के संबंध में बताना है। इनमें एक नाम है श्री सरब मित्तर का। यूनिवर्सिटी में देखभाल करने के लिए एक आफिसर रखना था। अब इस जगह पर कोई डी. एस. पी. या कोई और पुलिस आफिसर, ऐसा ही आदमी रखा जायेगा। इस जगह के लिए किसी एकेडेमिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से स्टाफ की इंडिविजुअल ग्रीवान्सेज को देखने के लिए एडमीनिस्ट्रेटिव टाइप का आफिसर रखा गया है। जहाँ पर एकेडेमीशियन की जरूरत होती है वहां पर उसको रखा जाता है लेकिन जहां पर उसकी जरूरत नहीं है वहां दूसरों को इस्तेमाल कर लिया जाता है।

**प्रो० एन० जी० रंगा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री चक्रवर्ती ने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछा है। यह सरकार पर निर्भर करती है कि वह उस विशेष प्रश्न के औचित्य पर विचार करे या नहीं। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र, मंत्री महोदय, से चाहूंगा कि वह मेरे मित्र द्वारा दिए गए गंभीर सुझाव पर गंभीररूप से विचार करें।

**श्रीमती शीला कौल :** यह सुझाव है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या 659— श्री संतोष मोहन देव। अनुपस्थित।

**श्री सतीश आग्रवाल :** महोदय, विशेष रूप से वे सदस्य अनुपस्थित हैं जिनके प्रश्न रेल और स्वास्थ्य मंत्रालयों से संबंधित हैं। इसलिए प्रश्नों का तमाम भार इस माननीय महिला के ऊपर है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई षडयंत्र है। आपने शिक्षा मंत्रालय में महिला को कार्य-कारिणी में कैबिनेट मंत्री नहीं रखा है और प्रश्नों का सारा भार इनके ऊपर है जो केवल राज्य मन्त्री हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या 660— डा० कृपासिन्धु भोई। (व्यवधान)।

## जोनल रेलवेज के महाप्रबंधकों का सम्मेलन

*660. **श्री कृपा सिन्धु भोई :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने हाल में जोनल रेलवेज के महाप्रबंधकों का एक सम्मेलन बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन समस्याओं पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मेलन में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है कि रेलवे में सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था हो, समय का पालन किया जाए और अपराधों की घटनाओं को कम किया जाये ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) जी हां । 23.1.82 को महाप्रबंधकों की एक बैठक आयोजित की गयी थी ।

(ख) और (ग) बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ संरक्षा, समय-पालन दुर्घटनाओं की समीक्षा तथा उन्हें कम से कम करने के उपायों, खर्च पर नियंत्रण, रेलपथ और चल स्टाक के अनुरक्षण, गाड़ियों में उठाईगीरी और डकैतियों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था । क्षेत्र संगठनों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए ये बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं ।

**डा० कृपा सिन्धु भोई** : अध्यक्ष महोदय, मैंने रेलवे की जोनल कांफ्रेंस के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं । किन्तु मन्त्री महोदय ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में रेलवे विभाग कठोर कार्यप्रणाली की विचारधारा के बारे में कहा है, किन्तु उन्होंने प्रश्न की विकृति, उसकी उत्पत्ति और उपचार के बारे में नहीं कहा है ।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था :

"यदि हां, तो इसमें किन समस्याओं पर चर्चा हुई और उनके क्या परिणाम निकले ।"

उस जोनल सम्मेलन में दुर्घटनाओं की पुनरीक्षा के बारे में क्या निर्णय लिए गए, जहां सभी प्रकार के तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित थे ? दुर्घटनाएं रोकने, रेलमार्ग तथा रेलगाड़ियों के रख-रखाव करने तथा चोरी के बारे में उन्होंने कौन से ठोस कदम उठाए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलों में डकैतियाँ रोकने के लिए कन्टेनर प्रणाली की या अन्य कोई और व्यवस्था की गई है । अंत में रेलों में, सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रेलों के समय पर चलने को सुनिश्चित करने व दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सम्मेलन में क्या कदम उठाए गए ? एक साधारण सा उत्तर··· दिया गया है, किन्तु उस विशेष प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है ।

**श्री सी० के० जाफर शरीफ** : महोदय, जनरल मैनेजरों का सम्मेलन एक साधारण बात है । समय समय पर हम उन जनरल मैनेजरों की बैठक बुलाते हैं, जो रेलवे की विभिन्न जोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

जब हम जनरल मैनजरों को बैठक में आमंत्रित करते हैं, तो हम उन सभी संगत मामलों पर विचार करते हैं, जो रेलों के संचालन, व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं तथा जो यात्रियों की सुरक्षा और रेलों के समय पर चलने, यहां तक कि जो कानून और व्यवस्था के बारे के लिए भी आवश्यक हैं। इन बैठकों में रेलों के संचालन के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाता है। यह कोई छोटी-मोटी चर्चा नहीं है, जो होती रहती है। इनमें निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों को रेलवे बोर्ड और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

**डा० कृपा सिन्धु भोई** : उन्होंने फिर वही उत्तर दिया है। मैं पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानना चाहूंगा। वह मेरा प्रश्न था। क्या विशेषकर चोरी, डकैती पर नियंत्रण रखने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ? कौन से नए साधन अपनाये गए हैं ? यह जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को होनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे रेलों की समय पाबन्दी पर भी कुछ प्रकाश डालें। क्या संसद सदस्यों द्वारा, अपने विशेष जोनों के बारे में, दिए गए सुझावों पर बैठक में कोई निर्णय लिया गया है ? मैंने भी स्वयं दक्षिण-पूर्व रेलवे के समयनिष्ठा और कुछ नए क्षेत्रों में नई रेलगाड़ियां चलाने के बारे में सुझाव दिए थे। क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया है ?

**रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : बैठक में चर्चित विषयों के बारे में बताया जा चुका है। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, कई उपाय किए गए हैं। दो उच्चस्तरीय सुरक्षा दल गठित किए गए हैं। तब से सुरक्षा दल अनेक जोनों में जा रहे हैं। जनरल मैनेजरों को पूछा गया है कि·····(**व्यवधान**)।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यह एक स्वचालित चेतावनी है।

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी** : सुरक्षा दल गठित किए गए हैं। सुरक्षा दलों के अलावा, बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य (मैकानिकल) को सभी जोनों का दौरा करने के लिए कहा गया है। वे विशेषत: रख-रखाव के पहलू की जांच करने के लिए विभिन्न स्थानों पर गए हैं। इसी प्रकार राज्य मन्त्री और उप-मन्त्री ने भी अनेक स्थानों का दौरा किया है। जब भी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं भी विभिन्न स्थानों पर जाता हूं। हम सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं। मुख्य बात तो रख-रखाव में सुधार किया जाना है, और अधिक सुरक्षात्मक जागरुकता का विकास किया जाना है तथा नियमों का पालन किया जाना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

जहां तक चोरियों तथा डकैतियों का सम्बन्ध है, पिछले दो तीन वर्षों में दुर्भाग्य से रेलों में चोरियों और डकैतियों में वृद्धि हुई है। किसी स्थान विशेष की सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति में ऐसा हो सकता है। जहां तक चोरी और डकैती का सम्बन्ध है, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। अत: हमने इस मामले को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया है और उनसे और अधिक कमंचारी देने को कहा है। हाल में, सरकार द्वारा लिए

गए निर्णय के फलस्वरूप रेलवे पुलिस बल में 6000 लोगों की वृद्धि की गई है। उनके स्थान विशेष में विशेष रूप से निगरानी रखने को कहा गया है। उन्होंने ऐसा करना प्रारम्भ कर दिया है। पिछले कुछ सप्ताहों में वे डकैती के कामों में लगे लगभग दस बाहर व्यक्तियों को मारने में सफल हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारी सतर्कता तथा रेलवे पुलिस बल और जी०आर०पी० के बीच सहयोग से स्थिति में सुधार होगा।

**द्वारका मंदिर में दरार**

*661. **श्री जयनारायण रौत :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में द्वारका मंदिर में कुछ दरार पड़ी पाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) वास्तुशिल्पीय अंगों में दिखाई पड़ने वाली ये पुरानी दरारें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1964 में इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के रूप में राज्य लोक निर्माण विभाग से अधिग्रहण करते समय ही देखी गई थीं।

(ख) ये दरारें लिंटलों, स्तंभशीर्षों और कुछेक स्तंभों में पाई गई हैं। ये दरारें क्षारवाही समुद्री हवाओं की हानिकर क्रियाओं तथा विगत वर्षों में आए भूकंप के अनेक झटकों के कारण बढ़ गई होंगी। मरम्मतों के चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी वास्तु-शिल्पीय भागों के स्थान पर नये प्रस्तर खण्ड लगाए जा रहे हैं और दूसरे प्रयोज्य प्रस्तर उनके मौलिक स्थानों पर पुन: लगाए जा रहे हैं।

**श्री जयनारायण रौत :** अध्यक्ष महोदय, द्वारिकाधीश मंदिर को सन् 1964 में भारत सरकार ने अधिगृहित किया था, तभी से इस मंदिर में दरारें और टूट-फूट नजर आई थीं। क्या सरकार ने इनके मरम्मत के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

**श्री पी. के. थुंगन :** महोदय, वर्ष 1964 में अधिग्रहण के समय से ही भारत सरकार ने इस मंदिर की मरम्मत के लिए योजनाएं बनानी प्रारंभ कर दी हैं। किन्तु राज्य सरकार से पुन: इन्हें अपने हाथ में लेने के लिए अनुरोध किए जाने के कारण इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। अनेक बार पत्र-व्यवहार करने के बाद मंदिर को लौटाने की मांग 1965 में वापस ले ली गई थी। उसके बाद विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं और कई बार मरम्मत की गई है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इसकी पहले से ही जानकारी होगी।

**श्री जयनारायण रौत :** अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो जबाव दिया गया है उसमें कहा गया है कि भूकंप और समुद्री हवाओं से उसमें क्रेक्स की संख्या बढ़ गई होगी। मेरी

जानकारी में ऐसा आया है कि भारत सरकार को यह पता नहीं है कि इसमें कितने क्रेक्स और बढ़ गए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस मंदिर में हजारों यात्री प्रतिदिन दर्शनार्थ आते हैं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर इनकी मरम्मत करायेगी तथा कब तक मरम्मत को पूरा करा देगी?

श्री पी. के. थुंगन : यह मंदिर सक्रिय है और अभी भी उपयोग में आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये दरारें मुख्यतया खारे समुद्री पानी तथा मौसम में आद्रता के कारण पड़ी है। इसके अलावा, माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि यह मंदिर ऐसी किस्म के पत्थर से बना है जो टिकाऊ तथा अच्छा नहीं है। यह चूने का पत्थर है। इसके साथ-साथ, जैसा मैंने पहले बताया है सन 1941 और 1956 में भूचाल के झटके आए थे जिनसे ये दरारें पड़ गई थीं।

जहां तक सरकार का संबंध है, हम इन दरारों की मरम्मत करने हेतु, जो कि काफी जरूरी है, कदम उठा रहे हैं। चूंकि यह मंदिर उपयोग में आ रहा है, तो मरम्मत का कार्य काफी टेढ़ा तथा असुरक्षित है। इसलिए हमारे दो प्रस्ताव हैं कि इसकी दो चरणों में मरम्मत की जाए। पहला चरण पहले ही शुरू हो गया है। उत्तर तथा पश्चिम द्वार को आवश्यक सहारा देकर तथा उन्हें पुन: जोड़कर व्यवस्थित ढंग से ठीक किया जा रहा है। दूसरा चरण सभा मंडप के पत्थरों को हटाकर उन्हें ठीक करना तथा इसके भार को हटाकर जीर्ण-क्षीर्ण तथा नष्ट प्राप्त ढाँचों के स्थान पर नव-निर्माण करना है। इस पर 2,99,200 रु. लागत आएगी। इस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, यह हिन्दुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और उसी की तरफ जो तवज्जह दी जाती है, वह अभी आपके सामने प्रकट हो गया है कि अभी प्रोपोजल बन रहे हैं, अभी स्कीमें बन रही हैं। सन 1964 से इन्होंने इसको अपने हाथ में लिया है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितना पैसा अभी तक मंदिर की रिपेयर्स पर खर्च हुआ है और जब से इसको हाथ में लिया है, तब से अब तक कितनी दरारों को ठीक किया गया है और इस संबंध में क्या इक्सटेंशन वर्क आप की तरफ से चल रहा है ?

श्री पी. के. थुंगन : इस मंदिर के अधिग्रहण के बाद अब तक कई बार मरम्मत की जा चुकी है। सभा मंडप तथा गर्भ गृह के फर्श पर निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। दक्षिणी द्वार की भी मरम्मत शुरू हो चुकी है।

मरम्मत कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और जैसा मैंने पहले बता दिया है पश्चिमी तथा उत्तरी द्वार पर भी मरम्मत कार्य शुरू हो गया है।

अन्य प्रश्न के संबंध में कि अब तक इस पर कितनी राशि खर्च हुई है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अब तक हमने 4,13,664 रु. खर्च किए गए हैं।

**हिमाचल प्रदेश में वन तथा उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना**

*662. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस दृष्टि से कि हिमाचल प्रदेश में वन एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, उस राज्य में एक वन तथा उद्यान विश्वविद्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकार द्वारा सोचे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह प्रश्न कृषि मंत्री जी के लिए था लेकिन इनको यह ट्रांसफर हो गया है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय को इस उद्यान विश्वविद्यालय के लिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, क्या उसकी आप जाँच कराएंगी?

**श्रीमती शीला कौल** : मान्यवर, यह सवाल ऐसा है जो कि दूसरी मिनिस्ट्री का है और इन्होंने वहां यह भेजा है । तो मैं कैसे इसे कराऊंगी, मुझे भेजेंगे, तो मैं कराऊंगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : सुल्तानपुरी जी, आप एक काम यह करिए, इसे आप भेजें या न भेजें लेकिन अपनी जैसी एक टोपी डिप्टी मिनिस्टर साहब को जरूर भेजिए ।

**श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : वह जरूर होगा लेकिन मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप का संबंध एजूकेशन से है और उद्यान विश्वविद्यालय से संबंधित मेरा सवाल था और मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से यह क्वेश्चन किया था—हिमाचल प्रदेश में फल और फोरेस्ट्री के अलावा कोई खास चीज नहीं होती है । इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा में इसकी चर्चा हुई है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि सोलन जिले में एक होर्टीकल्चर यूनीवर्सिटी स्थापित की जाए । वहां पर उन्होंने जमीन ले ली है और वहाँ पर जो एक एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी है, उस को उद्यान विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कहा गया है । इसलिए हमारे यहां पर फोरेस्ट्री और हार्टीकल्चर की यूनिवर्सिटी बनाने का प्रबन्ध किया जाए । मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आपके दायरे में आता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार यह तजवीज आपके पास भेजे, तो आप उस पर विचार करेंगी ।

**श्रीमती शीला कौल** : यह सब तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कंसर्न्ड है ।

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*663. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत कौन सा क्षेत्र आता है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त हैं और क्या उनका कार्य संतोषजनक है;

(ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य में सुधार लाने और उनका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) से (घ) वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा ऐसी संस्थाओं के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। वर्तमान स्वास्थ्य केन्द्रों का क्षेत्र बढ़ाने और उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए डाक्टरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में और औषधियाँ खरीदने की रकम में वृद्धि की जा रही है। लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है और परम्परागत दाइयों के प्रशिक्षण के साथ-साथ अधिक संख्या में स्वास्थ्य गाइडों के प्रशिक्षण के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस शताब्दी के अन्त तक गांवों में सामान्यत: प्रत्येक 30,000 लोगों के लिए तथा पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में प्रत्येक 20,000 लोगों के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है।

**श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : माननीय मंत्री जी ने सितम्बर, 1981 में भी यही उत्तर दिया था। **(व्यवधान)**।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों दूर-दराज के क्षेत्रों में भेजे जाने का कोई प्रस्ताव है ? क्या आप इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दूर-दराज के गांवों को भेज रहे हैं अथवा नहीं।

दूसरा मुद्दा है : पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 है और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 30,000 है। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है। क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए यह सम्भव है कि वह ऐसे लोगों को जो गांवों में रह रहे हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल के लिए 30 कि०मी० की दूरी तक भेज सकें ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : शायद माननीय सदस्य पिछले वर्ष दिसम्बर में दिए गए उत्तर तथा वर्तमान उत्तर को पाकर परेशान हैं। अभी मुश्किल से तीन महीने की अवधि व्यतीत हुई है। माननीय सदस्या को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि तथ्य इतनी तेजी से नहीं बदलते। उनमें कोई अन्तर नहीं हो सकता। **(व्यवधान)**।

माननीय सदस्या ने अब ग्रामीण लोगों की समस्याओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पूछा है। यही कारण है कि हमने कुछ नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्रों की स्थापना करके ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी देखरेख हेतु सुविधाओं का विस्तार प्रारम्भ किया है। अब जिन उप-केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, उन्हें केन्द्र से 100% सहायता मिलेगी।

**श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या उनके मन्त्रालय का स्वैच्छिक संगठनों अथवा किसी पंजीकृत संगठनों में सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है।

क्या कुछ आदर्श केन्द्रों को शुरू किए जाने का भी कोई प्रस्ताव है।

क्या ग्रामीण लोगों की मदद की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों की मदद लेने का भी कोई प्रस्ताव है। क्या इस संबन्ध में उनके मंत्रालय का कोई प्रस्ताव है ?

**श्री बी. शंकरानन्द** : सरकार की यह नीति रही है कि वह स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देती है कि वे आगे आएं और ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में सरकार की मदद करें तथा उसे सहायता और स्वैच्छिक संगठनों की मदद करने की हमारी एक योजना भी है। यदि माननीय सदस्या की जानकारी में ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन है तो वे मुझे बतायें और मैं उस पर विचार करूंगा।

**श्री डी० पी० यादव** : स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार कुछ केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाएं शुरू करके राज्य सरकारों की मदद करती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि बड़े पैमाने पर संसाधनों का विस्तार करने जो केन्द्रीय सरकार राज्यों को भेजती है, क्या आप जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने पर विचार करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ सुविधाओं का विकास हो सके ?

**श्री बी. शंकरानन्द** : जैसा माननीय सदस्य ने बताया है स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जिला अस्पताल भी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आते हैं। वस्तुतः हम राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि वे जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाएं और केन्द्र इस सम्बन्ध में उनकी मदद कर रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री हरीश कुमार गंगवार···आपकी बस छूट गई है। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

———

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### उत्तर प्रदेश को आवंटित कोयले का अन्यत्र भेजा जाना

*652. **श्री बी. डी. सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बिजलीघरों के लिए आवंटित कोयले के कोटे को प्राय: अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसे इस प्रकार अन्यत्र भेजने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और कोल इंडिया लि० के बीच भुगतान संबंधी कोई विवाद है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश के बिजलीघरों को कोयले की तुरन्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी हां। कभी-कभी दूसरी जगह भेजना पड़ता है।

(ख) अपर्याप्त मात्रा में कोयले की सालाई या बिजलीघरों द्वारा कोयले के माल डिब्बों का असंतोषप्रद ढंग से खाली करना या खराब किस्म के आधार पर बिजलीघरों द्वारा उन्हें भेजे गए रेंकों को स्वीकार करने से इन्कार करना या टिपलरों की खराबी, दरारों, दुर्घटनाओं आदि जैसे आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न रेल संचलन की कठिनाइयों के कारण कोयला दूसरे स्थानों को भेजना पड़ता है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और कोल इंडिया लि० के बीच 1-1-1982 को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की कोल इंडिया को 19.90 करोड़ रुपए की देनदारी से उत्पन्न भुगतान के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है जिसमें से 11.66 करोड़ रुपए सप्लाई किए गए कोयले के सम्बन्ध में है और शेष 8.24 करोड़ रुपए की राशि कोयले की किस्म से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में है। इस मामले पर ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(घ) रेलों ने इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध नान-कोकिंग कोयले की ढुलाई करने में बिजली घरों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उत्तर प्रदेश के बिजली स्टेशनों को उनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में कोयला दिया जा रहा है और किसी भी बिजलीघर को कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन में कटौती नहीं करनी पड़ी।

## 302 अप हावड़ा-पुरी यात्री गाड़ी में डकैती

*653. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

**श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र डकैतों के एक गिरोह ने 302 अप हावड़ा-पुरी यात्री गाड़ी के एक डिब्बे में 15 मार्च, 1982 को डाका डाला और 40,000 रुपए के मूल्य की नकदी तथा स्वर्ण आभूषण लूट ले गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत से यात्रियों को पीटा भी गया तथा उन्हें जख्मी कर दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) इस संबंध में रेलवे ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि रेल यात्रियों की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया गया है, अब भी बड़े पैमाने पर गाड़ियों में लूट मार जारी है ; और

(च) यदि हां, तो उसकी रोकथाम न करने के क्या मुख्य कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) से (ग) जी हां । 14.3.1982 को जब यह गाड़ी दक्षिण पूर्व रेलवे के बालासोर-भद्रक खंड पर सोरो और सबीरा स्टेशनों के बीच चल रही थी तब कुछ बदमाशों ने, जो छुरों, लोहे की छड़ों और बाँस की लाठियों से लैस थे, उस समय 203 अप (हावड़ा-पुरी पैसेंजर) गाड़ी के दूसरे दर्जे के साधारण डिब्बे के 5 यात्रियों पर हमला कर दिया तथा उनसे 15,700/- रुपये की नकद राशि, हाथ की घड़ी और जेवर लूट लिए । बदमाशों के हाथों से 5 यात्रियों को मामूली चोटें आयीं और उन्हें मर्कोना स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर दी गयी थी ।

(घ) सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और सिविल पुलिस ने छापा मारा जिसके परिणाम स्वरूप इस मामले में शामिल गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया गया तथा 5,500 रुपए और दो तोले के सोने के जेवर बरामद कर लिये गए । तत्पश्चात् पुलिस द्वारा गिरोह के दूसरे सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया । जांच-पड़ताल जोरों से जारी है ।

(ङ) और (च) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत राजकीय रेलवे पुलिस, जो रेलों में यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, गाड़ियों में मार्ग रक्षी तैनात करके, अपराधियों पर निगरानी रखकर और दर्ज किये गये मामलों के बारे में जोरदार जांच पड़ताल करके इस प्रकार के मामलों की रोकथाम करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है । लेकिन, फिर भी गाड़ियों में अभी भी डकैतियों/लूटपाट के कुछ मामले घटित हो रहे हैं ।

"आई-ओपनर टु मिसिंग आइज" शीर्षक समाचार

*654. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 9 मार्च 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आई ओपनर टु मिसिंग आइज" (गुम आंखों के लिए आंखें खोलने वाली बात) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में मृत व्यक्तियों के रिस्तेदारों से अनुमति लिए बिना उनके शवों से आंखें निकालने के मामलों की कोई जांच की है ;

(ग) कितने मामलों का सरकार को पता लगा है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में शल्य चिकित्सक आँख के प्रतिरोपण के लिए 10,000 से 15,000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं ; और

(ङ) आंखों के व्यापार की रोकथाम के लिए जिसके लिए निर्धन लोग पैसे लेने की दृष्टि से अपनी आंखों का दान करने के लिए विवश हो सकते हैं सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) जी, हां । ऐसा केवल एक ही मामला सरकार के ध्यान में आया है जो क्षय रोग अस्पताल, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में हुआ है । पुलिस इस मामले की छान-बीन कर रही है ।

(घ) सरकारी अस्पतालों के जनरल-वार्डों में भर्ती रोगियों की आँखों में कोर्निया मुफ्त लगाया जाता है । प्राइवेट सर्जनों द्वारा ली जाने वाली फीस के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उज्जैन-मक्सी शाजापुर-गुना-बीना सैक्शन पर द्रुतगामी रेलगाड़ी सेवा

*655. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन-मक्सी-शाजापुर-गुना-बीना सैक्शन पर एक द्रुत गामी रेल गाड़ी सेवा चलाने की माँग मंत्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस सैक्शन पर इंदौर-उज्जैन-गुना-बीना के रास्ते से होकर दिल्ली तक एक द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब तक चलाई जाने की सम्भावना है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विजयवाड़ा-बलारशाह सेक्शन पर विद्युतीकरण कार्य बंद किया जाना**

*657. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :**

**श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-बलारशाह रेल लाइन का विद्युतीकरण का कार्य रोक दिया गया है और इस कार्य के लिए रखी गई धन-राशि अन्यत्र अन्य कार्यों के लिए दे दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य बन्द होने के परिणाम-स्वरूप कितने मजदूरों की छंटनी कर दी गई है ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र को चावल, गेहूं और खाद्य तेलों की ढुलाई के लिए वैगन**

*659. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर नहीं दी जा रही है ;

(ख) रेलवे ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित चावल, गेहूं और खाद्य तेल समय पर उनके पास पहुंचें ;

(ग) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र की वैगनों की समस्त मांग पूरी की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) जी नहीं । मिजोरम और त्रिपुरा जैसे कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों ने वर्षा ऋतु से पहले स्टाक जमा करने के लिए अधिक खाद्यान्नों की माँग की है ।

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई पहले ही तेज कर दी गयी है। खाद्य तेल की ढुलाई की व्यवस्था राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाती है। इसकी ढुलाई की व्यवस्था उनकी माँग के अनुसार की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) विभिन्न वस्तुओं की अपेक्षित मात्रा में ढुलाई करने में यातान्तरण क्षमता की कमी एक मुख्य रुकावट है यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है तथा इस वर्ष थ्रू पुट और वृद्धि बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, तथापि क्षेत्र को वास्तविक राहत अगले वर्ष गुवाहाटी तक बड़ी रेल लाइन के पूरा हो जाने पर ही मिलेगी।

**दिल्ली में पुस्तकालयों का कार्यकरण**

***664. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में "दिल्ली लाइब्रेरीज नाट प्रोपर्ली मेनटेन्ड" (दिल्ली में पुस्तकालयों का रखरखाव ठीक नहीं है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पुस्तकालयों का उचित रूप से कार्य न करना, पुस्तकालयों का उपयोग करने वालों को लाइब्रेरियनों द्वारा सहायता न दिया जाना, पुस्तकालयों में स्थान की कमी, विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर पुस्तकों का खरीदा जाना और किताबों की खराब हालत आदि का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) वैज्ञानिक आधार पर पुस्तकालयों के कार्यकरण में सुधार लाने और पूर्ण प्रशिक्षण तथा अर्हताप्राप्त लाइब्रेरियनों को नियुक्त करने के लिए जो पुस्तकालय का प्रयोग करने वालों को अपेक्षित सामग्री ढूंढ़ने में सहायता दे सकें, क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) सामान्य रूप से महानगरों में तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर अधिक संख्या में पुस्तकालय खोलने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) जी, हां।

यह समाचार "दिल्ली में पुस्तकालय सुविधाएं और पाठकों की समस्याएं" पर 4 जनवरी, 1982 को भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र में आयोजित एक पैनल विचार-विमर्श पर आधारित है। विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में पैनल के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने विचार हैं।

(ख) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पैनल के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों पर सरकार ने ध्यान दिया है । केन्द्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार केवल भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालयों पर ही है । संविधान के अंतर्गत "पुस्तकालय" को राज्य सूची में शामिल किया गया है । तथापि, केन्द्रीय सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अधिकाधिक पुस्तकालयों का प्रबन्ध बहुत करके अर्हता प्राप्त पुस्तकाध्यक्षों द्वारा किया जाता है, जिनके पास विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर डिग्रियां और डिप्लोमा होते हैं । इसके अतिरिक्त, सरकार पुस्तकालयों और पुस्तकाध्यक्षों के सुधार के लिए अनुस्थापन और सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती है ।

विजयवाड़ा-वात्तायर सेक्शन पर माइक्रोवेव लिंक

*665. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-वात्तायर सेक्शन पर माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना खर्चा आयेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) 88.47 लाख रुपए ।

विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति

*666. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसका शिक्षा के स्तर पर असर पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह अनुदेश देगी कि वह सम्बद्ध कालेजों को अनुदान देने से पूर्व यह जांच करे कि वे धन का उचित उपयोग करते हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क.) विचार व्यक्त किए गए हैं कि कुछ विश्वविद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं हैं । फिर भी, विश्वविद्यालयों को पर्याप्त अथवा अपर्याप्त वित्तीय सहायता के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) आयोग द्वारा अनुमोदित अनुदानों का भुगतान कालेजों को, कार्यान्वयन की प्रगति के अनुसार, किस्तों में किया जाता है । इन अनुदानों की लेखा परीक्षा कराना और जिस

प्रयोजन के लिए उन्हें संस्वीकृत किया गया हो उसके लिए उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है ।

**भारत-अमरीका सम्बन्ध**

*667. **श्री अर्जुन सेठी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपमहाद्वीप के साथ अमरीका के सम्बन्धों में पाकिस्तान अमरीका से द्विपक्षीय सहायता की मात्रा प्राप्त करने में भारत से आगे है जैसा कि अमरीका और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध के पुनः आरम्भ होने के बाद रीगन प्रशासन द्वारा निर्धारित नई गतिविधियों से पता चलता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) अमरीकी प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 1983 के लिए सुरक्षा और आर्थिक सहायता सम्बन्धी जिन प्रस्तावों को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया है, उनके अनुसार आवंटन इस प्रकार है : पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 20 लाख अमरीकी डालर से कुछ अधिक, जिसमें से 27 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर विदेशी सैनिक साजसामान विक्रय गारन्टी ऋण रूप में और 17 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर आर्थिक सहायता के लिए है । भारत के लिए 21 करोड़ अमरीकी डालर से कुछ अधिक राशि आवंटित की गयी है और उसमें विदेशी सैनिक साज-सामान विक्रय गारन्टी ऋण तथा आर्थिक सहायता शीर्षों के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले आधुनिकतम सैनिक उपस्कारों के बारे में, जो कि अमरीकी सहायता का प्रमुख हिस्सा है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया से सदन को अवगत कराया जा चुका है और हमारे इस दृष्टिकोण में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं ।

**शिक्षा संबंधी विधान**

*668. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समवर्ती शक्तियों का उपयोग करते हुए शिक्षा के संबंध में एक केन्द्रीय विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच शिक्षा के इस क्षेत्र का पता लगा लिया है जिनके लिए इस प्रकार के विधान विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या यह निर्णय राज्य सरकारों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :**

(क), (ख) और (ग) इस समय समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसे कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जिनमें वैधानिक कार्रवाई करने की गुंजाइश है। उपयुक्त स्तर अथवा ऐसे स्तरों पर, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।

**हावड़ा और हल्दिया के बीच और अधिक स्थानीय गाड़ियों का चलाया जाना**

*669. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में सुबह हल्दिया से हावड़ा तक तथा सांय वापसी पर हावड़ा से हल्दिया तक एक और स्थानीय गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**उड़ीसा में चल रही परियोजनाएं**

*670. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में चल रही रेल परियोजनाओं पर कुल कितना पूंजी निवेश अपेक्षित है ; और

(ख) वर्ष 1982-83 में कौन-सी परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) उड़ीसा में चालू परियोजनाओं की कुल प्रत्याशित लागत, उस वर्ष के अनुमानों के अनुसार जिस वर्ष में उन्हें बजट में शामिल किया गया था, लगभग 151 करोड़ रुपए है। 1982-83 में कोई परियोजना पूरी नहीं होगी।

**जामिया मिलिया इस्लामिया**

7175. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया को 28 फरवरी, 1982 को बन्द किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय के उप-कुल-पति ने संसद सदस्यों को लिखे अपने एक पत्र में यह उल्लेख किया है कि प्राय: विश्वविद्यालय प्रशासन पर तथाकथित छात्र नेताओं द्वारा यह दबाव डाला जाता है कि शैक्षिक स्तर को गिराया जाए तथा गुण्डागर्दी चलती रहने दी जाए ; और

(घ) बीते समय में विश्वविद्यालय को छात्रों के दबाव में आकर कितनी बार झुकना पड़ा तथा पास प्रतिशतता माननी पड़ी और क्या गतिरोध समाप्त करने के लिए बातचीत आरंभ की जायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 28 फरवरी, 1982 को जामिया के बंद होने के प्रमुख कारण कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने इसके सामान्य कार्य को असंभव बना दिया । छात्रों के एक वर्ग ने कुलपति तथा उसके साथियों का घेराव किया, अध्यापन कार्यक्रमों को बलपूर्वक अस्त-व्यस्त किया और सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई । स्थिति को नियंत्रित करने के लिये पुलिस की सहायता लेनी पड़ी तथा और अधिक अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए जामिया को 28 फरवरी, 1982 को बंद कर दिया गया था ।

(ग) जी, हां । कुलपति ने अपने पत्र में, उनके अनुसार, उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा है जो विश्वविद्यालयों में छात्र उपद्रव के प्रमुख कारण थे तथा जिन दबावों के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन सामान्य रूप से प्रभावित रहा ।

(घ) जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान , उत्तीर्ण अंकों की प्रतिशतता में कमी आने का कोई उदाहरण नहीं मिला है । जामिया 15 मार्च, 1982 को पुन: खुल गया और इस समय वहां कोई कठिनाई नहीं है ।

**विश्वकर्मा मन्दिर, नई दिल्ली को भूमि का वापस दिया जाना**

7176. **श्री भीकू राम जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन रेल मन्त्री को जनवरी, 1981 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट विश्वकर्मा मन्दिर को उसकी भूमि लौटाने के लिए एक अभ्यावेदन दिया गया था ; और

(ख) विश्वकर्मा मंदिर को, जो कि देश भर के लाखों लोगों के विश्वास एवं पूजा का स्थान है, उसकी भूमि लौटाने का निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हाँ ।

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास विश्वकर्मा मंदिर को कोई भूमि रेलवे के कब्जे में नहीं है । चूंकि संदर्भाधीन भूमि रेलवे की है तथा यह यात्रियों के आवागमन के लिए अति आवश्यक है, इसलिए रेलवे, विश्वकर्मा मन्दिर प्रबन्ध समिति को कोई भूमि नहीं दे सकती ।

**गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास का ज्ञापन**

7177. **श्री थजाई एम० करुणानिधि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने 16 जनवरी, 1982 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव (स्टोर्स) तथा महानिदेशक, केन्द्रीय सेवाएं, नई दिल्ली को उनकी गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो के दौरे के दौरान एक ज्ञापन दिया था ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, हाँ । इस अभ्यावेदन में बातें थीं, जैसे बोनस का भुगतान, कुछेक वर्गों के कर्मचारियों को वर्दिया देना, श्रेणी "ग" और "घ" के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर देना, कैन्टीन के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना, समयोपरि भत्ता आदि ।

(ख) यूनियन को सलाह दी गई है कि वे ऐसे ज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिए "समुचित माध्यम" की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए । इस बीच, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने चिकित्सा सामग्री भण्डार के उप सहायक महानिदेशक, मद्रास की टिप्पणियाँ माँगी हैं ।

**सांस्कृतिक सम्पदा का परिरक्षण**

7178. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न संग्रहालयों के प्रमुखों ने सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिए एक त्रि-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा सांस्कृतिक सम्पदा के परिरक्षण के लिए हाल ही में आयोजित एक अखिल भारतीय संग्रहालय सम्मेलन में दोषों

को दूर करने और पुनः स्थापना एवं मरम्मतों के लिए निरोधक परिरक्षण उपचार की योजना तैयार की गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो सम्मेलन में क्या कदम उठाए गए एवं निर्णय लिए गए ;

(घ) क्या उस सम्मेलन ने कलात्मक एवं पुरातत्वीय वस्तुओं के समुचित भण्डारण एवं हैंडलिंग के विषय पर भी चर्चा की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) से (ङ) भारतीय संग्रहालय संघ ने, जो संग्रहालय व्यावसायिकों का एक स्वैच्छिक निकाय हैं, लखनऊ में 20-21 नवम्बर, 1980 को "संग्रहालय कला वस्तुओं के परिरक्षण और भंडारण की संरक्षकीय जिम्मेदारी" पर एक सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशें की थी : (I) पर्यावरण और जैविक-ह्रास (II) सुरक्षित संग्रह का भंडारण ; और (III) परिवहन और प्रबन्ध। संग्रहालय संघ ने अपने संघ के सदस्यों को, जिनमें प्राइवेट संस्थाएं, राज्य सरकारें आदि शामिल हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए ये सिफारिशें परिचालित कर दी हैं। सिफारिशें अनुबंध में दी गई हैं।

आशा की जाती है कि सेमिनार की सिफरिशों के आधार पर संग्रहालय प्रस्ताव तैयार करेंगे और सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारियों से स्वीकृत माँगेंगे।

**विवरण**

**पर्यावरण और जैविक ह्रास सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिशें**

**सिफारिशें**

(1) राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, शुरू-शुरू में विशेषकर चित्रकलाओं जैसी नाजुक कला वस्तुओं के लिए किसी संग्रहालय में अनुशंसित अधिकतम प्रकाश, आर्द्रता और अन्य परिस्थितियों के सम्बन्ध में निदेशकों और संग्रहपालों के प्रयोग के लिए एक विशेष तत्कालगणक, प्रकाशित करें।

(2) भारतीय संग्रहालय संघ मूल जलवायु अनुश्रवण उपस्कर सम्बन्धी क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से एक सूचनात्मक पुस्तिका प्रकाशित करे।

(3) भारतीय संग्रहालय संघ राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला और अन्य संस्थाओं से विचार-विमर्श करके उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में एक सूचनात्मक पुस्तिका प्रकाशित करे जिससे भारतीय संग्रहालयों को सहायता मिलेगी।

(4) यह भी सिफारिश की जाती है कि सभी संग्रहालय विभिन्न वीथियों में थर्मामीटरों जैसे साधारण अनुश्रवण उपस्कर स्थापित करने में राष्ट्रीय संरक्षण प्रयोगशाला की सहायता ले सकते हैं और वर्ष के दौरान ताप, आर्द्रता, और अन्य परिस्थितियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रयोगशाला को आंकड़े भेजें जो विश्लेषण के लिए एक मूल्यवान सामग्री-संग्रह होगा।

(5) यह सिफारिश की गई कि क्योंकि ओरगेनिक सामग्री वाली वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश में रख देना हानिकर है अतः किसी भी स्थिति में चित्रकला, वस्त्रों आदि जैसी वस्तुओं की फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। "सनगन" तथा तीव्र कृत्रिम प्रकाश के प्रयोग से भी बचा जाना चाहिए।

(6) यह सिफारिश की गई कि संग्रहालय भवनों की वास्तुकला और संरक्षण की आवश्यकताओं के परस्पर सम्बन्ध का एक अध्ययन दल द्वारा अध्ययन किया जाए जिसमें वास्तुकला कालेज के प्रिंसिपल प्रो० डी० सी० थापर, राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला के अध्यक्ष, श्री ओ० पी० अग्रवाल और शिल्प संग्रहालय के निदेशक, श्रीमती स्मिता बख्शी शामिल हों।

(7) यह सिफारिश की गई कि मैसर्स फिलिप्स से फिलिप्स 37 और 34 जो अल्ट्रा—वायोलेटफिल्टरिंग लैंप हैं, उनको तैयार करने की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया जाए। सभी संग्रहालयों को सिफारिश की जाती है कि जब इनका निर्माण हो जाए तब इस प्रकार की ट्यूबों और बल्बों का प्रयोग करें।

(8) उपयोग की गई परम्परागत तकनीकों और सामग्री का संग्रह किया जाए और इन तकनीकों और सामग्री के प्रभाव का अध्ययन किया जाए।

(9) यह उपयुक्त समझा गया है कि कला वस्तुओं का परिरक्षण संरक्षण अपेक्षाओं पर आधारित और उपयुक्त रूप से परस्पर सम्बद्ध अलग-अलग वीथियों/क्षेत्रों में किया जाए।

## सुरक्षित संग्रह के भंडार के लिए सिफारिशें

1. क्योंकि सुरक्षित संग्रह के सुव्यवस्थित और सुसज्जित भंडार स्थापित करना मुख्य रूप से प्रत्येक संग्रहालय की जिम्मेदारी है, अतः संग्रहालयों को सुरक्षित संग्रहों के उपयुक्त भंडार स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

2. (क) किसी नए भवन की योजना बनाते समय भंडार क्षेत्र की योजना विशषकर पाषाण मूर्तियों जैसी भारी कला वस्तुओं के लिए अधिमानतः ग्राँउन्ड फ्लोर पर बनाई जाए क्योंकि तहखाने में अधिक आर्द्रता, नमी भेदन आदि जैसी

जलवायु संबंधी बाधाएं सुप्रभाव्य होती हैं। तथापि, जब भी संभव हो संग्रहालय संग्रहों के भंडार के लिए तूफानों से इसकी सुरक्षा हेतु, एक छोटे तहखाने की योजना बनाई जाए जो नमी आदि से मुक्त हो। हल्की सामग्री के भंडार के लिए, उत्तरी भारत के गर्म शुष्क क्षेत्र में सबसे ऊपर वाली मंजिल को छोड़कर, ऊपर की मंजिलों का प्रयोग किया जाए।

(ख) भारी और बड़ी बस्तुओं की सुगम गति-विधि के लिए, भंडार क्षेत्र के प्रवेश का स्थान ढालू होना चाहिए। इन वस्तुओं की गति-विधि के लिए उपयुक्त सुरक्षा साधनों सहित बड़े आकार की वस्तुओं की लिफ्ट तथा पूर्ण दीवार अथवा बड़े द्वारों की भी सिफारिश की गई है।

3. स्थान के अधिकतम उपयोग के लिए फर्श से छत तक भंडार-फर्नीचर तथा दीवार से दीवार तक अल्मारियां होनी चाहिए जिसमें अपेक्षित पहुंच मार्ग का ध्यान रखा जाए। यांत्रिक उपायों सहित चल अल्मारियों तथा फ्रेमों के उपयोग की भी सिफारिश की जाती है।

4. उर्जा की गंभीर कमी होने पर बिजली न होने के समय कार्य को सुकर बनाने तथा सुरक्षा प्रयोजन हेतु कृत्रिम प्रकाश तथा संवातन के अतिरिक्त, भंडार क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. स्टील अथवा लोहे की अल्मारी के स्थान पर भंडार के निर्माण हेतु पक्की तथा उपचारित लकड़ी और देवदार की लकड़ी की भी सिफारिश की जाती है जो अत्यधिक उपयुक्त सामग्री होगी। परन्तु शैल्फ तथा संग्रहालय वस्तुओं के बीच मुलायम सामग्री की तह का अलगाव रखना जरूरी है।

6. भंडार क्षेत्र में वस्तुओं का उपयुक्त प्रलेखन किया जाए जिसमें अलमारी संख्या/शेल्फ संख्या/पंक्ति संख्या आदि का उल्लेख किया जाए जहाँ उन्हें लगाया गया है ताकि उनका आसानी से पता लग सके।

7. चाहे भंडार क्षेत्र हो अथवा प्रदर्शनी क्षेत्र, इनमें वस्तुओं को निरंतर पकड़ने को टालने के लिए, संग्रहालय को संग्रहालय वस्तुओं के अच्छे फोटो तथा स्लाइडें देनी चाहिए बजाय इसके कि पर्यटकों/अध्येताओं को फोटो आदि लेने की अनुमति दी जाए क्योंकि रिकार्ड रखने तथा प्रलेखन के लिए फोटोग्राफी भी लेनी पड़ती है।

8. भंडार में विशेषकर, कोई नई उपार्जित वस्तु तब तक नहीं रखी जानी चाहिए जब तक कि कीट तथा संक्रामण से अन्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए इनका आवश्यक परिरक्षण उपचार न किया जाए।

9. बीच के आकार की अधिकांश तीन विमितीय वस्तुओं के भंडार प्रयोजनों के लिए पक्की अथवा उपचारित लकड़ी की बनी अल्पप्रवण अलमारियां उपयुक्त समझी जाती है । छोटी वस्तुओं को ट्रे तथा दराजों में रखा जा सकता है परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि वे खिसककर अन्य वस्तुओं को क्षति न पहुंचाए । यदि आवश्यक हो तो दराजों के साथ छोटे उप-खंड जोड़े जाए अथवा ट्रे में रखने से पहले वस्तुओं को अलग-अलग बक्सों में रखा जाए । छोटे खंडों के लिए चौरस वस्तुओं, मिट्टी के बरतन शर्डस, वस्त्र अथवा चित्रकला के भागों को रखने हेतु दराजों के तल पर क्रीस-क्रास टेपग्रीड लगाया जा सकता है ताकि दराजों को खोलते और बन्द करते समय ये बाहर न खिसकें ।

10. दो तथा तीन विमितीय वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणी की वस्तुओं हेतु निम्न-लिखित तरीकों का प्रयोग किया जाए :

(क) बिना फ्रेम लगे लघु चित्रों को दोहरा चौखटा चढ़ाना चाहिए ताकि कुछ को विशेष रूप से तैयार किए गए बक्सों में स्टेक किया जा सके । बाक्स के एक तरफ कब्जेदार ढक्कन होना चाहिए ताकि यह खुल सके और चित्र को बाहर खिसकाया जा सके । बक्सों को सुलभता के लिए एक अलमारी में रखा जाए ।

(ख) फ्रेम लगे दो विमितीय चित्रों को फर्श से छत की ऊंचाई तक फिक्सड अथवा स्लाइडिंग फ्रेमों से लटकाया जा सकता है ताकि अधिकतम भंडार की जगह की व्यवस्था हो सके ।

(ग) लकड़ी की नक्काशी, चटाइयों मुखोटों जैसी अन्य समतल सामग्री, जिसे पर्दों पर लटकाने से पहले अल्काथिन थैलों में रखना चाहिए, को लटकाने के लिए पर्दे पर्याप्त होने चाहिए ।

(घ) वस्त्र, मरगोल चित्र, साड़ियां, कारपेट्स आदि को रोलरों पर लपेटा जाए तथा पर्दों अथवा फ्रेमों पर अलग-अलग टांगा जाए । चित्रों अथवा नक्शों को भी भंडार प्रयोजनों के लिए लपेटा जाए ।

(ङ) पौशाकों को, यदि उनकी स्थिति ठीक है तो, हंगरों पर लटकाया जाना चाहिए । मुखौटों सहित अन्य नाजुक वस्त्रों को दराजों में रखा जाए ।

(च) हथियारों को फ्रेम अथवा रेक में खांचों में रखा जा सकता है ताकि उनके एक दूसरे को रगड़न लगे ।

11. सामग्री के दृश्य भंडार, जिसकी विशेषकर अध्ययन प्रयोजनों के लिए आवश्यकता होती है जब भी संभव हो व्यवस्था की जाए । दृश्य भंडार की व्यवस्था परिपूर्ण

प्रदर्शनी के रूप में की जाये जहां वस्तुओं को एक पंक्ति में रखा जा सकता है परन्तु एक-एक को देखा जा सकता है ।

12. संग्रहालय कार्मिकों के तत्काल संदर्भ के लिए भंडार तकनीकों के सम्बन्ध में एक पुस्तिका तैयार की जाये ।

**परिवहन तथा प्रबन्ध संबंधी कार्य दल की सिफारिशें**

1. जहां तक संभव हो अध्ययन कक्षों तथा पाण्डुलिपि भंडारों में पेनों तथा बाल पाइन्टों के प्रयोग को टाला जाए । इनके स्थान पर कच्ची साधारण पैन्सिलों का उपयोग किया जाए ।

2. जब भी सुरक्षित संग्रह की अनेक कला बस्तुओं का अध्ययन किया जाए, यह केवल संरक्षकीय स्टाफ की उपस्थिति में किया जाना चाहिए ।

3. जिन कला वस्तुओं की स्थिति बिगड़ी हुई है उन्हें संग्रहालयों के बाहर प्रदर्शनियों में शामिल न किया जाए । क्षतिग्रस्त वस्तुओं की पहले ही मरम्मत अथवा पुनरूद्धार किया जाना चाहिए ।

4. कम से कम देश के प्रमुख संग्रहालय एक विशेष प्रदर्शनी कक्ष के विषय में विचार करें ।

5. जब भी वस्तुओं को ले जाया जाए, उनका मार्ग पहले ही निर्धारित किया जाना चाहिए तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए जाएं ।

6. भावी संग्रहालय भवनों की योजना बनाते समय अपेक्षित विचार किया जाए ताकि भारी वस्तुओं को लाने वाले ट्रक आदि सीधे भवन के अन्दर आ सकें अथवा कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जाये ताकि भवन की मंजिलों में से एक तल की ऊंचाई टक के तल की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए ।

7. संग्रहालय तथा अन्य स्टाफ कर्मचारियों के कार्यालय कक्ष भंडार अथवा वीथी क्षेत्र में नहीं होने चाहिए ।

8. संग्रहालय वस्तुओं के परिवहन तथा नौ परिवहन के लिए जहां तक संभव हो विधिवत पैड लगी बाक्स ट्रेज, पहिएदार ट्रालियां, फोर्थ लिफटों, चैन पुल्लियों का प्रयोग किया जाए ।

9. वस्तुओं को साफ तथा सूखे हाथों से पकड़ना चाहिए परन्तु रंग की गई तथा अन्य सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से छूने से बचा जाना चाहिए ।

10. पैकिंग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए यह अलग-अलग वस्तुओं के अनुसार सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात क्रमबद्ध रूप से की जानी चाहिये ।

11. बक्सों के ऊपरी सिरों पर ऐसा कोई लेविल नहीं होना चाहिए जिनसे इनकी विषय वस्तु का पता लग सके परन्तु सीमा शुल्क कार्यालय अथवा इन्हें खोलने के लिए उपयोग हेतु इनके अन्दर पैकिंग नोट रखे जाने चाहिए जिनमें सभी ब्यौरे और फोटोग्राफ होने चाहिए ।

12. बड़े आकार की वस्तुओं के परिवहन के मामले में जहां इन्हें रेल अथवा सड़क मार्ग से नहीं ले जाया जा सकता उस स्थिति में इनके पुर्जे खोल लेना चाहिए । तथा इन्हें फिर से जोड़ लिया जाना चाहिए ।

13. बक्सों की पैकिंग करने के लिये हल्की तथा मजबूत– पक्की कैल की लड़की का उपयोग किया जाना चाहिये । धक्का सहन सामग्री के रूप में थर्मोकोल तथा ऐसी ही अन्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए ।

14. मिट्टी, कांच आदि की नाजुक वस्तुओं को भीतरी तथा बाहरी ओर काफी गुदेली सामग्री लगा कर भीतरी बक्से में पैक किया जाना चाहिए तथा थर्मोकोल ग्लोबल्स जैसी सामग्री अथवा सिलिंड्रीकल ठोस ट्यूब जैसी पैकिंग सामग्री का उपयोग किया जाए ।

15. यदि लकडी के स्थान पर ऊन अथवा रूई का उपयोग करना है तो उसे सबसे पहले रोगाणुमुक्त कर लेना चाहिए ।

16. स्थिति आदि का रिकार्ड रखने के लिए सम्पूर्ण प्रलेखन तभी किया जाए जब बस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए ।

17. जहां तक संभव हो क्षति से वचने के लिए लागू नियमों के अनुसार बीमा कराया जाए ।

18. सुगम परिवहन के लिये बड़े बक्सों को पहिये लगाए जाएं ।

**रेलवे संचार में कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रस्ताव**

7179. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे संचार में कठिनाइयों को दूर करने के कुछ प्रस्तावों पर प्रेसीडेन्ट, वेस्ट दीनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन, रामगंज के अभ्यावेदन में दिए गए तथ्य क्या हैं ; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अध्यक्ष, वेस्ट दिनाजपुर जरनेलिस्ट्स एसोसिएशन, रायगंज के अभ्यावेदन में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :-

(i) बरसोई-राधिकापुर खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदना।

(ii) रायगंज में 44 डाउन के आरक्षण कोटे में वृद्धि करना।

(iii) अन्य महत्वपूर्ण और लम्बी दूरी की गाड़ियों में आरक्षण की व्यवस्था करना यद्यपि मालीगांव में सम्भावत: एक संगणक कक्ष है लेकिन अग्रिम सूचनाओं के बावजूद इस कक्ष से किसी आरक्षय की पुष्टि प्राप्त नहीं होती जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है।

(ख) इन सुझावों के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :—

(i) बरसोई-राधिकापुर खण्ड की मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना :—

किसी खण्ड विशेष का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के बारे में तभी विचार किया जाता है, जब उस लाइन पर होने वाले यातायात की लाइन क्षमता के अन्य सस्ते संसाधनों द्वारा न सम्भाला जा सके। यातायात की वर्तमाम आवश्यकता को पूरा करने के लिएइस खण्ड की क्षमता पर्याप्त है। बरसोई से राधिकापुर के बीच के खण्ड की लम्बाई 53 कि. मी० है और इसकी मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए निर्माण की वर्तमान लागत के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए लागत आयेगी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी जो एक वाजिव समय में चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त नहीं है, के कारण इस समय इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है। अतएव, आगे आने वाले समय में जब यातायात की दृष्टि से आवश्यक होगा, तो इस खण्ड के आमान परिवर्तन के बारे में विचार किया जाएगा।

(ii) रायगंज में 44 डाउन के आरक्षण कोटे में वृद्धि करना :—

गाड़ी में उपलब्ध स्थान, गाड़ी प्रारम्भ होने के स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्टेशनों, जहाँ से नियमित और बहुत अधिक यातायात होता है, पर आरक्षणों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आरक्षित स्थान के कोटे आबंटित किए जाते हैं। इसके आधार पर, रायगंज स्टेशन को 44 डाउन दार्जिलिंग मेल के दूसरे दर्जे में 2 शायिकाओं के कोटे की व्यवस्था की गई है। रायगंज स्टेशन पर वर्तमान कोटा बढ़ाने के सुझाव पर विचार किया गया था लेकिन गाड़ी प्रारम्भ होने के स्टेशनों के साथ-साथ अन्य महत्व-पूर्ण मध्वर्ती स्टेशनों पर आरक्षण की मांग अत्याधिक होने के कारण कोटा बढ़ाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(iii) मालीगांव में आरक्षण संगणक कक्ष का कार्य : —

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रशासन द्वारा मालीगाँव में केन्द्रीकृत आरक्षण संगणक कक्ष के कार्य को कारगर बना दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वहां प्राप्त आरक्षण संदेशों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और उनके उत्तर शीघ्र भेजे जाते हैं ।

**बीमार नौवहन कम्पनियाँ**

7180. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय एक ऐसी नीति तैयार कर रहा है जिसके अनुसार बीमार नौवहन कम्पनियाँ तुलनात्मक रूप से स्वस्थ कम्पनियों में विलेसित हो सकेंगी ;

(ख) यदि हां, तो बीमार नौवहन एककों की परिसमापन से बचाने के लिए सरकार का इस प्रकार का निर्णय कब तक करने का विचार है ; और

(ग) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

**मद्यनिषेध नीति समीक्षा**

7181. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस समय शुष्क हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-कानूनी शराब के कारण होने वाली मौतों की संख्या शुष्क राज्यों में अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मद्यनिषेध के सम्बन्ध में अपनी नीति की समीक्षा करेगी ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) पूर्ण मद्यनिषेध गुजरात में लागू है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रिहायशी वार्ड पास

7182. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए रिहायशी कार्ड पास सुविधा 50 अथवा 100 किलोमीटरों से अधिक दूरी पर स्थित स्टेशनों पर ही दी जाती है ;

(ख) यदि हाँ तो त्रिवेन्द्रम स्थित मुख्यालय के कर्मचारियों को उक्त सुविधा देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार रिहायशी कार्ड पास की सुविधा क्विलोन तथा नगर कोइल तक किसी भी तरफ के लिए त्रिवेन्द्रम मुख्यालय के सभी कर्मचारियों को देने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेल कर्मचारियों को रिहायशी कार्ड पासों की अनुमति उन्हीं खण्डों पर दी जाती है जहाँ ऐसी सुविधा 14.12.53 से पहले से मौजूद थी। ऐसे मामलों में, जहाँ रिहायशी रेलवे कालोनियां कार्य स्थल से लम्बी दूरी पर स्थित हैं और इस कारण संबंधित कर्मचारियों को काफी कठिनाई और असुविधा होती है, वहां नए खण्डों पर इस सुविधा के विस्तार करने के बारे में प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

1979 में तिरुवनन्तपुरम खण्ड का गठन किए जाने के परिणामस्वरूप जो कर्मचारी फालतू हो गए थे और उन्हें साथ वाले मण्डलों से स्थानान्तरित करके तिरुवनन्तपुरम में तैनात कर दिया गया था, उन्हें कोल्लम और नय्याटिंकारा तक रिहायशी कार्ड पास स्वीकृत किए गए थे, जो तिरुवनन्तपुरम से क्रमश: 65 और 17 कि० मी० की दूरी पर हैं। यह सुविधा केवल पहले से स्थानान्तरित कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में दी गयी है जो कि 23.6.82 तक वैध है, किन्तु यह सुविधा नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अभी नहीं है।

तिरुवनन्तपुरम और नागरकोइल (71 कि० मी०) के बीच इस सुविधा को बढ़ाने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों/ड्रैसरों के रिक्त पद

7183. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत फार्मासिस्टों, ड्रैसरों तथा चपरासियों आदि के कितने पद खाली पड़े हैं ; और

(ख) इन पदों को भरे जाने के लिए क्या कार्यवाही जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत फार्मासिस्टों के 61 पद, ड्रैसरों के 13 पद तथा चपरासियों के 11 पद खाली पड़े हुए हैं ।

(ख) भर्ती के अनुमोदित स्रोतों के जरिए इन पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अधिकांश रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और इन पदों को शीघ्र ही भर दिया जायेगा ।

**सेवा निवृत्ति के पश्चात रेल-पास**

**7184. श्री जायनल आबेदिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) श्रेणी i, श्रेणी ii, श्रेणी iii तथा श्रेणी iv कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद क्रमश: कितने पास दिए जाते हैं ;**

**(ख) क्या सेवा निवृत्ति के पश्चात श्रेणी iv कर्मचारियों के श्रेणी iii करने के अनुरूप पास जारी करने के लिए आल इंडिया रेलवे मैन्ज फेडरेशन से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और**

**(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?**

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् दिए जाने वाले मानार्थ पासों का मौजूदा मानदंड इस प्रकार हैं :—**

| कर्मचारियों की कोटि | | निर्धारित अर्हकारी रेल सेवा समयावधि | प्रति वर्ष स्वीकार्य पासों के सैटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| श्रेणी i और ii | 1. | 20 वर्ष से अधिक किन्तु रेल सेवा 25 वर्ष से कम हो । | 2 सैट |
| | 2. | रेल सेवा 25 वर्ष से कम न हो । | 3 सैट |
| श्रेणी iii | 1. | 20 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम रेल सेवा हो । | 1 सैट |
| | 2. | रेल सेवा 25 वर्ष से कम न हो । | 2 सैट |
| श्रेणी iv | | रेल सेवा 25 वर्ष से कम न हो । | 2 वर्ष में 1 बार 1 सैट स्वयं तथा पत्नी के लिए । |

(ख) जी हाँ।

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि श्रेणी iv के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले मानार्थ पासों के नियमों को 1976 में उदारीकृत किया गया था जिसके अनुसार उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात् 5 वर्षों में एक बार एक सैट के बदले 2 वर्ष में एक बार (सेवा निवृत्ति के पश्चात्) एक सेट मानार्थ पास दिए जाने का पात्र बनाया गया और रेल यात्रा में निरन्तर वृद्धि होने के साथ-साथ आने वाले कुछ वर्षों में गाड़ियों में स्थानों की अधिक वृद्धि करने हेतु पड़ने वाले गम्भीर दबाव के कारण अन्य क्षेत्रों में रेल यात्रा संबंधी रियायतों को कम कर दिया गया है। अत: इस समय और अधिक उदारीकरण के बारे में विचार करना औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया है।

**भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखना**

7185. **श्री के० मालन्ना : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान विषयों को पढ़ाने एवं लोकप्रिय बनाने के लिये भारतीय भाषाओं में विज्ञान पर पुस्तकें लिखे जाने को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) मंत्रालय की, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की भारतीय भाषाओं में तैयार करने के लिये सहायता देने की योजना में, विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों के साथ-साथ, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी में पूरक रीडर तैयार करना और उनका निर्माण करना शामिल है। योजना सन 1968 से चल रही है और इसे राज्य पाठ्य-पुस्तक बोर्डों/ग्रंथ अकादमियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना में पालिटैक्निक शिक्षा और जमा दो स्तर सहित, विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षा माध्यम में परिवर्तन करने के वास्ते बनाए गये अध्ययन पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध पुस्तकों, संदर्भ कृतियों, मोनोग्राफों, अनुसंधान पत्रिकाओं, पाठान्तरों, सार-संग्रहों, शब्दकोशों और विश्वकोशों का निर्माण भी शामिल है। कृषि, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, सहित, विज्ञान विषयों में भारतीय भाषाओं में अब तक 2700 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में प्रयोग के लिए, कक्षा I से XII तक के लिये अंग्रेजी और हिन्दी में विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में व्यस्त है। राज्य सरकारों को भी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में तैयार की गयी सामग्री का क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये उसका प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

श्री हिन्दी पुस्तकालय सोहसराम, नालन्दा

7186. श्री विजय कुमार यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में स्थित श्री हिन्दी पुस्तकालय सोहसराम राज्य के उन कुछ गिने चुने पुस्तकालयों में से एक है जिनमें पुरानी, दुर्लभ तथा कीमती समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का संग्रह है ; और

(ख) क्या इस पुस्तकालय को केन्द्रीय पुस्तकालय में बदलने के लिए इस पुस्तकालय की ओर से सरकार के पास कोई अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) क्योंकि 'पुस्तकाल' राज्य का विषय है इसलिए बिहार के नालन्दा जिले में श्री हिन्दी पुस्तकालय, सोहसराम में दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकों, समाचार-पत्रों आदि के संग्रह के सम्बन्ध में संस्कृति विभाग के पास कोई विशेष सूचना नहीं है। इस पुस्तकालय को एक केन्द्रीय पुस्तकालय में बदलने के लिए भारत सरकार को भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रौढ़ शिक्षा

7187. श्री हरिहर सोरन :

श्री के० राममूर्ति : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में प्रौढ़ शिक्षा लागू करने के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) उपर्युक्त वित्तीय वर्ष प्रौढ़ शिक्षा लागू करने के लिए निर्धारित की गई धनराशि का राज्य-वार आवंटन क्या है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) वार्षिक योजना 1982-83 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना में 14.25 करोड़ रु० राशि और राज्यों की योजनाओं में 12.14 करोड़ रु० की अन्तरिम राशि निर्धारित की गई है। यह राशि 1982-83 के लिए केन्द्र और राज्यों के बजटों में किए गए योजनात्तर प्रावधान के अलावा है। अतः प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित की जाने वाली राज्यवार कुल राशि 1982-83 में योजनागत और योजनेत्तर दोनों प्रकार के बजटों के अन्तर्गत केन्द्रऔर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशियों पर निर्भर करेगी।

**स्वयं सेवी संगठनों को नए अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना के लिए सहायता**

7188. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लागू अस्पतालों तथा औषधालयों की स्थापना के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता देने की योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब आरम्भ की गई थी ;

(त) कितनी सहायता देने की पेशकश है ; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) जी हाँ ।

(ख) 25 जनवरी, 1975 को ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत जमीन की खरीद, अस्पताल के भवन के निर्माण और अस्पताल के उपकरणों की खरीद के लिए स्वीकृत व्यय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित संस्थान द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है ।

(घ) अभी तक 17 स्वैच्छिक संस्थाओं को 23 अस्पतालों के लिए 102.41 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है । इसमें से 94.66 लाख रुपए की राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है और शेष राशि संबंधित अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद उन्हें रिलीज की जायेगी ।

**आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कालेज का अधिग्रहण किया जाना**

7189. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया (मेडिकल) कालेज, दिल्ली के छात्रों और कर्मचारियों, प्रधानाचार्य सहित ने यह मांग की है कि कालेज की बिगड़ती हुई दशा को ध्यान में रखते हुए कालेज को या तो सरकार द्वारा या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कालेज की दशा की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार या दिल्ली विश्वविद्यालय इस कालेज का अधिग्रहण करेंगे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि तिब्बिया कालेज के कामकाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और यदि जरूरी हो तो तिब्बिया कालेज अधिनियम, 1952 की संबंधित धाराओं में संशोधन करने सहित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया था । इस समिति ने दिल्ली प्रशासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसकी वित्तीय कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से जांच की जा रही है ।

**रेल कर्मचारियों का 55वां वार्षिक सम्मेलन**

7190. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की ओर से मथुरा में 14 सितम्बर से 17 सितम्बर, 1981 तक हुए उसके 55वें वार्षिक सम्मेलन में पारित 10 सूत्री मांग-पत्र के बारे में कोई पत्र मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन मांगों पर कोई कार्यवाही आरम्भ की है ;

(घ) यदि हां, तो उस बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग), (घ) और (ङ) आल इंडिया रेलवे मेन्स फैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ मांगपत्रों पर विचार-विमर्श किया गया था । सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के बराबर मजूरी, मंहगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन, मकान किराया भत्ते/नगर प्रतिकर भत्ते के प्रयोजन के लिए शहरों का पुर्नवर्गीकरण आदि जैसी मांगें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में मात्र रेल कर्मचारियों के लिए एकतरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता जिन अन्य मदों का मात्र रेल मंत्रालय से सम्बन्ध है उन पर बैठक में ए. आई. आर. एफ. के साथ हुए विचार-विमर्श के अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

दस सूची मांग-पत्र में निम्नलिखित बातें शामिल थीं :—

(i) सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के बराबर मजूरी और इस प्रयोजन के लिए वर्ग 'ग' और 'घ' के सभी कर्मचारियों को वेतन में तदर्थ वृद्धि के रूप में प्रतिमाह 150 रु० का तत्काल भुगतान ।

(ii) जीवन यापन लागत के अनुरूप मंहगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन और रथ समिति की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मूल्य-सूचकांकों में सुधार ।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 344 पर सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का विलय ।

(iii) कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस की मंजूरी ।

(iv) वर्ग 'ग' और 'घ' में संवर्ग का पुनर्संरचना ताकि समय-बद्ध पदोन्नति की गारन्टी मिल सके जैसा वर्ग 'क' के अधिकारियों के मामले में होता है । वर्ग 'ग' के पदों में पदोन्नति के लिए वर्ग 'छ' के घंटों का पुनर्वर्गीकरण जैसा वर्ग 'क' 'ख' और 'ग' संवर्ग में किया जाता है ।

(v) मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूरक भत्ते के प्रयोजन के लिए शहरों का पुनर्वर्गीकरण और इन भत्तों की दरों में संशोधन ।

(vi) श्रमिकों को नियमित करना ।

(vii) रेल कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी ।

(viii) (क) मई 1974 की हड़ताल के संबंध में उत्पीड़न समाप्त करना ।

(ख) 1974 की हड़ताल के निलम्बन/बर्खास्तगी की अवधि के लिए पूरे वेतन का भुगतान ।

(ix) प्रति दिन 8 घंटे से अधिक काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी लागू करना ।

(x) स्वायत निगम द्वारा रेलों की प्रबन्ध व्यवस्था ।

**बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना**

**7191. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 और 1980-81 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन बिहार में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ; और

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान कितने अतिरिक्त प्राथमिक केन्द्र खोले जाने हैं और ये केन्द्र किन किन जिलों में खोले जायेंगे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले जाते हैं। 1979-80 और 1980-81 के दौरान बिहार में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) राज्य सरकार ने 1982-83 के दौरान 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया है। ये केन्द्र कहां कहां खोले जाएंगे इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

**परादीप बन्दरगाह पर वैगन टिपलिंग प्रणाली की स्थापन**

7192. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के परादीप बन्ररगाह पर वैगन टिपलिंग प्रणाली की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसमें पहले ही विलम्ब हो चुका है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) सरकार द्वारा मामले को गति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) परादीप पोर्ट में वैगन ट्रिपलर्स के स्थापना कार्य को मई, 1982 तक पूरा हो जाने की संभावना है और स्कीम पूरे तौर से जुलाई, 1982 तक चालू हो जाएगी।

(ख), (ग) और (घ) डम्पर हाउस के तैयार होने में देरी के कारण, जिसमें काफी पानी था, वैगन ट्रिपलर्स की स्थापना में देरी हुई। ट्रिपलर्स के स्थापना कार्य की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

**भाषा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति**

7193. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासन तथा शिक्षा में भाषाओं के उपयोग और उसके साहित्य के संवर्धन सहित भाषाओं के विकास के लिए कोई भाषा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और क्रियान्वित किया है तथा प्रत्येक मामले में इसे किस तिथि से क्रियान्वित किया गया है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) 1968 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ भाषाओं के विकास की व्यवस्था है। सरकारी भाषा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की नीति भारत सरकार के संविधान में सम्बद्ध प्रावधानों और राजभाषा अधिनियम, 1963 पर आधारित है, जिसके लिए प्रमुख मंत्रालय, गृह मन्त्रालय में राजभाषा विभाग है। राज्य में सरकारी प्रयोजनों के लिए किसी भाषा अथवा भाषाओं को अपनाना सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है, जिनमें से अधिकांश राज्यों ने इस सम्बन्ध में अपने राज्य विधान में कानून बना लिया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय साहित्य का विकास करने और उच्च साहित्यिक स्तरों को स्थापित करने, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और उन्हें समन्वित करने तथा उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों की अपनी निजी अकादमियाँ हैं।

**शाहजहांपुर-सहसवां लाईन**

7194. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहाँपुर, कलां बदायुं, बिसौली, बिल्सी, सहसवाँ तथा उनसे आगे रेल लाईन का प्रस्ताव किया था और मंत्री द्वारा सरकार की परिवहन नीति के अनुरूप रेलवे के लिए सर्वेक्षण तथा निर्माण कराने हेतु आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों की प्रति सभापटल पर रखने का है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) इस लाइन के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई विशिष्ट सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री की ओर से रेल मंत्रालय को भेजा गया दिनांक 26.3.81 का एक पत्र, जिसके साथ माननीय सदस्य के पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न थी, इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ था जिसमें अनुरोध किया गया था कि शाहजहांपुर से बदायूं तक एक

रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये । उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को रेल मंत्री की ओर से दिये गए उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बदायूं द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में, बदायूं जिले में नयी रेल लाइनें बिछाने के लिए माननीय सदस्य की ओर से पहले भी इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ था । इस संकल्प में, बदायूं से आसफपुर तक एक बड़ी लाइन के निर्माण करने तथा बदायूं जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत वाला एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया था ।

माननीय सदस्य को दिये गये उत्तर में यह अनुरोध किया गया था कि आसफपुर-बदायूं से शाहजहांपुर तक प्रस्तावित लाइन की लम्बाई लगभग 150 कि० मी० होगी और इस पर लगभग 37 करोड़ रुपये से कम लागत नहीं आयेगी । धन की अत्यधिक कमी के कारण, इस योजना को प्रारम्भ करने का यह सही अवसर नहीं था । प्रस्तावित लाइन का सर्वेक्षण और निर्माण करने के लिए रेल मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

**कर्नाटक में इंजीनियरिंग कालेज**

7195. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है, जिन्हें कर्नाटक राज्य में कार्य करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या इन कालेजों में प्रवेश पाने के लिए कोई प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक और गैर-कर्नाटक के कितने छात्र हैं और कितने छात्र विदेश से हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन कालेजों में एकत्र की गई प्रति छात्र की सही राशि का पता लगाना कठिन है । तथापि, कर्नाटक की राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में निम्नलिखित प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किए थे ।

5,000/-रुपए प्रति छात्र (कर्नाटक के छात्रों के लिए) ।

10,000/-रुपए प्रति छात्र (उन छात्रों के लिए जो कर्नाटक के नहीं हैं । इनमें विदेशी छात्र भी शामिल हैं) ।

## विवरण

### कर्नाटक में प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों की सूची

1. एम० एस० रमैय्या प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
2. आर० वी० इंजीनियरी कालेज, बंगलौर ।
3. श्री सिद्ध गंगा प्रौद्योगिकी संस्थान, टुमकुर ।
4. मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपाल ।
5. दयानन्द सागर इंजीनियरी कालेज, बंगलौर ।
6. बंगलौर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
7. इस्लामिया प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
8. श्री सिद्धार्थ—प्रौद्योगिकी संस्थान, टुमकुर ।
9. बापूजी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, दावनगोर ।
10. एच० के० ई० इंजीनियरी कालेज, रायचूर ।
11. बंजुमाथेश्वरा इंजीनियरी कालेज, धारवाड ।
12. के० एल० ई० इंजीनियरी कालेज, बेंलगाँव ।
13. के० एल० एस० इंजीनियरी कालेज, बेंलगांव ।
14. घेवसिया इंजीनियरी कालेज, रामनगरम ।
15. डा० अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
16. एन० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, शिमोंगा ।
17. ए० डी० आई० चुंचानगरी प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकमंगलूर ।
18. एस० जे० एम० इंजीनियरी कालेज, चित्रदुर्ग ।
19. अंजुमन इंजीनियरी कालेज, भटकल ।
20. विजय नगर इंजीनियरी कालेज, बालेरी ।
21. के० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, गुलबर्ग-।
22. गुरूनानक देव इंजीनियरी कालेज, बिदार ।

23. बी० एल० डी० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, बीजापुर ।

24. आर० टी० सी० इंजीनियरी कालेज, हलकोटी ।

25. एस० टी० सी० ई० इंजीनियरी कालेज, रांस बेनूर ।

वे सहायता प्राप्त इंजीनियरी कालेज जो दाखिल छात्रों में से 20% से प्रति व्यक्ति शुल्क एकत्र करते हैं

26. बी०एम० एस० इंजीनियरी कालेज, बंगलौर ।
27. एन० आई० ई० इंजीनियरी कालेज मैसूर ।
28. श्री एस० जे० इंजीप्रियरी कालेज, मैसूर ।
29. पी० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, मंडया ।
30. मालनद इंजीनियरी कालेज, हसन ।
31. बी० वी० बी० इंजीनियरी कालेज हुबली ।
32. वासवेश्वर इंजीनियरी कालेज, बागलकोट ।
33. इंजीनियरी कालेज, गुलबर्ग ।

**सचिवालय कर्मचारियों के बच्चों को दखिला**

7196. **श्री एन० ई० होरो : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में केन्द्रीय विद्यालयों तथा नई दिल्ली नगर पालिका के नवयुग स्कूलों में संसद के दोनों सचिवालयों के कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले के लिए कुछ कोटा निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उटता ।

**कीटनाशकों के कारण हुई मौतें**

7197. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशकों के कारण देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मौत होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में उठाये गये निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) कीटनाशक दवाओं का पर्यावरण, जानवरों और मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कीटनाशक औषधि अधिनियम द्वारा मॉनिटर किया जाता है । छिड़काव कार्य में लगे कर्मचारियों को सुरक्षात्मक वर्दियां प्रदान करके एहतियाती उपाय बरते जाते हैं ।

**दिल्ली पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतनमान में संशोधन करना**

**7198. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय प्रोफेसनल एसिस्टेन्ट्स एसोसिएशन (पुस्तकालय विज्ञान विभाग), दिल्ली में पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतनमान में संशोधन करने के बारे में दिनांक 20 फरवरी, 1982 का कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों की जांच हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) संघ द्वारा दिया गया अभ्यावेदन इस बारे में था कि कालेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में व्यावसायिक सहायकों और समकक्ष पदों को स्तरोन्नत किया जाए ताकि वे सहायक पुस्तकाध्यक्षों के समतुल्य हो जाएं और 700-1600 रुपए के वेतनमान में रखे जाएं ।

(ग) विश्वविद्यालय और कालेज पुस्तकालयों में व्यावसायिक सहायकों सहित सहायक कर्मचारियों के वेतनमानों को स्तरोन्नत करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**सहायक सलाहकार, होम्योपैथी का खाली पद**

**7199. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** मन्त्रालय में होम्योपैथी के सहायक सलाहकर की नियुक्ति के नियमों के बारे में 3 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय में सहायक सलाहकार होम्योपैथी का पद अभी भी खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्वा कारण हैं ; और

(ग) इस पद को नियमित आधार पर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं और इसे किस ढंग से भरा जायेगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क), (ख) और (ग) सहायक सलाहकार (होम्योपैथी) के पद पर स्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को उप-सलाहकार (होम्योपैथी) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है जबकि वह अपने पद का काम भी करते रहेंगे। इसलिए यह पद नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकता। उप-सलाहकार (होम्योपैथी) के पद को उस के भर्ती नियमों के अनुसार नियमित आधार पर भरने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

**पाकिस्तान के लिए बीसा प्राप्त करने में कठिनाई**

7200. **श्री राम विलास पासवान :**

**श्री जेनल बशर :**

**श्री मगन भाई बरोट : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत में पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को बीसा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार कुछ ऐसे उपाय करने का है ताकि पाकिस्तान के लिए बीसा प्राप्त करने के नियमों को उदार बनाया जा सके ?

**पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) सरकार ने अखबारों में ऐसी खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान की यात्रा करने का इरादा रखने वाले भारतीय राष्ट्रिक, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास से वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि, 1974 के भारत-पाक वीजा करार में तत्संबंधी ब्यौरा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की यात्रा के इच्छुक भारतीय यात्रियों को वीजा देने से सम्बद्ध बातों पर अमल करना पाकिस्तान सरकार की ही जिम्मेदारी है।

**हवील-सेटों का आयात**

7201. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में निर्मित वैगनों के लिए ह्वील-सेटों की कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्मित वेगनों को चलाने के लिए हबील-सेटों का आयात करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो आगामी दो वर्षों में कुल कितने हबील सेटों की जरूरत होगी और दूसरे देशों से हबील-सेटों का आयात करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) सरकार ने बैगनों की सप्लाई तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 1982-83 के दौरान उत्पादन के लिए पहिया सेटों की कुल आवश्यकता लगभग 27,000 पहिया सेट है। 1983-84 में लगभग 31,000 पहिया सेटों की आवश्यकता हो सकती है, यद्यपि, वास्तविक आंकड़ों का पता योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गए धन के अनुकूल जनवरी, 1983 में वर्ष की उत्पादन योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् चलेगा। आयातित पहियां सेटों का आर्डर दिए जाने के बाद उनके निर्माण कार्यों तक पहुंचने में लगभग नौ से बारह महीने का समय लग जाता है ।

(घ) देश में बने पहिया सेटों की सप्लाई में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए, आयात को संतुलित करने के उद्देश्य से 1981 में ही आर्डर दे दिए गए थे जिनके अनुसार सप्लाई आरम्भ हो चुकी है, समग्र उपलब्धता के मांग के अनुसार हो जाने की आशा है।

**लेडी लिनालिथिगो सेनेटोरियम, कसौली का बन्द किया जाना**

7202. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी लिनलिथगो सेनेटोरियम, कसौली को 1976 में बन्द कर दिया गया था और उक्त सेनेटोरियम के फालतू कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य हस्पतालों में खपा दिया गया था ;

(ख) क्या उन्हें अन्य हस्पतालों में खपाते समय उनकी पिछली सेवा की गणना नहीं की गई है ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों ने उक्त सेनेटोरियम में की गई अपनी पिछली सेवा की गणना किए जाने की मांग करते हुए तथा उन्हें पेंशन लाभ, वरिष्ठता तथा सरकारी आबास के आबंटन आदि दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतें दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी हां ।

(ख) लेडी लिनलिथगो सैनेटोरियम मूलतः भारतीय क्षयरोग संघ द्वारा चलाया जा रहा था । जिन्होंने संघ के नियमों और प्रथा के अनुसार अपने निवर्तमान स्टाफ को समय पूर्व सेवा-समाप्ति का सेवा-निवृत्ति लाभ का भुगतान कर दिया था । भारत सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के अधीन नौकरी में ले लिए जाने पर स्टाफ का वेतन सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किए थे ।

(ग) स्टाफ ने अपनी पूर्ववर्ती सेवा की गणना पेंशन लाभ और वरिष्ठता देने आदि के बारे में 1980 में अपमे अभ्यावेदन में मांग की थी ।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने कार्मिक तथा, प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है । यह निर्णय किया गया है कि चूंकि लेडी लिनलिथगो सेनेटोरियम, कसौली केन्द्रीय संस्था नहीं थी, इसलिए आवास, पेंशन और वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए उसके कर्मचारियों को पूर्व सेवा का लाभ देना संभव नहीं होगा ।

**कम लोड सहने वाली पुरानी रेल लाइनों में रेल दुर्घटनायें**

7203. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रायः रेल दुर्घटनाएं उन कम लोड सहने वाली पुरानी रेल लाइनों में हो रही हैं जिनमें द्रुत-गामी रेल गाड़ियों को चलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्रुत-गामी रेल गाड़ियों को चलाने के लिए पुरानी रेल लाइनों को बदलने के लिए प्रभावी कार्यवाही कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) पुरानी रेल लाइनों का आयु एवं हालत के आधार पर नवीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है । छटी योजना (1980-85) में इस प्रयोजन के लिए 500 करोड़ रुपए शुद्ध निर्धारित किए गए हैं । छठी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान वित्तीय परिव्यय और प्रगति नीचे दिखाई गयी है :—

| वर्ष | परिव्यय (रुपए) शुद्ध | रेलपथ के नवीकरण की प्रगति (कि० मी० में) |
|---|---|---|
| 1980-81 | 70 करोड़ | 380 कि० मी प्राथमिक और 216 कि० मी० गौण । |
| 1981-82 | 110 करोड़ + 20 करोड़ पूरक बजट में | 1200 कि० मी० प्राथमिक और 300 कि० मी० गौण (लक्ष्य) |

**तमिलनाडु को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता**

7204. **श्री के. बी. एस. मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पिछले पांच सालों के दौरान तमिलनाडु सरकार को सहायता के दौर पर दी गई राशि में से स्वास्थ्य की निर्धारित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या धनराशि देने के बजाए गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के माध्यम से औषधियां, दवाओं, उपकरणों इत्यादि के रूप में सहायता की व्यवस्था करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी)** : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार को सामग्री के रूप में दी गई सहायता के अलावा केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित नकद सहायता भी दी गई :—

| वर्ष | (रुपए लाखों में) |
|---|---|
| 1976-77 | 123-83 |
| 1977-78 | 123.61 |
| 1978-79 | 170.84 |
| 1979-80 | 71-35 |
| 1980-81 | 53.71 |

(ख) नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों के वेतनमान**

7205. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे एलोपैथिक डाक्टरों जी. डी. एम. ओ. 11 तथा आयुर्वेदिक डाक्टरों के लिए 650-1200 रुपए का समान वेतनमान निर्धारित किया गया था ;

(ख) क्या एलोपैथिक डाक्टरों का वेतनमान बढ़ाकर 700-1300 रुपए कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो आयुर्वेदिक डाक्टरों को भी वही वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके वेतनमान कब तक पुनरिक्षत किए जाएंगे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन पदों के कार्यों ; जिम्मेवारियों तथा विहित अर्हताओं में भिन्नता होने के कारण इनके वेतनमानों में भी असमानता है ।

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

**केन्द्रीय स्कूलों में योग अध्यापकों की नियुक्ति**

7206. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यौगिक अभ्यास हेतु केन्द्रीय स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और क्या अन्य स्कूबों में भी ऐसे प्रबन्ध का विचार हैं ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में योग में अध्यापकों के प्रशिक्षण की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) चालू शैक्षिक सत्र के दौरान सभी केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) में योग को प्रयोगात्मक आधार पर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में शामिल किया गया है और इस प्रयोजन से योग के अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत स्कूलों में योग प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया गया है। योग के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। जहां तक राज्यों के स्कूलों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में निर्णय लेना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, शिक्षा मंत्रालय द्वारा योग के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, यह मंत्रालय योग के संवर्धन को एक केन्द्रीय योजना कार्यान्वित करता रहा है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अन्य बातों के साथ-साथ, योग के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की गई है।

## राष्ट्रीय राजमार्गों में रेलवे फाटक

7207. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में राजमार्गों के नगर-पालिका क्षेत्रों से गुजरने वालों भाग सहित राष्ट्रीय राजमार्गों में पड़ने वाले रेलवे फाटकों का ब्यौरा क्या है :

(ख) ऐसे स्थानों पर ऊपरी पुलों या निचले पुलों का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या ऐसे ऊपरी पुलों/निचले पुलों का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है और योजना तैयार की गई है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## विभागाध्यक्षों की गोपनीय रिपोर्ट

7208. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रेलवे के लेवल I के विभागाध्यक्षों की गोपनीय रिपोर्ट को-आर्डिनेटिंग लेबल I के विभागाध्यक्ष द्वारा लिखी जाती है ;

(ख) मुख्य विभागों में ऐसे कितने मामले हैं जहां पर को-आर्डिनेटिंग विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अन्य विभागाध्यक्षों से वरिष्ठ नहीं हैं ;

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) के उत्तर में भारतीय रेलों के परिवहन विभाग के कितने प्रतिशत मामले हैं ; और

(घ) लेवल I विभागाध्यक्षों को बास्तव में पदावनत करने और उन्हें अभ्यावेदन देने का मौका दिए बिना अपने कुछ चुने हुए लोगों से उनको नीचे रखने का, जबकि उनमें से अधिकांश का सेवा काल भी समान रूप से अच्छा रहा हो, रेलवे बोर्ड के सदस्य की युक्ति क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) रेलों पर प्रचलित अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट के कार्य के दो भाग होते हैं अर्थात् भाग I और भाग II/ स्तर-I के विभागाध्यक्षों के मामले में, समन्वय करने वाला विभागाध्यक्ष भाग I की रिपोर्ट के संबंध में कार्रवाई करता है और इसके (रिपोर्ट के) भाग II को क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धक भरते हैं। ऐसे मामलों में जहां समन्वय करने वाला विभागाध्यक्ष वरिष्ठतम न हो, वहां भाग I भी महाप्रबन्धक लिखते हैं।

(ख) 8

(ग) 75 प्रतिशत ।

(घ) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में समन्वय करने वाले विभागाध्यक्ष का चयन उस रेलवे पर कार्यरत अधिकारियों को तुलनात्मक कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाता है। समन्वित अतः विभागीय कार्य रेलों में एक मुख्य कारक है जो किसी एक वर्ष में भाड़ा यातायात की ढुलाई में सबसे अधिक है और यह अब तक हुए यात्री और माल यातायात में सर्वाधिक रहा।

**परस्पर स्थानान्तरण के आधार पर स्थानान्तरित लिपिकों की पदोन्नति**

7209. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 नवम्बर, 1961 से पूर्व रेलवे के भीतर पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर उत्तर रेलवे मुख्यालय में जिन लिपिकों के स्थानान्तरण हुए थे उनको किस तारीख से पदोन्नति देने के बारे में विचार किया गया है ;

(ख) यदि पदोन्नति के लिए सेवा में प्रवेश की तिथि पर विचार किया गया हो तो क्या जनरल शाखा के किसी लिपिक को दिल्ली के वरिष्ठ उपन्यायाधीश के आदेशों से सेवा में प्रवेश की तिथि से पदोन्नत किया गया है ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है ; और

(घ) वर्ष 1960 में वाणिज्यिक शाखा में अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर स्थानान्तरित किए गए लिपिकों जैसे कर्मचारियों को उनकी सेवा में नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 13.11.1961 से पहले उत्तर रेलवे में, अंतर्रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरणों के मामलों में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता निश्चित करने की तिथि हुआ करती थी, लेकिन 13.11.1961 के पश्चात, ऐसे कर्मचारी की वरिष्ठता उस ग्रेड में उसकी पदोन्नति अथवा जिस व्यक्ति के साथ उसने पारस्परिक अदला-बदली की है, उसकी वरिष्ठता, दोनों में से जो भी निम्नतर हो, के आधार पर नियमित की जाती है ।

(ख) और (ग) सामान्य शाखा के एक लिपिक, जो पारस्परिक अदला-बदली पर उत्तर रेलवे में आया था, की वरिष्ठता, दिल्ली के उप न्यायाधीश के फैसले के अनुसार, उस कर्मचारी की वरिष्ठता के संदर्भ में निश्चित की गयी है, जिसके साथ पारस्परिक अदला-बदली की व्यवस्था की गयी थी । रेल प्रशासन ने जिला न्यायालय में अपील दायर की थीं, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था ।

(घ) चूंकि वाणिज्यिक शाखा के लिपिक, उप न्यायाधीश द्वारा निर्णीत व्यक्तिगत मामले में पार्टी नहीं थे, इसलिए उप न्यायालय का फैसला उन पर लागू नहीं होता है ।

**पब्लिक स्कूलों का विस्तार और इन स्कूलों में मूलभूत राष्ट्रीय शिक्षा से भिन्न शिक्षा दिया जाना**

7210 **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मार्डन स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट कोलम्बस स्कूल तथा फ्रेंक एन्थनी स्कूलों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है और वे देश के मूलभूत राष्ट्रीय शिक्षा से बिलकुल भिन्न शिक्षा व्यवस्था शुरू करके तथा अंग्रेजी पर आधारित शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा में भेद पैदा कर हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रति खतरा पैदा कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये स्कूल भारतीय संविधान में उल्लिखित समानता, भाईचारे तथा न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध सामाजिक अन्तर पैदा कर रहे हैं और विशेष परिस्थितियां दर्शाते हुए अल्प संख्यकों के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार धर्म, लिंग तथा जाति के आधार पर चलाए जा रहे सभी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेंगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) संदर्भाधीन स्कूल स्वतः वित्त पोषित संस्थाएं हैं और इन्हें किसी सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित एजेन्सी से कोई सहायक अनुदान प्राप्त नहीं होता। ये स्कूल उन्हीं पाठ्य विवरण और अध्ययन के पाठ्यक्रमों का अनुपालन करते हैं जो अन्य सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा भारतीय स्कूल, प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद से सम्बद्ध अन्य स्कूल करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूल भी, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से सम्बद्ध हैं, वे ही पाठ्यविवरण तथा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो माडर्न स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल प्रदान करते हैं।

यह कहना सही नहीं है कि संदर्भाधीन स्कूल राष्ट्रीय एकता के प्रति खतरा पैदा कर रहे हैं अथवा समानता, न्याय इत्यादि के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं।

**वाराणसी डिजिल वर्क शाप**

7211. **श्री दौलत राम सारण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य मंत्री नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेज के तत्वाधान के अन्तर्गत वाराणसी डिजिल वर्कशाप के सभागार में आयोजिक किए गए इण्डियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिटस इंम्लाईज कानफ्रेन्स का उदघाटन करते हुए यह कहा था कि धन की कमी के कारण रेलवे की यूनिटें अपनी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है ; और

(ख) रेलवे की उत्पादन यूनिटों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इसका कितना उपयोग किया जा रहा है और धन की कमी के कारण कितनी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है और इस क्षमता के उपयोग के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है तथा इस संबंध में योजना आयोग द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय इंडियन रेलवे प्रौडक्शन यूनिट्स एम्पलाइज कान्फ्रेन्स का उदघाटन करते समय रेल राज्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बारे में कुछ समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों से है। धन की तंगी के एक प्रासंगिक संदर्भ में यह बात कही गई थी। वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए भारतीय रेलों की तीनों उत्पादन इकाइयों की स्थापित क्षमता के उपयोग और उन्हें दिए गए आदेशों से सम्बद्ध स्थिति नीचे दी गयी है :

| उत्पादन इकाइयां | स्थापित क्षमता | स्थापित क्षमता का उपयोग आदेश 1981-82 | 1982-83 |
|---|---|---|---|
| सवारी डिब्बा कारखाना | 720/750 सवारी डिब्बे | 720 | 750 |
| डीजल रेल इंजन कारखाना | 110 रेल इंजन+10 पावर पैक | 125+25 | 417+19 |
| चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना | 100 रेल इंजन+10 पावर पैक | 93+10 | 70+10 |

धन की कमी के कारण छठीं योजना-अवधि में डीजल रेल इंजन कारखाना और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में लगभग 220 रेल इंजनों की क्षमता के कम उपयोग की संभावना है। अतिरिक्त धन के आवंटन के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।

**चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर लेवर यूनियन का ज्ञापन**

7212. **डा० सरदीश राय :**

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स लेबर-यूनियन, चित्तरंजन का 29 दिसम्बर, 1981 का एक ज्ञापन मिला है जो चित्तरंजन लोकोमोटिव के महाप्रबन्धक को दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन में क्या मांगें रखी गई हैं ;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) 29.12.1981 को, चित्तरंजन लोको वर्क्स लेबर यूनियन, जो एक गैर मान्यता प्राप्त यूनियन है, द्वारा प्रशासनिक कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन करने के पश्चात, महाप्रबन्धक को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन में जो मांगें की गयी थीं, वे रिक्त पदों को भरने, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण देने, कारखाने में खलासियों का स्थानान्तरण करने और पाठ्यक्रम समाप्त कर लेने वाले प्रशिक्षुओं तथा भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों को समाहित करने से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) इन मांगों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जहां कहीं अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है, वहीं इस सम्बन्ध में वर्तमान अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए रिक्तियां भरी जाती

हैं। आवश्यकता और उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कारखाना कर्मचारियों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। कारखाने में खलासियों को स्थानान्तरित करना एक सतत प्रक्रिया है और जब अपेक्षित होता है, ऐसा किया जाता है। अधिनियम के अधीन पाठ्यक्रम समाप्त कर लेने वाले प्रशिक्षुओं और भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों को, इस सम्बन्ध में निर्धारित कार्य विधि के अनुसार, आवश्यकतानुसार समाहित किया जाता है। इस प्रकार, ज्ञापन में उल्लिखित मांगों में से कोई भी मांग ऐसी नहीं है, जिसकी ओर ध्यान न दिया गया हो।

**छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नति**

7213. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन ने पिछले वर्ष (अप्रैल-मई 1981 में) स्कूलों में छात्रों की अगली कक्षा में प्रोन्नति के लिए लागू होने वाले नियमों में संशोधन किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संशोधन पूर्व नियम क्या थे तथा उनमें क्या संशोधन किए गए ;

(ख) क्या ये संशोधन सेंट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी ऐजूकेशन के नियमों के अनुरूप हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन नियमों के बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं, तथा कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, और यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही गई ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां। शैक्षिक वर्ष 1980-81 से पहले लागू कक्षोन्नति नियमावली तथा शैक्षिक वर्ष 1980-81 से कक्षोन्नति नियमावली में किए गए संशोधन की एक-एक प्रति क्रमशः अनुबन्ध "क" और "ख" में दी गई है ?

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3870/82]

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा लेने वाला एक निकाय है और यह X और XI कक्षाओं के अंत में पब्लिक परीक्षाएं आयोजित करता है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए इसके कोई कक्षोन्नति नियम नहीं हैं। दिल्ली प्रशासन के अनुसार कक्षा X अथवा XII के अन्त में परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के सम्बन्ध में संशोधित कक्षोन्नति नियमावली, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुरूप हैं।

(ग) जी, हाँ। इन नियमों के संबंध में प्राप्त शिकायतों/पूछताछ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली स्कूल सलाहकार बोर्ड के परामर्श से कक्षोन्नति नियमों को 1 अप्रैल, 1982 में और संशोधित कर दिया है, जैसा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 में व्यवस्था है।

## एशियाड '82 के सीजन टिकटों की बिक्री

7214. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाड '82 के सीजन टिकटों की बिक्री न करने के क्या कारण हैं जैसा कि सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के समय किया जाता है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : नौवें एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ओलम्पिक तथा अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में साधारणतय: सीजन टिकट जारी नहीं किए जाते और जो लोग खेल देखना पसन्द करते हैं और सीजन टिकट उन्हें केवल एक ही खेल देखने के लिए बाध्य करता है ।

## निदेशकों के वेतनमानों का बढ़ाया जाना

7215. **श्री सूरज भान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से शारीरिक शिक्षा के निदेशकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमानों को बढ़ाने के बारे में मशविरे का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो संशोधित वेतनमानों को 1 अप्रैल, 1980 से प्रभावी करने के लिए आवश्यक आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि मशविरा का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसे शीघ्र निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यह वेतनमान कब तक लागू हो जायेंगे ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श जारी है और इसके पूरा होते ही आगे कार्रवाई की जाएगी ।

## मुक्ति आन्दोलनों को सहायता देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास

7216. **श्री कुसुम कृष्ण मुर्ति** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो देश अभी भी साम्राज्यवादी शासन के अधीन हैं उनसें मुक्ति आन्दोलन चलाने के लिए भारत ने वर्ष 1980 से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मन्चों में क्या भूमिका निभाई है ; और

(ख) भारत ने पिछले दो सालों के दौरान राष्ट्रमंडल देशों, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों और संयुक्त राष्ट्रों के मंच से उपर्युक्त सम्बन्ध में किस प्रकार के प्रस्ताव दिए अथवा या समर्थन किया है ?

**पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) जो देश अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन हैं उनमें मुक्ति आन्दोलनों के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत हमेशा ही उनका समर्थन करता रहा है । नामीबिया की स्वाधीनता के लिए और दक्षिण अफ्रीका की पृथग्वासन की नीति से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्थापित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निधियों को भारत वित्तीय सहायता देता रहा है । भारत दक्षिण अफ्रीका और नामिबीया के अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्ति आन्दोलनों को अर्थात् अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन को द्विपक्षीय सामग्रीगत और वित्तीय सहायता भी देता रहा है जिन्हें इन देशों की जनता के एक मात्र तथा अधिकारिक प्रतिनिधियों के रूप में स्वीकार किया जाता है । अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यालय नई दिल्ली में 1967 से काम कर रहा है जिसके लिए भारत ने वित्तीय सहायता दी है ।

**कन्टीन्यूअस कर्मचारियों के रूप में रेलवे कर्मचारी**

7217. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में रोजगार घंटों के विनियमन के अधीन कन्टीन्यूअस वर्कर्स के रूप में वर्गीकृत लगभग सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को 48 घण्टे का रोस्टर दिया जाता है ;

(ख) क्या रोजगार घंटों के विनियमन के अंतर्गत कार्यभार सौंपने और लेने में 15 मिनट से अधिक समय लगने पर कन्टीन्यूअस वर्कर्स को 51 घंटे दिए जाते हैं ;

(ग) क्या सभी भारतीय रेलों में टेलीकम्यूनिकेशन मैकेनिकों को कन्टीन्यूअस श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें सप्ताह में केवल 48 रोजगार घंटे दिए जाते हैं ;

(घ) क्या मद्रास डिवीजन में टेलीकम्यूनिकेशन मैकेनिकों को सप्ताह में 51 रोजगार घंटे दिये जाते हैं, जबकि उन्हें कार्यभार सौंपने और लेने में 15 मिनट से कम समय लगता है और जबकि दक्षिणी रेलवे के अन्य डिवीजनों और अन्य रेलों में 48 घंटों के लिए रोस्टर दिया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे रोस्टर को बदलने के लिए कार्यवाही करने का है जो मद्रास डिवीजन में जारी किए एच. ई. आर. का पूरी तौर से उल्लंघन करता है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) कार्य घंटा विनियम के अंतर्गत 'सनत' के रूप में वर्गीकृत रेल कर्मचारियों के रोस्टर के घंटे प्रति सप्ताह 48 से 54 घंटों के बीच होते हैं ।

कथित विनियम के अंतर्गत 'सनत' के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों को प्रति-सप्ताह 48 घंटे की मानक रोस्टर ड्यूटी पर नियोजित किया जाता है और जहां प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को करने के लिए 15 मिनट या इससे अधिक किन्तु 45 मिनट से कम समय लगता है वहां रोस्टर में आधा घंटा दिखाया जाता है और इनके मामले में रोस्टर के कुल घंटे प्रति सप्ताह 51 घंटे होते हैं। कुछ मामलों में जहां प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय प्रतिदिन 45 मिनट से अधिक होता है, वहाँ उनके दैनिक रोस्टर में एक घंटा जोड़ दिया जाता है तथा उनके साप्ताहिक रोस्टर के घंटे 54 हैं।

(घ) दक्षिण रेलवे पर मद्रास सेंट्रल और पैराम्बूर एक्सचेंजों में टी० सी० एम० कर्मचारियों को प्रारंभिक और/या पूरक कार्य करने के लिए 3 घंटों सहित 51 घंटे के ड्यूटी रोस्टर में नियोजित किया जाता है। अन्य मण्डलों में ऐसे कर्मचारियों के रोस्टरों की समीक्षा भी की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**हनुमान गढ़ जंकशन में यात्रियों का आवागमन**

7218. **श्री कुम्भाराम आर्य : क्या रेल मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि (एक) हनुमानगढ़ जंकशन (दो) सूरतगढ़ जंकशन और (तीन) बीकानेर जंकशन में जनवरी 1981 से (माह-वार) आज तक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के आवागमन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3871/82]

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा बैगनों की मांग**

7219. **श्री चिंगवांग कोनयक : क्या रेल मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक साल के दौरान भारतीय खाद्य निगम की उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए माहवार कितने वैगनों की मांग थी और मांग के सामने वास्तव में कितने वैगनों का आबंटन किया गया ;

(ख) वैगनों की मांग पूरी न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981 के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए माल डिब्बों की औसत मासिक मांग लगभग 4273 माल डिब्बों की थी जिनमें से 3,154 माल डिब्बों का ही वास्तविक लदान किया गया। मासिक कार्यक्रम और लदान से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

(ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों में बड़ी मात्रा में माल डिब्बे जमा हो जाने के कारण वहां के लिए कभी-कभी लदान नियंत्रित करना पड़ा था। ऐसा अंशत टर्मिनलों में कम लदान होने, अंशतः यानान्तरण स्थलों पर कठिनाइयों और अंशतः उस क्षेत्र में मीटर आमान के माल डिब्बों की सीमितता के कारण हुआ जो खाद्यान्न, नमक, सीमेंट, इस्पात, पेट्रोल उत्पाद, डानर, खाद्य तेल जैसे सभी राज्यों के अनिवार्य यातायात की पर्याप्त मात्रा से तब तक सम्हलाई नही कर सकते जब तक उन्हें तुरन्त निर्मुक्त नहीं किया जाता है।

(ग) रेल मन्त्रालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बड़ी आमान के रेल मुख्यालय के लिए प्रतिदिन खाद्यान्न के 50 से 60 माल डिब्बे की ढुलाई करने का पहले ही करार किया है। इस क्षेत्र के लिए दो स्थान अर्थात् गढ़हरा और न्यू बोंगाईगांव से बड़ी लाइन से मीटर लाइन में अब यानांतरण किया जा रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए बुकिंग भी "केन्द्रीयकृत बुकिंग योजना" के अंतर्गत आती है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थानीय रेलवे के साथ परामर्श करके इस क्षेत्र में वितरित किए जाने वाला सभी खाद्यन्न न्यूबोंगाई गांव/न्यू गुवाहाटी माल शैडों को बुक किया जाता है। यह प्रणाली लचीली है और इससे उस प्रदेश के किसी भी कमी वाले क्षेत्र के लिए खाद्यान्न की युक्तियुक्त वितरण करने की गुंजाइश है।

**विवरण**

(चौपहिया माल डिब्बों में)

| माह | कार्यक्रम | लदान |
|---|---|---|
| 1981 | | |
| जनवरी | 3525 | 2134 |
| फरवरी | 3225 | 1468 |
| मार्च | 3750 | 3746 |
| अप्रैल | 4725 | 5687 |
| मई | 5100 | 4103 |
| जून | 5325 | 2773 |
| जुलाई | 4875 | 3112 |

| | | |
|---|---|---|
| अगस्त | 4·00 | 3412 |
| सितम्बर | 4650 | 2831 |
| अक्तूबर | 4125 | 3831 |
| नवम्बर | 4350 | 3259 |
| दिसम्बर | 2825 | 1490 |
| जोड़ | 51275 | 37846 |
| औसत प्रतिमाह | 4273 | 3154 |

**दुर्घटनाओं और चोरी के मुआवजे का भुगतान**

7220. **श्री एस०ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में हुई रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दुर्घटना-वार कितनी धन राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया ; और

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान रेलों से भेजे गए सामान की चोरी के विरुद्ध दायर किए गए दावों पर कितने मुआवजे का भुगतान किया गया और दावों की कितनी धन राशि अभी भी लम्बित है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 1980-81 और 1981-82 (फरवरी 1982 तक) के दौरान हुई दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों के साथ मृतकों के आश्रितों को संबंधित तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों द्वारा अभी तक 25,50,639.50 रु० की प्रदत्त राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया है। शेष दावा आवेदनों के बारे में संबंधित तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। दुर्घटना-वार भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने का काम इतना बिशाल है कि उन्हें समेकित करने के प्रयास उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) बुक किए गये परेषणों की उठाईगीरी के कारण 1980-81 और 1981-82 की प्रथम छमाही की अवधि में क्रमशः 466.60 लाख रुपये और 331.41 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। 1981-82 के पूरे वर्ष के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

बकाया दावों की भुगतान की जाने वाली राशि से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

## चिकित्सा शिक्षा पुनर्विलोकन समिति द्वारा की गई प्रगति

7221. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सितम्बर, 1981 में बनाई गई चिकित्सा शिक्षा पुनर्विलोकन समिति ने क्या प्रगति की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति का काम चल रहा है। आशा है जून, 1982 में वह अपने विचारार्थ विषयों में से कुछ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

## पूर्वी रेलवे के अंदल-सेंचिया सेक्शन पर और अधिक रेल गाड़ियाँ चलाने का प्रस्ताव

7222. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्वी रेलवे के अन्दल-सेंचिया सेक्शन के यात्रियों की कठिनाईयों को देखते हुए इस सेक्शन में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) अंडाल– साइंथिया खंड पर चलने वाली छः जोड़ी गाड़ियों में उपलब्ध वर्तमान स्थान का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

## हाकी खेल की प्रगति के लिए बांगला देश का अनुरोध

7223. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगला देश हाकी संघ के महासचिव ने भारत से अनुरोध किया है कि वहां बांगला देश में हाकी की प्रगति के लिए और अधिक मदद की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बांगला देश में हाकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे खिलाड़ी भेजने का है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) न तो मंत्रालय को और न ही भारतीय हाकी संघ को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

0

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**कोचों की समय-सारणी पर ओवर हालिंग**

7324. **श्री राम जेठमलानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 के पहले और 1960 के पश्चात कोचों की ओवरहालिंग की निर्धारित अवधि क्या है ;

(ख) 1960 के बाद के कोचों की ओवरहालिंग कितने समय के पश्चात की जाती है और उन पर पी०ओ०एच० तथा वर्कशाप में रखे रहने पर कितनी अतिरिक्त धनराशि (डिजाइन के अनुसार निर्दिष्ट समय के अतिरिक्त) खर्च की जाती है ; और

(ग) कितने कोचों को वर्कशाप में आमतौर पर रखा जाता है या कोचों को वर्कशाप में रखने की निर्धारित क्षमता कितनी है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 1960 से पूर्व बने तथा 1960 के बाद बने डिब्बों के आवधिक ओवरहाल के अन्तराल समान हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (I) मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में चलने वाले डिब्बों के लिए | 12 महीने |
| (II) पैसेंजर गाड़ियों में चलने वाले यात्री वाहक डिब्बों के लिए | 18 महीने |
| (III) मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में न चलने वाले अन्य डिब्बों के लिए | 24 महीने |

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गाड़ियों में डिब्बों का प्रतिशत बड़ी लाइन पर लगभग 7 प्रतिशत और मीटर लाइन पर 5.5 प्रतिशत है । प्रवेश की प्रतीक्षा का प्रतिशत बड़ी लाइन पर लगभग 5 प्रतिशत और मीटर लाइन पर 2.2 प्रतिशत है ।

**कम्पूचिया में प्राचीन हिन्दू मंदिर**

7225. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पूचिया में प्राचीन हिन्दू मन्दिर के नवीकरण के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा गया है ;

(ख) क्या यह कार्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है ; और

(ग) सरकार का विचार इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च करने का है ?

**शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) से (ग) भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्पूचिया में अंगकोर स्मारक समूह के परिरक्षण पर व्यापक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा गया है । यह दल जीर्णोद्धार का कार्य नहीं करेगा । इस पर सरकार द्वारा 7.25 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ।

**रेलवे के अध्यापकों के वेतनमान**

7226. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित अध्यापकों के वेतन-मान रेलवे विभाग ने 1973 में लागू कर दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे विभाग के कितने अध्यापक 23 फरवरी, 1982 को इस वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच गए हैं ; और

(ग कितने अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि मंजूर की गई है और शेष अध्यापकों को नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि न देने के क्या कारण हैं तथा नियमानुसार कितने अध्यापक इससे बंचित हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को नौकरी**

7227. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के प्राधिकारियों ने पिछले चार वर्षों में, वर्ष-वार भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों की कितनी बेसहारा विधवाओं को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दी है ;

(ख) पिछले चार वर्षों में नौकरी की इच्छुक विधवाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन बेसहारा विधवाओं को पिछले चार वर्षों से नौकरी नहीं दी गई है ; और

(घ) क्या इन सभी बेसहारा विधवाओं को छः महीने की अवधि में नौकरी प्रदान करने की कोई योजना रेलवे विभाग के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

| | | |
|---|---|---|
| | 1978 | 23 |
| | 1979 | 38 |
| | 1980 | 73 |
| | 1981 | 109 |
| (ख) | 1979 | 115 |
| | 1979 | 152 |
| | 1980 | 138 |
| | 1981 | 151 |

(ग) पिछले चार वर्षों से ऐसी 143 विधवाओं को कोई नौकरी नहीं दी गयी है ।

(घ) इस प्रकार के नियोजन के लिए उपलब्ध गुंजाइश के अन्तर्गत मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को यथाशीघ्र नियुक्तियां प्रदान करने के सभी प्रयास किये जाते हैं । महिला आश्रितों के मामले में उन्हें उपयुक्त नौकरी देने में कठिनाई होती है, विशेषकर अशिक्षित महिलाओं के मामले में, क्योंकि ऐसी कोटियां कम हैं, जहां उन्हें नियोजित किया जा सकता है । बहरहाल, पानी पिलाने वाली महिलाएं, अस्पताल में आया, सिन्डर बीनने वाली महिलाएं, विश्रामालय परिचारिकाएं, सवारी और माल-डिब्बा खलासी (केवल रद्दी सामान पैक करने के लिए) आदि जैसी कोटियों को विशेष रूप से ऐसी विधवाओं को नियुक्त करने के लिए निर्धारित कर दिया गया है ।

**दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत जूनियर ड्राइंग टीचर के वेतनमान**

7228. **श्री रामसिंह यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अब जूनियर ड्राइंग टीचरों को 27 जुलाई, 1978 से 440-750 रुपए का वेतनमान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, दिल्ली प्रशासन से सहायता प्राप्त कितने स्कूलों के ड्राइंग टीचरों के वेतनमान संशोधित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली प्रशासन का इन अध्यापकों को बकाया धनराशि की अदायगी के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) चित्रकारी (ड्राइंग) अध्यापकों ग्रेड-III (कनिष्ठ) को कुछ शर्तों के अन्तर्गत 27.7.1978 से 440-750 रु० का वेतनमान स्वीकृत किया गया था ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह बताया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत 27 चित्रकारी (ड्राइंग) अध्यापक 425-640/- रु० के वेतनमान में है। उन्हें 440—750/रु० के संशोधित वेतनमान न दिए जाने के कारणों का पता सम्बन्धित सहायता प्राप्त स्कूलों से लगाया जा रहा है। यदि यह पाया गया कि उपरोक्त संशोधित वेतनमान प्राप्त करने की शर्तों के पूरा करने पर भी इन ड्राइंग अध्यापकों को 440-750/रु० के वेतनमान में वेतन नही दिया जाता है तो दिल्ली प्रशासन द्वारा 440-750/- रु० के वेतनमान लागू करने हेतु सम्बन्धित सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समितियों को उपयुक्त निदेश जारी किए जाएंगे।

**चित्रकूट-कारवी स्टेशन**

7229. **श्री रामनाथ दुबे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या 'अर्ध कुम्भ' मेले के अवसर पर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में चित्रकूट-कारवी स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को प्रतीक्षालय की सुविधा उपलब्ध की गई थी ;**

**(ख) यदि हां, तो क्या अस्थायी प्रतीक्षालय से पानी चू रहा था और इसमें प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं थी उसके कारण तीर्थ यात्रियों को असुविधा हुई और क्या इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी गई है ; और**

**(ग) क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है या कार्यवाही विचाराधीन है ?**

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) अर्ध कुम्भ मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों के उपयोग के लिए चित्रकूट-कारवी स्टेशन पर बांस की चटाई के एक अस्थाई ग्रेड (प्रतीक्षालय) की व्यवस्था की गयी थी। अचानक अप्रत्याशित वर्षा के कारण, चटाई का शेड चूने लगा, जिसके कारण यात्रियों को कुछ असुविधा हुई। इस बारे में कोई गम्भीर शिकायत दर्ज नहीं की गयी थी। चटाई के शेड और स्टेशन परिसर में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गयी थी।

**उड़ीसा के ब्रजराज नगर और राजगंगपुर स्टेशनों के बीच यात्री तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में डकैती**

7230. **श्री अनादि चरण दास : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के ब्रजराज नगर और राजगंगपुर स्टेशनों के बीच यात्री तथा ऐक्सप्रैस, रेलगाड़ियों में, विशेषकर टाटा-नागपुर ऐक्सप्रेस, उत्कल ऐक्सप्रेस और अहमदाबाद-हावड़ा ऐक्सप्रेस में डकैतियों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और**

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) गत दो महीनों के दौरान ब्रजराज नगर और राजगंगपुर स्टेशनों के बीच टाटानगर-नागपुर पेसेंजर में लूट-पाट के केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली है। इन दो स्टेशनों के बीच उत्कल एक्सप्रेस अथवा अहमदाबाद-हाबड़ा एक्सप्रेस में गत दो महीनों के दौरान लूट-पाट के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से, इस क्षेत्र में चलने वाली यात्री गाड़ियों में उड़ीसा मिलिटरी पुलिस द्वारा 6 सशस्त्र कार्मिकों को मार्गरक्षी के रूप में तैनात किया जा रहा है। गाड़ियों में लूटपाट से संबंधित मामलों में अपराधियों का पता लगाने और लूटी गयी सम्पत्ति को बरामद करने के लिए पुलिस द्वारा जोरदार जांच पड़ताल भी की जाती है।

**विकलांग लोगों का उत्थान किया जाना**

7231. **श्री मूल चन्द डागा : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान विकलांगों के उत्थान के लिए किए उपबंधों की तुलना में वर्तमान बजट में कितनी राशि रखी गई है और इस राशि को किस प्रकार उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) देश में विकलांग लोगों की सेवा में लगे केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वैच्छिक संगठनों की संख्या तथा नाम क्या हैं और ये संगठन किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और क्या सरकार इन संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है और यदि हां, तो किस आधार पर और क्या उन्हें इस वर्ष भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए 1982-83 में 7344.81 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है जबकि 1981-82 में 618.59 लाख रुपए का खर्च हुआ था। व्यवस्थाओं का ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3872/82]।

(ख) इस मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाला केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई भी संगठन नहीं है। फिर भी, समाज कल्याण मंत्रालय निम्नलिखित योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देता है :—

(1) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सहायता।

(2) विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र और उपकरण फिट कराने के लिए सहायता ।

(3) विकलाँग व्यक्तियों के पुनर्वास में अनुसंधान सहायता देने की शर्तें तथा 1981-82 के दौरान सहायता पाने वाले संगठनों के नाम अनुबंध 2 और 3 में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 3872/82] ।

ये कार्यक्रम 1982-83 में भी जारी रहेंगे ।

**19 फरवरी, 1982 को छात्रों द्वारा चेतक एक्सप्रेस को रोका जाना**

7232. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 फरवरी, 1982 को वान्दीकुई और राजगढ़ के बीच छात्रों ने चेचक ऐक्सप्रेस को रोका ;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ी को रुकवाने और एक घंटे तक रोके रखने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि चेतक ऐक्सप्रेस हमेशा लेट रहती है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इसमें पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है ; और

(च) यदि हां, तो लोगों की और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 19.2.62 को 16 डाउन चेतक एक्सप्रेस राजगढ़ स्टेशन पर, न कि बांदीकुई और राजगढ़ स्टेशनों के बीच, लगभग एक घन्टा रुकी रही ।

(ख) रुकावट छात्रों और यात्रियों के बीच विवाद के कारण थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) यात्रियों तथा उनके जान-माल की सुरक्षा के लिए रात के समय चलने वाली इस गाड़ी में राजकीय रेलवे पुलिस के अनुरक्षी तैनात किए जाते हैं ।

**विदेशों में भारत के कांसुलार प्रतिनिधियों के खाली पद**

7233. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत के कॉंसुलर प्रतिनिधियों के खाली पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये पद कब से खाली पड़े हैं ; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) इस समय कोंसली प्रतिनिधि का केवल एक पद नामत: भारत का प्रधान कोंसलावास, फ्रेंकफर्ट खाली है ।

(ख) यह पद जनवरी, 1981 से खाली पड़ा है ।

(ग) इस पद के लिए एक अधिकारी का चयन किया जा रहा है और शीघ्र ही उसके कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने की आशा है। इस बीच एक कोंसल, कोंसली प्रतिनिधि का कार्य कर रहा है ।

**महाप्रबन्धकों के पद**

7234. **श्री कमल नाथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवेज इत्यादि में महाप्रबन्धकों के कुछ पद 'अनुमोदित' अधिकारियों द्वारा नहीं भरे गए हैं ;

(ख) क्या रेलवे सेवाओं के 1948 और 1949 के बीच के अनेक अधिकारियों को रेलवे बोर्ड ने इनको पदोन्नतियों के लिए अयोग्य करार दिया था ;

(ग) क्या रेलवे को इस अतिक्रमण को तर्क संगत बनाने हेतु की गई अनअपेक्षित प्रविष्टियों और रिकार्ड में की गई हेराफेरी के बारे में मौखिक या किसी और तरह से कुछ शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) सरकार ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) क्षेत्रीय रेलों आदि के महाप्रबन्धकों के केवल तीन पद 'अनुमोदित' अधिकारियों द्वारा नहीं भरे गए हैं।

(ख) महाप्रन्धकों के पदों पर पदोन्नतियां नियुक्ति समिति द्वारा प्रवरण की निश्चित प्रक्रिया अपनाकर विभिन्न भारतीय रेल सेवाओं के स्तर-I अधिकारियों में से, उनके कार्य-निष्पादन, सेवा-वृत्त आदि के आधार पर की जाती है। इसलिए रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसी पदोन्नति के लिए कुछ अधिकारियों को अनर्हक घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**काठमाण्डु में रोके गए भारतीय नागरिक**

7235. श्री एम० बी०सिद्दनाल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में नौकरी चाहने वाले नागरिकों को बेईमान एजेंटों के कारण काठमाण्डु में रोक लिया गया है ;

(ख) इन रोके गए भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या नेपाल स्थित हमारे दूतावास ने इस बात की कि इन लोगों को काठमाण्डू में किसने पहुंचाया तथा स्थिति के बारे में अन्य तथ्यों का पता लगाने हेतु कोई जांच की थी, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) सरकार की सूचना के अनुसार नौकरी चाहने वाले 120 भारतीय काठमाण्डु में असहाय छोड़ दिए गए थे। श्री एस० ए० ए० राजा नाम का एक भारतीय एजेंट उन्हें मध्य पूर्व में अच्छी नौकरी दिलवाने के बहाने नेपाल ले गया था और काठमाण्डु पहुंचने पर वह खुद वहाँ से गायब हो गया था।

(ख) नेपाल में इन भारतीय राष्ट्रिकों को असहाय छोड़ दिए जाने की खबर मिलने के दो दिन के भीतर ही नेपाल स्थित हमारे राजदूतावास ने विदेश मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने पर उनकी भारत वापसी का प्रबन्ध किया।

(ग) हमारे राजदूताबास ने उस एजेंट के बारे में नेपाल की पुलिस के साथ मामला उठाया है जो इस ग्रुप को वहाँ ले गया था। नेपाली प्राधिकारियों से विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा है।

**लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस का डीजलीकरण**

7236. श्री हरीश रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस को डीजल इंजन से चलाने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब तक लागू कर दिया जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान इंजन में अपर्याप्त चालन क्षमता के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयाँ दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस लाइन पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस ऐक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रियों के स्थान बढ़ाने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 14/15 डिब्बों के भार वाली 7/8 नैनीताल एक्सप्रेस भाप इंजन के साथ चलती है, इसलिए इसके डिब्बा भार में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं है । ग्रीष्म ऋतु आदि की अतिरिक्त भीड़ के लिए 25/26 लखनऊ-मैलानी एक्सप्रेस को काठ गोदाम तक बढ़ा दिया जाता है ।

**रेलवे की योजनाओं की प्रगति में बाधा**

7237. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1982 के 'इकानोमिक टाइम्स' में " फण्ड कन्ट्रेन्ट्स इम्पीड प्रोग्रेस आफ रेलवे स्कीम" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) देहली स्टडी ग्रुप के तत्वावधान में इस विषय पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे और कौन से मुद्दों पर वे एक मत थे ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग मे उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) रेल मन्त्री श्री प्रकाशचन्द सेठी ने परिचर्या शुरू की और सर्व/श्री एम.एस. गुजरात, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ए. बी. पौलीस, वित्त आयुक्त, रेलवे और मधु दण्डवते, भूतपूर्व रेल मंत्री ने इस परिचर्या में भाग लिया । परिचर्या के दौरान जिस आम मुद्दे पर बल दिया गया वह था मौजूदा परिसम्पतियों के अनुरक्षण और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक परिवहन की क्षमता सृजित करने के उद्देश्य से अधिक धन आबंटित किए जाने की आवश्यकता ।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद की संयुक्त समिति की बैठक की सिफारिशें**

7238. **श्री बी. एस. विजयराघवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद की दिल्ली में जनवरी, 1978 में हुई संयुक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों की संयुक्त बैठक में की गई सिफारिशों में से कुष्ठ रोग संबंधी अंश अनुबंध में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 3873/82]

(ख) और (ग) केरल सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**श्रम सम्बन्धी आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव**

7239. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने रेलवे की कार्यकुशलता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली से रेलवे में श्रमिकों की छंटनी होजायेगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रभावित श्रमिकों को खपाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जन) : (क) रेलें इस पद्धति के लिए प्रौद्योगिकी की साधन सामग्री में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं ।

(ख) रेलों के आधुनिकीकरण में कर्षण का डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण, रेलपथ अनुरक्षण के उपायों में सुधार जैसे लम्बी झलाईदार पटरियों, कंक्रीट स्लीपरों, लचीले स्थिरकों, रेलपथ रिकार्डिंग कारों आदि का प्रयोग, पुलों पर झलाईदार गर्डरों तथा पूर्वप्रचलित कंक्रीट गर्डरों का प्रयोग, रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था/मुख्य मार्गों पर रेलपथ परिपथन और बहुसंकेती सिगनलों की व्यवस्था, प्रशासनिक ट्रंक मार्गों के लिए सूक्ष्मतरंग/ रमोज तरंग परिपथों का आरम्भ करना और नियंत्रण लाइनों के लिए ए. सी. एस. आर. संचार संरेखण आदि शामिल हैं । माल परिचालन नियंत्रण और यात्रियों के शीट आरक्षणों के लिए वास्तविक समय कम्प्युटरों के प्रयोग पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) आधुनिक तकनीक के प्रयोग का सीधा संबंध जन-शक्ति की कमी से नहीं है, क्योंकि नीति सम्बन्धी निर्णय, जिसके अनुसार स्थायी जन-शक्ति की छंटाई न की जानी होती, का पालन किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**पश्चिम रेलवे में रेलवे सम्पत्ति की चोरी तथा कोयले की चोरी**

7240. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में पश्चिम रेलवे में रेलवे की सम्पत्ति की चोरी के कितने मामलों का पता लगा है और अनुमानतः कितनी धनराशि की सम्पत्ति की चोरी हुई ;

(ख) इस अवधि में पश्चिम रेलवे में कोयले की चोरी के कितने मामलों का पता लगा और इन मामलों में कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया ;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इन चोरियों में रेलवे विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं और क्या कुछ ऐसे मामलों का पता लगा है ;

(घ) यदि हाँ, तो इन मामलों की संख्या कितनी है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) सरकार रेलवे सम्पत्ति की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 1980-81 के दौरान पश्चिम रेलवे पर रेल सम्पत्ति की चोरी के (बुक किए गए परेषणों और रेलवे के सामानों व फिटिंग- दोनों) 4352 मामले पकड़े गए थे । इस अवधि में चुरायी गयी रेल सम्पत्ति का कुल मूल्य लगभग 38,38,635/- रुपये था ।

(ख) 1980-81 के दौरान पश्चिम रेलवे पर कोयले की उठाईगीरी के 4,352 मामलों की रिपोर्ट की गई थी । इन मामलों में, 2135 बाहरी व्यक्तियों और 16 रेल कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) 215 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 16 कर्मचारियों के दोष सिद्ध हो गए, 40 कर्मचारियों को बरी कर दिया गया और शेष पर मुकदमा चल रहा है :—

(ङ) पश्चिम रेलवे पर रेलसम्पत्ति की चोरियां रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. भेद्य खण्डों, महत्वपूर्ण यार्डों, माल गोदामों और लोको शेडों में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा गश्त लगायी जाती है ।

2. प्रभावित यार्डों, लोको शेडों आदि में गश्त लगाने के लिए रे० सु० ब० के कुत्ता दस्तों का भी उपयोग किया जाता है ।

3. जहां तक सम्भव होता है, भेद्य क्षेत्रों में बहुमूल्य परेषणों तथा कोयला ढोने वाली गाड़ियों की रे० सु० ब० के कर्मचारियों द्वारा मार्ग रक्षण किया जाता है ।

4. अपराध आसूचना विभाग के कर्मचारी अपराधियों की गतिविधियों और कार्य-कलापों तथा उनके साथ साठ गाँठ करने वाले संदिग्ध कर्मचारियों के बारे में आसूचना इकट्ठी करते हैं और चुरायी गई सम्पत्ति बरामद करने के लिए छापे मारने की व्यवस्था करते हैं तथा दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं।

**हिन्दुस्तान टेलेक्स का चेयरमैन**

7241. **श्री नीलालोहिथादसन नाडार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलेक्स के नए चेयरमैन की नियुयित कब की गई थी ; और

(ख) उसकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) वर्तमान अध्यक्ष ने 8 अगस्त, 1981 को कार्यभार सम्भाला । यद्यपि उन्हें सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों पर लागू सामान्य शर्तों पर नियुक्त किया गया था, तथापि उन्होंने अभी तक कोई वेतन नहीं लिया है और अपनी नियुक्ति की सेवा शर्तों में उपयुक्त परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन दिया है ।

**अनुसूचित जातियों/जनजातियों के डाक्टरों के लिए आरक्षण**

7242. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारी रेलवे बोर्ड के 1978 के पत्र के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की डाक्टरों की ए. डी. एम. ओ. के पद से डी. एम. ओ. के पद के लिए आरक्षण व्यवस्था को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**मद्रास तट से चेंगलपुर तक दोहरा रेलपथ**

7243. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तट से चेंगलपुर तक दोहरा रेलपथ बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) रेलपथ कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या परियोजना के पूरा होने में हुए विलम्ब के बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) मद्रास बीच से ताम्बरम तक दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है । मद्रास बीच से विषुपुरम तक लाइन क्षमता की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था । धन की अत्यन्त कमी को देखते हुए ताम्बरम-चेंगलपेट्ट खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**वैगनों का रेल-वार वितरण**

7244. **श्री चित्त महाटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वितरित वैगनों के रेल वार आंकड़े क्या हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय रेल प्रणाली की समग्र यातायात अपेक्षाओं के लिए माल डिब्बों की व्यवस्था की जाती है । अग्रिम रूप से रेलवे-वार आवंटन नहीं किया जाता है और केवल वास्तविक निर्माण के समय ही माल डिब्बे आवंटित किए जाते हैं ।

अलग-अलग रेलों को माल डिब्बों का आवंटन, प्रत्येक रेलवे पर नाकारा और बदले जाने वाले गतायु स्टाक की आवश्यकता तथा आवधिक ओवरहाल आदि के लिए विभिन्न रेलों पर उपलब्ध अनुरक्षण क्षमताओं के साथ-साथ स्टाक की विशेष किस्म के लिए यातायात आवश्यकताओं को भी, ध्यान में रखकर किया जाता है । 1980-81 के दौरान गाड़ियों में लगाए गए माल डिब्बों का रेलवे-वार आवंटन इस प्रकार था :—

रेलवे लाइन पर चलाये गये माल डिब्बों की संख्या
(चौपहियों के हिसाब से)

| | ब० ला० | मी० ला० | छो० ला० | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| मध्य | 963 | — | — | 963 |
| पूर्व | 2538.5 | | — | 2538.5 |
| उत्तर | 1516 | 156 | — | 1672 |
| पूर्वोत्तर | — | 48 | | 48 |
| पूर्वोत्तर सीमा | — | 115 | — | 115 |
| दक्षिण | 145 | 237 | — | 382 |
| दक्षिण मध्य | 2657.5 | 5 | - | 2662.5 |
| दक्षिण पूर्व | 923.5 | — | 50 | 973.5 |
| पश्चिम | 535 | 105 | - | 640 |
| जोड़ | 9278.5 | 666 | 50 | 9994.5 |

तथापि माल डिब्बों का समस्त स्टाक एक निकाय माना जाता है और अलग-अलग माल डिब्बों के स्वामित्व अथवा किसी विशेष रेलवे के माल डिब्बों के कुल स्वामित्व के बावजूद, होने वाले यातायात के आधार पर प्रत्येक रेलवे की रोजमर्रा की मांग पूरी की जाती है।

**डी० टी० सी० में प्रशिक्षु अधिकारियों की नियुक्ति**

7246. **श्री राजेश पायलट :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुचित विज्ञापन के बाद प्रशिक्षु अधिकारियों का मैरिट के आधार पर चयन किया गया था और उन्होंने 16 महीने का सफलता-पूर्वक प्रशिक्षण किया है जिनमें उन्हें प्रति माह 300 रुपये वृत्तिका मिलती थी किन्तु प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पिछले दो सालों से उनकी नियुक्ति नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दिल्ली परिवहन निगम में नियुक्ति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं क्योंकि डी० टी० सी० के साथ भरे गए बांड के कारण कहीं और काम नहीं कर सकते है ; और

(ग) ऐसे पदों के लिए हाल में विज्ञापन देने के क्या कारण हैं जबकि ऐसे प्रशिक्षुओं को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम सम्बन्धित प्रशिक्षुओं को अन्य बातों के अलावा, कुछ शर्तों पर सहायक यातायात अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र देता है जिसमें सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करना, प्रशिक्षण पूरा करने के दिन रिक्त पदों का होना और रोजगार सम्बन्धी किसी प्रकार की गारन्टी न देना शामिल है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने निगम में स्थायी तौर पर रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और मामला विचाराधीन है।

(ग) अनुसूचित जाति के योग्य विभागीय उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने के कारण अक्टूबर, 1981 में सहायक यातायात अधीक्षक के दो पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

**ए० एम० ईज०/ए० डब्ल्यू० एमज के पदों के लिए चयन**

7247. **श्री हरिकेश बहादुर : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में ए. एम. ईज/ए. डब्ल्यू. एमज के 13 पदों पर चयन हेतु कार्यवाही उत्तर पूर्वी रेलवे में शुरू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ठीक कितने पद 25 प्रतिशत एल. डी. सी. ई. चयन के द्वारा और कितने पद 75 प्रतिशत सामान्य चयन से भरे जाने थे ; और

(ग) उक्त चयन करने के लिए नियमों के अनुसार वित्त शाखा से पूर्व सहमति ली गई थी ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सहायक यांत्रिक इंजीनियरों/ सहायक निर्माण प्रबन्धकों की रिक्तियाँ, 75% प्रवण और शेष 25%सीमित बिभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाती हैं। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को भरने की योजना 3.6.1977 को और उसके बाद उत्पन्न रितक्यिों के सम्बन्ध में ही लागू होती है।

1980 में पूर्वोत्तर रेलवे पर 13 रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। इस संख्या की गणना इस आधार पर की गयी थी, (I) 10 रिक्तियां 1980-82 की अवधि की थी, (II) 3 रिक्तियां पिछली अवधि की सीमित बिभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के कोटे से संबंधित हैं। 10 में से 8 रिक्तियाँ 1980-82 की अवधि की है जो प्रवरण के आधार पर और शेष रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले कोटे से

सम्बन्धित हैं। इस प्रकार 8 रिक्तियों के लिए प्रवरण और 5 रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित की गयी।

3 कर्मचारियों ने आयोजित की गयी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के विरुद्ध मुन्सिफ न्यायालय, गोरखपुर में मुकदमा दायर कर दिया है और मामला न्यायाधीन है।

(ग) वित्त विभाग ने 13 रिक्तियों के निर्धारण की सहमति दे दी थी।

**रेलगाड़ियों की असंतोषप्रद ब्रेक पावर**

7248. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे गाड़ियों की ब्रेक पावर में 400 से 500 कि०मी० की यात्रा के बाद लगभग 20 प्रतिशत की कमी हो जाती है और असंतोषप्रद ब्रेक पावर वाले चालकों द्वारा शिकायत के बावजूद उन्हें झूठे ब्रेक पावर प्रमाणपत्रों जो प्रायः यातायात कर्मचारियों द्वारा दिये जाते हैं पर काम करते रहने को कहा जाता है;

(ख) क्या 5 अगस्त, 1981 को गाजियाबाद से चलने वाली सीधी मालगाड़ी त्रिपाती के निकट दिनाँक 13 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं जिससे देश की लागत पर और अर्थ व्यवस्था की अस्त-व्यस्तता पर परिणाम प्राप्त करने हेतु राष्ट्र की भारी हानि होती है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) एक छोर से दूसरे छोर तक चलने वाले जम्बो विशेष गाड़ियों और बी. ओ. एक्स. विशेष मालगाड़ियों के पावर ब्रेक प्रत्येक 500 कि०मी० के चालन के पश्चात लगभग 5 से 7 प्रतिशत तक मंद पड़ जाते हैं। ऐसे मामलों में, जब गाड़ी के पावर ब्रेक इसे प्रभावपूर्ण रूप से नियंत्रित करने में अपर्याप्त पाये जायें तो गाड़ी के ड्राइवर को आवश्यक रूप से यह प्राधिकार होता है कि वह किसी भी गाड़ी को खड़ा कर दें। सभी गाड़ियों को वैध ब्रेक पावर प्रमाण पत्रों पर ही चलाने की अनुमति दी जाती है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जिन माल गाड़ियों में केवल रोलर बियरिंग वाले माल डिब्बे लगे होते हैं, उनकी प्रारम्भिक स्टेशन या उसके निटवर्ती स्थान पर गहन जांच कर लेने के पश्चात मार्गवती स्टेशनों पर जांच करने की आवश्यकता नहीं होती।

**डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक इंजनों में बदला जाना**

7249. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर. डी. एस. ओ. ने वर्तमान डीजल इंजनों को निकट भविष्य में कुछ परिवर्तनों के साथ इलेक्ट्रिक इंजनों में बदलने की संभावनाओं की जाँच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस योजना को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य** विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं परन्तु डब्ल्यू. डी. एम.-3 डीजल हाइड्रालिक रेल इंजन को बिजली इंजन में बदलने के लिए एक प्रस्ताव था। अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन ने इस सुझाव की जांच की है और तकनीकी दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स**

7250. **श्री जैनुल बशर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की वार्षिक इंजन निर्माण क्षमता कितनी है ;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षा कितने इंजनों का निर्माण किया गया ; और

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए इंजनों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य** विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी की वार्षिक लोकोमोटिव/इंजन निर्माण क्षमता 140 लोकोमोटिव/150 इंजन है।

(ख) 1979-80 के दौरान, 139 लोकोमोटिव के लक्ष्य में से 102 लोकोमोटिव निर्माण करके निकाले गए और 37 लोकोमोटिव, जो अन्यथा पूर्ण थे, इलेक्ट्रिक्स की कमी के कारण निकाले न जा सके।

1980-81 के दौरान, 175 लोकोमोटिव के लक्ष्य में से 166 निर्माण करके निकाले गए और 9 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक्स की कमी के कारण रुके रहे।

1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रति वर्ष 150 इंजनों का निर्माण किया गया जबकि वार्षिक लक्ष्य भी 150 इंजनों का था।

(ग) 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार रखा गया था :—

| | | |
|---|---|---|
| लोकोमोटिव | : | 125 |
| इंजन | : | 150 |

**मार्च 1982 के दौरान रेल गाड़ियों में डकैतियों की घटनाएं**

7251. **श्री नरसिंह मकवाणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) मार्च 1982 के दौरान रेल गाड़ियों में कितने स्थानों पर डकैतियों की घटनाए हुई हैं ; और**

**(ख) ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?**

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मार्च,** 1982 के दौरान, भारतीय रेलों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर चलती गाड़ियों में लूट-पाट की 22 घटनाएं हुई।

**(ख) इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—**

(1) जहां तक व्यावहारिक है, रात्रि में चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों में राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षकों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। जब कभी परिस्थितिवश मांग होती है, रे०सु०ब० के कार्मिक उनकी सहायता कर रहे हैं।

(2) रे०सु०ब० रेलों पर लगे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती है। रेलवे पुलिस अपराधियों पर निगरानी रखती है, विशेष मामलों में उन्हें बन्दी बनाती है और विशिष्ट अपराधों में उन पर मुकदमा चलाती है।

(3) समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि कर दी गयी है। पुराने अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जा रही है।

(4) गैर निर्धारित ठहराव के मामलों में मार्गरक्षण दल को सचेत करने के लिए इंजन चालकों को बार-बार सीटी बजाने के अनुदेश दिए गए हैं।

(5) चल टिकट परीक्षकों/कंडक्टरों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे अनधिकृत व्यक्तियों को यात्री डिब्बों में प्रवेश की अनुमति न दें।

(ङ) मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के अनुसार, रेलों पर अपराधों की रोक-थाम के लिए रेलों और राज्य सरकारों के कार्य संचालन में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर स्थायी समितियों का गठन किया जा रहा है, जिनमें पुलिस, रे०सु०ब०, रा०रे० पु०, रेल प्रशासन और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

**अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि**

7252. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में इन योजनाओं पर पहले ही कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वित में कितनी सफलता मिली है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) से (ग) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**राजचन्द्रपुर स्टेशन**

7253. **प्रो. रुप चन्द पाल :**

**श्री अजीत बाग** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यूनतम आवश्यकता अर्थात प्रकाश, जल, शेड आदि की उपलब्धता के कारण दानकुनी सैक्शन में रामचन्द्रपुर स्टेशन के यात्री और स्थानीय लोग लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्टेशन पर उपरिलिखित सुविधाए प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नही उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) स्टेशन क्षेत्र और स्टेशन की इमारत में बिजली लगाने का काम 25-3- 2 को पूरा कर लिया गया है - टिकट घर के निकट थोड़े से ब्यास का एक ट्यूब वैल मौजूद है जिसके साथ हैंड पम्प लगा है। चूंकि यह स्टेशन ठेकेदार द्वारा चालित एक हाल्ट है, इसलिए यात्री शेड की व्यवस्था करना मौलिक सुविधाओं के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य गाईड**

7254. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में ग्राम स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य गाईडों की नियुक्ति के लिए धनराशि सुलभ कराने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदवेन एम. जोशी)** : (क) हां।

(ख) 1-1-1984 तक औसतन 1000 ग्रामीण आबादी अथवा हर गांव के लिए लोगों द्वारा चुने गए एक-एक स्वास्थ्य गाइड को प्रशिक्षण देने का विचार है।

**रेल गाड़ियों में बुक स्टाल**

7255. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी वाली रेल गाड़ियों में चलते-फिरते बुक स्टाल सुलभ कराने का विचार है;

(ख) क्या कुछ जोनल रेलवे में, यद्यपि ऐसे ठेके-बेरोजगार स्नातक श्रेणियों को दिए गए हैं, किन्तु उन्होंने उनको रेल गाड़ियों में चलते-फिरते बुक स्टाल चलाने के लिए स्थान नहीं दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में जोनल रेलवे को अभी तक निर्देश नहीं दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय रेलें सामान्यतः पुस्तकालय एवं बुक स्टालों के लिये विशेष रूप से बनाए गए कैबिनों/कटघरों में अथवा डिब्बे एक-एक भाग को सुरक्षित रखकर ठेकेदारों को पुस्तकें और पत्रिकायें रखने के लिए न्यूनतम अपेक्षित स्थान उपलब्ध कराती है ।

**गोविन्दपुरी में साइकिल स्टैंड का ठेका**

7256. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सर्वोदय श्रमिक सहकारी श्रम समविदा समिति लि० कानपुर, जो गोविंद-पुरी में साइकिल स्टैंड का ठेका चला रहा है, को कानपुर में पार्सल हैडलिंग ठेके के लिए सीमित निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत कारण क्या है;

(ग) उन अन्य श्रम सहकारी समितियों के नाम क्या है, जिन्हें कानपुर में पार्सल हैंडलिंग के लिए सीमित निविदाओं में भाग लेने के लिए योग्य/पात्र घोषित किया गया था, और समितियों द्वारा अलग-अलग बतायी गयी दरें क्या हैं;

(घ) क्या समितियों द्वारा 'रिंग' बनाए जाने के बारे में कोई शिकायत मिली थी, और आरम्भिक अवस्था में इन समितियों ने सीमित निविदाओं में बहुत ऊंची दरें बतायी थी और अपनी दरों पर ठेका लेने में विफल रहने पर उन्होंने बातचीत के आदेश हेतु अनुचित ढंग अपनाये ; और

(ङ) यदि हां, तो मामले पर क्या कार्यवाही की गयी थी?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां । यह समिति सम्बन्धित रेलवे के महाप्रबन्धकों की सहमति, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था, के बिना पंजीकृत की गयी थीं ।

(ग) एक विवरण संलग्न हैं ।

(घ) और (ङ) समितियों द्वारा रिंग बनाने के सम्बन्ध में रेल प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई थी । समितियों द्वारा कोट की गयी दरें ऊंची पाई गई और इस प्रकार सभी वैद्य निविदा वालों को 1.2.82 को बातचीत के लिए बुलाया गया था ।

विवरण

| उन समितियों का नाम जिन्हें कानपुर में पार्सल सम्हलाई ठेके के लिए सीमित निविदा में भाग लेने के लिए उपयुक्त/ पात्र घोषित किया गया। | समितियों द्वारा 25.8.81 को कोट की गई दरें। | 25.8.82 को हुए समझौते की दरें |
|---|---|---|
| | रु0 पै0 | रु0 पै0 |
| 1. मैसर्स रेलवे पार्सल एण्ड गुड्स पोर्टर्स कोष लेबर कंट्रैक्ट सोसाइटी, अलीगढ़ | 44,221.00 | 41,221.00 |
| 2. मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि०, इलाहाबाद | 66,111.11 | 39,811.11 |
| 3. मैसर्स जनता लेबर कोप-सोसाइटी लि०, कानपुर | 64,551.00 | 39,991.51 |

**ब्रह्माऋषि संस्कृत वेद वेदांग महाविद्यालय नई दिल्ली को सहायता**

**श्री राम सिंह शाक्य** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मऋषि संस्कृत वेद वेदांग महाविद्यालय, राधा कृष्ण मंदिर, राजघाट के सामने नई दिल्ली को (1) दिल्ली प्रशासन, (2) दिल्ली नगर निगम (3) समाज कल्याण निदेशालय दिल्ली प्रशासन, और (4) दिल्ली समाज कल्याण तथा सलाहकार बोर्ड भगवान दास रोड से दी गई है। अप्रैल,1978 से आज तक की वर्षवार सहायता का ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन कार्यों के लिए दी गई है;

(ख) क्या इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस महाविद्यालय को दी गई वार्षिक सहायता का ठीक से उपयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या संस्था के प्रबन्ध द्वारा नकली अनाथालय तथा शिशु सदन दिखाए जा रहे हैं;

(घ) क्या उपाचार्य को वेतन के भुगतान न किए जाने और अध्यापकों को सेवा से हटाये जाने की शिकायतें भी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संस्था के प्रबन्ध के विरूद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल. टी. 3874/92)

**जय नगर और वाराणसी के बीच रेल गाड़ी चलाने की मांग**

7258. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयनगर और वाराणसी (एम. पी.) के बीच नई रेलगाड़ी चलाने, 153 अप-154 डाउन को सप्ताह में तीन बार चलाने और 505 अप-506 डाउन को कानपुर से नयी दिल्ली तक बढ़ाने हेतु निरन्तर मांग की गयी है ताकि उत्तरी बिहार से यात्रियों की असहनीय स्थिति को दूर किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जयनगर और वाराणसी के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाना औंडीहार-वाराणसी खण्ड पर लाइन क्षमता की कठिनाई के कारण व्यावहारिक नहीं है ।

153/154 जयंती जनता एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाना, कोचिंग स्टाक की अत्यन्त कमी और मार्ग में विभिन्न खण्डों पर लाइन क्षमता की कठिनाइयों के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है ।

505/506 कानपुर-समस्तीपुर एक्सप्रेस को दिल्ली से/तक बढ़ाना कानपुर-दिल्ली खण्ड पर संतृप्त लाइन क्षमता तथा दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल कठिनाईयों के साथ-साथ कोचिंग स्टाक की कमी के कारण फिलहाल परिचालनिक दृष्टिकोण से भी व्यावहारिक नहीं है ।

**निजामुद्दीन-कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जाना**

7259. श्री पी० जे० कुरियम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजामुद्दीन-कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाये जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार प्रस्ताव पर बिचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 131/132 निजामुद्दीन-कोचिन जयन्ती जनता एक्सप्रेस को तिरुवन्तपुरम तक बढ़ाना एर्णाकुलम-तिरुवन्तपुरम इकहरी लाइन खंड पर लाइन क्षमता की कठिनाई, कोचिंग स्टाक की अत्यन्त कमी और तिरुवन्तपुरम में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

**भारतीय रेलवे में नए जोन बनाना**

7260. **श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में और जोन बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या नन्दीनगर में इसके मुख्यालय सहित, जहां सभी सुविधायें उपलब्ध हैं और जो प्रस्तावित जोन के मध्य में आता है पश्चिमी जोन को बांट कर एक नया जोन बनाया जाएगा ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 1951-52 में भारतीय रेलों के आम पुनर्गठन के बाद भारत की सभी रेलों को पुनर्गठित करके 6 रेलवे जोनों में विभक्त किया गया था। आज कल 9 रेलवे जोन हैं।

(ख) रेलों के पुनर्गठन की आवश्यकता यदि कोई हो, की जांच आजकल रेलवे सुधार समिति द्वारा की जा रही है।

**जन्म दर में कमी करने का लक्ष्य**

7261. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार भारत और गुजरात राज्य की जन्म दर क्या थी ;

(ख) अन्य राज्यों में गुजरात का कौन सा स्थान है ;

(ग) अगले दशक के दौरान अखिल भारतीय जन्म दर में कमी का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार जन्म दर के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी

महापंजीयक, भारत की नमूना पंजीयन पद्धति के आधार पर उपलब्ध नवीनतम अनुमान के अनुसार वर्ष 1980 में भारत और गुजरात की अनन्तिम जन्म दरें क्रमश. 33.5 और 35.5 प्रति हजार हैं ।

(ख) नमूना पंजीयन पद्धति के आधार पर 1980 के लिए जो अनुमान लगाए गए हैं उनमें जहाँ तक जन्म दर का सम्बन्ध है गुजरात का स्थान राज्यों में ऊपर से छठा है ।

(ग) अगले दशक अर्थात् 1981-90 के लिए अखिल भारतीय जन्म दर को कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नही किया गया है । वैसे, सन् 2000 ईसवी तक अखिल भारतीय जन्म दर को घटा कर 21 प्रति हजार तक जाने का विचार है ।

(घ) शिक्षा और प्रेरणा द्वारा छोटे परिवार के संदेश को फैलाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं । राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न स्तरों पर विभिन्न राज्यों के कार्यों की नियमित निगरानी और समीक्षा की जाती है और निम्नलिखित उपायों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है :—

1. उपचारी उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्राधिकारियों को समुचित सलाह दी जाती है, तथा (2) कार्यक्रम की क्रियान्विति में राज्यों के समक्ष आई समस्याओं को सुलझाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं । ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना को, जो अब तक केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 के आधार पर चलाई जाती थी, परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और अब इसके लिए केन्द्र पूरा-पूरा धन देता है । साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य गाइड, जो अधिकतर महिलाएं ही होंगी, लोगों को छोटे परिवार का सिद्धान्त स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने और उनके घरों पर परिवार नियोजन तरीकों से सम्बन्धित ऐसी सारी मामग्री जिनका उपयोग घर पर ही किया जा सकता है, उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार होंगी । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं और सामग्री की स्थिति को मजबूत बनाया जा रहा है और इन्हें बढ़ाया जा रहा है ।

**बिना पूर्व अनुमति के विश्वविद्यालय और कालेज खोलना**

7262. **श्री कुंवर राम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से बिना पूर्व अनुमति लिए विश्वविद्यालय और कालेज स्थापित करके अबोध विद्यार्थियों को धोखा देने के कार्य में वृद्धि हो रही है : और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कुछ ठोस कदम उठायेगी ?

**शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) विश्वविद्यालय और कालेज स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति

प्राप्त करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 23 में, कानून द्वारा संस्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी संस्था के नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द को जोड़ना मना है। उसी अधिनियम की धारा 22 में यह प्रावधान है कि डिग्रियां प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग केवल उसी विश्वविद्यालय द्वारा जिसे केन्द्रीय, अथवा राज्य के अधिनियम के अन्तर्गत संस्थापित किया गया हो अथवा उसी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था द्वारा किया जा सकता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दण्डनीय है। जब कभी भी इन प्रावधानों के किसी प्रकार के उल्लंघन के कोई विशेष मामले नोटिस में आते हैं तो अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

**हुगली नदी पर बालागार के निकट गाद का निकाला जाना (ड्रेजिंग आपरेशन)**

7263. **श्री नीरेन घोष : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा से गाद निकालने के लिए 'ड्रेजर' को हुगली नदी पर बालागार के निकट के स्थान पर ले जाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या ड्रेजर ने इन वर्षों में गाद को निकाला ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन सभी वर्षों के दौरान ड्रेजर को बेकार और निष्क्रिय क्यों रखा गया ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) से (ङ) कलकत्ता से धारा की विपरीत दिशा में 45 सामुद्रिक माइल पर बलगर में दो ड्रेजर 'जगई' और 'मधई' लगाए गए हैं। ये ड्रेजर नदी में सिल्ट ट्रेप्स बनाने का काम करते हैं।

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने 1974 में एक ड्रेजर प्राप्त किया था जिसका इस्तेमाल डिजाइन/निर्माण में अवगुण के कारण नहीं किया जा सका। इन अवगुणों को दूर किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

1977-78 से बलगर में वार्षिक ड्रेजिंग कार्य की मात्रा निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| 1977-78 | 0.74 मिलियन टन |
| 1978-79 | 0.61 मिलियन टन |
| 1979 80 | 0.97 मिलियन टन |
| 1980-81 | 0.31 मिलियन टन |

**रेल गाड़ी परीक्षकों का दर्जा बढ़ाया जाना**

7264. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने गत अगस्त में गाड़ी परीक्षकों के संवर्ग का दर्जा बढ़ाये जाने सम्बन्धी नियमों में कतिपय परिवर्तन किए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन आदेशों को सभी जोनल रेलों में अब तक लागू नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन ज़ोनल रेलों के नाम क्या हैं, जहां इन आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(घ) रेलवे विभाग द्वारा इन नियमों को उन पर लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए है और इन नियमों के कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**सम्बलपुर स्टेशन पर सड़क ऊपरि पुल**

7265. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में सम्बलपुर स्टेशन पर प्रस्तावित सड़क ऊपरि पुल के बारे में अब तक कोई प्रगति की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सम्बलपुर के निकट राष्ट्रीय राज मार्ग नं० 6 पर कि० मी० सं० 558/11-12 पर वर्तमान समपार के स्थान पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव रेलवे, राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारियों के विचाराधीन है। रेलवे ने मार्च 1982 में अधीक्षण इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग, सम्बलपुर को पुल के हिस्से के लिए 17.82 लाख रुपये का एक अनुमान भेजा था। अब राज्य सरकार को प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्गों के लिए अनुमान तैयार करना है और समेकित अनुमान की जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय की स्वीकृति के लिए भेजना है। प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने तथा इसे रेलवे, राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा आपस में स्वीकार कर लिए जाने पर इस प्रस्ताव को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जायेगा।

**डाँउड-पुणे-डांउड तथा पुणे-सतारा-पुणे के बीच अतिरिक्त शटल गाड़ियां चलाना**

7266. **श्री शंकर राव पाटिल:** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डांउड-पुणे-डांउड तथा पुणे सतारा-पुणे के बीच, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त शटल गाड़ियां चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी नहीं । पुणे-धौंड और पुणे-सतारा खंडों पर यात्री यातायात की कोई भीड़ नहीं होती । इन खंडों पर पर्याप्त गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापनों की संख्या**

7267. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी राज्य की पिछली यात्रा के दौरान उड़ीसा की राज्य सरकार ने उन्हें कितने ज्ञापन प्रस्तुत किए ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) से (ग) संभवत: सदस्य महोदय का आशय, फरवरी,1982 में नौवहन और परिवहन मन्त्री के उड़ीसा राज्य के दौरे पर उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा की गई बातचीत और इस संबंध में उन्हें दिए गए कागजात से है । सड़कों के क्षेत्र में, निम्नलिखित मुख्य बातें बताई गई हैं :

(I) कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करना ।

(II) अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के राज्य सड़कों को सेन्ट्रल ऐड प्रोग्राम के अंतर्गत समावेश करना ।

(III) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए अधिक कोष का निर्धारण करना ।

बातचीत के दौरान, राज्य प्रतिनिधियों को इन सब तथ्यों के बारे में अवगत कराया गया । सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए, आर्थिक संकट को देखते हुए, इस समय

भारत सरकार किसी भी राज्य में जिसमें उड़ीसा की शामिल है, नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय या आर्थिक महत्व राज्य सड़कों के सेन्ट्रल ऐड प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ सड़कों को 1980-85 की योजना में शामिल करने का प्रश्न है, इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है । राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए उड़ीसा सरकार की अतिरिक्त अनुदानों की आवश्यकताओं पर विचार किया गया और इसलिए 1981-82 के दौरान उन्हें 199.21 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दी गई थी ।

**आने-जाने के लिए एक ओर के किराए की रियायत**

7268. **श्री के. लकप्पा : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले समूहों को प्राप्त रेल से आने-जाने के लिए एक ओर के किराए की छूट को सरकार की इस नीति के विपरीत कि सांस्कृतिक विकास के लिए सरकारी सहायता के अतिरिक्त अधिकाधिक सुविधाएं दी जाएं वापिस ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस प्रकार की कार्यवाही ने देश में सांस्कृतिक विकास और गतिविधियों विशेषकर पंजीकृत कला प्रेमी अव्यवसायी समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है ;

(ग) इस प्रकार की रियायतों को वापिस लिए जाने का क्या कारण है और क्या सरकार का विचार उन्हें बहाल करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) रेल भाड़ा दर सूची जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर कलाकारों को मिलने वाली रियायत को 1-1-1981 से 50 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है I परन्तु दूसरे दर्जे में 50 प्रतिशत की रियायत पुनः दी जाने लगी है ।

**केन्द्रीय परिवार कल्याण समिति की 1980-82 के दौरान बैठकें**

7269. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परिवार कल्याण समिति देश में एक सर्वोच्च सलाहकार निकाय है ;

(ख) वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में इस समिति की कितनी बैठकें हुई ; और

(ग) इन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने तथा इस कार्यक्रम से सम्बन्धित विषयों के बारे में अन्य नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद का गठन किया गया है। 1980 और 1981 के वर्षों के दौरान इस परिषद की केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के साथ केवल एक संयुक्त बैठक जून, 1981 में हुई थी। चालू वर्ष के दौरान इस परिषद, की बैठक के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) इस बैठक में परिवार कल्याण के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों की एक सूची संलग्न है।

विवरण

1 प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि परिवार नियोजन की स्वेच्छा से रजामन्द करवाने के काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस काम के लिए सर्वसम्मत्ति के साथ-साथ आज राजनीतिक इच्छा भी है। सभी वर्गों के जन नेताओं को परिवार नियोजन को जन आन्दोलन का रूप देने के लिए इस वातावरण से लाभ उठाना चाहिए जिससे लोगों के रवैये और आचरण में वांछित परिवर्तन लाया जा सके।

2. सांसदों के सम्मेलन से उभरे इस कार्यक्रम के लिए सर्वसम्मत्ति का वातावरण संसद और राज्य विधान सभाओं के पाजेटिव संकल्पों द्वारा प्रतिबिम्बित हों।

3. 1981 की जनगणना में अनेक बातें निहित हैं। जहाँ कुछेक राज्यों ने वृद्धि दर को अत्यन्त घटा दिया है वहाँ अधिक आबादी वाले राज्यों द्वारा इस दिशा में कार्रवाई करना शेष है। जिन राज्यों में वृद्धिदर कम हुई है, वहां दूसरों की अपेक्षा परिवार नियोजन को अधिक तत्परता से स्वीकार किया गया है। अत: उन राज्यों की ओर विशिष्ट ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जिन की वृद्धि दर ऊंची है और जिनकी परिवार नियोजन के काम की गति धीमी है।

प्रत्येक राज्य द्वारा जन्म दर/मृत्यु-दर के आंकड़ों पर यदि आवश्यक हो तो जिला आधार पर सावधानीपूर्वक बिचार किया जाना चाहिए ताकि जहां कहीं आवश्यक हो खास तौर से उनकी ओर ध्यान दिया जा सके।

4. प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों को संदेश दिया है कि वे प्रत्येक राज्य में अपनी अध्यक्षता में मन्त्रिमंडलीय समितियाँ बनाकर परिवार नियोजन के काम की प्रगति की समीक्षा और उसकी निगरानी करने के साथ-साथ सचिवालय तथा फील्ड और दोनों स्तरों पर समुचित सरकारी समितियों का गठन करें। क्लेक्टरों को प्रभावी

रूप से परिवार नियोजन के काम में कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में समन्वय-कारी तंत्र का अध्यक्ष पद संभालना होगा। इन प्रयासों का ध्येय परिवार नियोजन और समस्त अन्य विकास कार्यों के बीच पूरा-पूरा और समुचित सम्बन्ध स्थापित करना होना चाहिए। सम्मेलन का सभी राज्यों से आग्रह है कि अविलम्ब इन उपायों को अपने यहां अपनायें।

5. जिन राज्यों में यह काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उन में प्रबन्ध संभार-तन्त्र, प्रशिक्षण और मीडिया प्रयासों की पुनः जांच की जाए और उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां भविष्य में कोई रास्ता ढूंढ कर सुधार किया जा सकता हो।

6. इस सम्मेलन ने सिफारिश की कि वर्तमान प्रोत्साहनों की नियमित आधार पर समीक्षा की जाए और इनमें गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि से वृद्धि और संशोधन करने की गुंजाइश का अध्ययन करने के लिए विशेष समिति गठित की जाये।

7. चूंकि परिवार नियोजन के कार्य के आधार पर प्लान परिणामों के लिए राज्यों को 8 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता देने की बात का अब अनुसरण नहीं किया जाता, इसलिए यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या और कैसे उन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाना है, जो परिवार नियोजन के काम में अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

8. एक मत यह व्यक्त किया गया कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम में कुछेक खामियां है। यह सिफारिश की गई कि इसकी जांच की जाये।

9. सन्तान नियंत्रण के सभी तरीकों को बढ़ावा दिया जाये और प्रत्येक दमपत्ति स्वैच्छा से जो पसन्द करें उसे चुन लें। छोटी उम्र के दम्पत्तियों के लिए बच्चों के जन्म में अन्तर रखने वाले तरीकों को अपनाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, समुचित संस्थाओं में समापन विधियों के उपयोगार्थ पूरी-पूरी सुविधाओं के दिये जाने की आवश्यकता है जिससे स्वीकारकर्त्ता की सुरक्षा, कल्याण और बाद की देख-भाल की ओर पूरा ध्यान दिया जाये।

10. चूंकि कुछ राज्य 35 प्रतिशत से भी अधिक दम्पत्ति सुरक्षा की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, और चूंकि देर से विवाह करवाने और देर से बच्चे होने से भविष्य में जन्म-दर में कमी लाने में सफलता मिलेगी, इसलिये बच्चों के जन्मों में अन्तर रखने वाले तरीकों की ओर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उप-केन्द्र स्तर पर मूलभूत ढांचे का विस्तार करने से मुख-सेव्य गोली कार्यक्रम की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 1980-81 के दौरान निरोध के वाणिज्यि वितरण में सबसे ऊंचा

कीर्तीमान स्थापित किया गया । गांवों में स्वास्थ्य गाइडों और दाइयों के जरिए निरोध वितरण करवाने की डिपो होल्डर योजना से बिक्री स्थलों की संख्या भी बढ़ जायेगी । दूसरों के जरिये भी इसे कार्य रूप दिलाया जाये । इस योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस वर्ष के दौरान निरोध मुफ्त बांटने के काम की समीक्षा की जाये ।

11. चिकित्सा से गर्भ समाप्त करने की सेवाओं की सुविधाओं को तेजी से बढ़ाया जाये ।

12. 40,000 नए उप-केन्द्रों की स्थापना हेतु धन देने के काम को अपने हाथ में लेने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय का सर्वसम्मत्ति से स्वागत किया गया । यह आग्रह किया गया कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए और इस बात को सुनश्चित करने के लिए उन्हे ऐसे तन्त्र बनाने चाहिए कि सहायक नर्स मिडवाइफों के रूप में प्रशिक्षित की गई महिलाओं का उप-केन्द्रों के मूलभूत ढाँचे के विस्तार में उपयोग हो जाये । उप-केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए भी ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि 5000 की आबादी के लिए एक सहायक मिडवाइफ नर्स की व्यवस्था हो जाये ।

13. केन्द्रीय सरकार को यह देखने के लिए कि क्या राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्तरों पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन स्कीमों में विकेन्द्रीकरण संभव है या नहीं, प्रत्येक स्कीम की जाँच करनी चाहिए । इसी प्रकार राज्य/संघ शासित क्षेत्र भी फील्ड स्तरों पर विकेन्द्रीकरण की अनुमति देने के लिए स्थिति की समीक्षा करें ।

14. 1981-82 के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के जो लक्ष्य राज्यों को सर्कुलेट किए गए थे, उन पर विचार किया और उन्हें अनुमादित कर दिया गया । प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को इन लक्ष्यों को केवल पूर्णतया स्वेच्छा से पूरा ही नहीं करना चाहिए, वरन, 1980-81 के दौरान गुजरात जैसे राज्यों का उदाहरण सामने रखकर अपने लक्ष्यों को पार करने के लिए दोड़ धूप करनी चाहिए ।

15. जहां तक नसबन्दी आपरेशनों के लिए मुआवजा देने की बर्तमान प्रणाली का संबंध है, औषधियों, आहार, परिवहन और विविध खर्च के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि इन सब चीजों के मूल्य बढ़ गए हैं ।

16. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आने-जाने के साधनों की आवश्यकता का फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय वहां के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों की विशेष आवश्कतओं और शिविर लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को भी ध्यान में रखना होगा । मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार

नियोजन के काम के अनुरूप अतिरिक्त वाहनों तथा पी. ओ. एल. के लिए अतिरिक्त धन के आवंटन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

17. जहां तक प्रचार सम्बन्धी प्रयासों का सम्बन्ध है, केन्द्र द्वारा आवंटित धन का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । जो भी राज्य अपने नये विचार लागू करना चाहे, उसे पूरी सहायता दी जानी चाहिए । प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए शिविर लगाने के काम का आवश्यकतानुसार प्रचार किया जाना चाहिए ।

18. फील्ड में प्रेरणादायक नीतियों को लागू करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों और देरी को दूर करने के लिए भीड़िया अधिकारियों को उपयुक्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ।

19. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रत्येक वर्ग के पद पर से अब पाबन्दी खत्म हो जानी चाहिए और राज्यों को इन पदों को भरने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ।

20. परिवार नियोजन कार्यक्रम के मानिटरिंग और मूल्यांकन के काम को न केवल परिवार नियोजन स्वीकारकर्त्ताओं के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए, अपितु इसे जनन के सुधरे हुए अभिसूचकों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

21. सैकड़ों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण फील्ड कर्मचारी और अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं और इनमें ग्राम स्वास्थ्म गाईड भी शामिल हैं । यदि 1000 आबादी वाले प्रत्येक गांव में हर वर्ष केवल 10 दम्पत्तियों को शिक्षित करके संतान नियंत्रण के तरीकों में से कोई सा एक उपाय बरतने के लिए रजामंद किया जाए तो नये स्वीकारकर्त्ताओं की वार्षिक भर्ती 54 लाख होगी । इतना काम किसी के बल बूते से बाहर नहीं है । प्रत्येक कर्मचारी के काम की समीक्षा भी की जाए ।

22. माताओं और बच्चों को रोग प्रतिरक्षण और टीकों आदि द्वारा मात् एवं शिशु स्वास्थ्य की सुविधाएं थोड़े से थोड़े समय में अधिकाधिक व्यक्तियों को सुलभ कराई जाएं तथा अनाड़ी दाइयों द्वारा प्रसव कराने के काम को कम से कम किया जाना चाहिए । सम्मेलन ने ओरल रिहाइड्रेशन कार्यक्रम के अंग के रूप में उप-केन्द्र में ओरल रिहाइड्रेशन दमक की व्यवस्था करके इस कार्यक्रम के प्रसार का स्वागत किया ।

23. पुरुषों के नसबन्दी आपरेशन के बारे में फैली गलत फहमियों को दूर करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने जाहिए ।

24. सम्मेलन ने इस बात को दुहराया कि स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों को परिवार नियोजन को लोगों का कार्यक्रम बनाने के लिए निर्णायक भूमिका निभानी होगी। इनमें से अनेक संगठन परिवार नियोजन की जानकारी देने उसके विषय में जागरूकता उत्पन्न करने और लोगों के मन में विश्वास जमाने, उनके रवैये और आचरण में परिवर्तन लाने तथा छोटे परिवार के आदर्श जैसे नये सामाजिक मान-दण्डों को अपनाने के लिए उन्हें रजामंद करने में मदद कर सकते है।

कुछ स्वैच्छिक संगठन तो वास्तव में परिवार नियोजन कार्यक्रम में स्तुत्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावी योगदान दिया है। अब उनकी संख्या और अधिक बढ़ाई जाए, यह बड़ा वांछनीय है।

सम्मेलन इस बात की जोरदार सिफारिश करता है कि विभिन्न प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों से परिवार कल्याण कार्यक्रम के ऐसे कार्य लेने के लिए ठोस कदम उठाए जायें जिनके लिए वे उपयुक्त हों। खासकर संगठित क्षेत्र के मालिक और मजदूर संघ इसमें विशेष भूमिका निभा सकते हैं।

ऐसा करते समय, स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी सलाह एवं वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध सुविधाओं पर फिर से विचार करना जरूरी है ताकि ऐसे कई प्रकार के निकायों की भिन्न भिन्न जरूरतों को पूरा किया जा सके।

आगे, सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि सहायता अनुदान देने के मौजूदा प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं (केन्द्र एवं राज्यों दोनों की) और इस प्रकार के अनुदानों की मंजूरी देने तथा धन देने में होने वाली देरी और अड़चनों तथा जिन गतिविधियों तक उनका कार्य सीमित है, उनकी फिर से जांच करना जरूरी है ताकि स्वैच्छिक एवं गैर-सरकारी संगठनों को इन कार्यों में और अधिक रूचि के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

25. शिक्षा मंत्रालय 10 राज्यों की सारी स्कूल-पद्धति में जनसंख्या शिक्षा लागू कर रहा है, यह बड़ा सराहनीय कार्य है। ( अगले वर्ष अन्य राज्यों में भी जनसंख्या शिक्षा लागू की जाएगी)। सम्मेलन का आग्रह है कि सरकारी एवं स्वैच्छिक दोनों प्रकार की यथोचित एजेन्सियां स्कूली क्षेत्र के बाहर अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों में भी जन संख्या-शिक्षा के अथोचित कार्यक्रम चलायें ताकि अधिकांश युवा पीढ़ी को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

26. सम्मेलन एक परिवार कल्याण सलाहकार बोर्ड के गठन की सिफारिश करता है जो समय-समय पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की मानिटरिंग, समीक्षा और प्राथमिकताओं के पुनः समायोजन में सहायता करे।

27. परिवार नियोजन कार्यक्रम दूसरे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों से अलग नहीं है। इसे सभी पात्र -दम्पत्तियों तक पहुंचाने के लिए दूसरे विकासात्मक

उपायों के साथ मिलाना अनिवार्य है। प्रशासन एवं संचालन के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन तथा मातु एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, साक्षरता एवं शिक्षा ग्रामीण विकास रोजगार एवं महिलाओं की स्थिति, युवाओं के कार्यकलापों और इस प्रकार के दूसरे कार्यों के साथ जोड़ना अनिवार्य है। इस किस्म के कार्यक्रमों को परस्पर मिलाने का काम बड़ी सावधानी से करना होगा ताकि परिवार को छोटा रखने का मान-दंड जीवन यापन के स्तरों में विशेष रूप से और विकास कार्य में सामान्यतया सुधार लाने में एक प्रमुख साधन बन सके।

**एशियाई खेल 1982 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या**

7270. **श्री सुभाष चन्द बोस अल्लूरी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल 1982 में कुल कितने खिलाड़ियों के भाग लेने की सम्भावना है ; और

(ख) कितने देशों ने इन खेलों के लिए अब तक प्रतिष्टियां भेज दी हैं तथा उनके क्या नाम हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) विशेष आयोजन समिति को एशियाई खेल, 1982 में लगभग पांच हजार खिलाड़ियों के भाग लेने की आशा है।

(ख) नौवें एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति को अभी निमंत्रण पत्र जारी करने हैं और इसलिए इस स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या और उनके नाम बताना सम्भव नहीं है।

**खानपुर डिपो का नाम अम्बेदकर नगर डिपो में बदलना**

7271. **श्री हीरा लाल आर. परमार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव संख्या 2563/जी० डब्ल्यू/ इंजीनियरिंग दिनाँक 26 सितम्बर, 1979 (एस० संख्या 15) के अनुसार मदनगीर, तिगड़ी, खानपुर, दक्षिण पुरी और दक्षिणपुरी ऐक्सटेशन को मिलाकर इनका पुन: नामकरण डा० अम्बेदकर नगर कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बस्तियों से गुजरने वाली डी० टी० सी० के बसों में सेक्टर वार 'डा० अम्बेदकर नगर' के नये नाम के स्थान पर पुराना ही नाम रहता है और

क्या खानपुर डिपो का नाम डा० अम्बेदकर नगर डिपो करने और इन मार्गों से गुजरने वाले डी० टी० सी० बसों के नाम पट शीघ्र बदलने की मांग के बारे में दिल्ली शिड्यूल्ड कास्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली का 15 जनवरी, 1981 का अभ्यावेदन मिला है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**मिनी बसों के संवाहकों कण्डक्टरों द्वारा अभद्र व्यवहार**

7272. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें मिनी बसों के संवाहकों द्वारा विशेषकर अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर, अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें मिल रही हैं ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा यह देखने के लिए कोई जांच की जाती है कि जनकपुरी अथवा उत्तमनगर जैसे दूरस्थ स्थानों के यात्रियों को उपयुक्त बसों में चढ़ने से इस बहाने से न रोका जाय कि बस केवल पहाड़गंज तक ही जाएगी ; और

(ग) क्या मिनी बसों में कम दूरी के लिए यात्रियों से अधिक किराया वसूल न किया जाए यह देखने के लिए भी कोई जांच की जाती है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हाँ । इस प्रकार की सूचना मिलने पर, करार की शर्तों के अनुसार दोषी आपरेटरों के विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रहे मिनी बसों में, दिल्ली परिवहन निगम द्वारा निर्धारित भाड़ा प्रभार लिया जाता है । दिल्ली परिवहन निगम के निरीक्षणालय कर्मचारियों को यह अनुरोध है कि वे प्राइवेट आपरेटरों द्वारा लगाए जाने वाले अधिक प्रभार के कदाचारों

को रोकें। अधिक प्रभार या किसी प्रकार की उल्लंघन आदि की शिकायतें मिलती हैं तो करार की शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

**भारतीय जहाजरानी निगम के भाड़े की दरों में वृद्धि**

7273. **श्री तारिक अनवर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय जहाजरानी निगम का इस वर्ष 5 मार्च से बंगाल की खाड़ी/आस्ट्रेलिया के लिए भाड़े की दरों में 3.4 प्रतिशत तथा बंगाल की खाड़ी/न्यूजीलैण्ड के लिए भाड़े की दरों में 27.46 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : आल इंडिया शिपर्स कौंसिल और भारतीय नौवहन निगम बंगाल की खाड़ी/आस्ट्रेलिया और की बंगाल खाड़ी/न्यूजीलैण्ड मार्ग पर भाड़े में निम्नलिखित वृद्धि पर राजी हुए हैं :—

(I) 1.4.82 से 10 प्रतिशत की वृद्धि, और

(II) 1.10.82 से 2½ प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि।

**बंदरगाह सेवाओं को सुचारू बनाना**

7274. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता एजेंसियों के लाभ हेतु बन्दरगाह सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए नए कदमों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो बन्दरगाहों को कार्यवाही के लिए क्या कदम सुझाए गए हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रस्तावों पर बन्दरगाहों की क्या प्रतिक्रिया है और इन प्रस्तावों को अमल में कब लाया जाएगा, इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग) जनवरी, 1982 में नई दिल्ली में हुए पत्तन अध्यक्षों के पिछले सम्मेलन में पत्तन सेवाओं को सुचारू बनाने के विषय में विचार विमर्श किया गया था। इस संबंध में की गयी कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी :— पत्तन की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाना, पत्तनों पर प्रबन्ध करना, सीमा शुल्क और पत्तन प्रवेखन प्रक्रिया को सरल बनाना, समन्वय दल बनाना जिससे कि माल शीघ्र निकाला जा सके और पत्तनों से चोरी की घटनाओं को रोका जा सके, पत्तन रेलवे के कार्यों की समीक्षा करने हेतु दो सदस्यीय समिति बनाना, पत्तनों द्वारा भूमि को प्रयोग सम्बन्धी नक्शे बनाना, पत्तन क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक कार्यदल गठित करना,

और कन्टेनर-हैंडलिंग के खर्च का अध्ययन करने के लिए तीन-सदस्यीय समिति की नियुक्ति करना । ये सभी सिफारिशें जब कार्यान्वित हो जाएंगी । तो उपभोक्ता एजेंसियों को इनसे लाभ पहुंचेगा ।

पत्तनों से कहा गया है कि पूर्वोक्त सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्विति शीघ्र की जानी चाहिए तथा इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पत्तन में एक क्रियान्विति दल की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कि प्रत्येक पखपाड़े में इस बारे में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करें । क्रियान्विति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पत्तनों को, जहां आवश्यक हो, समय-सीमा निर्धारित करने के लिए भी कहा गया है ।

**उत्तर प्रदेश को कोयला रेकों का आबंटन**

7275. **श्री राम प्यारे पनिका : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विभिन्न राज्यों को गत वर्ष के दौरान आबंटित कोयला रैकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश को इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला रेक नहीं आबंटित किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश को अब और अधिक कोयला रेक दिये जाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा ये कब तक दिए जाएंगे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशक सिद्धांतों के कारण कोयले के लदान की व्यवस्था रेलवे-वार की जा रही है राज्यवार नहीं । ऐसे निरन्तर रेकों में कोयले का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है । फिलहाल 11,315 माल डिब्बों का दैनिक कोटा निर्धारित किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसका वितरण इस प्रकार किया गया है :—

| | |
|---|---|
| इस्पात | 3,000 |
| बिजली घर | 4,250 |
| लोको | 1,300 |
| साफ्ट कोक | 160 |
| हार्ड कोक | 100 |
| सीमेंट | 745 |
| सूती कपड़ा उद्योग | 200 |
| उर्वरक | 280 |
| भारी रसायन | 105 |
| कागज | 170 |
| सिंचाई परियोजनाएं | 50 |
| निर्यात | 25 |
| अन्य | 930 |
| | 11,315 |

फिर भी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बिजली घरों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की माँग पर्याप्त रूप से पूरी की जा रही है। 1981 के दौरान उत्तर प्रदेश स्थित बिजली घरों को 26,785 माल डिब्बों की माँग की तुलना में 26,654 माल डिब्बे प्रति माह आबंटित किये गये थे। कोयले की सीमित उपलब्धता को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्थित अन्य क्षेत्रों को क्रमिक प्रतिशतता के आधार पर आबंटन किया गया था जो प्राथमिकता के सम्बन्धित महत्व पर निर्भर करता था। यह प्रतिशत अलग-अलग महीनों में भिन्न-भिन्न था जो कोयले और परिवहन की उपलब्धता पर आधारित था। यह नीति सभी राज्यों में समान रूप से लागू है।

(ग) और (घ) आगामी महीनों में कोयले और परिवहन की समग्र उपलब्धता में और सुधार हो जाने पर उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के सभी क्षेत्रों को अधिक कोयला उपलब्ध करा दिया जायेगा।

### एल्लेपी-कजाकुल्म लाइन

7276. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

**श्री जेवियर अराकल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्लेपी-कजाकुल्म रेलवे का प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एल्लेपी-कजाकुल्म लाइन को वर्तमान पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस लाइन को योजना में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) संशोधित सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच की जा रही है । परन्तु धन की अत्यन्त कमी के कारण इसे छठी योजना-अवधि में शामिल किये जाने की आशा कम ही है ।

**बैंक कर्मचारियों द्वारा रियायती दरों पर रेल यात्रा किया जाना**

7277. **प्रो. सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय द्वारा रेलों से रियायती दरों पर यात्रा करने की गत एक वर्ष के दौरान जिन विभागों तथा बैंकों के कर्मचारियों को सुविधाएं दी गई हैं उनके क्या नाम हैं और इस तरह की यात्राएं कितनी बार की गई तथा प्रत्येक बार दी गई सुविधाएं किस प्रकार की थीं;

(ख) क्या इसी प्रकार की सुविधा कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापकों को भी उपलब्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों को भी रियायती यात्रा सुविधा जैसी कि अन्य कर्मचारियों को दी जाती है, उपलब्ध करायी जायेंगी?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)**: (क) रेलों द्वारा सरकारी विभागों के निकायों, निगमों और बैंकों के कर्मचारियों को रेल किराये की कोई रियायत नहीं दी जाती ।

(ख) और (ग) यद्यपि कालेज के अध्यापकों को रेल किराये में कोई रियायत नहीं दी जाती, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी के अध्यापक शैक्षणिक भ्रमणों के लिए दूसरे दर्जे में यात्रा करते समय 25 प्रतिशत रियायत पाने के पात्र हैं ।

**रेलवे हास्पीटल में परिवार कल्याण कैम्प**

7278. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण मंत्रालय से विभिन्न रेलवे डिविजनों को परिवार नियोजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मार्गदर्शी निर्देश भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे अस्पतालों में परिवार नियोजन कैम्प आयोजित करने के लिए प्रयास किए गए है;

(ग) गत एक वर्ष में दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत रेलवे अस्पतालो में कुल कितने परिवार नियोजन कैम्प आयोजित किए गए हैं;

(घ) क्या गत एक वर्ष में दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के अन्तर्गत ऐसे कोई परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए है; और

(ड) यदि हां, तो उस डिवीजन में परिवार नियोजन के कुल मामलों के बारे में ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)**: (क) और (ख) जी हां।

(ग) 37.

(घ) जी हां।

(ड) कुल मिलाकर 11 कैम्प लगाए गए जिनमें 139 नसबन्दी आपरेशन किए गए।

**दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अशांति**

7279. **प्रो. अजीत कुमार मेहता** :

**श्री बी. डी. सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शिक्षक और छात्र समुदाय में हाल में बढ़ रही अनुशासनहीनता और हिंसा की घटनाओं की उनमें व्याप्त असन्तोष की तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के अव्यवस्थित हो जाने की जानकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के सम्बन्ध में सरकार को किन-किन मुख्य कारणों का पता चला है तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सामान्य स्थिति कायम करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री(श्रीमती शीला कौल):** (क)और (ख) आंदोलन और अशाति की ऐसी कोई विशिष्ट घटना नहीं घटी है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों और कालेजों के बहुत से अध्यापक और छात्र शामिल हों। तथापि पिछले कुछ महीनों के दौरान एक कालेज में हिंसक प्रदर्शनों की कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें कालेज समुदाय का एक छोटा सा वर्ग शामिल है और जो आपसी वर्ग संघर्ष के कारण हुई । कालेज के शासी निकाय ने विश्वविद्यालय के तीन वरिष्ठ अध्यापकों की एक समिति गठित की है ताकि कालेज के कार्यकरण में सामान्य स्थिति लाई जा सके।

**कोचों तथा वेगनों की बढ़ती हुई मांग**

7280. **श्री मुकुन्द मन्डल :**

**श्री एम. एम. लारेंस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेगनों और कोचों की बढ़ती हुई मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कोचो तथा वेगनों की संख्या क्या है, जो चालू हालत में हैं;

(ग) कितने रोलिंग स्टाकों के तत्काल बदलने की आवश्यकता है; और

(घ) माँग और उपलब्धता के बीच अन्तर को दूर करने के लिए क्या विस्तृत उपाय किए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां, परन्तु धन की कमी के कारण मांग के अनुरूप अधिक माल डिब्बों अथवा सवारी डिब्बों की खरीद संभव नहीं है ।

(ख) नवम्बर, 1981 के अन्त में उन सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की संख्या, जो सही हालत में है, इस प्रकार है:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| सवारी डिब्बे | — | बड़ी लाइन — लगभग | 15,400 |
| | | मीटर लाइन — ,, | 10,500 |
| माल डिब्बे | — | बड़ी लाइन — ,, | 359,000 |
| | | मीटर लाइन — ,, | 94,000 |

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान गतायु होने वाले चल-स्टाफ (ब. लाइन और मी. लाइन) की अनुमानित संख्या नीचे दी गयी है :—

(I) माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)..... 62,000

(II) सवारी डिब्बे ..... 7,000

(III) भाप रेल इंजन ..... 945

(IV) डीजल रेल इंजन ..... 13

(V) बिजली रेल इंजन ..... 19

(घ) चल स्टाफ में वृद्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, यथा सम्भव अधिकाधिक उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उपयोग में सुधार किया जा रहा है।

**विषाक्त भोजन के कारण मौतें**

7281. **श्री जैवियर अराकल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1981 के दौरान विषाक्त भोजन के कारण राज्यवार कितने व्यक्ति मारे गये;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में विषाक्त भोजन का मुख्य कारण अपमिश्रित खाद्य पदार्थ हैं; और

(ग) केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में क्या रोकथाम तथा दंडात्मक कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदवेन एम. जोशी)** : (क), (ख) और (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

**नैतिक शिक्षा दिया जाना**

7282. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैतिक शिक्षा देने के लिए अधिकांश राज्यों में अनुदेशात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो यह सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या विद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए इतिहास की पुस्तकों को नए सिरे से लिखा जा रहा है जिनमें इतिहास आदर्श को प्रधानता दी गई है, जो शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप नहीं होगी?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा की मुख्यत: जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों की है। यह उनके लिए है कि वे अध्ययन, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों, अनुदेशात्मक सामग्री इत्यादी

की योजनाएं तैयार तथा निर्धारित करें तथा यह देखें कि यह सामग्री छात्रों तथा अध्यापकों को आसानी से उपलब्ध हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर, रा. शै, अ. प्र. प. राज्य सरकारों/माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा स्वीकार/अनुकूलन करने के लिए अध्ययन, पाठ्य विवरण तथा पाठ्यचर्या, पाठ्य-पुस्तके इत्यादि की माडल योजनाएं तैयार करती हैं। रा. शै. अ. प्र प. नैतिक शिक्षा पर भी माडल पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए कार्य कर रही है। प्रारूप पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा ब्यौरेवार पाठ्य-विवरण अब तैयार किया जाएगा शैक्षिक सामग्री की स्तरबद्ध पुस्तकमाला की तैयारी बाद में की जाएगी।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्यक्रम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

## एशियाई खेल

7283. **श्री आर० आर० भोले :**

**श्री एच० के० एल० भगत :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी एशियाई खेलों के लिए विभिन्न स्टेडियमों, होटलों, मार्गों, पुलों, तरुण तालों आदि का निर्माण कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार चल रहा है ;

(ख) क्या सरकार इस दिशा में हुई अब तक की प्रगति से सन्तुष्ट है तथा उसे विश्वास है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा ;

(ग) एशियाई खेलों में कितने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों द्विभाषियों, समाचार दाताओं आदि के आने की सम्भावना है ; और

(घ) एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सम्भावित भारतीय एथेलिटों को दी जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) एशियाड, 82 के लिए संदर्भाधीन निर्माण कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाएंगे।

(ग) नौवें एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति को लगभग 5000 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, द्विभाषियों, सम्वाददाताओं, इत्यादि के एशियाई खेलों में भाग लेने की आशा है।

(घ) एशियाई खेल, 1982 में भाग लेने वाले सम्भावित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों/एसोसिएशनों द्वारा राष्ट्रीय खेल संस्थान के परामर्श से एशियाड के लिए तैयारी की व्यापक योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं

के कार्यान्वयन में 31 मार्च 1982 तक 140 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए ।

2. राष्ट्रीय खेल संघों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर एशियाड-82 के लिए भारतीय टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए कई विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं ।

3. अनुमोदित योजनाओं के अनुसार हमारी टीमों को देश के अन्दर और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सरकारी खर्च पर भाग लेने के लिए यथा सम्भव अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ।

4. एशियाड-82 के लिए प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ियों के लिए खुराक की राशि बढ़ा कर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 25/-रुपये कर दी गई है । शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को द्वितीय श्रेणी का रेल किराया और जेब खर्च भी प्रदान किया जा रहा है ।

5. शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों के प्रशिक्षण की प्रगति की देख-रेख करने के लिए श्री राम निवास मिर्धा, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है ।

**"निजी स्वामित्व वाली स्टेज कैरीज बसों को दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलाया जाना"**

7284. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में चल रही निजी स्वामित्व वाली स्टेज कैरीज बसों को अन्य प्राइवेट बसों की भांति दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलाए जाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

**गवर्नमेंट मेडिकल डिपो, मद्रास में फार्मेसिस्ट एवं क्लर्कों की पदोन्नति**

7285. **श्री थन्जई एम० करुणानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के गवर्नमेंट मेडिकल डिपो में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी फार्मेसिस्ट-एवम्-क्लर्क को सहायक अधीक्षक तथा भंडार अधीक्षक के रूप में, इस तथ्य के बावजूद पदोन्नत नहीं किया गया है कि कार्मिक विभाग ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपरोक्त कर्मचारियों को 1 जून, 1974 से पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण उपलब्ध कराने संबंधी भारत सरकार ने आदेशों को कार्यान्वित करते हुए फार्मेसिस्ट-एवम् क्लर्कों को सहायक अधीक्षक और भंडार अधीक्षक पदोन्नत करने के सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस आदेश को दिनांक 1 जून, 1974 से कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क), (ख) और (ग) स्वीकृत भर्ती-नियमों के अनुसार, सहायक अधीक्षक के पद इस प्रकार भरे जाते हैं :

(1) उच्च श्रेणी लिपिकों से $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत ।

(2) फार्मेसिस्ट-एवम्-क्लर्कों/स्टेनोग्राफरों से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत ।

हाल ही में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सलाह के आधार पर, पहली जून, 1974 से भर्ती नियमों में उल्लिखित उच्च श्रेणी क्लर्कों, फार्मेसिस्ट-एवम्-क्लर्कों तथा स्टेनोग्राफरों, प्रत्येक वर्ष का अलग रोस्टर तैयार किया जा रहा है । आरक्षण बिन्दुओं के सामने आने वाली पदोन्नति इसके बाद की जाएगी । इस कार्य में देरी इसलिए हो गई है क्योंकि मद्रास डिपो के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जन सम्पर्क अधिकारी तथा श्रम अधिकारी के परामर्श से रोस्टर को फिर से बनाया जाना था ।

**"दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई मौतें"**

7286. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रियों के गिरने के कारण कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं :

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में बसों से गिरने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अभी भी पर्याप्त एहतीयाती कदम नहीं उठाए गए हैं ; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की बसों से यात्रियों के गिरने से जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती है, रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) 172.

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) सभी नई बसों में प्रवेश द्वार और निकास द्वार अलग-अलग लगाए हैं । पहले बसों में "रियर एक्सल" के पीछे एक द्वार होता था । इस द्वार का उपयोग प्रवेश और निकास दोनों के लिए किया जाता था । नई बसों में निकास द्वार फ्रंट एक्सल के आगे है ताकि ड्राइवर बस से उतरते हुए यात्रियों पर दृष्टि रख सके ।

(ii) "राड" के रूप में एक विशेष विधि लगाई गई है जो सीट की अगली लाइन में बैठे यात्रियों की गतिविधि को रोकता है जिससे कि यात्री गेंगवे से बाहर न गिरे । यह विधि ड्राइवर द्वारा परिचालित की जाती है ।

(iii) अंतर्राज्यीय मार्गों पर जाने वाली बसों में प्लेटफार्म दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए दरवाजे लगाए हैं ।

(iv) ड्राईवरों और कंडक्टरों को यह अनुदेश है कि वे स्टाप को छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी यात्री विशेषकर वृद्ध, महिलाएं और बच्चे बस में चढ़ गए हैं/सुरक्षित उतर गए हैं ।

(V) ड्राईवरों को यह भी अनुदेश है कि वे जहां तक संभव हो सके बसों को पटरी के बिलकुल साथ लगाएं । विशेष निरीक्षण दस्ते बनाए गए हैं, जिन्हें गाड़ी चलाने का पर्याप्त अनुभव है जो सड़क अनुशासन विशेषकर बसों को बस स्टाप पर उचित पार्किंग को सुनिश्चित करते हैं ।

**सेवा निवृत्ति की बकाया राशियों का भुगतान**

**7287. श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विभिन्न डिवीजनों को अनुदेश भेजे हैं कि सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की बकाया राशियों का भुगतान शीघ्र किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सेवा निवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को शीघ्र भुगतान करने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों की कुल संख्या — 477

(i) पेंशन भुगतान के लिए जारी किए गए आर्डर — 471

बकाया 6

(ये छः मामले सेवा पंजियों के गुम हो जाने तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक और अपील के मामले होने के कारण बकाया है ।)

(ii) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान के मामले — 379

बकाया — 98

(ये मामले वाणिज्यिक देयताओं की वसूली न किये जाने, रेलवे क्वार्टर खाली न किये जाने तथा कर्मचारियों से अन्तिम भुगतान संबंधी कागजात प्राप्त न होने के कारण बकाया हैं) ।

केन्द्रीय स्कूलों का और अधिक संख्या में खोला जाना

7288. श्री नवीन रवाणी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार, कितने-कितने केन्द्रीय स्कूल चल रहे हैं ; और

(ख) अनुरोधों के आधार पर किन-किन स्थानों पर, विशेष रूप से गुजरात राज्य में, नए केन्द्रीय स्कूल खोलने का विचार किया गया है और इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) गुजरात राज्य में खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों सहित 1982-83 के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के स्थानों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा । इस समय इस प्रकार के स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं है ।

विवरण

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 17 |
| 2. | असम | 20 |
| 3. | बिहार | 29 |
| 4, | गुजरात | 16 |
| 5. | हरियाणा | 11 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 5 |
| 7. | जम्मू और काश्मीर | 13 |
| 8. | कर्नाटक | 14 |
| 9. | केरल | 9 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 31 |
| 11. | महाराष्ट्र | 28 |
| 12. | मणिपुर | 2 |
| 13. | मेघालय | 3 |
| 14. | नागालैंड | 1 |
| 15. | उड़ीसा | 11 |
| 16. | पंजाब | 17 |
| 17. | राजस्थान | 19 |
| 18. | सिक्किम | 1 |
| 19. | तमिलनाडु | 20 |
| 20. | त्रिपुरा | 1 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 51 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 20 |
| 23. | अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | 1 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 3 |
| 26. | दिल्ली | 17 |
| 27. | गोआ, दमन और दीव | 1 |
| 28. | पांडिचेरी | 1 |
| | कुल | 364 |

**धनबाद में उपरिपुल**

7289. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद रेलवे स्टेशन पार करने वाले लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए वर्ष 1981 में वहां के रेलवे के उपरिपुल का पुराना बाजार तक विस्तार करने के लिए रेलवे सहमत हो गयी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि यह मामला बिहार राज्य सरकार को उसके अंशदान के लिए निर्देशित किया गया था, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है ;

(घ) क्या उनका मंत्रालय चालू वर्ष में बिहार सरकार के साथ मामला उठायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो कब, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) धनबाद में होने वाले वर्तमान यातायात से रेलवे की लागत पर डाउन गुड्स यार्ड के आर-पार वर्तमान ऊपरी पैदल पुल का पुराना बाजार तक विस्तार करने का औचित्य नहीं बनता ; फिर भी, स्थानीय जनता की निरन्तर मांग को देखते हुए, इस पुल को पुराना बाजार तक बढ़ाये जाने की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है। यदि ऊपरी पैदल पुल का विस्तार व्यावहारिक तथा औचित्यपूर्ण पाया गया तो बिहार राज्य सरकार के सहयोग से इसे प्रारम्भ करने के बारे में विचार किया जायेगा।

**धनबाद में डिवीजनल स्तर पर यूजर्स कमेटी**

7290. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में डिवीजनल स्तर पर 1980 के बाद कभी कोई यूजर्स कमेटी कार्य कर रही थी ;

(ख) यदि हां, तो यूजर्स कमेटी में नाम निर्देशित सदस्यों के नाम क्या हैं और उसकी बैठकों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सही अर्थों में प्रतिनिधि यूजर्स कमेटी के न होने के कारण रेल प्रशासन और जनता के बीच दूरी बढ़ रही है जिससे दोनों को नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ। मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति 1-1-81 से 15-2-82 तक कार्य कर रही थी।

(ख) पांच बैठकें क्रमशः 5-5-81, 9-7-81, 7-8-81 7-11-81 और 22-1-82 को हुई थीं। जो व्यक्ति मनोनीत किये गये थे, उनके नाम और पते अनुबन्ध (संलग्न) में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, धनबाद, का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे कि रेल उपयोगकर्ताओं के विभिन्न अभिज्ञेय और महत्वपूर्ण वर्गों तथा विभिन्न प्रकार के जनमत को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

विवरण

1-1-82 से 31-12-1982 तक की अवधि के लिए (16-2-1982 से भंग)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री एन. ई. होरो, संसद सदस्य (लोक सभा), जी. ई. एल. चर्च कम्पाउण्ड, रांची, बिहार | भारतीय संसद |
| 2 | श्री जे. के. पी. एन. सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), ग्राम एवं डाकघर मकसूदपुर, जिला गया (बिहार) | |
| 3 | श्री जय कुमार पाटिल, सदस्य विधान सभा, ग्राम : गौतम बुद्ध मार्ग, गया, जिला गया(बिहार) | राज्य विधान मंडल, बिहार |
| 4 | श्री विमलसिंह पारेख, डाकघर चास (बोकारो स्टील सिटी)-827013, जिला धनबाद (बिहार) | चास बोकारो चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज |
| 5 | श्री रतिलाल एम० दवे, जोराफाटक, डाकघर धानसर-828106, धनबाद (बिहार) | इण्डस्ट्रीज एण्ड कामर्स एसोसिएशन |
| 6 | श्री मथुरा प्रसाद गुप्ता, महामंत्री, व्यवसायी संघ, पालामऊ, डाल्टनगंज-822101, पालामऊ, बिहार | व्यवसायी संघ, पालामऊ |
| 7 | श्री एम० एस. राव, मैसर्स इण्डो इंजीनियरी वर्क्स, रांची (बिहार) | रांची लघु उद्योग एसोशिएशन |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | श्री पी. एम. पार्वतियार,<br>मैसर्स पी. एम. पार्वतियार एण्ड कं.,<br>साउथ गाँधी मैदान, पटना-1 | बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन |
| 9 | | बिहार को-आपरेटिव फैडरेशन लिमिटेड |
| 10 | श्री मोहन लाल दुधवेवाला,<br>द्वारा मैसर्स जयनारायण नन्दलाल,<br>डाक बंगलो रोड, पटना-1 | बिहार रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन |
| 11 | श्री कौशलेन्द्र कुमारसिंह,<br>गिरिहिन्दा, पो. शेखपुरा-811105,<br>जिला मुंघेर, बिहार | दक्षिण बिहार यात्री सघ |
| 12 | श्री एम. के. तापरिया,<br>प्रबन्धक, रा मैटीरियल्स, हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कार्पोरेशन लि. पो. रेनूकूट-231217<br>जिला मिर्जापुर (उ. प्र.) | हिन्दुस्तान अल्युमीनियम कार्पोरेशन लि. (विशेष हित)<br>(महाप्रबन्धक द्वारा मनोनीत) |
| 13 | श्री ज्ञानेन्द्र पाटिल त्रिपाठी,<br>झुमरी तलैया, हजारी बाग (बिहार) | (विशेष हित)<br>रेल मंत्री द्वारा मनोनीत |
| 14 | श्री परशुराम पिलानिया,<br>आई सी आर एण्ड सन्स प्रा. लि.,<br>झुमरी तलैया (बिहार) | ,, |
| 15 | श्री मनोरथ राय शर्मा<br>डाकघर दोनचंच (बिहार) | ,, |
| 16 | श्री बद्रीसिंह,<br>डाकघर पाथलडीह, पूर्व रेलवे, हिरोडीह(बिहार) | ,, |
| 17 | श्री मनोहर राम,<br>डाकघर दोदचंच (बिहार) | ,, |
| 18 | श्री जगदीश प्रसाद दरूका,<br>डाकघर कोडर्मा (बिहार) | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | श्री अबध बिहारी सिंह,<br>झुमरी तलैया (बिहार) | (विशेष हित)<br>रेल मंत्री द्वारा मनोनीत |
| 20 | श्री सुरेश कुमार जैन,<br>झूमरी तलैया (बिहार) | ,, |
| 21 | श्री टी०ए० खां रिजवी,<br>ग्राम पिप्चो, डाकघर मकतपुर,<br>पूर्व रेलवे, परसाबाद (बिहार) | ,, |
| 22 | श्री सुरेश चन्द जैन,<br>द्वारा, मोतीचन्द जैन, झुमरी तलैया (बिहार) | ,, |
| 23 | श्री ए० बी० तिवारी,<br>झुमरी तलैया (बिहार) | ,, |
| 24 | श्री छोटे लाल सिंह,<br>अध्यक्ष, ब्लाक यूथ काँग्रेस (आई),<br>झुमरी तलैया (बिहार) | ,, |
| 25 | श्री सुरेश प्रसाद झंझरी<br>झुमरी तलैया (बिहार) | ,, |
| 26 | श्री रत्नेश्वर भारती,<br>'युगान्तर' हिन्दी विकली, धनबाद (बिहार) | ,, |
| 27 | श्री कुन्दन लाल कालिया<br>ग्राम एवं डाकघर मिरल, पालामऊ, (बिहार) | ,, |
| 28 | श्री शितल प्रसाद सिंह<br>डाल्टनगंज, पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 29 | श्री ब्रिज बिहारी उर्फ बालाजी,<br>ग्राम एवं डाकघर मामुदाग,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 30 | श्री रामानुज शर्मा, चेयरमैन,<br>सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक,<br>डाकघर डाल्टनगंज, पालामऊ (बिहार) | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | श्री मुनीसिंह,<br>ग्राम एवं डाकघर बझारा कोलियरी,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | (विशेष हित)<br>रेल मंत्री द्वारा मनोनीत |
| 32 | श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह,<br>आशीर्वाद रेस्ट हाउस,<br>डाल्टनगंज, पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 33 | सरदार हरशरनसिंह छाची,<br>वाइस चेयरमैन, डाल्टनगंज म्युनिसिपलिटी,<br>डाल्टनगंज पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 34 | श्री मंगल देव सिंह,<br>एडवोकेट, डाल्टनगंज (बिहार) | ,, |
| 35 | श्री हंसराजसिंह,<br>जैन हेटा, डाकघर डाल्टनगंज,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 36 | श्री लक्ष्मीनारायण सिंह,<br>दालसिंह सराय,<br>जिला समस्तीपुर (बिहार) | ,, |
| 37 | श्री सुरेन्द्र प्रसाद नायक,<br>दालसिंह सराय,<br>जिला समस्तीपुर (बिहार) | ,, |
| 38 | मो० एलियास, एडवोकेट,<br>गाँधी पथ सहरसा (बिहार) | ,, |
| 39 | श्री जटा शंकर चौधरी,<br>सचिव, फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन,<br>शिव बालक आश्रम, सहरसा (बिहार) | ,, |
| 40 | श्रीमती शकुन्तला देवी माथुर,<br>पटना सिटी, हास्पिटल के पास, पटना | ,, |
| 41 | श्री एम०एम० मल्लिक, एडवोकेट,<br>महासचिव, कोल माइनर्स वर्कर्स एसोसिएशन,<br>बेलकर बाँध धनबाद (बिहार) | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| 42 | श्री बलिराम राय,<br>निकट गुजराती हाई स्कूल,<br>झरिया, धनबाद, (बिहार) | (विशेष हित)<br>रेल मंत्री द्वारा मनोनीत |
| 43 | श्री ईश्वरी प्रसादसिंह,<br>कोर्ट कम्पुण्ड . डाकघर डाल्टनगंज (बिहार) | ,, |
| 44 | श्री गोपाल प्रसाद सिंह,<br>प्रमुख डाकघर छतरपुर, जिला पालामऊ, (बिहार) | ,, |
| 45 | श्री देवराज तिवारी,<br>ग्राम एवं डाकघर अतुला,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 46 | श्री मल देव राम,<br>ग्राम हिसरा बरवाडीह, डाकघर गोहरपथरा,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 47 | श्री नरेन्द्रसिंह,<br>एडवोकेट डाल्टनगंज (बिहार) | ,, |
| 48 | श्री पारसनाथ गुप्ता,<br>प्रमुख; डाकघर बरबाडीह,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 49 | श्री वानुप्रताप सिंह,<br>ग्राम धुब, डाकघर पंकी,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 50 | श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,<br>ग्राम एवं डाकघर जपला,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 51 | श्री एम. एन. त्रिपाठी,<br>एडवोकेट, डाल्टनगंज,<br>पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 52 | श्री ललित प्रसाद गुप्ता,<br>सम्पादक, 'हल्धर'<br>डाल्टनगंज, पालामऊ (बिहार) | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| 53 | श्री महाराज सिंह,<br>सचिव, सिंह स्कूल लोहारी,<br>डाकघर पंकी,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | (विशेष हित)<br>रेल मंत्री द्वारा मनोनीत |
| 54 | श्री गुप्तेश्वर सिंह,<br>म्युनिसिपल कमीशनर, हमीदगंज,<br>डाकघर डाल्टनगंज, जिला पालामऊ, (विहार) | ,, |
| 55 | श्री शैलेश्वर प्रसाद,<br>महाबीर चौक, बोद्दम बाजार,<br>हजारीबाग (बिहार) | ,, |
| 56 | श्री श्याम कान्त उपाध्याय,<br>ग्राम एवं डाकघर बन्दु, रांची (बिहार) | ,, |
| 57 | श्री मोफिज खां,<br>धनवाद रेलवे स्टेशन, धनबाद (बिहार) | ,, |
| 58 | श्री गौरी शंकर सिंह,<br>द्वारा श्री एस. पी. सिंह,<br>कालीबाड़ी रोड, बोद्दम बाजार,<br>हजारी बाग (बिहार) | ,, |
| 59 | श्री गिरवर प्रसाद सिंह,<br>ग्राम महुरी, डाकघर गुलाबझाड़ी,<br>जिला पालामऊ, (बिहार) | ,, |
| 60 | श्री राजेन्द्र चौबे,<br>प्रमुख, डाकघर गढ़वा,<br>जिला पालामऊ (बिहार) | ,, |
| 61 | श्री कृष्ण कान्त दुबे,<br>चांदनी खरोन्दी,<br>जिला पालामऊ, बिहार | ,, |
| 62 | श्री विशिष्ट नारायण तिवारी,<br>डाकघर लहलहा,<br>डाल्टनगंज, पालामऊ (बिहार) | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| 63 | श्री भोला प्रसाद,<br>एडवोकेट, डाकघर लतेहर,<br>डाल्टन गंज, (बिहार) | (विशेष हित)<br>रेल मंत्री द्वारा मनोनीत |
| 64 | श्री प्रमोद कुमार सिंह,<br>डाकघर लतेहर, जिला पालामऊ, (बिहार) | ,, |
| 65 | श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह,<br>डाकघर लतेहर,<br>जिला पालामऊ, (बिहार) | ,, |
| 66 | श्री रामकुमार ओझा,<br>हजारी बाग (सदर हास्पिटल के पास) (बिहार) | ,, |
| 67 | श्री आर. आर. बर्सी,<br>टाईम सेन्टर, डाकघर कटरासगढ़,<br>धनबाद, (बिहार) | ,, |
| 68 | श्री बी. पी, डाल्मिया,<br>एम०ए०एल०एल०बी०, एडवोकेट,<br>दुली सर्कुलर रोड,<br>धनबाद, (बिहार) | ,, |
| 69 | श्री गोपाल लाल महती,<br>भारवत कृषक समाज, बिहार<br>रामायण भवन, गया | ,, |
| 70 | एडिसनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशनर,<br>बिहार सरकार, पटना | बिहार सरकार |

**मेरठ-खुर्जा यात्री गाड़ी की ट्रक से टक्कर**

7291. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब मेरठ-खुर्जा यात्री गाड़ी एक ट्रक से टकरा गयी थी तो 14 व्यक्ति मर गए और दो अन्य घायल हो गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना की, की गयी जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मृत यात्रियों के परिवारों तथा घायलों को सरकार ने कितनी और किस प्रकार की सहायता दी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय 1-1-82 को उत्तर रेलवे के हापुड़ और हाफिजपुर स्टेशनों के बीच चौकीदार वाले समपार पर 6 के. एम एम. पेसेंजर गाड़ी और एक ट्रक के बीच हुई टक्कर से है। इस दुर्घटना में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 6 व्यक्तियों को गंभीर तथा एक व्यक्ति को मामूली चोट आयी।

(ख) लखनऊ के रेल संरक्षा आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(ग) अभी तक मृतकों के निकट सम्बन्धियों तथा घायलों को अनुग्रह राहत के रूप में 9,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

**सिविल इंजीनियरी विभाग के ड्राफ्टसमैन**

7292. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल इंजीनियरी विभाग के ड्राफ्टसमैनों को थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरे करने पड़ते हैं ;

(ख) क्या सिविल इंजीनियर विभाग के एस्टीमेटर कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा करते हैं ;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के एस्टीमेटरों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण देने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रशासन को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे के एस्टीमेटरों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का है या नहीं : और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ।

(घ) से (च) इस मामले की जांच की जा रही है।

## समय सारणियां

7293. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे द्वारा प्रकाशित समय सारणियों में निम्नलिखित मदें मुद्रित की जा रही हैं : (एक) उन स्टेशनों के नाम जहां रिटायरिंग रूम तथा सेफ डिपाजिट लाकर हैं तथा उनकी दरें क्या हैं, (दो) सिटी बुकिंग कार्यालयों के डाक के पूरे पते तथा टेलीफोन नम्बर, (तीन) कोच एटेंडेंटों, स्लीपर कोच टी० टी० ई० और कंडक्टरों की ड्यूटियाँ, (चार) सामान्य जनता और रेल कर्मचारियों के लिए आरक्षण के परिवर्तनों के नियम और (पांच) यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले यात्रियों के इलाज के नियम ;

(ख) जोनल रेलवे का वर्तमान अवधि की किन-किन समय-सारणियों में ये मदें प्रकाशित की गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जोनल रेलवे की समय-सारणियों के अगले अंकों में उपरोक्त ब्यौरा प्रकाशित करने का है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जिन स्टेशनों पर विश्रामालय और सेफ डिपाजिट लाकर्स उपलब्ध है उन स्टेशनों के नाम दरों सहित पत्र-व्यवहार का पता और सिटी बुकिंग कार्यालयों के टेलीफोन नं० सवारी डिब्बा परिचरों, शयनयान चल टिकट परीक्षकों और कंडक्टरों की ड्यूटी आम जनता तथा रेलवे कर्मचारियों के आरक्षण के लिए नियमों और यात्रा के समय बीमार पड़ने वाले यात्रियों को चिकित्सा सहायता के संबंध में सूचना निम्नलिखित क्षेत्रीय रेलों की चालू अंग्रेजी समय-सारणी में प्रकाशित की गयी है :—

| मुद्रित सूचना का ब्यौरा | | मध्य | पूर्व | उत्तर | पूर्वोत्तर | पूर्वोत्तर सीमा | दक्षिण | दक्षिण मध्य | दक्षिण पूर्व | पश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | क. स्टेशन जहां विश्रामालय उपलब्ध हैं | हां | हां | हां | हां | हां | हाँ | हां | हां | हां |
| | ख. विश्रामालयों का प्रभार | हां | हाँ | हां | नहीं | हां | हां | हां | नहीं | नहीं |
| | ग. सेफ डिपाजिट लाकर्स | हां | हां | नहीं | हाँ | हां | नहीं | नहीं | हां | हाँ |
| | घ. लाकर्स का प्रभार | हां | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हां | हां |
| (ii) | सिटी बुकिंग कार्यालयों के पत्राचार का पता तथा टेलीफोन नं० | नहीं* | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| (iii) | क. सवारी डिब्बा परिचरों की ड्यूटी | हां | हां | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | हां | नहीं | हां |
| | ख शयनयान चल. स्टाक परीक्षकों की ड्यूटी | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं | नहीं | हां |
| | ग. कंडक्टरों की ड्यूटी | हां | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| (iv) | आरक्षण के लिए नियम | | | | | | | | | |
| | क. जनता के लिए | हां | हाँ | हां | हां | हां | हाँ | हां | हां | हाँ |
| | ख. रेलवे कर्मचारियों के लिए | नहीं | नहीं | नहीं | नही | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हां |
| (v) | चिकित्सा सहायता | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हां | हाँ | नहीं | नहीं |

* केवल कलकत्ता क्षेत्र के सिटी बुकिंग कार्यालयों के लिए।

(ग) समय-सारणियों के मुद्रण में मितव्ययिता के कारण, कोई अतिरिक्त सूचना छापने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**वाल्व आपरेटर**

7294. **श्री जायनल अबेदिन : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोनल रेलवे के वाल्व आपरेटरों को 200-240 रुपए (आर० एस०) तथा 200-250 रुपए (आर० एस०) के वेतनमान देने का कोई निर्णय किया है जैसा कि पूर्व और उत्तर रेलवे में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल प्रशासन ने इस बारे में कोई आदेश जारी किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी।

**ड्राफ्टसमैनों के वेतनमानों का पुनरीक्षण**

7295. **श्री जायनल अबेदिन : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ड्राफ्टसमैनों के लिए 20 जून, 1980 को न्याय निर्णय बोर्ड के पंचाट के परिणामस्वरूप ड्राफ्टसमैनों के वेतनमानों में पुनरीक्षण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ड्राफ्टसमैनों के वेतनमान पुनरीक्षित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। न्याय निर्णय बोर्ड का पंचाट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्टसमैनों के बारे में दिया गया है और यह रेलवे के ड्राफ्टसमैनों पर लागू नहीं होता।

चूंकि केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में भी उपलब्ध यह एक समान कोटि है, इसलिए रेलों पर कार्यरत ड्राफ्टसमैनों के वेतनमानों में कोई एकतरफा संशोधन करना संभव नहीं है।

**मुफ्त पाठ्य पुस्तकें सप्लाई करना**

7296. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दसवीं कक्षाओं तक छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें सप्लाई करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन किया जाना**

7297. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन समिति ने प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों का अब से पहले अन्तिम बार कब पुनरीक्षण किया गया था ; और

(ग) सेन समिति की शिफारिशों के अनुसार वेतनमानों का पुनरीक्षण न करने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते । विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के अन्तिम संशोधित वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से लागू कर दिये गए थे ।

**एशियाई खेल**

7298. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए अपेक्षित खेल के समान की अनुमानित लागत क्या होगी ;

(ख) एशियाई खेलों के लिए अपेक्षित विदेशों से आयातित किए जाने वाले खेल के सामान की लागत क्या होगी ;

(ग) एशियाई खेलों के लिए खरीदे जाने वाले देश में बने खेल के सामान की लागत क्या होगी ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, जो नौवें एशियाई खेल, 1982 के लिए खेल की सामग्री आयात करने की मुख्य एजेंसी है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नौवें एशियाई खेलों के लिए अपेक्षित खेल सामग्री की अनुमानित लागत (मुख्य एथलेटिक स्टेडियम लोधी रोड, नई दिल्ली में "इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डो और सिन्थेटिक ट्रेक सरफेस तथा नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली स्थित एस्ट्रो टर्फ फील्ड की लागत को छोड़कर) लगभग 2.00 करोड़ रुपए है।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित 2.00 करोड़ रुपए में से आयातित अथवा अभी आयात की जाने वाली खेल सामग्री की अनुमानित लागत लगभग 1.60 करोड़ रुपए है।

(ग) एशियाई खेलों के लिए खरीदी जाने वाले देशी खेल सामग्री की अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रुपए है।

(घ) केवल वही खेल सामग्री/उपस्कर आयात किए जा रहे हैं जिनका ऐसे अंतराष्ट्रीय खेल के लिए अपेक्षित स्तर वाली देशी खेल सामग्री का निर्माण नहीं किया जा रहा है। एशियाई खेल, 1982 के आयोजन के लिए खेल सामग्री का आयात नौवें एशियाई खेल 1982 की विशेष संचालन समिति के विशिष्ट अनुरोध पर किया गया है जिसने इस मामले में राष्ट्रीय खेल संघों से परामर्श किया है। जहां तक एशियाड-82 के लिए भारतीय प्रतियोगियों के प्रशिक्षण के लिए खेल सामान के आयात का सम्बन्ध है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने राष्ट्रीय खेल संघों के परामर्श से आयात किए जाने वाले उपस्करों की सूची को अन्ति रूप दे दिया है।

**गत दो वर्षों के दौरान आसाम में रेल आवागमन में बाधा**

7299. **श्री संतोश मोहन देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आसाम में गत दो वर्षों के दौरान बम विस्फोटों, नाकाबन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनों के कारण रेलों के आवागमन में कितनी बार बाधा पड़ी ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन अपराधियों को पकड़ा गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि डेढ़ वर्ष से अधिक समय से पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 76 अवसरों पर।

(ख) 74.

(ग) जी नहीं।

(घ) रेल परिसरों सहित राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व होने के कारण, वे इस बुराई को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय अपना रही है। अपने कर्मचारियों का उनकी सामान्य ड्यूटियों से हटाकर भी रेलें अपनी ओर से राज्य एजेंसी को सभी सम्भव सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकारों और रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) रे० सु० ब०/रे० सु० वि० ब०, गैंगमैनों, होमगार्डों, ग्रामीणों आदि द्वारा रेलपथ की गश्त लगाना।

(2) अपराधियों और बदनाम व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा निगरानी रखना।

(3) यात्रियों को संरक्षा/सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस अधिकारियों की तुरन्त सूचना दी जाती है।

(4) अपराधियों और उनकी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने तथा यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ायी जा रही है।

(5) रेल परिसरों सहित राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी राज्य प्राधिकारियों के साथ सभी स्तर पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

(6) स्टेशन; प्लेटफार्मों/दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा क्षेत्र गश्त लगाना।

(7) राज्य पुलिस द्वारा गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है जिसमें रे०सु०ब०/रे०सु०वि०ब० के कर्मचारी उनकी सहायता करते हैं।

(8) राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से समय-समय पर व्यापक पैमाने पर टिकट जाँच और अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की रोकथाम आयोजित की जा रही है।

**विशेषाधिकार पासों की संख्या**

7300. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने विशेषाधिकार पासों को प्रतिवर्ष 3 सैटों से बढ़ाकर 6 सैट करने के बारे में कोई अभ्यावेदन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो रेल मंत्रालय को ऐसा अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) क्या इस प्रश्न पर कभी ए० आई० आर० एफ०/एन० एफ आई० आर० के साथ पी० एन० एम० की किसी बैठक या रेल मंत्रालय में विभागीय परिषद की किसी बैठक में विचार-विमर्श हुआ था ;

(घ) यदि हां, तो निर्णय कब हुआ और उस विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त माँग स्वीकार कर ली है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (च) श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को श्रेणी I और II के कर्मचारियों के बराबर सुविधा पास दिये जाने में समानता लाने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु यथा-स्थिति बनाए रखने का ही निर्णय लिया गया ।

## तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए संवर्ग पुनर्गठन समिति

7301. **श्री रेणु पद दास ।**

**श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संवर्ग पुनर्गठन करने के लिए संवर्ग पुनर्गठन समिति बनायी गयी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जे० सी० एम० योजना के अन्तर्गत विभागीय परिषद की संवर्ग पुनर्गठन समिति (रेलवे) द्वारा अब तक पुनर्गठित श्रेणियां क्या हैं और उन श्रेणियों के लिए क्या पुनर्गठन किया गया है और किस तारीख से तथा पुनर्गठन ब्यौरे सहित इन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) विभिन्न "ग" और "घ" कोटियों में संवर्ग पुर्नसंरचना के लिए समय-समय पर संयुक्त वार्ता तंत्र के अधीन त्रिभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष की ओर से प्राप्त मांगों पर परिषद की एक समिति द्वारा विचार किया जाता है ।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## प्रतिरक्षीकरण (इम्यूनाइजेशन) सुविधाएं

7302. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षीकरण सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण प्रति वर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी प्रतिरक्षीकरण सुविधाएं देने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) नहीं। वैसे, कुछ संचारी रोगों की घटनाओं और उससे होने वाली मौतों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए गये हैं।

(ग) और (घ) हां। बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस पोलियो, क्षयरोग और टाइफाइड के टीके लगाए जा रहे हैं। नवजात शिशुओं में टेटनस को रोकने के लिए माताओं को टेटनस टाक्साइड का टीका लगाया जा रहा है। हर वर्ष पात्र वर्गों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

**छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जितने बच्चों और महिलाओं को टीके लगाये जाने हैं, उनकी संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।**

### विवरण

**छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान जितने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाने हैं उनकी संख्या**

(दस लाख में)

| लाभार्थी | वैक्सीन | 1980-81 | 1981-82 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शिशु | डी० पी० टी० | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
| | पोलियो | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 10·0 |
| | बी० सी० जी० | 15·0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्कूली बच्चे | | | | | | |
| 5-6 वर्ष | डी० टी० | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
| 5-6 वर्ष | टाइफाइड | 10.0 | 10-0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 10 वर्ष | टी० टी० | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 16 वर्ष | टी० टी० | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| गर्भवती महिलाएं | टी० टी० | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |

**इंडियन यूनिवर्सिटीज के एसोसिएशन (भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ) को अनुदान**

7304. **श्री डी० एम० ए० शिवप्रकाशम** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सटीज को अनुदान देती है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1981-82 में इस निकाय की कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया ;

(ग) क्या इस अनुदान की लेखा परीक्षा की जायेगी ;

(घ) यदि हां, तो गत लेखा-परीक्षा किस वर्ष के लिए की गई ;

(ङ) क्या लेखा परीक्षा के द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अनियमितता का पता चला है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ देश में एक स्वैच्छिक संगठन है और इसका अधिकांश अनुरक्षण व्यय इस संघ द्वारा सदस्यों से एकत्रित सदस्यता शुल्क से वहन किया जाता है। तथापि केन्द्रीय सरकार संघ की इसके अनुरक्षण के लिए नाममात्र का अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त, संघ द्वारा उच्च शिक्षा के कुछ विशेष क्षेत्रों में आरम्भ किए जाने वाले अनुसंधान अध्ययन के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। राष्ट्रीय खेल संगठन योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी संघ को सौंपा गया है। 1981-82 के दौरान इन कार्य-कलापों के लिए दिए गए अनुदान निम्नलिखित थे :—

i) अनुरक्षण अनुदान : 1,40,000 रु०

ii) अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विकास अनुदान 1,97,000 रु०

iii) राष्ट्रीय खेल संगठन योजनायें 6,29,690 रु०

(ग) जी हां, वार्षिक लेखा परीक्षा संघ के लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। तथापि सरकार के अनुदानों की भारतीय नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा भी स्वविवेक पर लेखा परीक्षा की जा सकती है।

(घ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 के लेखों की सनदी लेखापालों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

(ङ) और (च) अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सनदी लेखापालों ने कुछ कमियों का उल्लेख किया है। इन कमियों में कुछ छोटी मदों के खर्च की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित न किया जाना, बाउचर न प्रस्तुत करना, ऊंचे टेलीफोन बिलों की, उनमें हुई वृद्धि के कारणों की जांच किए बिना अदायगी कर देना, प्रकाशनों के विक्रय के संबंध में बकाया बिलों के ब्यौरों का अभाव, कुछ चैकों का न भुनाया जाना, भवन निर्माण धनराशि को निर्धारित निवेश इत्यादि की बजाए बचत खातों में जमा करवाना आदि शामिल है।

**दौरम माधीपुरा स्टेशन पर आरक्षण सुविधाएं**

7305. **श्री आर० पी० यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत दौरम माधीपुरा रेलवे स्टेशन पर जिन गाड़ियों के लिए आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) चूंकि माधीपुरा जिला बन गया है इसलिए दौरम माधीपुरा रेलवे पर आरक्षण सुविधायें बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) दौरम माधेपुरा स्टेशन को 41 अप जानकी एक्सप्रेस में 13 शायिकाओं का और 153 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस में 2 शायिकाओं का कोटा आबंटित किया गया है।

(ख) पहले से आबंटित कोटा दौरम माधेपुरा से होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

**जयन्ती जनता एक्सप्रेस का मार्ग बदलने का प्रस्ताव**

7306. **श्री आर. पी. यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच गोरखपुर और बाराबंकी के रास्ते से होकर चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस का मार्ग बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक बदल दिया जायेगा और नया मार्ग कौन सा होगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**जानकी एक्सप्रेस का देर से चलना**

7307. **श्री आर. पी. यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जानकी एक्सप्रेस जो बिहार की प्रमुख गाड़ियों में से एक है काफी देर से चलती है ;

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी गत तीन वर्षों के दौरान माधीपुरा स्टेशन पर कितनी बार समय पर पहुंची ; और

(ग) इस गाड़ी को समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जनवरी, 82 से मार्च, 82 तक के दौरान 41 अप/42 डाउन जानकी एक्सप्रेस गाड़ी दौरान माधेपुरा स्टेशन पर क्रमश: 6 और 7 बार ठीक समय पर पहुंची ।

(ग) खतरे की जंजीर खींचे जाने, होस पाइप अलग कर देने और रेल इंजनों की खराबी के कारण 41/42 जानकी एक्सप्रेस का समय चालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है । कड़ी निगरानी रखी जा रही है और परिहार्य रुकावटों के सभी मामलों में उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है ।

**अस्पतालों में सफाई सुविधाओं के लिए केन्द्रीय योजना**

7308. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित किये जाने हेतु ऐसी कोई केन्द्रीय योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अंतर्गत अस्पतालों में बेहतर सफाई सुविधाएं देने के प्रावधान किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का नाम क्या है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों के किए गए वित्तीय नियतन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग)—ये प्रश्न नहीं उठते ।

**शिक्षा परिषद की मंजूरी के बिना एम. बी. ए. पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना**

7309. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट स्टडीज संकाय विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित शिक्षा परिषद की मंजूरी के बिना एम० बी० ए० का संशोधित पाठ्यक्रम पढ़ाता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संकाय ने उपर्युक्त पाठ्यक्रम के पहले सेमस्टर की परीक्षाएं ले ली हैं और उनके परिणाम 3 मार्च को घोषित किए गए ;

(ग) क्या शिक्षा परिषद् के सदस्यों द्वारा इन परीक्षाओं की वैधानिकता और घोषित किए गए परिणामों की वैधता को चुनौती दी जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने उपर्युक्त मामले में क्या स्पष्टीकरण दिया है ; और

(ङ) ऐसी प्रक्रिया को भविष्य में न अपनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रबन्ध अध्ययन संकाय ने एम. बी. ए. के अध्ययन पाठ्यक्रमों में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की थी जो 1981 में दाखिले से प्रभावी है । ये प्रस्ताव जुलाई, 1981 में शैक्षिक परिषद के समक्ष रखे गए थे क्योंकि अध्ययन पाठ्यक्रमों में किसी भी परिवर्तन से शैक्षिक परिषद का अनुमोदन अपेक्षित होता है । तथापि, शैक्षिक परिषद द्वारा इन सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया । इसी बीच संकाय ने शैक्षिक परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में जुलाई 1981 में एम. बी. ए. पाठ्यक्रम में दाखिल छात्रों को संशोधित अनुशंसित पाठ्यक्रमों को पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया ।

(ख) नवम्बर/दिसम्बर, 1981 में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सत्र की परीक्षा आयोजित की गई थी ।

(ग), (घ) और (ङ) शैक्षिक परिषद के एक सदस्य ने यह सूचना मांगी थी कि क्या कुलपति ने आपातकालीन शक्तियों के अन्तर्गत प्रबन्ध अध्ययन संकाय की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया था और क्या उन्होंने संशोधित पाठ्यक्रमों का भी अनुमोदन कर दिया था। यद्यपि आरम्भ में यह सूचित किया गया था कि कुलपति ने संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन में कोई आपातकालीन कार्रवाई नहीं की परन्तु बाद की जाँच से पता चला कि कुलपति ने वस्तुतः प्रथम सत्र की परीक्षा के लिए परीक्षकों की नियुक्ति करते समय ही अपने आपातकालीन शक्तियों के अन्तर्गत संशोधित पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया था। कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शैक्षिक परिषद को जनवरी 1982 में की गई थी और परिषद ने इसकी पुष्टि कर दी थी। मामले को मार्च, 1982 में शैक्षिक परिषद की बैठक में पुनः उठाया गया था, जब कुलपति ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल मार्च, 1981 में किए गए दाखिले के लिए तथा बाद के वर्षों में किए जाने वाले दाखिलों के लिए ही संशोधित पाठ्यचर्या को अनुमोदन प्रदान किया था। शैक्षिक परिषद, संकाय के प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने हेतु स्वतंत्र थी।

**खड़गपुर और भद्रक के बीच शटल गाड़ी चलाना**

7310. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में भारी यात्री यातायात की आवश्यकता पूरी करने के लिए खड़गपुर से भद्रक तक एक नई शटल गाड़ी चलाने हेतु बालासोर का संसद सदस्य मांग कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेल प्राधिकारियों ने कोई सर्वेक्षण और जांच की थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) यह शटल गाड़ी कब तक चलायी जायेगी ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सर्वेक्षण से पता चला है कि वर्तमान गाड़ी सेवाएं खड़गपुर और भद्रक के बीच होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं को पर्याप्ततः पूरी करती हैं। अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**नीलाचल एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन चलाना**

7311. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद और बनारस के बीच एक ही लाइन का स्टेशन होने के कारण लाइन क्षमता के कारण नीलाचल एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन नहीं चलाया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी को शेष चार दिनों मुगलसराय/इलाहाबाद के रास्ते से न चलाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप देने के लिए रेल मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है और नीलाचल एक्सप्रेस कब तक 'दैनिक गाड़ी' बनायी जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पूरे मार्ग में जिसमें इलाहाबाद-वाराणसी खंड भी शामिल है, कई उप खण्डों पर फालतू लाइन क्षमता के अभाव तथा कोचिंग स्टाक की कमी के कारण, 175/176 नीलाचल एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। मुगलसराय-इलाहाबाद खंड पर भी फालतू लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है। इस खण्ड पर लाइन क्षमता का पहले ही अधिकतम उपयोग हो रहा है। नीलाचल एक्सप्रेस को हर रोज चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**पाकिस्तान का तटस्थ जोन का विचार**

7312. **श्री चिन्तामणि जेना :**

**श्री माधव राव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या पाकिस्तान ने इस उपमहाद्वीप में 'तटस्थ जोन' का विचार उठाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और**

**(ख) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?**

**पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०शिव शंकर)। (क) जी नहीं।**

**(ख) प्रश्न नहीं उठता।**

**हिमाचल प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल**

7313. **प्रो. नारायण चन्द पाराशर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और ऊना में कामकाजी महिलाओं के होस्टल के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है; और**

**(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और इन प्रत्येक दोनों स्थानों पर निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?**

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) ऊना और हमीरपुर होस्टलों के लिए क्रमश: 8,08,288 रुपए और 5,65,784 रु. के सहायक अनुदान मंजूर किये गये थे। यह अनुदान चार बराबर की किश्तों में दिया जाएगा। संगठनों से आशा की जाती है कि वे यदि समयावृद्धि न माँगें तो पहली किश्त की प्राप्ति के बाद 18 महीनों की अवधि के भीतर परियोजना पूरी कर देंगे। ऊना के लिए पहली किश्त की धनराशि 9 अक्टूबर, 1981 को तथा हमीरपुर को 29 जुलाई, 1981 को भेजी गई थी। नगर-पालिका, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्माण किए जाने वाले होस्टल के मामले में उन्हें पहली किश्त के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट नहीं मिला है। नगरपालिका प्राधिकारियों और बैंक प्राधिकारियों से पूछा गया है कि वे परिस्थितियां बताएं, जिनके अन्तर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट नगर पालिका, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। तथ्यों का पता लगाने के बाद नगर-पालिका, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) को श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में एक और ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा।

**अध्ययन के लिए भाषाओं का चयन**

7314. **प्रो. नारायण चन्द पाराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की 9वीं और 10वीं कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाये जाने वाले अनिवार्य इलैक्टिव विषयों के अलावा एक अतिरिक्त/वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन के लिए भाषा के चयन के विकल्प का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उन भाषाओं के नाम क्या हैं जिनमें से छात्रों द्वारा एक विकल्प लिया जा सकता है तथा उनमें ऐसी कौन-कौन सी भाषाएं हैं: दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालय में उनके शिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अगले शिक्षा सत्र से छात्रों के लिए विकल्प की व्यवस्था कर दी जायेगी?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों को कक्षा IX तक अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत का अनिवार्य भाषाओं के रूप में अध्ययन करना होता है। कक्षा X में उन्हें अंग्रेजी और हिन्दी का अनिवार्य भाषाओं के रूप में अध्ययन करना होता है। फिर भी वे कक्षा X में एक अतिरिक्त भाषा के रूप में संस्कृत भी ले सकते हैं। इस पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करना एक भाषायी क्षेत्र से दूसरे भाषायी क्षेत्र में जल्दी-जल्दी स्थानांतरित होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को एक समान पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण

के माध्यमों द्वारा निर्बाध रूप से शिक्षा प्रदान करने के केन्द्रीय विद्यालयों की योजना के उद्देश्यों के विपरीत होगा।

**महिलाओं के लिए कालेज**

7315. **श्री भोकूराम जैन : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी दिल्ली में रिंग रोड के चारों ओर शालीमार बाग, प्रीतमपुरा, शकुरपुर आदि जैसी नई कालोनियों के लिए महिलाओं के लिए कालेज कब तक खोला जाएगा;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन के अधीन महिलाओं के लिए कालिन्दी कालेज को शालीमार बाग या प्रीतमपुरा में कालेजों के लिये निर्धारित भूमि आवंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय की इन कालोनियों में से किसी में भी महिला कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव किसी भी क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) कालिन्दी कालेज को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तय किया जाना है।

**छोटे/बड़े परिवारों के लिए प्रोत्साहन/अनुत्साहन**

7316. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए छोटे परिवार रखने पर अब तक मंजूर किए गए आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहनों और बड़े परिवार के अनुत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छोटे परिवार के सिद्धांतों के बारे में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) छोटे परिवार के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों और वर्ष 1982 में अब तक प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और कितनी राशि का उपयोग किया गया है और वर्ष 1982-83 के लिए आवंटित राशि कितनी है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी)** : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम को सिक्षा, प्रेरणा और रजामंदी के जरिए पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है । नसबन्दी आपरेशन तथा लूप निवेशन के सभी स्वीकारकर्त्ताओं को नसबन्दी आपरेशन करवाने के बाद स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के दौरान मजदूरी की हानि को पूरा करने के लिए उन्होंने मुआवजे का भुगतान करने की एक सी नीति है । पहली दिसम्बर, 1981 से पहले पुरुष/महिला नसबन्दी के स्वीकारकर्त्ता को 70 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था । इसके अलावा औषधियों, आहार, परिवहन, तथा विविध खर्चों को पूरा करने के लिए नसबन्दी आपरेशन करवाने वाली एजेंसियों को प्रत्येक महिला नसबन्दी आपरेशन कराने के लिए 50/- रुपये और प्रत्येक पुरुष नसबन्दी आपरेशन कराने के लिए 30/- रुपये का भुगतान किया जाता था । पहली दिसम्बर, 1981 से इन राशियों में जो संशोधन किया गया वह इस प्रकार है:—

**नसबन्दी आपरेशन**

| | महिला नसबन्दी संशोधित दरें (रुपये) | पुरुष नसबन्दी संशोधित दरें (रुपये) |
|---|---|---|
| स्वीकारकर्त्ताओं के लिए राशि | 70 | 70 |
| औषधियां और मरहम पट्टियां | 25 | 15 |
| आहार | 30 | 10 |
| परिवहन | 15 | 15 |
| विविध (प्रेरकों की फीस सहित) | 30 | 40 |
| योग | 170 | 150 |

आई० यू० डी० लगाने के मामले में प्रत्येक महिला को 8 रुपए का भुगतान भी किया जाता है ।

**अन्य राज्यों में 'पहियों पर महल' गाड़ी चलाना**

7317. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जयपुर के बीच रेलवे विभाग द्वारा प्राप्त किये गये अनुभव के आधार पर पर्यटन संवर्धन उपाय के रूप में अन्य राज्यों के पहियों पर महल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों के जोडे जाने की संभावना है;

(घ) इस पर अनुमानतया कितना व्यय होगा; और

(ङ) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**पटना के लिए उपनगरीय रेल गाड़ी की सुविधाएं**

7318. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना में यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां उप-नगरीय रेल गाड़ी की सुविधाएं लागू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार वहां इस व्यवस्था को कब तक लागू करने का है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसन्धान परिषद के निदेशक का पद**

7319. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक की नियुक्ति के नियमों के बारे में 3 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1972 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक का पद इस बीच भर लिया गया है, यदि हां, तो किस प्रकार और इस पदधारी के चयन का तरीका क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदवेन एम० जोशी) : (क) भारत सरकार के उप-सलाहकार (होम्योपैथी) अपने कार्य के साथ-साथ होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के निदेशक के वर्तमान कार्यों की भी निरन्तर देख रहे हैं।

(ख) इस पद को नियमित आधार पर भरने के लिये कार्यवाई की जा रही है।

## सेवा निवृत्त श्रेणी - I के गैर-चिकित्सा अधिकारियों को पुनः रोजगार के बारे में मार्ग निर्देश

7320. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय अथवा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से सेवा निवृत्त हो रहे श्रेणी एक के गैर-चिकित्सा अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, आई० सी० एस० आर० जैसे तथा अन्य स्वायत्तशासी निकायों में पुनः रोजगार देने के बारे में उनके मंत्रालय ने कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो क्या;

(ख) ऐसे सेवा निवृत्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1980-81 और 1981-82 के दौरान इन निर्णयों में पुनः रोजगार दिया गया;

(ग) चयन करने और पुनः रोजगार देने का तरीका क्या है तथा अधिक प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए उन पदों का विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन्हें पता है कि ऐसे पुनः नियुक्त किए गये अधिकारी अपनी सेवावधि के दौरान अपने सम्पर्क से ऐसे कार्य प्राप्त करने में समर्थ हैं और यदि हां, तो क्या इस अनैतिक प्रक्रिया को बन्द किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) नहीं।

(ख) (ग) और (घ) वह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

## केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथी के नए औषधालय खोलना

7321. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान राजधानी और अन्य स्थानों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथी के कुछ नए औषधालय खोले जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले ऐसे औषधालयों का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) 1982-83 के दौरान दिल्ली और हैदराबाद में एक-एक होम्योपैथी यूनिट खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) 1981-82 के दौरान कानपुर, पुणे और लखनऊ में एक-एक होम्योपैथी यूनिट खोला गया।

**"अनाक्रमण संधि" की पाकिस्तान की पेशकश के बारे अमरीका का विचार**

**7322. श्री एम. एम. कृष्ण : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधि सहित पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के भारत और पाकिस्तान के बीच "अनाक्रमण संधि" के बारे में अमरीकी मत को गुमराह करने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के संदर्भ में अमरीकी मत को भलीभाँति अवगत कराने के लिए उचित पुनरुत्तर दिया गया था ।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) से (ग) जी हां । भारत सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा लिखे पत्र की ओर दिलाया गया है जो 22 दिसम्बर, 1981 के 'न्यूयार्क टाइम्स" में छपा था । वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के प्रथम सचिव (प्रेस) ने उक्त समाचार-पत्र को एक पत्र भेजकर सरकार के विचारों से उसे उपयुक्त रूप से अवगत करा दिया था, यह पत्र 9 जनवरी, 1982 को प्रकाशित हुआ था । पत्र में "युद्ध न करने की सन्धि" को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाते हुए इस बात पर बल दिया गया था कि भारत-सरकार 1949 से ही इस प्रकार की सन्धि का प्रस्ताव करती आ रही है और स्वत: पाकिस्तान ही हमेशा इस पेशकश को अस्वीकार करता रहा है । पत्र में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि यह हैरानी की बात है कि एक ऐसे देश का प्रतिनिधि, जो 32 वर्षों तक भारत की पेशकश पर टाल-मटोल करता रहा, इतनी अधीरता दिखाए जब कि पाकिस्तान की पेशकश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भारत ने मुश्किल से एक महीने का समय लिया है ।

रेलवे दुर्घटनाओं से अनुचित लाभ उठाना

7223. श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1982 के ब्लिट्स (बम्बई के हिन्दी साप्ताहिक) में 'रेल दुर्घटनाओं से भी लाखों के बारे-न्यारे' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब पन्द्रह वर्षों में अधिकारी, पर्यवेक्षक और श्रमिक के बीच अनुपात में वृद्धि होने से कार्य-कुशलता में कमी हो रही है ;

(ग) गत दश वर्षों में सुरक्षा उपायों से पूर्व रेल गाड़ियों को चलाने में वृद्धि होने से दुर्घटनायें हो रही हैं ; और

(घ) दुर्घटनाओं के दौरान और इनके बाद क्षतिग्रस्त डिब्बों की बिक्री, प्रक्रिया, मुआवजे के लिए पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाना और अधिकारियों के यात्रा भत्ते आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि गाड़ियों की निर्धारित संरक्षा जांच किए बिना उन्हें चलने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(घ) क्षतिग्रस्त चल स्टाक का निपटान, यात्रियों को क्षतिपूर्ति और अधिकारियों को यात्री भत्ते का भुगतान कड़ाई से नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है ।

भारत को रूसी और क्यूबन सलाहकार रखने वाला देश प्रदर्शित करना

7324. श्री चिन्तामणि जैना : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, जिसमें "यू० एस० आर्गेनाइजेशन आफ दि ज्वाइन्ट चीफ आफ स्टाफ" द्वारा जारी किए गए एक प्रकाशन का हवाला दिया गया है तथा भारत को रूसी और क्यूबन सलाहकार रखने वाला देश दर्शाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ग) सरकार का ध्यान यू० एस० आर्गेनाइजेशन आफ दि ज्वाइन्ट चीफ आफ स्टाफ द्वारा जारी किये प्रकाशन की ओर दिलाया गया जिसके पृष्ठ 7 पर भारत को ऐसे देश के रूप में बताया गया है जिसके पास रूसी और क्यूबार्न सलाहकार हैं। यह उल्लेख तथ्यतः गलत है और इसे अमरीका के विदेश विभाग और रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के ध्यान में लाया गया है। इन अमरीकी अधिकारियों ने ऐसा भ्रामक लेख छापने के लिए अमरीका की भूल को स्वीकार किया है और बताया है कि रक्षा विभाग की अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है।

**रेलवे विकास के लिए स्ववित्त पोषण**

7325. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का छठी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के लिए योजना आयोग द्वारा अपर्याप्त आबंटन को देखते हुए विकास प्रयोजनों के लिए नई रेल लाइनों के निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए अपने ही वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों का स्वरूप क्या है और इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पारपत्र कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या**

7326. **श्री निहाल सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक पारपत्र कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने कितनी कीमत की पासपोर्ट-बुक-लेट्स मुद्रित करवाई हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न बिवरण में दी गई है।

(ख) पिछले दो वर्षों में यानी 1980 और 1981 के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों के लिए छपवाई गई और सप्लाई की गई पासपोर्ट पुस्तिकाओं पर 1,23,44,866 रुपये खर्च हुए।

विवरण

भारत में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के लिए संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या का विवरण

| क्र. सं० | पासपोर्ट कार्यालय का स्थान | प्रत्येक कार्यालय के लिए संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 65 |
| 2. | बंगलौर | 43 |
| 3. | भोपाल | 20 |
| 4. | भुवनेश्वर | 14 |
| 5. | बम्बई | 270 |
| 6. | कलकत्ता | 47 |
| 7. | चण्डीगढ़ | 71 |
| 8. | कोचीन | 139 |
| 9. | दिल्ली | 99 |
| 10. | गोहाटी | 10 |
| 11. | हैदराबाद | 81 |
| 12. | जयपुर | 51 |
| 13. | जलन्धर | 99 |
| 14. | कोजीकोड | 86 |
| 15. | लखनऊ | 69 |
| 16. | मद्रास | 166 |
| 17. | पटना | 16 |
| 18. | शिमला | 2 |
| 19. | श्री नगर | 12 |
| | कुल योग : | 1360 |

## छात्र-वृत्तियों का विकेन्द्रीयकरण

7327. श्री वी. वी. देसाई : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के उम्मीदवार लाभान्वित हों, छात्र-वृत्ति दिए जाने के लिए चयन पद्धति का विकेन्द्रीयकरण करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस समय प्रतिभा का पता लगाने तथा छात्र-वृत्तियाँ देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन करता है ;

(ग) कब अब बनाये गए प्रस्ताव के अनुसार चयन दो चरणों में किया जायेगा, प्रथम राज्य स्तर पर परीक्षा के माध्यम से ;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्य मुख्य मूद्दे क्या हैं जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के उम्मीदवार लाभान्वित होंगे ; और

(ङ) प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विहार में कितने केन्द्र खोले जाएंगे और किन किन स्थानों पर उनकी स्थापना की जाएगी ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत प्रतिभा का पता लगाने तथा छात्रवृतियां प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित करती है। योजना को विकेन्द्रित करने का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के विचाराधीन है जिनके अन्तर्गत प्रथम स्तर का चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा ताकि राज्य सरकारें चयन पद्धति में अधिकाधिक भाग ले सकें। यह आशा की जाती है कि इससे प्रतिभा का व्यापक रूप से पता लगाने में सहायता मिलेगी तथा अंतिम चयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के छात्र अधिक संख्या में आयेंगे।

(ङ) 1982 की परीक्षा बिहार में 20 केन्द्रों पर, संलग्न सूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, आयोजित की जायेगी।

विवरण

बिहार में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, 1982 के लिए केन्द्रों की सूची

1. राजकीय हाई स्कूल, आरोह (भोजपुर)।
2. जिला स्कूल, भागलपुर ।
3. राजकीय हाई स्कूल, छपरा (सारन)।
4. जिला स्कूल चौबासा (सिंहभूमि) ।
5. नार्थ बिरूक जिला स्कूल, दरभंगा।
6. जिला स्कूल, दुम्का, संथाल परगना।
7. धनबाद जिला स्कूल, जगजीवन नगर धनबाद ।
8. राजकीय माध्यमिक हाई स्कूल, डेल्ट-मराज, जिला पलागू ।
9. जिला स्कूल, गया।
10. जिला स्कूल, हजारी बाग ।
11. राजकीय हाई स्कूल मुजफ्फरपुर ।
12. जिला स्कूल, मोतीहारी, चम्पारन ।
13. जिला स्कूल, मुंगेर ।
14. नेतरहाट आवासी स्कूल, नेतरहाट पलामु वाया राँची ।
15. जिला स्कूल, पूर्णिया ।
16. पटना कालेजिएट स्कूल, बंकीपुर, पटना।
17. केन्द्रीय विद्यालय, कंकर बांग, पटना ।
18. राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, राँची ।
19. राजकीय हाई स्कूल, सहरसा।
20. पटना हाई स्कूल, गरधानी बाग, पटना।

साने समिति का प्रतिवेदन

7328. श्री रेणुपद दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० सी० साने समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) लगता है कि माननीय सदस्य का आशय औषधि परामर्शदात्री समिति द्वारा

नियुक्त उप उप-समिति से है जिसके अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, बम्बई के खाद्य और औषध प्रशासन के तत्कालीन आयुक्त श्री वी. सी. साने थे ।

साने समिति द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें 10-12-1981 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 3076 के उत्तर में बताई जा चुकी हैं । जैसा कि पहली अप्रैल, 1982 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 6453 के उत्तर में बताया गया है, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

**"संघ क्षेत्रों में चल रहे वाहन"**

7329. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 के दौरान प्रत्येक संघ क्षेत्र (नाम देते हुए) में कुल कितनी बसें मिनी बसें, आरामदायक कारें चल रही हैं ;

(ख) श्रेणीवार राज्य उपक्रमों और प्राइवेट मालिकों के ऐसे कितने वाहन हैं ;

(ग) अनुमानित मांग के अनुरूप आगामी तीन वर्षों के दौरान सड़क पर कुल कितने अतिरिक्त उपरोक्त मोटर—वाहन लाये जाने का विचार है ;

(घ) श्रेणी का उल्लेख करते हुए प्रत्येक वर्ष में कितने किराये पर लिए गए वाहन लाये गए हैं और वे किन शर्तों पर किराए पर लिए गए थे ; और

(ङ) क्या किराए पर लिए गए वाहनों को अस्थायी परमिट दिए गए थे और क्या दिल्ली अथवा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के अस्थायी निवासियों पर ऐसे परमिटों के लिए आवेदन-पत्र देने पर रोक लगाई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) से (ङ) संघ क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**जवारलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक केन्द्र को निलम्बित किया जाना**

7330. **श्री राम विलास पासवान :**
**श्री हरिकेश बहादुर : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का कोई केन्द्र निलम्बनाधीन हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस केन्द्र का नाम क्या है, इसे कब निलम्बित किया गया था और इसे निलम्बित किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसे केन्द्र के निलम्बन से पूर्व क्या सरकार ने इसके कार्यकरण की कोई जांच कराई थी, यदि हाँ, तो जांच समिति के क्या निष्कर्ष थे ; और

(घ) इस केन्द्र का वर्तमान स्तर क्या है, क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय को इस केन्द्र को पुनर्जीवित करने हेतु कोई ज्ञापन मिला है, यदि हाँ, तो उस ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जबकि विज्ञान नीति अध्ययन केन्द्र के कार्यकरण की कोई जाँच नहीं की गई, फिर भी, विश्वविद्यालय ने केन्द्र के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की थी । समिति ने सिफारिश की कि प्रशासनिक ढांचे के रूप में केन्द्र को तक तक के लिए निलम्बित कर दिया जाए जब तक इसे पुन: आरम्भ करने की अपने आप में स्पष्ट आवश्यकता न हो । विश्वविद्धालय की कार्यकारी परिषद ने फरवरी, 1980 में इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया ।

(च) एक संसद सदस्य से प्राप्त ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया कि केन्द्र के कार्यकरण को बाहरी कारणों से निलम्बित कर दिया गया था । इसे विश्वविद्यालय के नोटिस में ला दिया गया था । विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1982 में केन्द्र के शैक्षिक क्रियाकलापों को पुन: आरम्भ करने और इसे सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया ।

"हिजिली ज्वार नहर और उड़ीसा तट नहर का सर्वेक्षण"

7331. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किनारे से हिजिली ज्वार नहर और उड़ीसा तट नहर का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) नहर की गाद निकालने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में, उड़ीसा तटीय नहर हीजिली तिडल नहर के सुधार के लिए कोई प्रावधान नहीं है । तथापि केन्द्रीय अर्न्तदेशीय जल परिवहन बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों और मुख्य इंजीनियर और प्रशासक अर्न्तदेशीय जल परिवहन

निदेशालय के द्वारा नहर का संयुक्त निरीक्षण किया जाना था । नहर के पश्चिम बंगाल के भाग का संयुक्त निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है और उड़ीसा के भाग का काम जल्द ही पूरा होने वाला है । संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारें इन नहरों के सुधार कार्य के लिए योजनायें बनायेंगी ।

**"दामोदर घाटी निगम की सिंचाई नहर की नागेम्यता"**

7332. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के विशेषज्ञ ने दुर्गापुर से त्रिवेणी, हुगली तक दामोदर घाटी निगम की सिंचाई नहर और मिदनापुर में हिजिली स्वार नहर की नागेम्यता के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) और (ख) फ्रेंच विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त, 1981 में प्रस्तुत की है उसमें निम्नलिखित मुख्य बातें हैं :

(i) यदि स्तर बनाये रखा गया तो तत्काल 6 फुट की गहराई तक नौचालन संभव है । 7 फुट गहराई के साथ केवल 4 स्थानों पर बार वेसेल्स काम कर सकता है ।

(ii) यूरोपीय नहरों की तुलना में यह नहर बहुत ही अच्छी, चौड़ी और गहरी है । "फ्रांस में कैनाल ड्यू नौर्ड', से जो इसी स्तर की है प्रत्येक लाकेज पर 750 टन की क्षमता के कम्बीनेशन गुजरते हैं । और वहाँ के 5 मिलियन टन से अधिक का यातायात होता है । जहाँ तक नौचालन का प्रश्न है, डी. वी सी का परिचालन "बलीगिश पीनिच" टाईप के सेल्स प्रोपैण्ड वजरों से किया जा सकता है जैसा कि बिना किसी सरंचनात्मक परिवर्तन के उनका प्रयोग यूरोपियन नहरों में होता है ।

(iii) वाष्पण और सीपेज की कमी महत्वपूर्ण नहीं है । नौचालन से टेल-लाक पर पानी की कमी हो जाएगी और यह कमी दूर करने के लिए कोई तरीका निकाला जा सकता है ।

(ग) फ्रेंच विशेषज्ञ इस वर्ष के शुरू में पुनः भारत आये और 1.2.1982 को कलकत्ता में उनसे उनकी रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें नौवहन और परिवहन मन्त्रालय दामोदर घाटी

निगम, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस विषय पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और अन्तर्देशीय जल परिवहन की आर्थिक स्थिति और नहर की गतिशीलता को मद्दे नजर रखते हुए क्राफ्ट के अपेक्षित प्रकार तैयार किए जा रहे हैं।

**स्त्रियों का बेचा जाना**

7333. **श्री दौलत राम सारण :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार स्त्रियों के अवैध और अनैतिक व्यापार तथा उन्हें खरीदने और वेचने के कितने मामलों का पता चला है ; और

(ख) इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) और (ख) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**पीलिया रोग**

7334. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1957-58 में पीलिया रोग ने दिल्ली में महामारी का रूप धारण कर लिया था तथा सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो पीलिए के पुनः फैलने को रोकने के लिए इस समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे ; और

(ग) इस पीलिया रोग की रोकथाम हेतु समिति की नियुक्ति के समय गंदे नालों का कितना पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता था और ऐसे गंदे नालों की संख्या क्या थी तथा इस समय गंदे नालों का कितना पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है और गंदे नालों की संख्या कितनी है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) जी, हां।

(ख) पीलिया फैलने के कारणों की जाँच-पड़ताल करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी, उस के सुझाव विवरण -I में दिए गए हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1955 में 16 कालोनियों का मल-जल नजफगढ़ नाले में डाला जा रहा था जो बाद में यमुना में डाल दिया जाता था। उस समय यमुना में कितना मल-जल डाला जाता था, उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय जन प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय किन-किन नालों का कितना-कितना पानी यमुना में छोड़ा जाता है उसकी सूचना विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-I

**1955-56 के दौरान दिल्ली में पीलिया फैलने के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए गठित की गई समिति की शिफारिशें**

1. पानी के रासायनिक और जीवाण्वीय विश्लेषण में बरती जाने वाली सावधानी में कदापि छूट नहीं दी जानी चाहिए और उसके निष्कर्षों का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब कोई प्रतिकूल निष्कर्ष ध्यान में आए तो तत्परता से उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

2. इन्जीनियरिंग प्राधिकारियों को केवल पानी की मात्रा पर ही नहीं वरन उसकी गुणपरकता पर भी बराबर ध्यान देना चाहिये।

3. दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों से जिन-जिन अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए और अपने-अपने इलाकों में होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी असामान्य घटनाओं की रिपोर्टें शीघ्र देने के लिए उन्हें अपने परिधिस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

4. जन स्वास्थ्य अधिकारियों की मनोवृत्ति को बदला जाना चाहिए ताकि वे अपनी उस पुरानी धारणा को त्याग दें कि उन्हें केवल हैजा, चेचक और प्लेग जैसे संक्रामक रोगों की ओर ही तत्काल ध्यान देना है। इसके बजाए उन्हें चाहिए कि वे बहुत से लोगों को एक साथ होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें।

5. संयुक्त जल-मल निकास बोर्ड के इंजीनियर-सचिव की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।

6. नागरिकों की जरूरतों से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए एकल केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण का गठन होने से संयुक्त मल-जल निकास बोर्ड का एक अलग अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

7. यदि एकल प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाये तो मौजूदा संयुक्त मल-जल निकास बोर्ड अधिनियम की शक्तियों में यथोचित संशोधन करके उस बोर्ड की शक्तियां और कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया जाये ताकि बोर्ड केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अलग रहकर अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके और स्वास्थ्य प्राधिकारियों का सहयोग प्राप्त करके यथोचित तालमेल बिठा सके।

8. नदी के बहाव के बारे में खडकवास्ला अनुसंधान स्टेशन के निदेशक से जो सलाह मिले, उसे कार्यान्वित किया जाए। निदेशक से यह भी अनुरोध किया जाए कि वह पानी के अनुप्रवाह वाले छोर पर एक "एनीकट" का निर्माण करने की संभाव्यता पर विचार करें ताकि पानी आसानी से निकाला जा सके।

9. यमुना की जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिए हिण्डन नदी या हिण्डन-कट से पानी प्राप्त करने की संभाव्यता का पता लगाया जाए।

10. नहर के पानी की स्थायी आधार पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई प्राधिकारियों के साथ मिलकर संतोषजनक व्यवस्था की जाये।

11. नजफगढ़ नाले और यमुना के वर्तमान संगम स्थल पर इसके अनुप्रवाह को मोडने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। यदि इस कार्य में लम्बा समय लग जाने की आशंका हो तो शुष्क मौसम के दौरान इन नाले के अनुप्रवाह वाले भाग में उसे और आगे से मौड़ने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस वर्ष (1956) की गर्मियों के समाप्त होने से पहले-पहले यह कार्य कर लिया जाना चाहिए।

12. शहर के उत्तरी और पश्चिमी भागों से ओखला में आने वाले मल-जल की सफाई के प्रश्न की छान-बीन की जानी चाहिए और यदि इसे व्यावहारिक पाया जाए तो इस संबंध में तेजी से कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्यथा, पश्चिम और उत्तर के लिए दो स्वतंत्र मलजल सफाई संयंत्रों की स्थापना का कार्य शुरू करके उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाना चाहिए।

13. जब तक शहर के उत्तरी और पश्चिमी भागों को मल-जल की सफाई और उसकी पूर्ति की स्थायी सुविधाएं नहीं होती तब तक चन्द्रावल में पानी के सुपर क्लोरीनेशन तथा डी-क्योरीनेशन की ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका इस्तेमाल थोड़े समय के नोटिस पर भी किया जा सके।

विवरण -दो

घरेलू मल जल को प्रदूषण की मात्रा

| क्रम सं० | नाले का नाम | बेसिन क्षेत्र वर्ग कि मी. | | बेसिन की कुल जन-संख्या | ई.एल.ओ. डब्ल्यू. के.एल.डी. | बी.ओ डी. कि. ग्रा./दिन | टी.डी. एस. कि. ग्रा./दिन | टी.एस.एस. कि. ग्रा./दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नजफगढ़ | 153.6<br>678.4 | ग्रा<br>ग्रा | 1450000 | 270000 | 72500 | 145000 | 72500 |
| 2 | मैगजीन रोड़ | 0.3 | | 2300 | 400 | 115 | 230 | 115 |
| 3 | स्वीपर कालोनी | 0 3 | | 2600 | 400 | 130 | 260 | 130 |
| 4 | खैबर पास | 0.4 | | 3700 | 560 | 185 | 370 | 185 |
| 5 | मैटाकाफ हाउस | 1.1 | | 10300 | 1200 | 515 | 1030 | 515 |
| 6 | कुदसिया बाग | 2.6 | | 23300 | 5000 | 1165 | 2330 | 1165 |
| 7 | मोट | 2.0 | | 18700 | 3000 | 935 | 1870 | 935 |
| 8 | जमुनापर वाले नगर निगम | 9,7<br>39.3 | श<br>ग्रा | 104500 | 32000 | 5225 | 10450 | 5225 |
| 9 | मोरी गैट | 2.6 | | 23300 | 4000 | 1165 | 2330 | 1165 |
| 10 | सिविलमिल | 3.4 | | 30400 | 5000 | 1520 | 3040 | 1520 |
| 11 | पावर हाउस | 3.6 | | 30200 | 5000 | 1510 | 3020 | 1510 |
| 12 | सैन नर्सिग होम | 10.8 | | 92500 | 14000 | 2625 | 9250 | 4625 |
| 13 | नं० 14 | 2 4 | | 20500 | 3000 | 1025 | 2050 | 1025 |
| 14 | बारापुल्ला | 138.0 | | 82800 | 12500 | 41400 | 82800 | 41400 |
| 15 | महारानीबाग | 8.4 | | 77700 | 11000 | 3885 | 7770 | 3885 |
| 16 | कालकाजी | 6.1 | | 56000 | 9000 | 2800 | 5600 | 2800 |
| 17 | तुगलकाबाद | 21.5 | | 172000 | 26000 | 8600 | 17200 | 8600 |
| | योग | 1084.5 | | 2946000 | 514560 | 147300 | 294600 | 147300 |

0.05 कि० ग्रा०/प्रति व्यक्ति दिन के हिसाब से ।

0.1 कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति/दिन के हिसाब से ।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के भीतर ।

श० और ग्रा०—शहरी और ग्रामीण ।

**देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या और उन्हें दी गई सहायता**

7335. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने विश्वविद्यालय हैं और वर्ष 1981-82 के दौरान उनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितनी राशि का अनुदान दिया है ; और

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कितने नए विश्वविद्यालय खोलने का विचार है और वे कहां खोले जाने का विचार है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं सहित विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वित्तीय वर्ष 1981-82 अभी समाप्त ही हुआ है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों की कुल राशि अभी संकलित की जानी है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1981-82 के दौरान उड़ीसा में पुरी, आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर, तमिलनाडु में तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर तथा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में छः विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

**विवरण**

विश्वविद्यालयों की संख्या

| राज्य के नाम | केन्द्रीय विश्वविद्यालय | राज्य विश्वविद्यालय | विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं | कुल |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र | 1 | 8 | 2 | 11 |
| असम | — | 3 | — | 3 |
| बिहार | | 9 | 1 | 10 |
| गुजरात | | 8 | 1 | 9 |
| हरियाणा | — | 3 | | 3 |
| हिमाचल प्रदेश | — | 2 | — | 2 |
| जम्मू तथा कश्मीर | — | 2 | — | 2 |
| कर्नाटक | — | 6 | 1 | 7 |
| केरल | — | 4 | — | 4 |
| मध्य प्रदेश | — | 10 | | 10 |
| महाराष्ट्र | — | 10 | 1 | 11 |
| मणिपुर | - | 1 | — | 1 |
| मेघालय | 1 | — | — | 1 |
| उड़ीसा | — | 5 | — | 5 |
| पंजाब | | 3 | — | 3 |
| राजस्थान | — | 3 | 1 | 4 |
| तमिलनाडु | — | 8 | 1 | 9 |
| उत्तर प्रदेश | 2 | 17 | 2 | 21 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 8 | — | 9 |
| चण्डीगढ़ संघीय क्षेत्र | — | 1 | — | 1 |
| दिल्ली संघीय क्षेत्र | 2 | — | 3 | 5 |
| कुल | 7 | 111 | 13 | 131 |

**कौमार्य परीक्षण**

7336. **श्री सुभाष यादव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन जाने वाली भारतीय स्त्रियों को ब्रिटेन के लन्दन हवाई अड्डे में अभी तक कौमार्य परीक्षण देना पड़ता है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय स्त्रियों से इस प्रकार का परीक्षण रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर):** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ब्रिटेन की सरकार ने फरवरी, 1979 को लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन के समक्ष अपना "गहरा खेद" व्यक्त किया था । ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा था कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं उससे यह सुनिश्चित होगा कि दुबारा इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी ।

**"सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत पत्तन न्यास के मामले"**

7337. **श्री सुभाष यादव :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967 से 15 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत पत्तन न्यास के मामलों पर कार्यवाही पूरी न करने के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** पत्तन न्यास की सम्पत्ति पहले सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अधीन "सरकारी स्थान" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती थी । इस अधिनियम में दिसम्बर 1980 में संशोधन किया गया । और पत्तन न्यास की संपत्ति को अब "सरकारी स्थान" की परिभाषा के अन्तर्गत लगाया गया है ।

**"मध्य प्रदेश में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा करना"**

7338. **श्री सुभाष यादव :**

**डा० बसन्तकुमार पंडित :**

**श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी राजधानियों की राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ/जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई नया प्रस्ताव भी भेजा है कि कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में कौन से मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो कब ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) जी, नहीं। दादरा और नगर हवेली, पाँडिचेरी लक्षद्वीप और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ देश में सभी राज्यों की राजधानियों के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद हैं। इस समय, उनकी राजधानियों के लिए मौजूदा राजमार्ग उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) अक्तूबर 1981 में, मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 13 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव किया था। परन्तु धनाभाव के कारण भारत सरकार किसी भी राज्य में किसी भी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ है और यही बात मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए भी लागू है।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों की मांगें**

7339. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1982 के "इंडियन एक्स-प्रेस" की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों ने आयोग के अध्यक्ष को अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के अनुभाग अधिकारियों को प्राप्त वेतनमान की तुलना में भिन्न-भिन्न हैं जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अन्य सभी वर्गों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के समान हैं ।

(ग) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी इस कारण वेतनमान की समानता के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों द्वारा की गई अन्य मांगें क्या हैं और इनमें से कितनी मांगें स्वीकार की गई हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में, अनुभाग अधिकारियों के लिए दो वेतनमान हैं, अर्थात् 650-1040 रुपये और 840-1200 रुपये, जब कि भारत सरकार में 650-1200 रुपए का एक समान वेतनमान है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कर्मचारी संघ, अनुभाग अधिकारी के पद के लिए 650-1200 रुपये के एक समान वेतनमान की माँग करता रहा है ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी संघ द्वारा की गई अन्य मुख्य माँगें हैं –कुछ अतिरिक्त पदों का सृजन करना, विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों को नियमित/स्थायी करना, लिफ्ट चालकों और प्रूफ रीडरों के वेतनमान संशोधित करना बिना किसी परीक्षा के 50 प्रतिशत के आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर सभी शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति करना, कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना, अवर सचिवों और शिक्षा अधिकारियों के कार्यभार पुनः आबंटित करना, चयन ग्रेड तथा समयबद्ध पदोन्नति, बि० आ० के कर्मचारियों के लिए आवास परिसर की व्यवस्था करना आदि ।

समिति ने इन माँगों पर विचार करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है ।

**जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन का ज्ञापन**

7340. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

**श्री चित्त बसु :**

**श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

**श्री जी एम० बनातवाला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन ने मार्च, 1982 में सरकार को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बातें क्या थीं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस ज्ञापन में डाक्टरों द्वारा उठाये गये मुद्दों की जाँच की है ;

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ङ) इसमें उठाये गये मुद्दों को सरकार ने किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) जूनियर डाक्टरों के संघ के अखिल भारतीय परिसंघ से 4 फरवरी, 1982 का एक ज्ञापन मिला है जिसमें परिसंघ ने प्रति व्यक्ति फीस और अल्पावधि चिकित्सा पाठ्यक्रमों को समाप्त करने की मांग की है।

(ग), (घ) और (ङ) भारत सरकार मेडिकल कालेजों में छात्रों की भर्ती के लिए प्रति व्यक्ति फीस लेने की प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है।

जहां तक अल्पावधि चिकित्सा पाठ्यक्रमों का संबंध है, चुंकि सैकड़ों की संख्या में छात्र स्नातक डाक्टर बन रहे हैं, इसलिए सरकार का विचार है कि लाइसेंसिएट चिकित्सा पाठ्यक्रम को आरम्भ करने का कोई औचित्य नहीं है।

**"डी०टी०सी रेश आफ सेक्स, रिएम्प्लायमेंट" शीर्ष समाचार**

7341. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी०टी०सी० रेश आफ सेक्स, रि-एम्प्लायमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) व 1981 और 1982 में अब तक दिल्ली परिवहन निगम के कितने ड्राइवरों और कंडक्टरों के खिलाफ दुर्व्यवहार और दुराचरण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) समाचार पत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कुछ अनियमितताएं करने का आरोप लगाया गया है, जैसे जिन ड्राइवरों/कंडक्टरों को पहले निकाल दिया या उन्हें तदर्थ आधार पर पुनः नौकरी में रखना, बिना किसी प्रक्रिया का अनुपालन किए भर्ती करना, अनुशासनात्मक मामलों का विलम्ब से निपटान करना आदि / दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि निगम ने जो प्रशासनिक कार्रवाई की/निर्णय किए है वे नियमों/विनियमों के अन्तर्गत ही किए गए हैं और इनमें कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(ग) 1981 और 1982 (फरवरी तक) में दिल्ली परिवहन निगम के कंडक्टरों और ड्राइवरों द्वारा अभद्र व्यवहार करने की प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है :—

| वर्ष | शिकायतों की संख्या | |
|---|---|---|
| | दिल्ली परिवहन निगम | दि०प०नि० के परिचालन के अधीन चल रही प्राइवेट बसें |
| 1981 | 250 | 168 |
| 1982 (फरवरी तक) | 53 | 35 |

(घ) इन सभी शिकायतों पर, जहां जांच करने पर आरोप सिद्ध हो गये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। प्राईवेट बसों के मामले में, दिल्ली परिवहन निगम और आपरेटरों के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार जुर्माने किए जाते हैं।

**रेल गाड़ियों में उपलब्ध पेय जल और भोजन का स्तर**

7342. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रा के दौरान रेल गाड़ियों में साफ पेयजल उपलब्ध कराने तथा गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन के स्तर की जांच करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : पीने के शुद्ध पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये, उन स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर, जहां पानी के पाइप बिछे हैं, पर्याप्त संख्या में पानी के नलों/जलशीतकों की व्यवस्था है। अन्य स्टेशनों पर पानी वाले तैनात किये जाते हैं जो पीने योग्य जल के मटकों तथा घड़ों को ट्रोलियों पर रखकर यात्रियों को पानी पिलाते हैं। प्लेटफार्मों तथा प्रतीक्षालयों में पीने के पानी से भरे मटकों और घड़ों के लिये उपयुक्त छतदार स्थान की भी व्यवस्था की जाती है।

यात्रियों को पानी सप्लाई करने के लिये लम्बी दूरी की कुछ चुनींदा गाड़ियों में जेरी-केनों तथा पानी के कंटेनरों की व्यवस्था की जाती है। उपर्युक्त स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराव की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है ताकि यात्री पीने का पानी प्राप्त कर सकें। गर्मियों में पानी वाले पीने के पानी से भरी वाल्टियां लेकर भी यात्रियों को पानी पिलाते हैं; पेंट्री कारों में पानी जमा रखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है और भोजन के साथ पानी की सप्लाई की जाती है।

सामान्यत: परोसने के लिये तैयार भोजन, जिसे यात्रियों को देने के लिये गाड़ी में रखा जाता है। मार्गवर्ती सुविधाजनक स्थैतिक स्थानों पर वरिष्ठ खान-पान कर्मचारियों तथा अनुभवी रसोइयों की कड़ी देखरेख में साफ-सुथरे वातावरण में आधार रसोईघरों में पकाया जाता है। यात्रियों को भोजन की सप्लाई करने से पहले उसे अनिवार्यत: चख कर देखा जाता है। इसके अलावा, आधार रसोईघरों तथा अन्य खान-पान स्थापनाओं (स्थैतिक तथा चल दोनों) का बार-बार निरीक्षण किया जाता है और वाणिज्यिक तथा चिकित्सा विभागों के अधिकारियों तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा अचानक जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल भोजन की किस्म ही अच्छी है अपितु उसे साफ-सुथरे वातावरण में भी तैयार किया गया है। इन स्थापनाओं से विश्लेषणात्मक परीक्षणों के लिये नमूने भी इकट्ठे किये जाते हैं।

**पालघाट डिवीजन में यांत्रिक विभाग के कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जाना**

7343. **श्री जार्ज फर्नांन्डिज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पालघाट डिवीजन में 'यांत्रिक मकेनिकल' विभाग के 500 से भी अधिक अस्थायी कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है और उन्हें सेवामुक्त किया जायेगा;

(ख) यदी हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें अन्य विभागों में काम देने की रेलवे की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) गाड़ियों के डीजलीकरण तथा डीजल रेल इंजनों के बेहतर उपयोग के परिणाम-स्वरूप शेरुवण्णूर स्थित भाप इंजन शैड और छोटे-छोटे डिपुओं के बन्द कर देने के कारण लगभग 700 कर्मचारी फालतू हो गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 203 कर्मचारियों को पालघाट और तिरुवनन्तपुरम् मंडलों में अन्य कोटियों में तथा रेल सुरक्षा बल में समाहित कर लिया गया है, 70 कर्मचारियों को डीजल प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है, 200 कर्मचारियों को नयी गतिविधियों में समाहित किये जाने की सम्भावना है और शेष कर्मचारियों को अन्य मंडलों/यूनिटों में समाहित कर लिया जायेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**बरारीघाट और महादेवपुर घाट के बीच फेरी-सर्विस**

7344. **श्री जार्ज फर्नान्डिज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी रेलवे पर बरारीघाट और महादेवपुर घाट के बीच रेलवे फेरी-सर्विस को तथा भागलपुर और बरारीघाट के बीच रेल सेवा को दिनांक 11 मार्च, 1982 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन सेवाओं को स्थायी रूप से समाप्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे का क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ये सेवायें पुनः कब शुरू की जायेंगी?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) बरारी-घाट और महादेवपुर घाट के बीच रेल फेरी सेवा 11 मार्च, 1982 से बन्द कर दी गयी है। जिन गाड़ियों को पहले बन्द कर दिया गया था, उन्हें पुनः चला दिया गया है।

(ख) चूंकि राज्य सरकार के लाईसेंस के अधीन फेरी-सेवायें बरारीघाट और महादेवपुर घाट के बीच चल रही हैं और रेल फेरी सेवाओं के लिये इस्तेमाल में लाये जा रहे जलयान अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं और उन्हें चलाना असुरक्षित हो गया था, इसलिये रेल फरी सेवाओं को बन्द कर देना पड़ा।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार के लाइसेंस के अधीन फेरी सेवाएं बरारीघाट और महादेवपुर घाट के बीच चल रही हैं और यात्री यातायात को समुचित ढंग से सम्हाल रही है।

(ङ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**बेसिन-ब्रिज पर केबल हाऊस**

7345. **श्री एम. अरुणाचलम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर बेसिन-ब्रिज में एक केबल हाऊस है जो दूर संचार निरीक्षक के बल के अन्तर्गत केबल कर्मचारियों का मुख्यालय है;

(ख) क्या यह सच है कि केबज कर्मचारी लम्बी अवधि से अपनी उपस्थिति इस केबल हाऊस में लगाते थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिण रेलवे के ए०एस०टी०ई०/एक्स, मद्रास ने केबल स्टाफ को मद्रास में स्थित एक्सचेंज में उपस्थिति अंकित करने और उसके बाद केबल हाऊस बेसिन-ब्रिज के लिये रवाना होने के आदेश दिये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि एक्सचेंज में उपस्थिति अंकित करने के बाद कर्मचारियों को कार्य-स्थल पर जाने हेतु सामान लेने के लिये केबल हाऊस जाने में डेढ़ घण्टा लगता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्टाफ का मुख्यालय मद्रास मानते हुये क्योंकि स्टाफ मद्रास में मस्टर पर साईन करता है, उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देने का है; और

(च) जन शक्ति और राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग करने वाली इस नई पद्धति को शुरू करने के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी हां। केवल कुछ कर्मचारियों को बेसिन-ब्रिज जाना होता है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**मस्तिष्क ज्वर के टीके के उत्पादन के लिए जापान के साथ करार**

7346. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल देश के अनेक भागों में फैले हुये मस्तिष्क ज्वर को नियंत्रित करने हेतु मस्तिष्क ज्वर के जापानी टीके का उत्पादन करने सम्बन्धी करार को अन्तिम रूप देने के लिये जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में हुए करार की मुख्य बातें और शर्तें क्या हैं और अनुदान का उपयोग किस ढंग से करने का विचार किया गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में जापानी मस्तिष्क-ज्वर के टीके का उत्पादन करने के लिए जापान आयात किए गए अपेक्षित उपकरणों के लिये 50 करोड़ येन (लगभग 115

लाख रुपए) की सहायता देने को सहमत हो गया है । जापान सरकार टीके के उत्पादन के लिए तकनीकि जानकारी, रसायन और उपकरण आदि देने के लिए भी मान गई है । इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

**माल और यात्री परिवहन के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय परमिट**

7347. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान माल ढोने के लिए तथा यात्रियों के परिवहन के लिए कितने-कितने वाहनों को राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक गाड़ियों के और पर्यटक यात्रियों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक बसों के जितने परमिट दिए जा सकते है, उनकी संख्या केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है । परमिटों का नियतन वार्षिक आधार पर नहीं किया जाता । परमिटों का नियतन राज्य परिवहन अधिकरणों द्वारा भी वार्षिक आधार पर नहीं किया जाता है । इससे पहले आवेदन पत्र मांगने के लिए विज्ञापन देने की, आक्षेप मांगने की और फिर संवीक्षा आदि करने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाती है । केन्द्रीय सरकार ने अब तक विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कुल 16,600 राष्ट्रीय परमिट नियत किए हैं । प्रत्येक राज्य सरकार और दिल्ली संघ राज्य के लिए टूरिस्ट परमिट 50 बसों और 200 मोटर कैब के लिए हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों ने अब तक कुल 10360 राष्ट्रीय परमिट अपनी बसों के लिए 748 आल इंडिय टूरिस्ट परमिट और मोटर कैब्ज के लिए 2081 आल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी किए हैं ।

**पहियों पर महल गाड़ी को केवल दूसरी श्रेणी के डिब्बों के साथ चलाने का प्रस्ताव**

7348. **श्री जय नारायण रौत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पहियों पर महल गाड़ी' में केवल दूसरी श्रेणी के डिब्बे जोड़ने और उसे समान रूट पर चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पर्यटकों को यह सुविधा कब उपलब्ध करा दी जाएगी ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों में कर्मचारियों की संख्या**

7349. **श्री हरिहर सोरन :**

**श्री बीरभद्र सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संकाय में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं तथा वे किन पदों पर हैं ;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों का आरक्षण करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में संकाय के कर्मचरियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या संलग्न बिवरण में दी गई है । संकाय में अनु० जा०/अनु० ज० जाति के सदस्यों के नाम एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर यथा समय रख दिए जायेंगे ।

(ग) और (घ) 1975 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया था कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में लैक्चररों के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए । केन्द्रीय विश्वविद्या-लयों के मामले में आरक्षण की प्रतिशतता केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के आधार पर होगी । आयोग ने आरक्षण के इन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों का सुझाव भी दिया था ।

**विवरण**

(बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जिसके संबंध में 1-1-1980 की स्थिति दी गई है को छोड़कर 1-1-1981 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रोफेसरों/ रीडरों की कुल संख्या | अनु० जा०/अनु० ज०जा० के प्रोफेसरों/ रीडरों की संख्या | लैक्चररों की संख्या | अनु० जा०/ अनु० ज० जा० के लैक्चररों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अलीगढ़ | 368 | – | 562 | — |
| 2. | बनारस | 631 | — | 679 | 3 |
| 3. | दिल्ली | 393 | 1 | 277 | 2 |
| 4. | हैदराबाद | 57 | — | 47 | — |
| 5. | जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय | 151 | — | 134 | 3 |
| 6. | उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय | 65 | 5 | 116 | 47 |
| 7. | विश्व भारतीय | 91 | — | 178 | 3 |

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डों में माता-पिता के नामों को सम्मिलित किया जाना**

7350. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने लाभ प्राप्तकर्ताओं के माता-पिता के नाम यदि उनके नाम राशन कार्ड में हैं अथवा नहीं, उनके सी० जी० एच० एस० कार्डों में सम्मिलित हैं।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान उनमें से कितने व्यक्तियों ने अपने माता-पिता का वहां इलाज कराया है ;

(ग) क्या उस स्थिति में कार्डों में माता-पिता का नाम सम्मिलित कराने का कोई औचित्य है, जबकि वे लाभ-प्राप्त-कर्ताओं के साथ नहीं रह रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** ; (क) से (घ) सी. जी. एच एस. कार्डों में माता-पिता के नाम "परिवार" शब्द की परिभाषा के आधार पर सम्मिलित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं :—

> "परिवार—सी. जी. एच. एस. कार्ड होल्डर का पति और पत्नी जो भी हो, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया निर्भर बच्चे अथवा सौतेले बच्चे और माता-पिता जो उन पर मुख्यत: आश्रित हैं और उनके साथ रहते हैं ।"

सी. जी. एच. एस कार्डों में प्रविष्ट करने से पहले सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा उनके माता-पिता की आय और रहाइश के बारे में एक घोषणा दी जाती है और इस सम्बन्ध में राशन कार्ड नहीं देखे जाते । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में माता-पिता को दिए जाने वाले इलाज के बारे में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

**गुटीन्देलुर सेक्शन पर दोहरे रेलपथ की पटरियाँ बिछाना**

7351. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटीनन्देलुर जंकशन लाइन पर दोहरे रेलपथ के लिए पटरियां बिछाने का काम शुरू किया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलपथ की लम्बाई कितने किलोमीटर है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) गुत्ती-नन्दलूर खण्ड पर कुड्डप्पा और मकरपेट के बीच (16.53 कि. मी.) दोहरी लाइन मौजूद है । गुत्ती-रायलचेरुव खण्ड (23.65 कि. मी.) और कोंडापुरम-मद्दनूरु खण्ड (23.69 कि. मी. ) में दोहरी लाइन बिछाने का काम प्रगति में है । शेष खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**केन्द्रीय विद्यालयों का कार्यकरण**

7352. **श्री टी० आर०शमन्ना** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के "प्रिन्सिपलस् फोरेम" की ओर से यह अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनके सम्पूर्ण सेवा-काल (अर्थात् उनकी पिछली सेवा) को पेंशन तथा अन्य लाभों का निर्धारण करने के लिए हिसाब में जोड़ा जाए ; और

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के प्रिंसिपलों के इस अनुरोध की जांच की है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण** मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) मामला केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है ।

**हल्दिया और फरक्का को जोड़ने वाले पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता**

7353. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया और फरक्का को जोड़ने वाले राजमार्ग और कुछ पुलों के निर्माण संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव के मामले पर उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन** मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कुछ दिन पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने 1980-85 योजना में अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम अथवा आर्थिक महत्व के अधीन ऋण सहायता के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे थे जिसमें हल्दिया-फरक्का सड़क पर 5.94 करोड़ रुपए की लागत से तीन पुलों के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है । तथापि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

**भोगपुर और पंसकुरा के बीच स्टेशन**

7354. **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोगपुर रेलवे स्टेशन और पंसकुरा रेलवे स्टेशन के बीच में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्टेशन का क्या नाम होगा ;

(घ) स्टेशन का पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक सही-सही स्थल क्या होगा ;

(ङ) क्या यह सच है कि जिस स्थान पर स्टेशन बनाने का शुरू में निर्णय लिया गया था, उसे बाद में बदल दिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) भोगपुर और पांशकुड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच कि० मी० 67.346 पर एक फ्लैग स्टेशन का निर्माण करने के प्रस्ताव को 1982-83 के बजट में शामिल किया जा चुका है ।

(ग) और (घ) हावड़ा से कि० मी० 67.346 पर अर्थात भोगपुर स्टेशन के पश्चिमी छोर पर लगभग 3·346 कि० मी० दूर स्थित इस स्टेशन का नाम नारायण पोकुरिया मुरैल है ।

(ङ) और (च) जी हां । अनिवार्य ऊपरी उपस्कर संरचना को हटाये जाने से बचने के लिए तकनीकी आधार पर मूल स्थल को बदल कर खड़गपुर छोर की ओर 200 मीटर दूर स्टेशन बनाया गया है ।

## निरक्षरता की प्रतिशतता

7355. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निरक्षरता की प्रतिशतता क्या क्या है और निरक्षरता की प्रतिशतता का राष्ट्रीय औसत क्या है ; और

(ख) कौन-कौन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निरक्षरतता की प्रतिशतता अधिकतम है और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, भारत में (असम को छोड़ कर) निरक्षरता की दर 63.92% है । भारत में विभिन्न राज्यों में निरक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

असमानताओं को दूर करने के लिए जो विशेष कदम उठाए जा रहे हैं वे इस प्रकार है :-

i) प्रारम्भिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा सहित) को छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग बना दिया गया है।

ii) 6-14 आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यापकता के प्रसार और प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन को नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

iii) प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

iv) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना और राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय औसत से नीचे साक्षरता की दर वाले जिलों/क्षेत्रों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है ।

**विवरण**

1981 की जनगणना के आधार पर निरक्षरता की अनन्तिम दरें :

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कुल जनसंख्या की निरक्षरता की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 70.06 |
| 2. | असम | — |
| 3. | बिहार | 73.99 |
| 4. | गुजरात | 56.25 |
| 5. | हरियाणा | 64.16 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 58.06 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 73.83 |
| 8. | कर्नाटक | 61.59 |
| 9. | केरल | 30.83 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 72.18 |

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कुल जनसंख्या की निरक्षरता की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 11. | महाराष्ट्र | 52.63 |
| 12. | मणिपुर | 58.01 |
| 13. | मेघालय | 66.78 |
| 14. | नागालैंड | 58.01 |
| 15. | उड़ीसा | 65.88 |
| 16. | पंजाब | 59.26 |
| 17. | राजस्थान | 75 95 |
| 18. | सिक्किम | 66.17 |
| 19. | तमिलनाडु | 54.22 |
| 20. | त्रिपुरा | 58.42 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 72.62 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 59.12 |
| | **संघ शासित क्षेत्र** | |
| 1. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 48 73 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 79.91 |
| 3. | चंडीगढ़ | 35.32 |
| 4. | दादर और नागर हवेली | 73.40 |
| 5. | दिल्ली | 38.94 |
| 6. | गोवा, दमन और द्वीप | 44.14 |
| 7. | लक्ष्य द्वीप | 45.28 |
| 8. | मिजोरम | 40.50 |
| 9. | पांडिचेरी | 45.77 |

**उड़ीसा में रेलवे कैन्टीनें**

7356. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कुल कितनी रेलवे कैंटीनें चल रही हैं और इन कैंटीनों को गैर सरकारी लोगों को देने के क्या आधार हैं ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा चलायी जा रही ऐसी कैंटीनों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या कैंटीन चलाने के लिए राज्य के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का कोई परिभाषित सिद्धांत है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) विभागीय तौर पर प्रबन्धित 6 खान पान यूनिटों के अलावा 38 खान पान/बेंडिग यूनिट है । जब कभी रिक्तियां होती हैं, क्षेत्रीय रेलें समाचार-पत्रों के माध्यम से और/या स्टेशन के नोटिस बोर्डों पर सूचनाएं प्रदर्शित करके आवेदन-पत्र आमंत्रित करती हैं । इस प्रकार प्राप्त आवेदन-पत्रों की एक जांच समिति द्वारा छानबीन की जाती है और गुण-दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेके दिए जाते हैं बशर्ते कि उनके अधिमान का क्रम इस प्रकार हो :—

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ।

(2) वास्तविक कर्मकारों/वेंडरों की सहकारी समितियां ।

(3) महिला समितियां ।

(4) वैयक्तिक बेरोजगार स्नातक ।

(5) स्वतन्त्रता सेनानी ।

(6) अन्य ।

लेकिन, वर्तमान योजना के अनुसार, सभी खानपान/वेंडिग ठेकों के 1/2 यूनिट के बराबर ठेके एकमात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहते हैं ।

(ख) 2.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति ।

(ग) यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए हैं फिर भी, स्थानीय लोगों को छोटे वेंडिंग ठेके प्रदान करने में वरीयता दी जाती है ।

**खुर्जा जंक्शन से चलने वाली गाड़ी को पुनः शुरू किया जाना**

7357. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष अर्थात् वर्ष 1981 तक हापुड़, दिल्ली, फरीदाबाद होते हुए एक रेल गाड़ी खुर्जा जंक्शन से पलबल तक चलती थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी को रद्द करने के क्या कारण थे ;

(ग) इस गाड़ी को खुर्जा जंक्शन से पुनः चलाना कब शुरू कर दिया जायेगा ; और

(घ) उत्तर रेलवे द्वारा हाल में किन-किन स्थानों से चलने वाली गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खुर्जा तथा निजामुद्दीन के बीच एक गाड़ी चलती थी और इन गाड़ी का रैक निजामुद्दीन और पलवल के बीच शटल के रूप में कार्य करता था । खुर्जा निजामुद्दीन गाड़ी को कम उपयोगी होने के कारण खुर्जा तथा हापुड़ के बीच 1.4.1981 से रद्द कर दिया गया था । इस गाड़ी को हापुड़-खुर्जा खंड पर पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3876/82] ।

## सहायता प्राप्त स्कूलों में फालतू शिक्षक

7358. श्री त्रिलोक चन्द : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 15 जुलाई, 1 81 को दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में कैडरवार, कितने-कितने शिक्षक, पुरुष और महिला फालतू थे ;

(ख) दिनांक 15 जुलाई, 1981 को दिल्ली के सहायता-प्राप्त स्कूलों में श्रेणी वार और स्कूल वार, कितने-कितने पद रिक्त पड़े हुए थे और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ प्रबन्ध समितियां पद रिक्त होने पर भी उन पर फालतू शिक्षकों को नियुक्ति नहीं करती हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 15-7-81 की यथा स्थिति के अनुसार फालतू अध्यापकों की संख्या इस प्रकार थी :

| श्रेणी | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| स्नातकोत्तर अध्यापक | 44 | 15 |
| प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक/ भाषा अध्यापक | 29 | 26 |
| अन्य अध्यापक | 12 | 23 |

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में कोई अध्यापक फालतू नहीं है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के सहायता प्राप्त स्कूलों में स्थिति इस प्रकार है :

| | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| स्नातकोत्तर अध्यापक | 71 | 30 |
| प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक/ भाषा अध्यापक | 78 | 38 |
| अन्य अध्यापक | 100 | 35 |

दाखिलों में घट-बढ़ होने के कारण अधिकांश रिक्त स्थान होते हैं । नई दिल्ली नगर पालिका के सहायता प्राप्त स्कूलों में कोई पद रिक्त नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि स्कूलों में सहायक अध्यापकों के छः पद रिक्त थे और चुने हुए उम्मीदवारों की नामिका उपलब्ध न होने के कारण इन्हें भरा नहीं जा सका ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समितियां, नियोक्ता प्राधिकारी होने के नाते, कभी-कभी अन्य सहायता प्राप्त स्कूलों में फालतू कार्मिकों को अपने स्कूलों में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त नहीं समझती ।

**पोर्टब्लेयर में छोटी-मोटी मरम्मत के लिए प्रतीक्षा कर रहे जहाज**

7359. **श्री दया राम शाक्य** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक-एक करोड़ रुपये की लागत वाले जहाज, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट-ब्लेयर में गत डेढ़ वर्षों से छोटी-मोटी मरम्मत कराने के लिए खड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर में कुछ जलयान मरम्मत के लिए दो वर्षों से पड़े हुए हैं। एक जलयान मरम्मत के लिए 1977 से पड़ा हुआ है। स्टॉक में समान उपलब्ध न होने मुख्य भूमि और सामान की खरीद में विलम्ब तथा मजदूरों और वर्कशाप सुविधाओं की कमी इसके कारण हैं। हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे कि मरम्मत कार्य शीघ्र किया जा सके।

**पोर्ट-ब्लेयर में जहाज की मरम्मत करने की सुविधायें**

7360. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट-ब्लेयर के ड्राई डाक-यार्ड में एक समय में मरम्मत के लिए कितने जहाज चढ़े हो सकते हैं ; और

(ख) इस समय वहां मरम्मत के लिए कितने जहाज खड़े हैं और वे कब-कब से वहाँ मौजूद हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) पोर्ट-ब्लेयर के वर्तमान ड्राई-डाक साइज 63 X 15 X2.7 मी० में 200 फीट लम्बा और 9 फीट जल डुबाव का एक बोट, हैंडल किया जा सकता है।

(ख) फरवरी, 1982 के अनुसार 2 से 22 महीने तक की अवधि के लिए 11 जहाज मरम्मत के लिए खड़े थे और एक जहाज 1977 से है।

**पोर्ट-ब्लेयर और देश के अन्य भागों के बीच जहाज का अत्यधिक भाड़ा**

7361. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जहाजों के अत्यधिक भाड़े के कारण बहुत से पर्यटक पर्यटन-स्थलों की यात्रा करने में असमर्थ रहते हैं, सरकार पोर्ट-ब्लेयर और देश के अन्य भागों के बीच चल रहे जहाजों के भाड़े को घटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : सरकार इस समय किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

**विभिन्न रेल दुर्घटना जांच समितियों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों के नाम**

7362. **श्री एस० ए० दोराई सेबिस्तियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान रेल दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए गठित की गयी विभिन्न जाँच समितियों के अध्यक्ष कौन-कौन थे ;

(ख) इन जांच समितियों की सिफरिशों पर क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) ऐसी कितनी जांच समितियों द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट देनी शेष है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) 1980-81 के दौरान और 1981-82 में फरवरी, 1982 तक भारत की सभी सरकारी रेलों पर 2054 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन दुर्घटनाओं की जाँच का कार्य आमतौर पर रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाता है या विभागीय जांच समितियों द्वारा किया जाता है जिसमें विभिन्न विभागों के रेल अधिकारी सम्मिलित होते हैं। किसी विभागीय जांच के स्तर का निर्धारण प्रत्येक दुर्घटना के स्वरूप को देखकर किया जाता है।

इन सभी दुर्घटनाओं की जांच की गयी है और स्वीकार की गयी शिफारिशों के आधार पर उपर्युक्त कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

सभी जांच समितियों के सदस्यों के नाम संकलित करना तथा साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी सिफारिशों के आधार पर की गयी कार्रवाई को भी संकलित करना एक वृहत कार्य है और ऐसा करने में जो श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

**पूमपुहर शिपिंग कारपोरेशन द्वारा बल्गेरिया से जहाज खरीदने के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता**

7363. **श्री एस० ए० दोराई सेबिस्तियन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की पूमपुहर शिपिंग कारपोरेशन ने बल्गेरिया से तीन जलपोत खरीदने के लिए वर्ष 1979 में शिपिंग डेवेलपमेंट फन्ड कमेटी" वित्तीय सहायता की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य के कारण हुआ था कि तमिलनाडु सरकार ने बल्गेरिया के साथ हुए करार को एक पक्षीय रूप से तोड़ दिया था ; और

(घ) वित्तीय सहायता की स्वीकृति देने के लिए शिपिंग डेवेलपमेंट फन्ड कमेटी'' की क्या शर्तें हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल ) : (क) जी हां ।**

(ख) जी नहीं । चूंकि तमिलनाडू सरकार ने बुल्गारिया से जहाजों को खरीदने का विचार छोड़ दिया था इसलिए उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ।

(ग) तमिलनाडू सरकार ने बुल्गारिया से जहाजों को खरीदने का विचार छोड़ दिया था क्योंकि उनके अनुसार बल्गारियन प्राधिकरण अपने आश्वासन के वावजूद कि 24 मार्च, 1979 के करार के मुताविक मूल्य संशोधन पर दुवारा विचार विमर्श नहीं होगा, मूल्य संशोधन की मांग कर रहे थे ।

(घ) शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी नौवहन कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों पर वित्तीय सहायता देती है ।

I. उस नौवहन कंपनी को जिसे सहायता दी गई है 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ता है । यदि नौवहन कंपनी शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी द्वारा निर्धारित कर्ज की शर्तों को पूरा करता है और देय तारीख पर या उसके पहले कर्ज की अदायगी कर देता है तो उस कंपनी को 7.5 प्रतिशत वार्षिकी की एक रियायती दर लगाया जाता है । भारतीय शिपयार्डों में बने जहाजों के मामले में इस व्याज दर का 6.75 प्रतिशत वार्षिक है ।

II. कर्ज लेने वाली नौवहन कंपनी को उचित जमानत देनी पड़ती है जिससे कि कर्ज की 12 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए और यह मौजूदा फलीट या बैंक गारन्टी आदि जैसी जमानत देकर करनी पड़ती है ?

III. कर्ज लेने वाली नौवहन कंपनी को 6 : 1 के अनुपात में ऋण इक्वटी रखना पड़ता है ।

IV विभिन्न प्रकार के जहाजों संबंधी कर्ज की अदायगी 14 से 17 वर्षों में की जाती है जिसमें 1 से 2 वर्ष की जैसी भी स्थिति हो ब्याज सम्बन्धी छूट दी जाती हैं । सेंकेंड हैंड जहाजों के लिए ऋण की वापसी । वर्ष के मोरोटौरियम सहित जहाज की दो तिहाई अवशिष्ट आयकर अवधि के अन्दर ही करनी होती है।

V कर्ज लेने वाली नौवहन कंपनी को पूर्णतया नौवहन व्यापार में लगा होना चाहिए ।

VI उस नौवहन कंपनी को जिसे सहायता दी गई है, को अपने निदेशकों के बोर्ड में डेवलपमेंट फंड कमेटीज के दो मनोनीत व्यक्तियों को रखना पड़ता है ।

**रेलवे अस्पतालों की संख्या में वृद्धि**

7364. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान विभिन्न रेलवे जोनों में खोले गए रेलवे अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) दक्षिणी पूर्व रेलवे में खोले गए इस प्रकार के रेलवे अस्पतालों की संख्या (डिवीजनवार) कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के खुर्दा रोड डिवीजन में खोले गए रेलवे अस्पतालों की संख्या अपर्याप्त है ;

(घ) यदि हां, तो क्या 1982-83 में दक्षिण पूर्व रेलवे के इस डिवीजन में कुछ और अधिक रेलवे अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास है ; और

(ङ) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) पांच ।

(ख) यद्यपि कोई नया अस्पताल नहीं खोला गया है, किन्तु निम्नलिखित अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की गयी है :—

| | बिस्तरों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 1971-72 | 1980-81 |
| गार्डनरीच | 241 | 250 |
| खड़गपुर | 366 | 386 |
| आद्रा | 182 | 192 |
| टाटा | 35 | 55 |
| बोंडागुंडा | 25 | 35 |
| बिलासपुर | 70 | 102 |

(ग) दक्षिम-पूर्व रेलवे के खोरधा रोड मण्डल के रेल कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोरधा रोड में 50 बिस्तर वाला एक मण्डल अस्पताल है ।

(घ) और (ङ) इस आवश्यकता को पूरा करने तथा न्यू मंचेश्वर वर्कशाप के लगभग 4000 कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव अभी तैयार किये जा रहे हैं ताकि उन्हें मंचेश्वर वर्कशाप के अनुमानों में शामिल किया जा सके । इस विस्तार के लिए योजना बनाने का काम शुरू कर दिया गया है ।

**छठी योजना के दौरान टन-भार अर्जन कार्यक्रम पर मतभेद**

7365. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि में निगम टन-भार अर्जन कार्यक्रम के बारे में उनके मंत्रालय और भारतीय नौवहन निगम के बीच कुछ मतभेद हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच मतभेद किस प्रकार के हैं ; और

(ग) कितने जलपोतों को खरीद किए जाने का विचार था, मतभेदों के कारण क्या हैं और कहां से इन जलपोतों की खरीद किए जाने का विचार था ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) अपने विस्तार कार्यक्रम (1981-83) के प्रथम चरण में भारतीय नौवहन निगम का 21 जहाज खरीदने का प्रस्ताव है । इसमें से तीन जहाज भारतीय शिपयार्डों से खरीदने का और शेष जहाज विदेश से खरीदने का प्रस्ताव है । निगम के अन्तिम प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

**भारतीय नौवहन निगम के जलपोतों की मरम्मत**

7366. **श्री नवीन रवाणी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के कितने जलपोत खराब पड़े हुए हैं और कब से ; और

(ख) उनकी मरम्मत कराए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

**पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय अस्पताल की स्थापना**

7367. **श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान में, भारत भर से खासतौर पर बिहार से आने वाले गंभीर रोगों वाले मरीजों की बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ रहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार का केन्द्रीय अस्पताल खोलने की कोई योजना सरकार के पास है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क), (ख) और (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय अस्पताल खोलने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मौजूदा सुविधाओं को उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत निरन्तर बढ़ाया जा रहा है।

**77 के ग्रुप की बैठक**

7368. **श्री बी. वी. देसाई : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मार्च, 1982 के महीने में आयोजित हुई 44 विकासशील देशों की तीन-दिवसीय दक्षिण-दक्षिण बातचीत से एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शुरू करने हेतु विश्वव्यापी बातचीत आरम्भ करने के सम्बन्ध में लम्बी अडचनों को दूर करने में ग्रुप 77 को अपार सहायता मिली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार, 77 ग्रुप की आगामी बैठक के लिए कोई विशेष शिष्टमंडल नहीं भेज रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) हाल ही में सम्पन्न हुई बैठक में 77 के ग्रुप द्वारा क्या निर्णय लिए गए?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) 22 से 21 फरवरी, 1982 तक 44 विकासशील देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच सम्पन्न नयी दिल्ली विचार-विमर्श के दौरान सार्वभौम वार्ता के प्रश्न पर व्यापक विचार-विनिमय किया गया था । इस बैठक में इस महत्वपूर्ण बात पर सहमति प्रकट की गयी कि 77 देशों का समूह दृढ़ और लचीला बना रहे यानी—संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संख्या 34/138 में निहित सार्वभौम वार्ता के मूलभूत उद्देश्यों के प्रति दृढ़ और अपने दृष्टिकोण और नीतियों में लचीला ।

बाद में न्यूयार्क में 77 देशों के समूह के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । सार्वभौम वार्ता शुरू करने से सम्बन्धित संकल्प के प्रश्न पर इस समूह के देशों के बीच एक समान दृष्टिकोण कायम हुआ है । भारत सरकार द्वारा 77 देशों के समूह की सभी बैठकों में प्रतिनिधि भेजे जाने की प्रथा नहीं है । सार्वभौम-वार्ता के सिलसिले में 77 देशों के समूह की हाल ही में सम्पन्न बैठक में न्यूयार्क स्थित हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था । उन्होंने नई दिल्ली विचार-विमर्श में भी भाग लिया था और नई दिल्ली विचार-विमर्श में भाग लेने के बाद न्यूयार्क जाने से पहले उन्हें इस बारे में पूरी तरह अवगत करा दिया गया था ।

(घ) 77 देशों का समूह सार्वभौम वार्ता शुरू करने के बारे में महासभा की स्वीकृति के लिए औपचारिक रूप से एक संक्षिप्त संकल्प के प्रारूप के रूप में एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखने पर सहमत हो गया हैं । इस संकल्प के प्रारूप की मुख्य बातें संलग्न विवरण में बतायी गयी हैं । इस समय उक्त प्रारूप पर अन्य देशों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 3877/82)

**अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के सम्बन्ध में भारत-बांगला देश वार्ता**

7369. श्री बी. वी. देसाई : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांगला देश के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार सम्बन्धी पुनरीक्षित समझौते पर 4 मार्च, 1982 को कोई निर्णय नहीं हो सका;

(ख) यदि हां, तो जलयान समझौते पर गतिरोध के मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या बांगला देश भारतीय जलपोतों को दिन-रात अपने क्षेत्राधिकार वाले जल मार्ग का प्रयोग करने में सक्षम बनाने हेतु उच्च जहाजरानी सुविधायें प्रदान करने का इच्छुक नहीं है;

(घ) क्या ढाका, भारत को उनकी शर्तों पर सहमत होने के लिए दबाव डालने का प्रयास कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ढाका के साथ एक स्वीकार्य समझौता करने के लिए इस बारे में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीता राम केसरी)** : (क) और (ख) भारत और बांगला देश के बीच इनलैंड वाटर ट्रांजिट एण्ड ट्रेड सम्बन्धी संशोधित प्राटोकाल पर जनवरी, 1982 में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान, संशोधित प्राटोकाल के कुछ मुद्दों पर समझौता हुआ था। यह निर्णय हुआ था कि जिन मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हुआ, उन पर विचार-विमर्श करने के लिए वार्ता ढाका में जारी रखी जाए। अतः इसमें कोई गतिरोध पैदा नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) इस वार्ता को जारी रखने के लिए भारतीय शिष्टमंडल के शीघ्र ढाका जाने की संभावना है।

**हिन्द महासागर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बैठक**

7370. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र के रूप में 11 वर्ष पुरानी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना किए जाने की भारत ने पेशकश की है।

(ख) क्या अनुमानतः 1982 में सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव की, अमेरिका तथा इसके समर्थक देशों द्वारा, जिन्होंने घोषणा को पुराना बताया और उसमें संशोधन का सुझाव दिया, विरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अमेरिका द्वारा किए गए विरोध के बावजूद भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया गया है और 1983 में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिवशंकर)** : (क) इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति का अधिवेशन हाल ही में सम्पन्न हुआ है। सभी गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिनमें भारत भी शामिल है, यह प्रस्ताव रखा कि 1983 के पूर्वार्द्ध से पहले होने वाले हिन्द महासागर सम्बन्धी प्रस्तावित सम्मेलन की कार्यसूची के आधारभूत तत्व तय करने के लिए एक अन्तर-अधिवेशन कार्यकारी दल की स्थापना की जाए। इस मुद्दे पर आम सहमति न होने के कारण कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया जा सका।

(ख) और (ग) तदर्थ समिति में अमरीकी प्रतिनिधि ने यह संकेत दिया कि यदि यह सम्मेलन "हम सब को स्वीकार्य नये और रचनात्मक सिद्धांतों" पर आधारित हो और राजनीतिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी वातावरण में सुधार हो जाए, जिसमें अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं की वापसी भी शामिल है, तो वह इस सम्मेलन में भाग ले सकता है। गुट निरपेक्ष देश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे कि यह सम्मेलन बुलाया जाये और यह कि सभी महाशक्तियां इसमें भाग लें और यह सम्मेलन 1983 के पूर्वार्द्ध से पहले ही हो जिसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प संख्या 36/90 में पुनः पुष्टि की गयी हैं। तदर्थ समिति में समझौता न होने के कारण यह कहना मुश्किल हैं कि यह सम्मेलन 1983 में कब बुलाया जाएगा।

**जंग लग जाने के कारण हटाये गये डिब्बे**

7371. **श्री रामजेठ मलानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल डिब्बों की संख्या कितनी है जिन्हें उन नोकदार टोटियों और हौजों से, जो आधुनिक डिब्बों की डिजाइन के अनुसार न तो उचित हैं और न आवश्यक, अनधिकृत रूप से पानी बहने के परिणामस्वरूप जंग लग जाने के परिणामस्वरूप एक साथ काम लाना बन्द कर दिया गया ;

(ख) क्या मरम्मत की आवश्यकता का प्रमाण पत्र, वास्तविक रूप में मरम्मत किया जाना और मरम्मत हेतु खर्चे का अनुमान लगाया जाना सभी तीनों कार्य एक ही स्तर पर किए जा रहे हैं;

(ग) क्या मरम्मत की आवश्यकतायें बनावटी तौर पर पैदा की जाती हैं और डिब्बों की 20/40 दिन तक काम में लाने से रोक दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप भारी खर्चे होते हैं; और

(घ) इस तरह की नई मरम्मत से (डिब्बों को रोके जाने सहित) की औसत लागत कितनी है और पुराने जीर्ण-शीर्ण डिब्बों को फिर से बनाने में कितनी लागत आयेगी ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु जंग की मात्रा के आधार पर एक डिब्बे की जंग की मरम्मत की औसत लागत 30,000 रुपये से 50,000 तक आती है।

**हास्पिटल कार्पोरेशन इन्टरनेशनल की स्थापना**

7372. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ औद्योगिक और व्यापारिक गृहों द्वारा, विदेशों में बसे भारतीय डाक्टरों को अपनी पूंजी और अनुभव के साथ भारत आने हेतु आकर्षित करने के लिए हास्पीटल कारपोरेशन इंटरनेशनल नाम से एक गैरसरकारी कम्पनी स्थापित करने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या प्रस्तावित कम्पनी, भारत में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा सहायता जुटाने के लिए गैर-सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की एक श्रृंखला शुरू करेगी; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस योजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) से (ग) हास्पीटल कारपोरेशन इंटरनेशनल नाम की गैर-सरकारी कम्पनी स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को नहीं मिला है । वैसे, विभिन्न स्थानों पर अस्पताल खोलने और विदेशों में बसे भारतीय डाक्टरों को भी आकर्षित करने के लिए औद्योगिक और व्यापारिक गृहों तथा अन्य लोगों से कुछ प्रस्ताव अवश्य मिले है । तत्संबंधी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

**नि:शुल्क पासों का पुन: शुरू किया जाना**

7373. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रेलों में नि:शुल्क पास जारी किया जाना शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो 'गोल्डन' और नि:शुल्क पास जारी किये जाने के लिए निर्धारित नये मार्गदर्शी सिद्धान्त और प्राथमिकतायें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान मितव्ययिता अभियान के रूप में भारतीय रेलवे के 466 प्रथम श्रेणी के नि:शुल्क पास रद्द किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो कितने नि:शुल्क पास और कितने गोल्डन पास जारी किये गये हैं और जिन व्यक्तियों को ये पास जारी किये गये हैं उनके राज्यवार नाम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) गैर रेल कर्मचारियों/संगठनों को मानार्थ पास रेल मंत्री जी के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किये जाते हैं। ऐसे पास जारी करने के लिए निर्धारित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

1. सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेल-कूद और शैक्षिक गतिविधियों में लगे संस्थान और संगठन तथा जिनका कार्य अखिल भारतीय स्वरूप का हो।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्ग और उपेक्षित वर्ग महिलाओं, नेत्रहीनों और अपंग व्यक्तियों आदि के कल्याण में लगे संगठन।

3. राष्ट्रीय महत्व के कार्य में नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके लिए उन्हें बार-बार यात्रा करनी पड़ती है।

स्वर्ण पास सामान्यत: गैर-रेल कर्मचारियों को जारी नहीं किये जाते। अलग-अलग व्यक्तियों/संगठनों को जारी किये गये सभी मानार्थ कार्ड पास 13-8-81 से रद्द कर दिये गये थे।

जो मानार्थ कार्ड पास अभी भी जारी हैं उनका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है।

विवरण

1. श्री डी०पी० केलकर, निदेशक, राजा दिवाकर केलकर म्यूजियम पुणे के नाम पहले दर्जे का एक कार्ड पास (पहले दर्जे में एक साथी सहित)।

2. मदर टेरेसा की अध्यक्षता वाले एक संगठन मिशनरीज आफ चेरिटी, कलकत्ता का दो वहिनों के नाम दूसरे दर्जे का एक कार्ड पास।

3. श्री शीलभद्रयाजी, उपाध्यक्ष, आ०एन०ए० मार्टर मेमोरियल कमेटी के नाम पहले दर्जे का एक कार्ड पास (दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित)।

4. श्री एस०एल० रत्नाकर, महासचिव, नेहरू कल्याण संघ के लिए पहले दर्जे में एक सहयोगी सहित पहले दर्जे का एक कार्ड पास।

5. श्री राम श्याम शुक्ला, देवरिया (उत्तर प्रदेश) के नाम पहले दर्जे का एक कार्ड पास।

6. श्रीमती कान्ता मनचंदा, नयी दिल्ली के नाम पहले दर्जे का एक कार्ड पास (पहले दर्जे में एक सहयोगी सहित)।

7. श्री कनु गांधी, कस्तूरबा आश्रम के नाम पहले दर्जे का एक कार्ड पास (दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित)।

8. श्रीमती आभा गांधी, कस्तूरवा आश्रम के नाम पहले दर्जे का एक कार्ड पास (दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित) ।

**रेलवे स्कूलों में ऊंचे वेतन पाने वाले कनिष्ठ अध्यापक**

7374. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों में कनिष्ठ सहायक अध्यापक अपने वरिष्ठ अध्यापकों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के मामलों की जोन-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**रेलवे अध्यापक संघ**

7375. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों को केवल विभाग में ही अपने संघ बनाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अध्यापकों से, अन्य संघों के सदस्य न बनने के लिए कहा गया हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) रेलवे के अध्यापकों द्वारा बनाये गये एसोसिएशन को मान्यता देने का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इस बीच, दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशन सामान्यत: रेलवे स्कूलों के अध्यापकों से सम्बन्धित मामलों सहित सभी कर्मचारी मामलों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड स्तर पर चर्चा करते हैं ।

**रेल मन्त्रालय में शिक्षा कक्ष (सैल)**

7376. **श्री चतुर्भुज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे डिग्री कालेजों, सेकेन्ड्री, हायर सेकेन्ड्री, मिडिल, प्राइमरी और ए०टी०पी० स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय में पृथक शिक्षा सैल है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे स्कूलों के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय जोनल स्तरों पर पृथक कक्ष स्थापित करके और यदि हाँ, तो कब तक और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) उत्तर और दक्षिण-मध्य रेलों को छोड़कर क्षेत्रीय रेलों पर अध्यापकों की कुल संख्या इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| सेकेंडरी | 851 |
| हायर सेकेडरी | 781 |
| मिडिल | 335 |
| प्राइमरी | 977 |
| ए०टी०पी० | 663 |

उत्तर और दक्षिण-मध्य रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) रेलें कल्याण उपाय के रूप में शैक्षणिक सहायता प्रदान करती हैं । यह कार्य कल्याण शाखा के कार्यों में से एक है और मंत्रालय तथा क्षेत्रीय रेलों में वर्तमान तंत्र को पर्याप्त समझा जाता है ।

**प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना**

7377. **श्री सोमजी भाई दामोर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का उनकी सेवा निवृत्ति के बाद सेवा काल बढ़ाया गया;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनकी संख्या कितनी है जो उसके परिणामस्वरूप बिना पदोन्नति

प्राप्त किये सेवा निवृत्त हो गये और इन अधिकारियों का सेवा काल बढाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के परिप्रेक्ष्य में अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों की संख्या कितनी है और क्या यह सच है कि सेवा काल बढ़ाये जाने के कारण अधिकारियों में भारी असन्तोष है; और

(घ) यदि हां, तो क्या जिनका इस प्रकार सेवा काल बढ़ाया गया है उन व्यक्तियों को जल्दी सेवा निवृत्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) सोलह।

(ख) और (ग) उपर्युक्त मामलों में सेवा-अवधि वृद्धि में जनहित में की गयी है। जिन अधिकारियों की पदोन्नति पर दुष्प्रभाव पड़ा है उनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है क्योंकि किसी विशिष्ट अधिकारी की पदोन्नति केवल रिक्ति की उपलब्धता पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार बढ़ायी गयी कुछ सेवा अवधियों के विरुद्ध अधिकारियों तथा उनके एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) 16 अधिकारियों में से दो अधिकारियों को छोड़कर सभी अधिकारी, जिन्हें अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवा में बनाये रखा गया था, सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। इन अधिकारियों को निर्धारित तारीख से पहले सेवा-निवृत्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**चयन ग्रेड के अध्यापकों के खाली पड़े पद**

7378. **श्री राम सिंह यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कार्य कर रहे सहायता प्राप्त स्कूलों में चयन ग्रेड के अध्यापकों के कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन)** : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, सहायक अनुदान के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों से प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार निम्नलिखित पद खाली पड़े हुए हैं ;—

| | |
|---|---|
| उत्तर स्नातक अध्यापक (उ० स्ना० अध्या०) | 49 |
| प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (प्र० स्ना० अध्या०) | 65 |
| भाषा अध्यापक (भा० अध्या०) | 35 |
| ड्राईंग अध्यापक | 4 |
| शारीरिक शिक्षा अध्यापक (पी० ई० टी०) | 4 |
| कनिष्ट गृह विज्ञान अध्यापक | 2 |
| कनिष्ट शिल्पकला अध्यापक | 1 |
| सहायक अध्यापक | 34 |
| कुल | 194 |

**पटोदी रोड स्टेशन पर साइकिल स्टेण्ड**

7379. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने दैनिक यात्रियों की माँग पर भी पटौदी रोड स्टेशन पर साइकिल स्टेन्ड और अन्य सुविधाओं की संख्या नहीं की है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने पटौदी रोड स्टेशन के रेलवे परिसर, में सस्ते होटल चलाने के लिए बड़ी जमीन पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है ;

(ग) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों ने इस आवागमन क्षेत्र से इन होटलों को हटाने के लिए उप मंडल अधीक्षक बीकानेर का ध्यान आकर्षिक किया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ; और

(घ) उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) अभी तक साइकिल स्टेंड की व्यवस्था नहीं की गयी है परन्तु अन्य यात्री सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ख) से (घ) जी हां। रेलवे की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों की बेदखली की कार्रवाई की जा रही है ।

**संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी**

7380. **श्री दौलत राम सारण** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भाषा को मान्यता देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) उनमें से कितने मानदण्डों को हिन्दी पूरा करती है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं । 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर पारित किया गया तब अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी और स्पेनिश को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषाओं के रूप में स्वीकार करने का निर्णय किया गया था । अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, और चीनी भाषा 5 परिषद के स्थायी सदस्यों की भाषायें थी । बाद में स्पेनिश को अधिकारिक भाषाओं की सूची में इसलिए शामिल किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर प्रारम्भ में हस्ताक्षर करने वाले 49 देशों में से 8 देश लातीनी अमरीका के स्पेनिश भाषी देश थे, जो किसी एक भाषा का सबसे बड़ा भाषाई ग्रूप था । बाद में, 1974 में अरबी को संयुक्त राष्ट्र की छठी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गयी जिसके लिए

संयुक्त राष्ट्र के अरबी भाषी 19 देशों ने मांग की थी और जो महासभा में तत्संबंधी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर सकते थे।

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए महासभा की प्रक्रिया नियमावली में आधिकारिक भाषा सम्बन्धी नियम 51 में संशोधन करवाने के लिए प्रक्रिया नियमावली के नियम 163 के अधीन एक प्रस्ताव करना होगा। इस तरह के प्रस्ताव को रखने के बाद और इस सम्बन्ध में एक समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस पर बहुमत का अनुमोदन जरूरी होता है। हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करवाने की संभावनों का पता लगाने के लिए अनौपचारिक रूप से अब तक जो बातचीत की गई है उसके उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकले हैं। जब तक हमें इस बात का पक्का विश्वास न हो कि हमें महासभा में बहुमत का समर्मन मिल जायेगा तब तक इस प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव रखना मुनासिब नहीं है।

अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के बाद हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो अनुमान है कि इस काम पर हर दो साल में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अगर मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाए तो कहा जा सकता है कि इस खर्च में हर वर्ष बराबर 10 प्रतिशत की वृद्धि होती जाएगी। इससे संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत के अंशदान में 200 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसके अतिरिक्त उपस्कर आदि लगाने में भी खर्च होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसा आवर्तक खर्च हो सकता है जिसके बारे में अभी ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

चूंकि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने से सम्बद्ध प्रस्ताव को अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपेक्षित बहुमत का समर्थन मिलने की संभावना नहीं है इसलिए इस बात का अनुमान लगाना मुमकिन नहीं कि इस काम में कितना समय लग सकता है।

**भुगतान करने पर विदेशियों को चिकित्सा संस्थानों में सीटों का आबंटन**

7381. **श्री एस. वी. चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशियों के लिए चिकित्सा संस्थानों में भुगतान करने पर और अधिक सीटें आवंटित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को यह सुविधा दी जाएगी ;

(ग) प्रत्येक सीट के लिए कितने धन की मांग की जाएगी ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी सीटों की ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

**छठी योजना के दौरान चिकित्सा शिक्षा सुविधायें**

7382. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए चिकित्सा शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के मौजूदा तीन मेडिकल कालेजों में इस प्रकार की सुविधायें देने हेतु सरकार का क्या कार्यक्रम है ;

(ग उस अवधि में इस प्रयोजन हेतु उड़ीसा को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी)** : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चिकित्सा शिक्षा में गुणपरक सुधार लाने, सामुदायिक सेवा आदि के अनुकूल एक आधार तैयार करने के लिए स्नातकपूर्व छात्रों के प्रशिक्षध कार्यक्रम को समयानुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा । इस उद्देश्य की शर्त के लिए "चिकित्सा शिक्षा समयानुकूल योजना" के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के पैटर्न में 1981-82 से काफी वृद्धि कर दी गई है ।

(ख), (ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने विशेषरूप से मोजूदा तीनों मेडिकल कालेजों में सुविधायें बढ़ाने के लिए छठी योजना (1980-85) में 315 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की है ।

**संस्कृत शिक्षण के लिए संस्थान**

7383. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत के शिक्षण के लिए उच्च राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली से संबद्ध उच्च संस्थायें खोले जाने हेतु सरकार से कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य द्वारा यह मांग की गई है और उन राज्यों के संसद सदस्यों, विधायकों आदि जैसे व्यक्तियों से मिले अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो किस तिथि तक यह कार्यवाही की जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश राज्यों से संस्कृत पढ़ाने की उच्चतर संस्थाएं (केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ) खोलने की मांगें प्राप्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के संसद सदस्य प्रो० एन. सी. पराशर सहित संसद सदस्यों में 1981 में अनेक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) जबकि केन्द्र और सम्बन्धित राज्य सरकार दोनों को नए केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ खोलने के सम्बन्ध में अधिक वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था करनी होती हैं, मन्त्रालय की आदर्श संस्कृत महाविद्यालय खोलने की योजना के अंतर्गत संस्कृत पढ़ाने की कुछ उच्चतर संस्थाएं स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गई है। इस योजना में व्यय के अनुमोदित मदों पर 95 प्रतिशत तक सहायक अनुदान देने की व्यवस्था है ।

**अंदाल-सैंथिया सैक्शन में रेल सेवा**

7384. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दाल-सैंथिया सैक्शन में रेल सेवाओं के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) अंडाल— साईथिया खण्ड पर यात्री और माल गाड़ियों का कार्य निष्पादन सन्तोष जनक रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**अलाभप्रद लाइनें**

7385. श्री मूल चन्द डागा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी अलाभप्रद ब्रांच लाइनों की संख्या क्या है, जिन्हें वर्ष में 15 लाख रुपए से अधिक का घाटा हुआ है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अलाभप्रद ब्रांच लाइनों से कुल कितनी हानि हुई है और रेलवे इन अलाभप्रद ब्रांच लाइनों को कब तक चलाता रहेगा ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) प्रतिवर्ष वार्षिक लेखों के संदर्भ में विभिन्न शाखा लाइनों की आर्थिक दृष्टि से समीक्षा की जाती है तथा तदनुसार अलाभप्रद शाखा लाइनों की संख्या निर्धारित की जाती है। वर्ष 1980-81 के दौरान ऐसी अलाभप्रद शाखा लाइनों की संख्या, जिनसे 15 लाख रुपए से अधिक का घाटा हुआ, 51 थीं। घाटे के कारणों में, यातायात का कम घनत्व, मीटर लाइन प्रणाणी में यानान्तरण में आमान भिन्नता की असुविधा, कम दूरी तथा सड़क यातायात से स्पर्धा शामिल है।

(ख) 1978-79 से 1980-81 के वर्षों के दौरान ऐसी अलाभप्रद शाखा लाइनों से कुल 69.67 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द करने के सम्बन्ध में निर्णय, सामान्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों, जिनकी प्रतिक्रिया ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभी तक अनुकूल नहीं रही है, के साथ विचार-विमर्श करके किया जाता है।

**केन्द्र सरकार के अधीन विश्वविद्यालय**

7386. **श्री मूल चंद डागा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विश्वविद्यालयों के नाम और संख्या क्या है, इस समय जिनका खर्चा केन्द्र सरकार वहन करती है ;

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है और उसका क्या आधार है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) से (ग) इस समय सात विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो संसद अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, जिनका अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय केन्द्रीय सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है। इन विश्वविद्यालयों का विकास व्यय भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही पूर्ण रूप से वहन किया जाता है। यद्यपि वार्षिक अनुरक्षण व्यय अनुमानित

घाटे के आधार पर निर्धारित किया जाता है, फिर भी विभिन्न अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा समय-समय पर व्यय की प्रगति के आधार पर विकास व्यय की व्यवस्था की जाती है। इन विश्वविद्यालयों के नाम, छात्रों की संख्या तथा अनुरक्षण व 1980-81 के दौरान उन्हें दिए गए विकास अनुदान इस प्रकार हैं : —

(रुपए लाखों में)

| विश्वविद्यालय का नाम | अध्यापन विभागों में दाखिला | 1980-81 में दिए गए अनुदान | |
|---|---|---|---|
| | | अनुरक्षण के लिए (योजनेत्तर) | विकास के लिए (योजनागत) |
| 1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 12760 | 813.00 | 148.29 |
| 2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | 15466 | 1065.00 | 297.80 |
| 3. दिल्ली विश्वविद्यालय | 12343 | 585.00 | 134.56 |
| 4. विश्व भारती | 1524 | 224.50 | 6.75 |
| 5. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय | 3363 | 314.00 | 61.96 |
| 6. उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय | 881 | 90.00 | 90 88 |
| 7. हैदराबाद विश्वविद्यालय | 524 | 116.00 | 90.66 |

**रवीन्द्र नाथ टैगौर मेडिकल कालेज, उदयपुर में कोबाल्ट थरेपी संयंत्र हेतु राजस्थान सरकार का अनुरोध**

7387. **श्री भीखा भाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने उदयपुर स्थित रवीन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज में कोबाल्ट थरेपी संयंत्र की स्थापना करने की माँग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में संयंत्र की स्थापना के बारे में सभी प्रारंभिक व्यवस्था पूरी कर ली है ;

(घ) क्या यह सच है कि कोबाल्ट थरेपी संबंधी स्थायी समिति ने इस संबंध में प्रारंभिक स्वीकृति दे दी है ; और

(ङ) कोबाल्ट थरेपी संयंत्र की स्थापना तथा मंजूरी के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाएगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) से (ङ) राजस्थान सरकार को आर० एन० टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर में रोटेशनल हैड और अक्षतल पद्धति वाला एक कोबाल्ट थेरेपी यूनिट लगाने के लिए लगभग 10.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता पहले ही मंजूर की जा चुकी है ।

**सुपरफास्ट रेल गाड़ियों में भोजन पकाने हेतु करार**

7388. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के० के० एक्सप्रेस जैसी सुपर फास्ट रेल गाड़ियों में यात्रियों के उपयोग के लिए रेल गाड़ी के भोजनयान में ही भोजन पकाये जाने की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कैंटीन ठेकेदार इन रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कम मात्रा में तथा घटिया भोजन देकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) विगत में, जब परम्परागत भोजनयानों के भीतर तंग स्थानों में खाना बनाया जाता था और उसके साथ ही प्रयोग में लाये गए वर्तनों को धोने, साफ्ट कोक का चट्टा लगाने सब्जियों सहित भोजन सामग्री के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब भोजन तैयार करने में संतोषप्रद सफाई संबंधी हालत बनाये रखना हमेशा व्यावहारिक नहीं पाया गया था । यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्यप्रद हालतों तथा वरिष्ठ खानपान अधिकारियों के पर्यवेक्षण में भोजन तैयार किया जाए ।

"परोसने के लिए तैयार भोजन" प्रणाली लागू की गई है जिसमें मार्गवर्ती सुविधाजनक स्थायी खानपान संस्थानों के आधुनिकीकृत आधार रसोईघरों में बनाया गया भोजन लिया जाता है, गाड़ी के पैंट्रीयानों में मुहैय्या किए गए गर्म डिब्बों में रखा जाता है और भोजन के

समय यात्रियों को परोसा जाता है। यह प्रणाली पहले की भोजनयान प्रणाली की तुलना में सुधरी हुई है जिसे धीरे-धीरे पेंट्रीयान सेवा से बदला जा रहा है। के० के० एक्सप्रेस गाड़ियों में ऐसी पेंट्रीयान सेवा की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) भोजन की विभिन्न मदों की मात्राओं का मानकीकरण किया गया है और समुचित लागत लगाने के बाद दर-सूची निर्धारित की गयी है। यह सुनिश्चित करने के लिए भोजन मानवीकृत मात्रा और किस्म का है, वाणिज्यिक और चिकित्सा विभागों के अधिकारियों और वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा बार-बार निरीक्षण और पर्यवेक्षण जाँच की जाती है और किसी कमी का पता लगने पर तुरन्त और समुचित कार्रवाई की जाती है।

**त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी रेल लाइन**

7389. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल लाइन को यात्री यातायात के लिए कब खोला गया था ;

(ख) इसके बाद इस लाइन पर कितनी बार रुकावट पड़ी, भूमि के खिसकने की घटनायें तथा रेल दुर्घटनायें हुई और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से जाँच कराये जाने का प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 16.4.1979 को।

(ख) भारी वर्षा के कारण पटरी के डूब जाने और फिसलन के कारण 4 बार यातायात में रुकावट आयी (एक बार पटरी के डूबे जाने के कारण और तीन बार फिसलन के कारण)।

(ग) जी नहीं।

**मध्य रेलवे के उपनगरीय रेलवे स्टेशन**

7390. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में मध्य रेलवे के कितने नगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को प्लेटफार्मों के पूर्वी तथा पश्चिमी ओर आने-जाने के लिए पुलों की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मध्य रेलवे के बम्बई उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के निम्नलिखित स्टेशनों पर पूर्व और पश्चिम साइड को प्लेटफार्मों से जोड़ने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है :—

पलरे, कंजूर मार्ग, कालवा, वाँगनी, भिवपुरी रोड, गोवंडी और मानखुर्द ।

(ख) ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और आशा है कि निम्नलिखित स्टेशनों पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा : —

परेल, गोवंडी और मानखुर्द ।

वाँगनी, भिवपुरी में इस सुविधा की व्यवस्था करने या पूर्व की ओर कंजूर मार्ग में, जहां कोई बुकिंग कार्यालय नहीं है, वर्तमान ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने का कोई औचित्य नहीं है ।

भविष्य में धन उपलब्ध होने पर कालवा में ऊपरी पैदल पुल के निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

**कुरला-मनखुण्ड सेक्शन पर रेल गाड़ियों के आने के बीच के समय को कम करके अधिक रेल गाड़ियां चलाना**

7391. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित मध्य रेलवे के कुरला-मनखुण्ड सेक्शन पर रेल गाड़ियों के आने के बीच के समय को कम करके अधिक रेल गाड़ियां चलाये जाने के लिए यहां के निवासियों द्वारा भारी मांग की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य रेलवे के अन्य खंडों के साथ-साथ कुर्ला-मानखुर्द खंड पर उपनगरीय गाड़ियों की आवृत्ति में वृद्धि करने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब वर्तमान गतायु रेकों के बदलाव के बाद अतिरिक्त बिजली गाड़ी रेक उपलब्ध हो जायें ।

**मुलन्द रेलवे स्टेशन पर सड़क ऊपरि पुल**

7392. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में मध्य रेलवे के मुलन्द रेलवे स्टेशन के नार्थ एण्ड की ओर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पुल के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वृहत बम्बई नगर निगम से निक्षेप शर्तों पर उनकी लागत पर मुलुंड रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार नक्शे और अनुमान तैयार करने के लिए आवश्यक प्रभार जमा करने के लिए मई 1981 में वृहत् बम्बई नगर निगम से अनुरोध किया गया था। ये प्रभार प्राप्त होने पर विस्तृत नक्शे और अनुमान तैयार करने का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग) अभी प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली मुजफ्फरपुर के बीच जयन्ती जनता एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना**

7393. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच चल रही जयन्ती जनता एक्सप्रेस के समय से चलने में कोई सुधार हुआ है ;

(ख) यह गाड़ी पिछले तीन महीनों के दौरान अपने गन्तव्य स्थान अर्थात् दिल्ली कितनी बार समय पर पहुंची है ; और

(ग) इस गाड़ी को समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1982 में 153 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस क्रमशः 9, 8 और 8 दिन चली जिसमें से यह दिल्ली में शून्य, शून्य और 3 दिन सही समय पर पहुंची। 154 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस जनवरी, फरवरी और मार्च 1982 में क्रमशः 9, 8 और 9 दिन चली और यह मुजफ्फरपुर में शून्य, 1 और 3 दिन सही समय पर पहुंची।

(ग) इन गाड़ियों के समय-पालन पर बोर्ड स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

**विटामिन "ए" की कमी के कारण अन्धे हो रहे बच्चे**

7394. श्री जी० नैरसिम्हा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ न्यूट्रीशन ने विटामिन "ए" की कमी को पूरा करने के लिए छः माह के अन्तराल से बच्चों को दिए जाने हेतु विटामिन "ए" की खुराक विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस खुराक का न केवल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाए अपितु यदि आवश्यक हो तो राज सहायता के जरिए इसका मूल्य भी कम रखा जाए, जिससे प्रत्येक परिवार में नवजात शिशु को इसका लाभ मिल सके और बाल अन्धता को बड़ी सीमा तक नियन्त्रित किया जा सके ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी हां ।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में बच्चों में विटामिन "ए" की कमी को दूर करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1-5 वर्ष की आने वाले बच्चों को विटामिन "ए" की 2,00000 अन्तर्राष्ट्रीय खुराकें पिलाने की योजना पहले ही चला रहा है । छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 2.5 करोड़ बच्चों को कवर करने का विचार है । इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त है ।

(ग) लोग विटामिन "ए" से भरपूर सस्ते खाद्य पदार्थों का सेवन करें, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है ।

**बाल भवन सोसायटी के निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मुकदमें**

7395. **श्री बाल कृष्ण वासनिक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बाल भवन सोसाइटी आफ इण्डिया के निदेशक के विरुद्ध सरकारी धन के दुर्विनियोग का एक मुकदमा दर्ज किया है ;

(ख) विशिष्ट आरोप क्या हैं तथा इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया के निदेशक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) से (ग) बाल भवन सोसायटी (भारत) के निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और अभी इसकी जांच की जा रही है ।

**कोडर्मा के लोगों से ज्ञापन**

7396. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झूमरी तलैया और कोडर्मा सब डिवीजन के लोगों ने 20 सितम्बर को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मांगें रखी गयी थीं ;

(ग) उनमें से कितनी माँगों पर विचार किया गया और पूरा किया गया ; और

(ग) क्या उन लोगों की मांग शीघ्र पूरी करने पर विचार किया जायेगा ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**बिहार में रेलवे का विकास**

7397. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में रेलवे का विकास किये जाने के लिए बिहार सरकार ने उन्हें कोई ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी, हां । बिहार सरकार द्वारा रेल अभिसमय समिति, 1980 को प्रस्तुत एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3878/82] ।

**पवाई बम्बई में मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट**

7398. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजरानी निगम का पवाई, बम्बई में मैरीटाइम ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट की एक परियोजना की योजना बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी हाँ।

(ख) मैरीटाईम इन्सटिट्यूट भारतीय नौवहन निगम के जहाजी अधिकारियों और कार्मिकों को समुद्री अध्ययन के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगा। यह प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगा। यह प्रशिक्षण विशेषकर सुरक्षा, अग्नि-शमन, समुद्री प्रदुषण निवारण, टैंकर आपरेशन और टैक्नालौजी में परिवर्तन आदि पर इन-हाऊस प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के रूप में होगा। यह भारतीय नौवहन निगम के तटीय और जहाजी दोनों किस्म के अधिकारियों के लिए विशिष्ठ वाणिज्यिक और प्रबंधक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी करेगा।

280.03 लाख रु० की अनुमानित लागत के उपरोक्त संस्थान की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृत पहले ही दे दी गई है। भारतीय नौवहन निगम ने महाराष्ट्र सरकार से पवाई में लगभग 35½ एकड़ भूमि पहले ही अपने अधिकार में ले ली है। निगम राज्य सरकार से निकटवर्ती 9 ½ एकड़ और भूमि अधिग्रहण करने के प्रयास कर रहा है। और इस प्रयोजना के लिए आर्चिटैक्ट का पहले ही अनुमोदन दिया हुआ है।

**भारतीय मिशनों में हिन्दी अनुवादकों के रिक्त पद**

7399. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली बार लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में एक हिन्दी अनुवादक को तैनात किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अनुवादक के स्थान पर, जो कई वर्ष पहले सेवा निवृत्त हो गया था, उस स्थान पर अब तक किसी अनुवादक को तैनात नहीं किया गया है ; और

(ग) उक्त मिशन में हिन्दी अनुवादकों को कब तक तैनात किए जाने की सम्भावना है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) से (ग) लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन में एक हिन्दी अनुवादक 16-5-77 से 31-5-79 तक अनुभाग अधिकारी के पद के विरुद्ध अनुवादक के रूप में कार्य कर रहा था जो वहीं से 31-5-79 को सेवा निवृत्ति हो गया था। उनकी सेवा निवृत्ति से अनुभाग अधिकारी का एक पद खाली हुआ। उसके बाद किसी अन्य हिन्दी अनुवादक को वहां नहीं भेजा गया। लेकिन लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन में हिन्दी अधिकारी का एक पद बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। उसके फौरन बाद एक उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

**भारतीय मिशनों में हिन्दी अधिकारियों के रिक्त पद**

7400. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय मिशनों में 1100-1600 रु० के वेतनमान में हिन्दी अधिकारियों के कुछ पद काफी लम्बे समय से खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों के सम्बन्ध में भर्ती सम्बन्धी नियम तैयार कर लिए गए हैं और क्या इन पदों पर 650-1200 रु० निम्न वेतनमान वाले अधिकारियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार किए गए थे ;

(ग) क्या इन पदों पर नियुक्ति करते समय हिन्दी अधिकारी के पद हेतु अनुवाद और राजभाषा सम्बन्धी नियमों के क्रियान्वयन के आवश्यक अनुभव को भी ध्यान में रखा गया था ।

(घ) क्या इन पदों पर नियुक्ति करने हेतु इस मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, जो उपयुक्त योग्यता तथा अनुभव रखते हैं, पर भी विचार किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) :** (क) विदेश स्थित हमारे मिशनों में 1100-1600 रु० के वेतनमान में हिन्दी अधिकारियों के दो संवर्ग-बाह्य पद-एक पोर्ट लुई में 6-11-80 से और दूसरा पोर्ट आफ स्पेन में 19-10-81 से खाली हैं ।

(ख) अभी तक भर्ती-नियम नहीं बने हैं । 1100-1600 रु० के वेतन-मान में हिन्दी अधिकारियों के रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार लिया गया था, न कि 650-1200 रु० के वेतन-मान में । चयन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इन पदों के लिए आवेदन पत्र मंगवाते समय आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव निर्धारित किए गए थे ।

(घ) और (ङ) 650-1200 रु० के वेतनमान में काम करने वाले एक अनुसंधान अधिकारी (हिन्दी) और एक हिन्दी अधिकारी के नामों पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया था । लेकिन 550-900 रु० के वेतनमान में काम करने वाले "वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक" आदि इन पदों के लिए पात्र नहीं थे ।

**ऐसे पत्तन जहां जहाजरानी सम्बन्धी कार्य कमीशन एजेन्टों द्वारा सम्भाला जाता है**

7401. **श्री दौलत राम सारण :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कौन कौन से पत्तन हैं, जहां जहाजरानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा स्वतः ही सम्भाला जाता है तथा ऐसे कौन कौन से पत्तन हैं जहां कमीशन एजेन्टों को लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त निगम ने श्री एस. एच. सईद यूसुफ और उसके सम्बद्ध लोगों को मद्रास पत्तन पर कमीशन एजेन्टों के रूप में नियुक्त किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे एम. वी. चिदाम्बरम यात्री जहाज में केन्टीन चला रहे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि श्री सईद यूसुफ विभिन्न नामों से अनेक बेनाम सम्बद्ध फर्में चला रहे हैं और क्या उसके विरुद्ध मंत्रालय तथा जहाजरानी निगम में कई शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) बम्बई और कलकत्ता के पत्तनों पर सम्पूर्ण नौवहन कारोबार भारतीय नौवहन निगम स्वयं करता है । नीचे लिखे पत्तनों पर आने वाले जहाजों से माल उतारने-चढ़ाने का कार्य तथा माल के निर्यात सम्बन्धी मार्केटिंग और कन्वैसिंग का काम भारतीय नौवहन निगम द्वारा नियुक्त एजैन्टों द्वारा किया जाता है :—

एल्लेपी, भावनगर, कालीकट, कोचीन, कुड्डालोर, जामनगर, काकीनाड़ा, कांडला, कारवाड़, मद्रास, वंगलौर, मार्मुगाव, नागपट्टीनम्, नवलखी, परादीप, पोरबन्दर, पोर्टब्लेयर, कीलोन, रानेश्वरम, तूतीकोरिन, वेरावल और विशाखापत्तनम ।

(ख) निगम ने मद्रास में मैसर्स के पी. एस. शेख मुहम्मद रौथर एंड कंपनी प्रा० लिमिटेड को अपना एजेंट नियुक्त किया हुआ है । श्री एस. एच सैयद युसुफ कंपनी के निदेशक हैं ।

(ग) एम. वी. 'चिदाम्बरम' जहाज पर जहाजी कार्मिकों और यात्रियों के लिए रसद का प्रबन्ध करने का काम मैसर्स के. पी. वी. शेख मुहम्मद रौथर एंड कम्पनी प्रा० लिमिटेड को सौंपा गया है और यह नियमों के विरुद्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ) भारतीय नौवहन निगम को सूचना के अनुसार मैसर्स हारबुर इंजीनियरिंग के निदेशक श्री सैयद युसुफ है । जहाज मरम्मत करने की यह फर्म मद्रास में है जिससे निगम अपने जहाजों की मरम्मत का कुछ कार्य करवाता है । भारतीय नौवहन निगम का एजैन्सी कार्य, मद्रास की मैसर्स शेख मुहम्मद रौउथर एंड कम्पनी को दिए जाने के बारे में मंत्रालय

में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय नौवहन निगम के परामर्श से इस मंत्रालय में मामले की जाँच की गयी थी। शिकायतें किन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं थी। फिर यह भी समझा गया कि एक वाणिज्यिक उपक्रम के नाते यह भारतीय नौवहन निगम के हित में होगा कि मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जाए। इस सम्बन्ध में, एक नोट संलग्न है जिसमें फर्म के विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की स्थिति स्पष्ट की गयी है।

**विवरण**

मैसर्स के० पी० शेख मुहम्मद रोदर और कम्पनी के खिलाफ के इस मंत्रालय में प्राप्त आरोपों के विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणी :

| मुद्दे/आरोप | टिप्पणी |
|---|---|
| 1 निजी प्रतिनिधि को छोड़कर भारतीय नौवहन निगम ने मद्रास में कार्यालय खोलने की कमी की परवाह नहीं की। | न केवल मद्रास में बल्कि कोचीन, विशाखापत्तनम कांडला में कार्यालय खोलने के प्रश्न पर भारतीय नौवहन निगम ने विचार किया है। आर्थिक दृष्टिकोणों से भारतीय नौवहन निगम मद्रास में कार्यालय खोलने के बजाए एजेन्सी द्वारा काम कराना ही उपयुक्त समझता है। |
| 2. के०पी०वी० एस० गलतनाम से भारतीय नौवहन निगम के साथ निम्नलिखित कार्य करता है अर्थात् जहाज मरम्मत (मैसर्स हारबर इंजीनियरिंग) चीपिंग एण्ड पेंटिंग वर्क और शिप चांडलर इत्यादि। | भारतीय नौवहन निगम को यह मालूम है कि हारबर इंजीनियरिंग के० पी० वी० एस० के अधीन है परन्तु उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह अमुक काम गलत नाम से करता है। मद्रास में जहाज मरम्मत कार्य के छोटे से भाग को हारबर इंजीनियरिंग को दिया गया है। भारतीय नौवहन निगम के मरम्मत कार्य के बड़े हिस्से ब्रिन्नी इंजीनियरिंग, मैरिन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग और प्रेमनाथ डिजिल आदि को दिये जाते हैं। जहां तक चिपिंग और पेंटिंग कार्य का संबंध है, भारतीय नौवहन निगम की जानकारी के अनुसार यह इंडिया शिपराइट से कराया जाता है और यह कम्पनी नहीं है। जिसके लिए के०पी०वी०एस० इच्छुक हो। पहली जनवरी 1980 से चिपिंग एण्ड पेंटिंग कार्य पी०एस० सुन्दरम एण्ड कम्पनी |

| मुद्दे/आरोप | टिप्पणी |
|---|---|
| | से करवाया जाता है जो भारतीय नौवहन निगम की जानकारी के अनुसार यह वह कम्पनी नहीं है। जिसके लिए के०पी०वी०एस० इच्छुक हो। दोनों कम्पनियों को टेंडर के माध्यम से चिपिंग एण्ड पेंटिंग कार्य दिया गया था। |
| 3. भारतीय नौवहन निगम ने एक दशक से भी अधिक समय से स्थायी रूप से बिना किसी टेंडर के के०पी०वी०एस० को सभी कार्य (एजेन्सी स्टेवीडोरिंग विच्युलिंग, जहाज मरम्मत आदि) सौंप रखा है। | नीति के अनुसार, भारतीय नौवहन निगम कोई भी ठेका किसी भी कम्पनी को जिसमें के०पी० वी०एस० शामिल है, टेंडर मांगने, उस पर विस्तृत जांच करने और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद ही देता है। इसी प्रकार, उन्हीं शर्तों पर यदि ठेका बढ़ाया जाता है तब सक्षम अधिकारी की मंजूरी ली जाती है। 30 लाख रुपये से अधिक के सभी ठेके निदेशकों के बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर ठेके दिये जाते हैं। |
| 4. बिना किसी सही नीति के अपनी इच्छानुसार भारतीय नौवहन निगम छः महीने में एक बार ठेका दरों को बढ़ा देता है। | स्थिति यह है कि ठेके की दरों को विच्युलिंग को ठीक करने के लिए आपसी मेल से यह किया जाता है। हर तिमाही खाद्य सामग्री एकोनोमिक टाइम्स इंडेक्स का परिवर्तन होता है। पत्तनों में खाद्य सामग्री की थोक बिक्री में एकोनोमिक टाइम्स इंडेक्स में परिवर्तन के आधार पर सभी ठेकों में आपूर्ति की दरों में परिवर्तन की व्यवस्था की जाती है। |
| 5. भारतीय नौवहन निगम अंडमान के लिए जहाजों का ठेका प्रत्येक छः महीने में एक बार देता है जबकि के० पी० वी० एस० (मद्रास-सिंगापुर) के लिए एक दशक से भी ऊपर से कोई भी टेंडर नहीं मांगा गया है। | यह सच है कि के० पी० वी० एस० को 1950-51 से जब से सिंगापुर के लिए यात्री जलयान सेवा शुरू की गयी ठेका दिया गया है। सिंगापुर यात्री सेवा वहां की आवादी और टूरिस्ट सेवा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चलायी जाती है। यह एक प्रतिष्ठा जनक सेवा की प्रतियोगिता में चलती है। यदि भारतीय नौवहन निगम को इस यातायात को जारी रखना है तो उसे अच्छी सेवा प्रदान करनी |

| मुद्दे/आरोप | टिप्पणी |
|---|---|
| | पड़ेगी। यह जलयान जो 21 दिनों के अन्तराल पर मद्रास से चलता है पूर्णतः वातानुकूलित है और यात्रियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय नौवहन निगम यात्रियों को अधिक आकर्षित करने के लिए भाड़े में रियायतें भी देता हैं। यात्री जलयान पर भोजन एक विशेष आकर्षण है और भारतीय नौवहन निगम यह देखता है कि यात्री इस विषय में संतुष्ट हुए अथवा नहीं। अण्डमान के लिए सेवा में कोई तुलना नहीं है। सच है तो यह है कि भारतीय नौवहन निगम अंडमान के लिए जलयान पर यात्रियों को टिकट दिया जाता है और यात्री जलयान में भोजन करने के लिए अथवा केन्टीन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सिंगापुर के लिए जलयान में भोजन सहित सभी टिकट जारी किए जाते हैं। अंडमान के लिए जलयान में बिना भोजन के टिकट जारी किये जाते हैं अतः इसमें व्यापार निश्चित नहीं है और बहुदा ठेकेदार कठिनाईयों में होते हैं और ठेके छोड़ देते हैं। सिंगापुर सेवा में चूंकि भोजन सहित टिकट जारी किए जाते हैं इसलिए सभी प्रकार की भोजन सामग्रियों जिसमें सुबह में बेड टी, से लेकर रात में भोजन शामिल है, का विस्तृत प्रबंध करना पड़ता है। |
| 6. (क) पीक सीजन में निदाम्बरम के लिए टिकट लेना करीब समाप्त ही कर दिया गया है। | मुख्य कार्यालय, दिल्ली कार्यालय और मद्रास के के०पी०वी० में आबंटित कोटा के आधार पर टिकट बुक किए जाते हैं। पीक सीजन में भीड़ के कारण उस समय टिकट उपलब्ध नहीं होते हैंजैसा कि रेल या हवाई यात्रा के मामले में होता है। |

| मुद्दे/आरोप | टिप्पणी |
|---|---|
| 6. (ख) लोगों को टिकट लेने के लिए अतिरिक्त प्रिमियम देना पड़ता है। के०पी०वी०एस० अतिरिक्त पैसा लेकर उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति देता है जिन्होंने केबिन में यात्रा करने के लिए बंक क्लास टिकट लिया हो। | जहां तक भारतीय नौवहन निगम की जानकारी है यह कथन सही नहीं है। फिर भी यदि कोई अतिरिक्त पैसा लिए जाने की सूचना मिलती है तो भारतीय नौवहन निगम को इस बात पर बहुत खुशी होगी कि इस मामले की जांच की जाए। |
| 7. अक्टूबर, 1981 में एम०वी० चिदाम्बरम सिंगापुर में खड़ी हो गई थी क्योंकि कैंटीन कर्मीदलों की हड़ताल हो गयी थी। के० पी०वी०एस० कैंटीन कर्मीदलों को बहुत थोड़ा वेतन देती है अर्थात 150 रुपया या ऐसे ही प्रकार के वे उन लोगों से बंधुवा मजदूर जैसा व्यवहार करते हैं। | कैंटीन कर्मीदल के०वी०वी०एस० के ठेकेदारों द्वारा लगाए गए हैं। कर्मीदलों का मजदूरी और अन्य सेवा शर्तों का सीधा संबंध भारतीय नौवहन निगम से नहीं है। यह सही नहीं है कि कैंटीन कर्मीदल अक्टूबर या नवम्बर 1981 या आज तक दिसम्बर 1981 में हड़ताल डेक, इंजिन और सैलून के कर्मीदलों द्वारा किया गया था और ये लोग एन०एस०यू०आई० से संबंधित थे। के०पी०वी०एस० के कैंटीन कर्मीदलों द्वारा यह हड़ताल नहीं किया गया था। |
| 8. के०पी०वी०एस०, यात्रियों को दी जाने वाले भोजन में कोई सुधार नहीं करता जबकि वे भारतीय नौवहन निगम के स्थायी ठेकेदार हैं। | भोजन के किस्म और सेवा आदि के० पी० वी० एस० करता है। |
| 9. कभी कभी के०पी०वी०एस० चिदाम्बरम का उपयोग तस्करी माल के लिए करता है चिदाम्बरम पर मास्टर्स पर्सरस और चीफ स्वीवार्ड के० पी० वी० एस० के इच्छानुसार तैनात किए गए हैं। | भारतीय नौवहन निगम ने इस आरोप को अस्वीकार किया है। |
| 10. के०पी०वी०एस० अपने जहाज एम० वी० चिदाम्बरम के लिए अकेले भारतीय नौवहन निगम से 30 लाख रुपये का कमीशन लेता है। | 1980-81 के दौरान के०पी०वी०एस० को कुल एजेंसी फीस और पैसेज भाड़े के कमीशन के साथ कमीशन 33.99 लाख रुपया मिला था। इस आंकड़े में एजेंसी फीस और लाइनर कार्गो कमीशन शामिल है जो कि उनके द्वारा बल्क |

केरियर्स और टैंकर्स को बुक और सर्विस करने से हुई। यह आरोप कि के०पी०वी०एस० अकेले चिदाम्बरम के लिए 30 लाख रुपया कमीशन लेता है।

11. जब कभी नाविक भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपने माल को भेजना चाहता है। तो के०पी०वी०एस० उन लोगों को ऐसा नहीं करने देती है जब तक कि वे के० पी०वी०एस० को अतिरिक्त प्रीमियम नहीं दे देते।

यह आज के वोयर्स बाजार में सामान्यतः सम्भव नहीं है। भारतीय नौवहन निगम को नाविकों के माल को ले जाने के लिए दूसरा प्रयास करना है।

12. के०पी०वी०एस० भारतीय नौवहन निगम के जहाज को माल उतारने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से कुछ दिनों के लिए पत्तन पर रोक कर रखता है। यदि सरकार पिछले छः महीनों में उसके कार्यों की जांच करे कि भारतीय नौवहन निगम को मद्रास में कितने शिप" डेज का घाटा हुआ। के० पी०वी० एस० द्वारा कितने टन माल दिया गया आदि तो यह एक दुखत समाचार होगा।

पत्तन की शर्तों के कारण मद्रास में दूसरे पत्तन के मामले में भी शिप-डेज का घाटा हुआ न कि एजेंट के अनावश्यक कारणों से।

13. के०पी०वी०एस० भारतीय नौवहन निगम के जहाज पर कांफेस दर से नीचे पर माल ले गया जिससे कि भारतीय नौवहन निगम को भारी घाटा हुआ।

यह आरोप उपरोक्त मद 14 में बताई गई आरोप से विपरीत है। भारतीय नौवहन निगम को प्रतियोगिता के आधार पर काम करना होता है। इस प्रतियोगिता के प्रस्ताव को कैसा किया गया इसका निर्धारण उचित स्तर पर मुख्यालय में किया जाता है और इसे एजेंट पर नहीं छोड़ा जाता है।

14. के०पी०वी०एस० भारतीय नौवहन निगम से लाखों रुपया किकपैक के रूप में ले रहा है। निगम इस राशि को फुटकर खर्च डाल रहा है। निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किकपैक मनी डील की क्रियाविधि मालूम नहीं है। केवल वित्तीय निदेशक को इस सौदे की जानकारी है।

इन सभी आरोपों का निगम ने खंडन किया है।

| मुद्दे/आरोप | टिप्पणी |
|---|---|
| 15. के०पी०वी० एस० ने पिछले 10 वर्षों से अधिक अवधि का लेखा ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, एकत्र किया भाड़ा नहीं दे रहा, जमा बकाया कुछ नहीं दिखा रहा, बम्बई जाने में जो वैयक्तिक खर्च है उन्हें निगम के नाम डाल रहा है। | के०पी०वी०एस० लेखे नियमित रूप से भेज रहा है। इन लेखों की निगम का लेखा विभाग और आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग संवीक्षा करता है। इसके अलावा कानूनी लेखा परीक्षा भी टैस्ट-चैक करते हैं उक्त आरोप सब झूठे हैं। |
| 16. भारतीय नौवहन निगम के०पी०वी०एस० को बिना किसी प्रक्रिया के अग्रिम धन राशि देता है। | अग्रिम धनराशि केवल किए गए कार्यों और उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए ही दी जाती है। |

**राज्य सड़क परिवहन यूनिटों को हुआ घाटा**

7402. **श्री नारायण चौबे :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की राज्य सड़क परिवहन यूनिटों को प्रतिवर्ष भारी घाटा हो रहा है ; और

(ख) लगातार घाटे को रोकने के बारे में सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार विभिन्न प्रशासनिक, परिचालनात्मक और वित्तीय उपायों की जांच कर रहा है ताकि घाटे को कम किया जा सके। इन उपायों पर जिनमें वास्तविक भाड़ा ढांचे के साथ-साथ, सामान की सूची ठीक तरीके से रखना, ईंधन की बचत करना, युक्तिमूलक रूट पैटर्न और आसानी से और शीघ्र धन उपलब्ध करना शामिल है, युक्तिकरण की संपूर्ण नीति पर विचार किया जा रहा है जिससे कि देश भर में यात्रियों को कम खर्च पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध की जाएं।

**मध्यप्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता**

7403. **श्री सुभाष यादव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि मध्य प्रदेश राज्य में जिसके चारों ओर अन्य राज्य हैं, सभी राज्यों के वाहन योग्य यातायात यहां मिलते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि काली मिट्टी में एकल सड़क के कारण प्रायः महत्वपूर्ण मार्गों पर विशेष कर वर्षा के मौसम के दौरान गाड़ियां उछल पड़ती हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस राज्य की सभी सड़कों के सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान उपलब्ध कराने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य अनेक सड़कों द्वारा निकवर्ती राज्यों से जुड़ा है। उन सड़कों में, केन्द्रीय सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव और विकास के लिए उत्तर दायी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अनुदान लपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं होता। दूसरे सभी सड़कों का रख रखाव राज्य सरकार करती है। काली मिट्टी में एकल सड़कों के कारण जहां यातायात अधिक है, कुल यातायात सम्बन्धी असुविधाएं देखी गयी हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मौजूदा एकल सड़कों को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। दूसरे सड़कों को "फ्रेज्डमेनर" में करने की योजना है और यह साधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की सेवा अवधि बढ़ाया जाना**

7404. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 के मुकदमा संख्या 300 और 301 में उच्चतम न्यायालय द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की भर्त्सना किए जाने की जानकारी है, यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त भर्त्सना सरकारी राजस्व को देयता के बारे में की गयी है, जिसे न चुकाना अपराध है ;

(ग) क्या यह सच है कि कम्पनी कार्य विभाग इस भर्त्सना के बावजूद टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के कम्पनी कार्य विभाग को टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कंपनी

के उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की पुनर्नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है। इस संबंध में उस मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

**दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों की महिला अध्यापकों का पारस्परिक स्थानान्तरण**

7405. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के लारेंस रोड, दिल्ली के प्राईमरी स्कूल की कुछ महिला अध्यापकों ने पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरण कराया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ये पारस्परिक स्थानान्तरण छात्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके स्कूलों में फालतू घोषित किए जाने की स्थिति से बचने के लिए मांगी गई थी जिसके कारण अन्य अध्यपाकों के लिए उनकी अपनी नियुक्ति दूरस्थर स्थानों पर नियुक्त किए जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है ; और

(घ) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार के स्थानान्तरण को रोकने के लिए क्या प्रतिरोधक कदम उठाए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** । (क) और (ख) जैसा कि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण उनके लिखित अनुरोधों पर तथा अनुमोदित नीति के अनुसार 1980 में किए गए थे। पारस्परिक स्थानान्तरण के अनुरोध स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि इससे अध्यापकों की सुविधानुसार तैनात करने में सहायता मिलती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**सरकारी आवास की प्राथमिकता के आधार पर आबंटन**

7406. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के आर० के० पुरम स्थित स्त्री रोग और प्रसूति अस्पताल के अधिकांश डाक्टरों और अन्य अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों को सरकारी आवास नजदीक न आबंटन किए जाने के कारण ऐसी ड्यूटी जिसमें विलम्ब नहीं हो

सकता है, में हाजिर होने के लिए समय पर अस्पताल पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या इन डाक्टरों और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर और सार्वजनिक हित में सरकारी आवास उपलब्ध कराने की वास्तविक जरूरत है ताकि वे आर्थिक दक्षता से अपनी ड्यूटी कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी)** : (क) सरकार को ऐसी किसी कठिनाई की सूचना नहीं मिली है और अस्पताल की सेवाओं को नियमित रूप से बनाये रखा जाता है ।

(ख) और (ग) इस अस्पताल के अधिकांश डाक्टरों और कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूल और सामान्य पूल में यथा उपलब्ध रिहायशी मकान दे दिए गए हैं, फिर भी उपलब्धता के अनुसार और अधिक डाक्टरों तथा कर्मचारियों को रिहायशी मकान देने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

## केन्द्रीय खाद्य निरीक्षण दल

7407. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई केन्द्रीय खाद्य निरीक्षण दल काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह दल कब गठित किया गया था और इसके क्या-क्या काम हैं;

(ग) अपने, गठन के समय से लेकर अब तक इस दल ने कितने मामलों का निरीक्षण किया है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम रहे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उनके अधीन बनाये गये नियमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1969 में केन्द्रीय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक केन्द्रीय खाद्य दल गठित किया था । लेकिन विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने भरने के सम्बन्ध में इस दल का कार्य वर्ष 1979 तक मूलत: दिल्ली तक ही सीमित था । 1979 में दिल्ली में खाद्य अप-मिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित काम दिल्ली

प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया और दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए उन्होंने अपना स्टाफ नियुक्त कर लिया। जिसके बाद केन्द्रीय खाद्य दल ने खाद्य पदार्थों के नमूने भरने का कार्य छोड़ दिया।

आयातित खाद्य पदार्थों की गुणावत्ता की जांच करने के बारे में देश के विभिन्न पत्तनों में कार्यभार बढ़ जाने के कारण पाँच खाद्य निरीक्षक-विभिन्न पत्तन स्वास्थ्य संगठनों को स्थानांतरित कर दिये गए ताकि आयातित खाद्य पदार्थों की गुणावत्ता की जांच करने तथा सम्बन्धित पत्तन के क्षेत्रों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के अधीन अन्य कार्य करने के लिए अपेक्षित प्रशासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। अतः अब ऐसा कोई केन्द्रीय खाद्य दल मौजूद नहीं है।

(ग) और (घ) 1969 में उक्त केन्द्रीय खाद्य दल के सृजन से 1979 तक उस दल ने कुल 1136 मामलों की छान-बीन की थी और 311 मुकदमे दायर किए थे।

---

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर)** : श्रीमान, एक हरिजन नेता के कत्ल के मामले पर मेरा एक स्थगत प्रस्ताव की सूचना दी है/उसका क्या बना ?

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण)** : श्रीमान्, कृपया, ध्यान से मेरी बात सुनें यह समाचार टाइम्स आफ इंडिया में छपा है। भू-स्वामियों द्वारा एक हरिजन नेता की हत्या कर दी गई ·····(व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। बार बार हमें उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कुछ राज्य के विषय हैं जिन पर इस चर्चा···(व्यवधान) हमने इसे लिया है। हमने इस मामले पर एक बैठक बुलाई। यह राज्य का विषय है। मैं दोहरी नीति नहीं अपना सकता। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बातें मैं नहीं कर सकता हूं। इसमें मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। (व्यवधान) जब मैं बोल रहा हूं उस समय आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, बोलना तो दूर रहा। कृपया बैठ जाइए। कुछ बाते हैं। हरिजनों के मामले पर हमने कुछ अपवाद बरते हैं। (व्यवधान) मैं जब कोई बात स्पष्ट कर रहा हू। तो आप बीच में हस्ताक्षेप क्यों कर रहे हैं (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : राकेश जी आप बैठते क्यों नहीं हैं ? (व्यवधान)।

मैं बता रहा हूं कि यह एडजर्नमेंट मोशन का सवाल नहीं है, अगर कोई और सवाल होता तो हमने पहले भी कई बार डिसकशन लिया है, आपको भी पता होगा। इसलिए मेरे

पास और साधन हैं जिनके जरिए अगर कोई एजीटेशन है तो उसके जरिए डिसकस कर सकते हैं। मैंने कई बार कहा है कि मेरे दरवाजे खुले हैं। आप मेरे पास आइए जिस तरह से भी होगा, वैसा कर लेंगे। (व्यवधान)।

स्थगन प्रस्ताव नहीं। आप मेरे पास आइए। मैं आपकी बात सुनूंगा ... (व्यवधान) इसकी अनुमति नहीं हैं। क्या मैंने आपको अपने पास आने से रोका है ?

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : नहीं श्रीमान।

**अध्यक्ष महोदय** : तब आप मेरे पास आइए। मैं किसी चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री चक्रवर्ती को भी अनुमति नहीं दी हैं।(व्यवधान)।

**श्री आर०एन० राकेश (चैल)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : उसको मैंने एलाउ नहीं किया है। मैं आपको समझा देता हूं। कल हमने मीटिंग बुलाई थी।

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : इन्होंने कुछ कहा नहीं, आप समझाएंगे कैसे ?

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास इन्होंने लिखकर भेजा है, जिसको मैंने एडमिट नहीं किया है। (व्यवधान)।

जो आपने एक्सपंग्शन की बात कही है।

**श्री आर०एन० राकेश** : ठीक है बताइए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सभा में बताया था कि मैं सभी पार्टियों की बैठक बुलाऊंगा और कल हमारी बैठक हुई थी।

मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं। प्रेस वाले भाई भी कभी-कभी नहीं समझ पाते हैं। मैं कभी भी किसी बात को विदाउट रूल एक्सपंज नही करता और न मैंने कभी किया है। (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मैं समझा देता हूं।

**श्री आर०एन० राकेश** : आप कह रहे हैं कि नहीं करते हैं, 16 अप्रैल को...(व्यवधान।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कमाल के आदमी हैं। आप संतोष क्यों नहीं करते हैं ?

**श्री आर० एन० राकेश** : मैं कमाल का आदमी नहीं हूं, बल्कि कमाल की बात हो रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : जो कहा गया था उसी के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी। सारे लीडर वहां थे। वहाँ एक ही ओपिनियन थी कि जो डिफामेटरी हो, इनक्रिमिनेटरी हो या अनपार्लिमैंटरी हो उनके बारे मैं हम एकार्डिंग टू दी रूल्ज करते हैं। जो उस दिन की आप बात करते हैं उसके बारे में कई प्रसीडेंट्स हैं। उस के मुताबिक हाउस में किया था। मै आपको समझा रहा हूं मुझे समझा लेने दीजिये। कोई बात हो तो बाद में मेरे पास आकर कर लें। आप जो एक्सपंक्शन के लिए कहते है वह भी कर दिया है। जैसे आप अभी बात कर रहे हैं तो उसके लिए जब तक स्पीकर किसी माननीय सदस्य को नहीं बुलाता है वह नहीं बोल सकता है। बोलने के लिए चेयर से आज्ञा लेनी पड़ती हैं, बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक परमिशन नहीं मिलती है उस वक्त तक कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाती है। चेयर जिस की बात को सुन रही हो वह रिकार्ड पर रहेगी। जितना एलाउ किया जाता है उतना रिकार्ड पर रहेगा। जब मैंने कहा कि नाट एलाउड तो वह नहीं जाता है। जितने की आज्ञा होती है उतना ही जाता है। बिलकुल एक्सपंज नहीं करते हैं। (व्यवधान)।

कृपया कोई टिप्पणी मत करे। मेरी बात सुनिएं।

जब तक मैं हाउस मैं आज्ञा न दूं तब तक कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाती है। अगर दस आदमी उठ कर बोलना शुरू कर दें तो न मैं सुन सकूंगा और न आप और न कोई दूसरा। आकर आप बात कर लें। उतना ही चलेगा जितना फैसला हुआ है, न आगे, न पीछे।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : श्रीमान, क्या आप मुझे अनुमति देंगे, अथवा नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर नहीं।

**श्री हरीश कुमार गंगवार** (पीलीभीत) : पंजाब में तोड़ फोड़, विप्लव करने की बहुत बड़ी योजना कनाडा और यू०एस०ए० ने बनाई है। यह खबर फ्रंट पेज पर छपी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने एलाउ नहीं किया है। कालिंग एटेंशन नोटिस जो है वे मेरी कंसिड्रेशन में है। एडजर्नमैंट मोशन नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने उसके लिए मना कर दिया है। आप बैठ जाएं। हाउस का समय जाया न करें।

**श्री हरीश कुमार गंगवार** : मेरा कालिंग एटेंशन भी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कब रिजैक्ट किया है? केवल एडजर्नमैंट मोशन को रिजैक्ट किया है।

**श्री चन्द्र देवप्रसाद वर्मा** (आरा) : चेचक का वैक्सीन कहीं नहीं मिल रहा है। लोग इसके बगैर मरते जा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : 377 में इसको उठाया जा सकता है। यह कोई तरीका नहीं है।

**श्री जगपाल सिंह कश्यप (आंवला) :** मंडल कमिशन की रिपोर्ट को सत्र के प्रारम्भ में पेश करने की बात कही गई थी ..... ।

**अध्यक्ष महोदय :** विदिन दिस सैशन कहा गया था ।

**श्री हरीश कुमार गंगवार :** कितने महीने में आएगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** ड्यूरिग दिस सैशन कहा गया था ।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप :** यह कहा गया था कि सत्र के शुरू में रख दी जाएगी ।

**अध्यक्ष महोदय :** शुरू में नहीं, ड्यूरिंग दिस सैशन कहा था ।

**श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) :** दुर्भाग्य से मैं लोक लेखा समिति की बैठक के कारण इस बैठक में भाग नहीं ले सका । क्या मैं आपके स्पष्टीकरण से यह समझ सकता हूं कि बड़े पैमाने पर एक्सपंकशन नहीं होगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप के पास बैठे हैं उन से बात कर लीजिये । नहीं तो मेरे पास आकर बात कर लें ।

**श्री हरीश कुमार गंगवार :** मैंने भी कालिंग एटेंशन पंजाब में तोड़फोड़ के मामले पर दे रखा है..... ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने रिजैक्ट कर दिया है ?

**श्री हरीश कुमार गंगवार :** आठ बरस से भारतीय नागरिक पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं—

**अध्यक्ष महोदय :** कई बार इस मसले को उठाया जा चुका है । दसियों बार उठ चुका है । और भी उठेगा ।

**श्री हरिकेश बहादुर :** दस भारतीय पाकिस्तानी जेलों में प्रताड़ित किये जा रहे हैं । यह बहुत गंभीर मामला है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे । श्री वीरेन्द्र पाटिल ।

———

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के लेखे तथा पारादीप पत्तन न्यास के 1980-81 के वार्षिक लेखे, विलम्ब के बारे में दो विवरण मुगल लाइन्स लि० बम्बई 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन**

**नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3834/82)

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3835/ 82)

(3) कम्पनी अधिनियम. 1956 की धारा 619क की उप धारा (1) के अन्तर्ग निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मुगल लाइन्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन्स लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3836/82)

(4) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3837/82) ।

**ग्रामीण विकास मंत्रालय की 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे**

**कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3838/82)

*(व्यवधान)*

**समाज कल्याण मन्त्रालय के 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार माँगे**

**शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

समाज कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3839/82)

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति कार्यवाही-सारांश

**डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी** (सीतापुर) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

---

## विधेयकों पर अनुमति

**सचिव :** श्रीमान, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं : क्योंकि इस बारे में अन्तिम रिपोर्ट 7 अप्रैल, 1982 को सभा में दी गई थी :

(1) केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

(3) केरल विनियोग विधेयक, 1982

(3) असम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

(4) असम विनियोग विधेयक, 1982

———

## सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

### ग्यारहवां प्रतिवेदन

**डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी** (सीतापुर) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

———

## भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 और भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 के निरसन के बारे में याचिका

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 26 के निरसन के बारे में श्री वी० एम० तारकुंडे और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं...।

———

## संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना

### विवाह विधि ( संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

**श्री के० मालन्ना** (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरद्कालीन सत्र, 1982 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

---

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा आप मूव करना चाहते हैं ?

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं क्योंकि ला कमीशन ने भी प्रोसेस किया है ··· ।

**अध्यक्ष महोदय** : बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप कहिये कि मूव कर रहे हैं ।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : मेरे कहने का अर्थ यही है कि इतना समय न बढ़ाया जाय । करेंट सेशन तक ही रखा जाय । या बहुत अधिक अगर बढ़ाना ही हो तो मौनसून सेशन रख दें ।

मैं प्रस्ताव करता हूं

कि प्रस्ताव में,

"शीत कालीन सत्र, 1982" के स्थान पर "चालू सत्र" प्रतिस्थापित किया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरिकेश बहादुर ।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : मैं इसे पेश करूंगा । कृपया मुझे बोलने दें । समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है । हम चाहते हैं कि कम से कम इसे चालू सत्र में ही लिया जाये ।

**श्री सतीश अग्रवाल** (जयपुर) : यह सम्भव नहीं है ।

**श्री हरिकेश बहादुर** : यह सम्भव क्यों नहीं है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है । अब मैं श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा द्वारा पेश किये गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरद्-कालीन सत्र, 1982 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे ।

---

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) उत्तर प्रदेश में देहरादून जिले के आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति के लिए उपाय

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले का जौनसार बावर क्षेत्र जिसमें कालसी एवं चकरौता विकास क्षेत्र सम्मिलित हैं, को सरकार ने जन-जाति क्षेत्र बहुत वर्षों पहले घोषित किया था । वहां की जनता को वैसे काफी लाभ भी हुआ, क्षेत्र की तरक्की हुई इसी प्रकार से टेहरी-गढ़वाल जिले का जौनपुर क्षेत्र एवं उत्तरकाशी जिले का रवाई क्षेत्र जिसमें पुरोला नौगाँव एवं बौरी ब्लाक सम्मिलित हैं, को भी जन-जाति क्षेत्र घोषित किया जाय । इसमें उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा । इस जन-जाति क्षेत्र का मुख्यालय क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए था जिससे लोगों को सम्पर्क की सुविधा हो ।

रवाई जौनपुर क्षेत्र प्रदेशमें बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । सामन्ती व्यवस्था में भी इस क्षेत्र की उपेक्षा ही होती रही । फलस्वरूप सन 1930 में रवाई काण्ड हुआ जिसमें सैकड़ों व्यक्ति शहीद हुए, तानाशाही की गोली के शिकार हुए। आज भी वहाँ के लोगों को जन-जाति क्षेत्र की पूरी सुविधा न मिलने के कारण एवं उनकी जायज मांगों की अवहेलना होने की वजह से वहां आन्दोलन का वातावरण बन चुका है । वहां के नौजवान अपनी मांगों के लिए हर जायज तरीके से आन्दोलन करेंगे और जब तक उनकी सुनवायी न हो जाये और उनकी जायज मांगें पूरी न हो जायें यानी जौनपुर एवं रबाई को उसी के साथ लगे हुए जौनसार एवं बावर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती (जो एक ही जन-जाति क्षेत्र के अंग हैं) तब तक वहां की जनता संघर्ष रत रहेगी । इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जन-जातियों में असन्तोष का वातावरण पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है । क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए इन जन-जातियों के उत्थान और विकास का काम नहीं हो रहा है । इन जन-जातियों के उत्थान की

जिम्मेदारी न केवल राज्य सरकार की है, बल्कि केन्द्र सरकार की भी है।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ खींचते हुए प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में प्रभावशाली कदम शीघ्रता से उठाए जायें।

**(दो) स्टेनलैश स्टील पर शुल्क का अपवंचन**

**श्री चिन्तामणि जैना** (बालासोर) : भारी मात्रा में स्टेनलैस स्टील शीटों के देश में सन्दिग्ध रूप से जमा हो जाने से देश के स्टेनलैस स्टील की रोलर यूनिट अत्यन्त डरती है। स्वदेशी उद्योग को हानि पहुंचाने के अलावा इससे सरकार को आयात शुल्क से मिलने वाले राजस्व से भी वंचित किया गया है।

बताया गया है कि 2500 टन से अधिक कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस की चदरें देश में फोल्डिड एंगलों के रूप में लाई गई तथा इससे सरकार को 11 करोड़ रुपए की हानि हुई। यदि इस कमी को दूर करने की कोई कार्यवाही न की गई तो 7000 टन की और शिपमेंट देश में आने वाली है तथा भारतीय पत्तनों पर माल जमा हो जाएगा। जिससे सरकार को 30 करोड़ रुपए की और हानि होगी।

इस पूरी योजना की कार्य प्रणाली इस प्रकार है। 1980-82 की आयात नीति के अनुसार स्टेशनलैस शीटों का भारत में आयात एम० एम० टी० सी० के माध्यम से किया जाता है। तथा इन शीटों पर 220 प्रतिशत सीमा शुल्क देय होता है। यदि ये शीटें "वास्तविक उपभोक्ता" द्वारा आयातित की जाती हैं तो वह फोल्डिड एंगलों और सर्कल्स के रूप में 60 प्रतिशत जमा 25 प्रतिशत सीमा शुल्क देकर आयातित किये जा सकते हैं। 1982-83 के बजट से पूर्व शुल्क 35% जमा 10 प्रतिशत तथा 3.63 रुपए प्रति टन स० वी० डी० देय था। इस प्रकार प्रतिटन स्टेनलैस स्टील के आयात पर जोकि एंगलों तथा सर्कलों के रूप में होता है सरकार को लगभग 40000 रुपए की शुल्क के रूप में हानि होती है। इसके अलावा 222000 रु० प्रति टन विदेशी मुद्रा में व्यय करना पड़ता है।

देशी उद्योग क्षेत्रों ने बताया है कि सरकार को मात्र सीमा शुल्क में 200 करोड़ रुपए की हानि होने की आशा है और यदि आयात नीति की कमियों को दूर नहीं किया जाता तो 100 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की हानि होगी।

भय है कि इस सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता से दुखी स्टेनलैस स्टील उत्पादकों की दयनीय दिशा और भी बिगड़ जायेगी।

इन हालात में मैं सरकार से निवेदन करता हूं इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें, ताकि न केवल छोटे व्यापारियों किन्तु इस देश के मध्यमवर्ग तथा निम्न वर्ग के लाखों करोड़ों स्टेनलैस स्टील के नियमित उपभोक्ताओं/अपनी कठिनाइयां दूर की जा सकें।

(तीन) सीतापुर-मिलानी रेल लाइन का दुधुवा तक बढ़ाया जाना

**श्रीमती ऊषा वर्मा** (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यधिक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

मेरा लोक-सभा क्षेत्र खेरी लखीमपुर यों तो पहले ही काफी पिछड़ा हुआ है और गरीब लोगों के लिए काफी समस्याएं अभी हैं, तो भी एक समस्या जो इस समय उग्र रूप धारण किए हुए हैं, वह है कि जो गाड़ी पहले सीतापुर से दुधुवा स्टेशन पर चलती थी, उसको अब सिर्फ मिलानी स्टेशन तक ही चलाया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र को अन्य रेल सेवाओं से भी वंचित करने की खबर है।

सीतापुर से दुधुवा रेल सेवा जो कि हजारों लोगों के लिए सुविधा का साधन है, उसको तुरन्त चालू किया जाना चाहिए। रेल सेवा से ये लोग रोजाना मिलानी से दुधुवा आते-जाते हैं। इन दोनों जगहों का इस रेल सेवा से तुरन्त मिलान करना आवश्यक है, क्योंकि लोग अदालत बगैरह इसी गाड़ी से पहुंचते थे। इस गाड़ी के कैंसिल करने से अब समस्या बहुत गंभीर हो गई है।

मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि वे तुरन्त सीतापुर-मिलानी रेल सेवा को दुधुवा तक जाने का आदेश दें।

(चार) दूरदर्शन का देश भर में विस्तार

**श्री माधवराव सिन्धिया** (गुना) : मैं नियम 377 के अंतर्गत सभा का ध्यान देश में टेलीविजन ट्रांसमीटरों की स्थापना के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

यह सिद्ध करने के लिए तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लोगों के विचारों और धारणाओं पर टेलीविजन का न व्यापक प्रभाव पड़ता है। जनता की राय को शिक्षित करने के लिए यह एक प्रभावी संचार माध्यम है। भारत में जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी अशिक्षित है, टेलीविजन राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं जैसे परिवार नियोजन के लिए आम आदमी की स्वैच्छिक और सक्रिय सहयोग प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके शिक्षाप्रद पहलू को देखते हुए संपूर्ण देश में टेलीविजन की व्यवस्था करना सरकार की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। "इन्सैट" को छोड़ने से अब यह अप्राप्य लक्ष्य नही रह गया है।

इस समय देश की केवल 16 प्रतिशत जनता को टेलीविजन की सुविधा प्राप्त है। छठी पंचवर्षीय योजना में मार्च, 1985 के अन्त तक यह सुविधा 33 प्रतिशत लोगों तक पहुंचानी है और इस उद्देश्य से क्षेत्रीय टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के लिए 87 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

यदि सरकार वर्तमान टेलीविजन केन्द्रों से प्रोग्राम रिले करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर ट्रांसमीटरों की स्थापना करती है तो केवल 50 करोड़ रुपये की लागत से टेलीविजन की सुविधा देश की लगभग 75% जनता को सुलभ हो जाएगी। जबकि क्षेत्रीय टेलीविजन केन्द्र की स्थापना में 6·5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। ट्रांसमीटर की स्थापना केवल 45 लाख रुपए की लागत से की जा सकती है और यदि आवश्यक हुआ तो ट्रांसमीटर के निर्माण में 1 करोड़ रुपए और लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसमीटर को चलाने का खर्च क्षेत्रीय टेलीविजन केन्द्र के मुकाबले बहुत कम आएगा।

इसलिए मैं निम्न सुझाव देता हूं :

(1) वर्तमान माइक्रोवेव टावरों की बनावट में कुछ परिवर्तन करके उनका उपयोग ट्रांसमीशन टावरों के रूप में किया जा सकता है ताकि उनकी भार वहन क्षमता बढ़ सके। मुख्य टेलीविजन केन्द्रों से प्रोग्राम रिले करने के लिए उन पर ट्रांसमीटरों की स्थापना की जा सकती है।

(2) पहले चरण में 4 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को टेलीविजन सुविधा के अन्तर्गत लाने के लिए ट्रांसमीटरों की स्थापना की जा सकती है।

(3) यदि माइक्रोवेव टावर उपलब्ध नहीं हैं तो ट्रांसमीटरों को आसानी से ऊंचे स्थान जैसे ऊंची इमारतों, पहाड़ियों अथवा किलों पर की जा सकती है।

(4) डाक तथा तार विभाग को नए माइक्रोवेव टावरों का निर्माण करते समय उन पर ट्रांसमीटरों की स्थापना की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए।

(5) मध्य प्रदेश में ट्रांसमीटरों की स्थापना करते समय इसके मुख्य नगर जैसे इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर, जगदलपुर और रतलाम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(6) इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए और इसको क्रियान्वित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि 1985 तक छठी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

यदि 'इन्सैट' के उपयोग का यह तरीका अपनाया जाता है तो सरकार को 87 करोड़ रुपए के स्थान पर 50 करोड़ रुपया व्यय करना पड़ेगा। इससे 37 करोड़ रु० की बचत होगी। इसके साथ-साथ टेलीविजन की जो सुविधा देश की केवल 33 प्रतिशत जनता को मिलेगी और जो इसमें भारी खर्च अलग से होगा, उसके बदले ऐसा करने से दुगनी जनता यथा देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी तथा इसमें कम खर्च आयेगा और दीर्घकालीन बचतें होगी।

(पांच) दहेज के कारण हत्या के मामलों का शीघ्र निपटान

**श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा** (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन दिनों दहेज के कारण मृत्यु होने की अनेक घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में पुलिस ने ऐसे मामलों में कार्यवाही करना आरंभ कर दिया है। तथापि ऐसे मामलों में प्रक्रिया के कारण न्यायालय द्वारा निर्णय देने में बहुत समय लग जाता है। समय बीतने के साथ-साथ कई बार साक्ष्य लुप्त हो जाता है और पीठासीन अधिकारियों का स्थानाँतरण हो जाता है, जिससे मामले का शीघ्र निपटारा नहीं हो पाता।

हाल ही में काशगंज की एक लड़की, जिसकी शादी मई, 1981 में हुई थी, की हत्या किए जाने का समाचार है, क्योंकि उसकी ससुराल वालों की दहेज तथा धन की मांग पूरी नहीं की गई थी। संदेह से बचने के लिए उसकी ससुराल वालों ने लाश को दिल्ली जाने वाली एक गाड़ी के डिब्बे में रख दिया। लाश सड़ गई थी। यदि दिल्ली पुलिस ने अवहेलना की होती, तो उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। दिल्ली पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करके दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के पिता और भाई को धमकी दी जा रही है कि यदि उन्होंने मामले को वापस नहीं लिया, तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। अतः लड़की के परिवार वालों को संरक्षण देना सरकार का नैतिक कर्तव्य है।

ऐसी व्यवस्था की जाए कि पुलिस ऐसे मामलों में कठोरता से कार्यवाही करे तथा इस प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं जिन्हें विशेष अधिकार हों, ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके और अपराधियों को दंड दिया जा सके।

(छ) तमिलनाडु में एक सत्यापन अधिकारी और एक मन्दिर के चौकीदार की कथित हत्या की जांच करने की आवश्यकता

**श्री के० मायातेवर** (डिन्डिगल) : तमिलनाडु में तिरुचेंदुर मंदिर की 'हुंडी' (तिजोरी) टूटी हुई पाई गई थी और बड़ी मात्रा में धन, सोना और हीरे जवाहिरातों को लूट लिया गया था। न्यासी बोर्ड की अवैध गतिविधियों की जाँच करने वाले जांच अधिकारी की हत्या कर दी गई थी और एक चौकीदार की भी हत्या कर दी गयी थी ताकि गम्भीर अपराध उजागर न हो सकें। डी० एम० के० के अध्यक्ष करुणानिधी और जनता की भी मांग पर न्यायाधीश पाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। पाल आयोग ने डाकुओं और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कानूनी कार्यवाही करने हेतु सिफारिश की थी। तमिलनाडु सरकार ने कोई सिफारिश नहीं की। डी० एम० के० के अध्यक्ष ने 50 हजार डी० एम० के० कार्यकर्ताओं और लाखों लोगों के साथ मदुराई से तिरुचेंदुर से 200 किलोमीटर की पदयात्रा की और यह मांग की कि या तो तमिलनाडु सरकार कार्यवाही करे या इसकी जांच सी० बी० आई० से कराई जाय, तमिलनाडु सरकार ने डाकुओं और हत्यारों के विरुद्ध पाल आयोग के प्रतिवेदन पर कोई ठोस अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। तमिलनाडु पुलिस ने भी इस गम्भीर घटना पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए मैं गृहमंत्री से अनुरोध करता

हूं कि वह भगवान मुरुगा तिरुचेंदुर मंदिर में हुई चोरी और दुहरे हत्याकाँड की घटनाओं की जांच सी० बी० आई० से कराये जैसा कि तमिलनाडु की अधिकांश जनता ने माँग की है।

## (सात) दार्जिलिंग जिले की तीन पहाड़ी सब-डिवीजनों के लिए एक सांविधिक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना

**श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग)** : महोदय, 23 सितम्बर 1981 को पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने एक संकल्प पारित करके यह प्रस्ताव किया था कि दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी सब डिवीजनों के लिए एक सांविधिक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना की जाये और इस प्राधिकरण को पश्चिम बंगाल राज्य के अन्दर पर्याप्त कार्यकारी, प्रशासनिक, वित्तीय और प्रत्यायोजित विधायी शक्तियां दी जानी चाहिये जो राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल के सम्पूर्ण प्राधिकार और नियंत्रण के अधीन होंगी।

संकल्प में केंद्र से अनुरोध किया गया था कि वह ऐसे प्राधिकरण की स्थापना के प्रश्न पर विचार करें और शीघ्र ही एक समिति की स्थापना करें जिसमें राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के प्रतिनिधि और प्रसिद्ध न्यायविद् हों तथा जो इस प्रयोजन हेतु संविधान में उपयुक्त संशोधन करने का सुझाव दें। इस संकल्प में केंद्र से यह भी अनुरोध किया गया कि केंद्र 2 जुलाई 1977 को राज्य विधान सभा द्वारा पारित पिछले संकल्प के अनुरूप भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए तात्कालिक कदम उठाये। महोदय, आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल किए जाने की माँग केंद्रीय सरकार के पास बहुत अधिक समय से लंबित है, इस न्यायोचित माँग को पूरा करने के बदले केंद्रीय सरकार केवल अस्पष्ट आश्वासन दे रही है। इस मामले पर सारे भारत में नेपाली भाषी लोग काफी उत्तेजित हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से और अधिक विलम्ब करने से अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी।

इन परिस्थितियों में मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह दार्जिलिंग के पहाड़ी लोगों को क्षेत्रीय स्वायतता देने और भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित संकल्प को पूरा करे। मेरी माँग है कि संबंधित मन्त्री इस सभा में एक वक्तव्य देकर इन मामलों पर सरकार के रुख को स्पष्ट करे।

———

## अनुदानों की मांगें 1982-83 जारी

### (एक) श्रम मंत्रालय—जारी

**अध्यक्ष महोदय** : यह सभा श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी ।

मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे ।

**श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह अवसर के अनुरूप है कि श्रम मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एक वरिष्ठ श्रमिक नेता श्री बिन्देश्वरी दुबे— जो इस समय यहां उपस्थिति नहीं हैं— ने आरम्भ की । वह उन श्रमिक संघों के इस विचारधारा के प्रतिनिधि हैं जो यह विश्वास करते हैं कि उत्पादन में श्रमिक को उसका हिस्सा मिलना चाहिए— परन्तु साथ में उत्पादन का पहिया जाम नहीं होना चाहिए, यह अबाध रूप से चलता रहना चाहिए ताकि वितरण के लिए अधिक उत्पादन हो और उन लोगों को भी हिस्सा मिले जो धन पैदा करते हैं।

श्री दुबे ने चर्चा में अपना जो योगदान दिया है मैं उसी की प्रशंसा करता हूं क्योंकि उन्होंने सरकार की श्रमिक नीति को सराहा है और साथ ही साथ श्रम मन्त्रालय में सुधार के लिए रचनात्मक आलोचना भी की है । उनके साथ श्री ए० टी० पाटिल, श्री एच० के० एल० भगत, श्री कुंवर राम, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री कमलनाथ, श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी, श्री महेन्द्र प्रसाद, श्री एम० रामगोपाल रेड्डी ने सरकार की नीति की सराहना की है और रचनात्मक आलोचना भी की है । मैं समझता हूं कि उनमें से, श्री व्यास और श्री राम गोपाल रेड्डी को छोड़कर, यहां कोई भी उपस्थित नहीं है । मैं विशेष आभारी इसलिए भी हूं क्योंकि श्री मोहम्मद इस्माइल और राजन ने सरकार की नीति की गलत फहमी में आलोचना की है । और कोई रचनात्मक आलोचना नहीं की है, उन्होंने जो कुछ कहा वह सब नकारात्मक था, मैं श्री राम विलास पासवान, श्री चित्त बसु, श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री सत्यनारायण जाटिया, श्री होरो और श्री पीयूष तिरकी का आभारी है । मैं विशेष रूप से पलानी अध्यक्ष का भी आभारी हूं ।

वाद विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों ने अपने तरीके से सरकार की श्रम नीति की सराहना की है परन्तु दूसरी तरफ बैठे कुछ सदस्यों ने इसकी आलोचना की है परन्तु मैं श्री बिन्देश्वरी दुबे की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हुं कि इस देश के कामगारों ने देश के प्रति अपना प्यार और प्रधान मन्त्री के नेतृत्व पर आस्था पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है । उनकी देश-भक्ति के बिना 1980-81 और 1981-82 में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी सुधार न होता जबकि जनता शासन के वर्षों में उत्पादन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में चहुंमुखी गिरावट आई है ।

श्री दुबे ने नीति की सराहना करते हुए इस देश में संविधानिक श्रमिक संघ आन्दोलन को मजबूत करने के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं। इस देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए इस देश में श्रमिक संघ आन्दोलन चलना चाहिए परन्तु यह संविधानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए; ऐसा संविधान जो जनता द्वारा निर्वाचित सभा से पारित किया गया है। इसलिए जो हम निर्णय लेते हैं उसका तदनुसार पालन किया जाना चाहिए। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि श्रम संगठन संविधानिक पद्धति पर चलाकर अधिक उत्पादन और वितरण किया जा सकेगा।

माननीय सदस्य ने यूनियनों के अधिक संख्या में होने का उल्लेख किया है। उन्होंने विचार विमर्श की प्रक्रिया को मजबूत बनाने और स्वैच्छिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देते हुए विचार विमर्श और मध्यस्था की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उसने कहा है कि राष्ट्रीय श्रमिक संघ होने चाहिए परन्तु उनकी संख्या 50,000 या 1 लाख जितनी अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया है कि देश में या उद्योग में श्रमिकों वाली यूनियनों की संख्या 10 प्रतिशत होनी चाहिए— अन्यथा उनसे वार्ता करना और मामलों पर निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। यह एक बड़ा सम्मेलन जैसा हो जायेगा। इसलिए मैं इस सुझाव की सराहना करता हूं कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करने के लिए इस स्तर पर जो केन्द्रीय श्रमिक संघ बनाने की सिफारिश की है, उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस समय सम्मेलनों और आई. एल. ओ. के लिए जो कमेटी है, हम इसके लिए चार राज्यों और उद्योगों में 5 लाख श्रमिकों की संख्या निर्धारित करने पर निर्णय कर रहे हैं। सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि देश में महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने वाले विभिन्न निकायों में श्रमिकों का समुचित प्रतिनिधित्व हो।

सरकार औद्योगिक शांति में विश्वास रखती है और इसके लिए कार्य कर रही है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि देश में औद्योगिक सम्बन्धों में अधिक सहयोग, समरसता और शांति होनी चाहिए, हम इस विचार का समर्थन करते हैं कि विवादों का निर्णय समझौता, मध्यस्थता तथा न्यायनिर्णय के आधार पर होना चाहिए ताकि औद्योगिक सम्बन्ध न बिगड़े। हम चाहते हैं कि औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र मजबूत बने ताकि विवादों को उत्पन्न न होने देने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जा सके और पार्टियों का समझौता कराने के लिए उनकी सहायता की जा सके।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने तीन क्षेत्रों में अर्थात् बंगलौर, चण्डीगढ़ और गोहाटी में तीन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय स्थापित किए हैं। हमने इस तंत्र को और सशक्त किया है तथा इसमें सहायक श्रम आयुक्त संवर्ग के 11 अधिकारी नियुक्त किए हैं जिनमें जम्मू और काशमीर तथा हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालेण्ड और अरुणाचल प्रदेश जैसे सदूर पूर्वोत्तर में तथा दक्षिणी कर्नाटक और सुदूर दक्षिणी केरल

में इस बारे में न्याय प्रदान किया जा सके। ये अपने विवादों को हल करने के लिए अपने औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र की व्यवस्था कर सकते हैं।

मुझ से यह पूछा गया है कि वास्तविक रूप से कार्य करते समय इनके औद्योगिक सम्बन्ध तंत्रों से क्या परिणाम निकलता है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने 1981 में 7,899 विवादों में हस्तक्षेप किया था तथा मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इनमें से 82 प्रतिशत मामलों पर निर्णय किया था, उनमें से 58 प्रतिशत मामलों का निर्णय औपचारिक बातचीत अथवा अनौपचारिक बातचीत के द्वारा किया गया। 50 प्रतिशत मामलों को जिनमें समझौते न हो सके, हमने न्याय निर्णय के लिए भेजा, 547 मामलों में हड़ताल की धमकी दी गई थी जिनमें से हम 92 प्रतिशत मामलों को हड़ताल की स्थिति को रोककर सुलझाने में सफल हुए। तीन ताला-बन्दी मामलों को भी टालने में सफलता मिली। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी समय पर कार्य कर रही है तथा कार्य बन्द होने की स्थिति को टालने के लिए निवारक कार्यवाही कर रही है। 82 प्रतिशत और 92 प्रतिशत के आँकड़ों से स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाती है। मुझे उस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे मित्रों ने यह कहा है कि औद्योगिक विवादों को न्याय निर्णय अथवा मध्यस्त के पास भेजने के पश्चात् उनके निर्णय में होने वाले विलम्ब को कम किया जाना चाहिए, मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। मेरे विचार से विलम्ब अवधि में कमी की काफी गुंजाइश है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि मामलों को शीघ्र निपटाया जाये। हमने यह निर्णय किया है कि प्रत्येक न्यायाधिकरण को एक महीने में 6 मामले निपटाने चाहिए। हम इस बात की मासिक समीक्षा कर रहे हैं तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नियम का पालन किया जाता रहे। हम यह भी विचार कर रहे हैं कि एक अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाय जिससे अन्तर्राज्यीय मामलों को निपटाया जा सके। हम इससे सम्बन्धित प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं जिससे उन्हें शीघ्रता से लागू किया जा सके। मेरे अभिप्राय इन सभी कार्यों से है तथा उनको मेरे मंत्रालय द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकारों को तद्नुसार सलाह दे दी गई है। इतना नहीं वरन इस मंत्रालय में एक औद्योगिक सम्बन्ध मानीटरिंग यूनिट भी स्थापित कर दी गई है। किस लिए ? समय पर कार्यवाही करने तथा निवारक मध्यस्तता के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए। 167 मामले सौंपे गए थे जिनमें से 67 मामलों में काम बन्द होने की स्थिति को बचाया जा सका।

अनेक बार इस सदन में व्यापक औद्योगिक संबन्ध विधेयक के बारे में कहा गया है। अधिकांश सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कहना और सुनना बड़ा अच्छा लगता है। यदि सम्भव हो तो अवश्य लाया जाना चाहिए, किन्तु एक बात का ध्यान रखना चाहिए देश में विद्यमान मिश्रित औद्योगिक संबंध प्रणाली के कारण

इस प्रकार का व्यापक विधान लाया जाना बहुत कठिन है क्योंकि इस प्रकार के कानूनों की क्रियान्विति के बारे में जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार ऐसे कानून दूसरे दिन ही पुराने पड़ जाते है। इसीलिए मैंने किसी भ्रामक व्यापक विधान की बात नहीं चलाई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जैसे ही इसकी आवश्यकता होगी मैं अपने अनुभव के अनुसार तथा समय की माँग के अनुरूप सभा के समक्ष उस अधिनियम में आंशिक संशोधन प्रस्तुत करूंगा तथा मैं एक महत्वपूर्ण विधेयक ही लाऊंगा तथा उसे पारित कराने का प्रयत्न करूंगा।

यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने श्रम मंत्री की हैसियत से—इसके लिए मैं श्री भगत को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका उल्लेख किया। संसद में अर्थात् राज्य सभा में सर्वप्रथम औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। यह व्यापक विधेयक नहीं था किन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण था जिसमें यह व्यवस्था भी कि किसी श्रमिक के निलम्बन के तीन महीने की अवधि के पश्चात् उसके निर्वाह भत्ते को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया जाये। यह सदस्यों को बताता है कि "कृपया इसे स्वीकार कर लीजिये। ऐसा मत सोचिए कि इसे जनता की राय मानने के लिए परिचालित किया जाए और इसका विरोध किया जाये" क्योंकि इससे श्रमिकों की विलखन की अवधि से उनको सहायता मिलेगी तथा उन्हे अधिक राशि मिल सकेगी, मैं इसी प्रकार सोचता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं श्रमिक संघ अधिनियम में संशोधन करने का प्रयत्न कर रहा हूं तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में भी मेरा विचार है कि अस्पतालों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के बारे में भी एक विधेयक लाया जाये जो अपनी प्रकार का एक वयान ही विधेयक होगा।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सुझाया है अथवा एक यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया है जो औद्योगिक सम्बन्ध आयोग के बारे में है, आयोग के कृत्य दोनों में समझौता कराना, यूनियनों को प्रतिनिधित्व के रूप में मान्यता प्रमाणित करना तथा औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करना। किन्तु मुझे सदन को यह बताते हुए खेद है कि अधिकांश हितों में अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधान पर अधिक से अधिक लोग सहमत हो सकें। वे यूनियनों के प्रतिनिधित्व की स्थिति का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सहमत नहीं हो सके। वे किसी यूनियन को मान्यता देने के लिए उसकी प्रात्रता की स्थिति का निर्णय करने की कसौटी पर सहमत नहीं हुए।

उस दिन मेरे मित्रों ने यहां यह कहा था कि गुप्त मतदान के बारे में क्या कहना है। श्री राजन और श्री मोहम्मद इस्माइल जैसे मित्रों ने गुप्त मतदान पर विशेष बल दिया था। किन्तु प्रश्न है कि गुप्त मतदान किसके द्वारा यूनियन के सदस्य श्रमिकों द्वारा अथवा सभी श्रमिकों द्वारा क्या यह आम चुनावों की तरह है जिसके लिए लोग मतदान हेतु मांग करते हैं;

साथ ही गुप्त मतदान के उस कुप्रभाव को जो औद्योगिक सम्बन्धों और देश में उत्पादन पर पड़ेगा भी देखना होगा ।

वे सहमत नहीं हुए, और यह दुर्भाग्य की बात है कि वे न तो इस बारे में सहमत हो पाए कि यूनियन के प्रतिनिधि सम्बन्धी स्वरूप को किस प्रकार तय किया जाये और न ही उसके साथ बातचीत के लिए पात्रता निर्धारित करने के बारे में सहमत हो पाए । इसके अभाव में श्रम मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना बहुत कठिन है ।

गत दो वर्षों से जब से हमने सत्ता संभाली है देश में औद्योगिक शांति की स्थिति पहले से बहुत अच्छी रही है, हमारे कुछ मित्रों ने नष्ट हुए जन दिवसों का उल्लेख किया है । नष्ट हुए जन दिवसों को वर्ष 1979-80 में हुए नष्ट जन दिवसों के संदर्भ में देखना चाहिए । 1979 में 43.85 मिलियन जन दिवस नष्ट हुए, 1980 में 21.93 मिलियन जन दिवस नष्ट हुए । जनता शासन की अवधि की तुलना में आधे से भी कम संख्या में जन दिवस नष्ट हुए हैं । 1981 में 25.50 मिलियन जन दिवस नष्ट हुए जबकि जनता शासन काल में 43.85 मिलियन जन दिवस नष्ट हुए थे । वे मुझसे क्या मानने या निर्णय करने के लिए कह रहे थे ? 1980 की तुलना में हमारे काल में हुई थोड़ी सी वृद्धि का कारण यह था कि बंगलौर में सरकारी उपक्रमों में अवांछित हड़ताल की गई थी । मैं इसे अवांछित इसलिए कहता हूं क्योंकि हड़ताल और जबरन छुट्टी की घटना के महीनों बाद भी उन्होंने किसी समझौते पर सहमति व्यक्त की जिसकी पेशकश उनसे पहले ही की गई थी । उस हड़ताल की आवश्यकता तथा न्याय संगति भी की क्या ? उसमें केवल यही संगति थी कि उसमें औद्योगिक नेता के स्थान पर कुछ राजनीतिक नेताओं के होने का विचार रखा गया था और इतनी सी बात के कारण ही इतने जन दिवस नष्ट किए गए (व्यवधान) और इसलिए आप भी हैं । यह आपके सुनने समझने के लिए है न कि श्री व्यास के लिए क्योंकि श्री व्यास इस नीति का समर्थन करते हैं ।

अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शासन के लगभग दो वर्षों की अवधि में हमने औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार किया है जिसका पता देश में हुई उत्पादन-वृद्धि से चलता है । किन्तु दुर्भाग्य से कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिन्हें मद पसन्द नहीं है, यह उनके अनुकूल नहीं है । अतः उन्होंने देश में हड़ताल की मांग की ।

19 जनवरी को उन्होंने भारत बन्द आरम्भ किया किन्तु उसे त्याग दिया गया । उन्होंने देखा लोग भारत बन्द का समर्थन नहीं कर रहे हैं । तब उन्होंने सोचा कि शायद श्रमिक उनका साथ देंगे । अतः उन्होंने 19 जनवरी को औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया । परिणाम क्या रहा ? इस ओर से श्री गिरधारी लाल व्यास श्री एच. के. एल. भगत जैसे मित्रों ने उस ओर से श्री राजन, श्री मोहम्मद इस्माइल और श्री पीयूष तिरकी जैसे मित्रों ने इसका उल्लेख किया है । यह सच्चाई है । आप मुझे असत्य कहने के लिए क्यों विवश करते हैं, सचाई यह है कि 19 जनवरी की हड़ताल विफल रही । श्रमिक लोग अपने उपक्रमों और संस्थानों में गए तथा उन्होंने

निष्ठापूर्वक कार्य किया तथा उन्होंने उससे अधिक का उत्पादन किया जितने की उनसे सामान्यत: अपेक्षा की जाती है जिससे आपको यह ज्ञात हो जाए कि आप उन्हें राजनीतिक स्वार्थों के लिए गलत रास्ते पर मत घसीटिये इसको रंग देने के लिए 19 तारीख की हड़ताल की गई थी। उन्होंने कुछ मांगे बनाली जिनका उल्लेख श्री राजन ने किया था। मुझे याद है कि उनकी एक मांग यह थी कि तस्करों को गिरफ्तार किया जाये वह हम कर रहे हैं। वितरण प्रणाली का जहां तक सम्बन्ध है वह आज भारतीय अर्थव्यवस्था का कमजोर वर्गों के बारे में मांग बन गई है श्रम और अन्य मामलों में इसका ध्यान रखा जाता है। किन्तु मुख्यत: ई. एस. एम. ए. पर बल दिया गया था। श्रम मंत्री ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया। किन्तु उन्होंने कहा कि जब तक आप ई. एम. एम. ए. को तत्काल तथा बिनाशर्त हटाने को सहमत नहीं हैं इस पर कोई बात चीत नहीं हो सकती। मेरे पास केवल दो दिन का समय था, किन्तु मैं उनसे बातचीत करना चाहता था। किन्तु या तो वे मिलते ही नहीं थे अथवा बातकरने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि उनका विचार था कि 19 तारीख को वे सरकार के विरुद्ध अपनी औद्योगिक जगत की शक्ति को दिखायेंगे। उनका यही भ्रम था जो उस दिन उनके सामने आ गया। ई० एस० एम० ए० है क्या ?

**श्री हरीश बहादुर :** दबाये रखने का उपाय है।

**श्री भागवत झा आजाद :** श्री हरीश बहादुर जैसे बहकाये हुए युवक के लिए यह दबाये रखने का उपाय है किन्तु देश के समझदार व्यक्ति के लिए नहीं जो देश के हित के बारे में मननशील है, जो यह सोचते हैं कि यदि किसी दिन बन्द का आह्वान किया गया तो देश में जल विद्युत, दुग्ध बूथ और अन्य चीजों से सम्बन्धित आवास सेवाएं बन्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्री हरीश बहादुर और उनकी पार्टी द्वारा बन्द का आह्वान किया गया है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह बन्द का आहवान कर सकते हैं।

लेकिन इसके अलावा, यदि ऐसा कहा गया है, हम बिजली बंद कर देने अथवा वाटर पाइप काटने के द्वारा समुदाय को परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकते। यह अनिवार्य सेवा अधिनियम कोई अधिकार नहीं छीन लेता है। इस सदन में एक यह मुद्दा उठाया गया है कि सामूहिक सौदेबाजी खत्म कर दी गई है और श्रमिकों द्वारा हड़ताल किए जाने का अधिकार छीन लिया गया है। ऐसी बात नहीं है। कोई अधिकार नहीं छीना गया है। यह अधिकार देने वाला एक ऐसा उपाय है जिसमें उद्योग की उचित अधिसूचना के बाद और वह भी विशेष परिस्थितियों में, जहाँ इनके अस्त-व्यस्त होने अथवा व्यवधान पड़ने की संभावना है, इस उपाय पर विचार किया गया है। और मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो एक बन्द के अवसर पर और विशेष परिस्थितियों में देश अथवा शहर में अंधेरा कर देता है अथवा वाटर पाइप काट देता है चाहे वह एक मजदूर हो अथवा एक श्रमिक हो अथवा एक राजनीतिक अथवा सामाजिक नेता हो, वह एक भारतीय नहीं है अपितु एक असामाजिक तत्व है जिसे पकड़ लेना चाहिए। अत: अनिवार्य सेवा अधिनियम श्रमिक विरोधी नहीं है। यह केवल अधिकार देने वाला खण्ड है जो अवसर पड़ने

अथवा इसकी संभावना उत्पन्न होने पर और अनिवार्य सेवाओं में बाधा अथवा गड़बड़ी होने की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप इस देश में समुदाय के जीवन को खतरा हो जाता है, प्रयुक्त किया जाता है । अत: मैं कहता हूं कि 19 तारीख की हड़ताल असफल थी क्योंकि श्रमिकों ने महसूस किया था कि ..... (व्यवधान) ।

**एक माननीय सदस्य** : न केवल असफल अपितु पूरी तरह से असफल रही थी ।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं सहमत हूं कि यह पूरी तरह से असफल रही थी ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी (आंगल-भारतीय)** : यह बहुचर्चित असफल रही थी, मैं इसे यही कहूंगा ।

**श्री भागवत झा आजाद** : जैसा श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा है यह एक बहुत अच्छा शब्द है । बहुचर्चित असफल थी । यही कारण है कि मैं कहता हूं कि इस देश में औद्योगिक सम्बन्धों में बाधा अथवा गड़बड़ी करने, जो गत दो वर्षों में पुनरुज्जीवित हुई है, का प्रयास कर रहे और इस प्रकार के कार्यों में लगने वाले मित्र इस बात को नोट करें । औद्योगिक संबंध वस्त्र अथवा सूट की तरह एक दुकान में नहीं सीये जाते हैं । औद्योगिक संबंध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ढांचा है जो श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक वैज्ञानिकों और प्रशासन के द्वारा कई वर्षों के दौरान कार्य-करण के अनुभव द्वारा बनाया जाता है और यह उन मित्रों के लिए आसान है जो इन्हें समाप्त करना चाहते हैं । अत: मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वह इस पहलू पर विचार करें । औद्योगिक सम्बन्ध उत्पादन में वृद्धि करने की प्रवृत्ति से बनाये जा सकते हैं और अनुसरित किये जा सकते हैं और हम इसके लिए अपने राजनीतिक स्वार्थों में लग जाते हैं ।

प्रधान मन्त्री ने वर्ष 1982 को उत्पादिकता वर्ष के रूप में घोषित किया है । मेरे मित्र श्री हरिकेश बहादुर ने कहा है कि यह अशांति का वर्ष हो सकता है । मेरे युवा मित्र सदैव अशाँति के संदर्भ में विचार करते हैं ।

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : हम सहयोग देना चाहते हैं । लेकिन आप हमारा सहयोग मांग नहीं रहे हैं । वे केवल इसकी बात करते हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : हम संवैधानिक तरीकों से सहयोग मांग रहे हैं न कि व्यवधान डाल कर और केवल नारे लगाकर । मुझे माफ करें, युवा होने पर मेरे मित्र कभी-कभी भटक जाते हैं ।

सावन में मरुस्थ भी हरे हो जाते हैं,
कांटे भी बहारों में महक जाते हैं ।
इस नादान जवानी में न झुंझलाओ तुम,
इस उम्र में सभी बहक जाते हैं ।

अत: मैं इसके लिए इस युवा सदस्य को क्षमा करता हूं। मैंने जो कहा है वह उस पर बिचार करें। मैं यह नहीं कहता कि मैं उनके सहयोग के बिना यह कार्य कर सकता हूं। एक लोकतंत्रवादी विपक्ष के साथ असहयोग के संदर्भ में कभी नहीं सोच सकता है।

इस देश में औद्योगिक सम्बन्ध नीति को श्री चित्त बसु और श्री राजन का सहयोग मिलना चाहिए। श्री चित्त बसु इसको अनुमोदित करते हुए अपना सिर हिला रहे हैं। श्री इस्माइल, जो अनुपस्थित हैं, ने सभी प्रकार किए हैं कि मंत्री 'असंगत हैं और कि मैं' 'बेचारा' हूं। यह सभी अलंकार मेरे बारे में प्रयुक्त किए गए थे कि मैं 'असहाय' हूं और मेरे लिए कुछ करना संभव नहीं है। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन यह मत भूलिये। कृपया इसे याद रखें। मुझे कोई रचनात्मक बात बतायें और मैं दिखाऊंगा कि यह किस प्रकार की जा सकती है। मैं न तो असहाय हूं और न ही 'बेचारा' हूं। मैं श्रीमती गांधी की सरकार में श्रम मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली सम्पर्क-सूत्र हूं जो अच्छी बातें करेगा।

लघुता में भी कृष्ण आज साँपों से बहुत बड़ा है,
विषधारी मत डोल मेरा आसन बहुत कड़ा है।

कृपया बेचारा, असहाय अथवा असंगत के संदर्भ में न विचार करें। यह एक अत्यन्त संगत और शक्तिशाली मंत्रालय है जो औद्योगिक सम्बन्धों पर विचार करता है। यह असहाय हो जाता है अथवा आप इसे ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि उत्पादन से श्रमिकों को भटकाने की ओर ले जाने से आपका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। अत: उत्पादन के इस वर्ष में गरीबी और बेरोजगारी की दो बुराइयों का उत्मूलन करने की अथक लड़ाई का मुकाबला करने के लिए हमें सहयोग चाहिए। इस बारे में मैं सभी सदस्यों का सहयोग मांगता हूं।

उत्पादिकता के इस वर्ष में हमें सच्ची भावनाओं से द्विपक्षीय समझौते को पुनरुज्जीवित करना है— द्विपक्षीय समझौता जो अब इस्पात और कोयला उद्योग में कार्य कर रहा है। समझौते समाप्त हो रहे हैं। यह सच है। मैं आशा करता हूं, काम देने वाले मन्त्रालय और कार्मिक संघ के नेता गया सहयोग की इसी भावना के साथ मिलकर बैठेंगे और आपस में द्विपक्षीय समझौते करेंगे जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था।

मैं त्रिपक्षीय समितियों को पुनरुज्जीवित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय सदस्य, श्री विदेश्वरी दुबे, श्री ए० टी० पाटिल और विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने इस बारे में कहा है। मैं कपड़ा, पटसन, बागान, रसायन और इंजीनियरी सम्बन्धी त्रिक्षपीय समितियों को पुनरुज्जीवित करने का प्रस्ताव करता हूं। और इस समिति में कार्मिक संघों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारा उचित प्रकार से विभिन्न संघों के सदस्यों की जांच करने का प्रस्ताव है। क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि जब तक ठीक प्रकार से जांचे गये सदस्य संख्या के आधार पर एक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक मैं इस देश में श्रमिक बल के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श नहीं कर सकता और इन्हें हल नहीं कर सकता।

भारतीय श्रम सम्मेलन अथवा राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, आप इसे जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, बुलाने के लिए एक सुझाव है। मेरा विचार राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अथवा जो नाम आप देना चाहें, को बुलाने का है ताकि हमारे समक्ष जो महत्वपूर्ण मामले हैं, और जिन पर अब तक बहुत से परामर्श और विचार-विमर्श से सहमति नहीं हुई है, उन्हें दोबारा पुनरुज्जीवित किया जा सके। मैं त्रिपक्षीय समितियों को अपना समर्थन और सहयोग भी देता हूं।

उत्पादिकता के इस वर्ष में मैं प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए भी अपना समर्थन देता हूं। इस सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष द्वारा बल दिया गया है। मैं और न ही मेरी सरकार शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। हम विश्वास करते हैं कि यह हमारे लिए विश्वास की बात है कि जब तक श्रमिकों को न केवल उत्पादन में अपितु उत्पादन के वास्तविक प्रबन्ध में भी अपना उचित हिस्सा नहीं मिलता, उत्पादन करने से पूर्व उसे पता होना चाहिए लक्ष्य क्या हैं, इसके लिए कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है, उसका कितना योगदान है, प्रबन्धक-वर्ग कितना कार्य करेगा, पूंजी का अपना कितना हिस्सा है तब तक वह उत्पादन के प्रबन्ध में वास्तविक भागीदार नहीं हो सकता है। अतः हमारे लिए यह औद्योगिक संबंधों का अभिन्न अंग हैं। मैं प्रधान मंत्री को उद्धृत करते हुए इससे अच्छा नहीं कह सकता हूं जिन्होंने कहा है कि श्रमिकों की उत्साहवर्धक भागीदारी के बिना आर्थिक कार्य के किसी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। उन्होंने "श्रम-एव-जयते" के साथ सरकार के लिए विश्वास और विश्वास की बात के इस महत्वपूर्ण विवरण को जोड़ दिया है। सच्चाई की जीत होती है। इस औद्योगिक युग में और इससे पूर्व भी श्रम ही सच है। अतः "श्रम-एव-जयते" के उनके इस कथन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें बेरोजगारी और गरीबी की दो बुराइयों से लड़ता है मैं दोबारा बल देता हूं कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। वर्ष 1952 से, जब मैं एक युवा सदस्य के रूप में प्रथम लोक सभा में आया था, मैं सरकारी क्षेत्र का अन्ध समर्थक हूं। अब मैं आह्वान करता हूं कि सरकारी क्षेत्र, जिसका मैंने इन सभी वर्षों में सनर्थन किया है और समर्थन करता रहूंगा, प्रबन्ध में श्रमिकों की वास्तविक भागीदारी के लिए मार्ग-दर्शक बने और गैर-सरकारी क्षेत्र को ऐसा करने के लिए कहे।

मुझे बताया गया है कि इस समय 189 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संगठनों में से 122 में यह लागू किया जा रहा है। सत्र की समाप्ति के बाद मैं इनमें से कुछ संगठन देखूंगा कि उन्होंने यह किस प्रकार किया है ताकि मैं अपने सामने एक आदर्श रख सकूं और अन्य संगठनों को ऐसा करने के लिए प्रेरणा दे सकूं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के राज्य एककों का संबंध है, ऐसे 1050 एकक हैं जो इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। इस अर्थ में हमारा विचार प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए पूरा विचार करने का है।

एक आदर्श और दर्शन, जिसे समझ लिया गया है, का प्रचार करने के लिए एक राष्ट्रीय गोष्ठी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रीय गोष्ठी, जैसी पिछली बार आयोजित हुई, अथवा क्षेत्रीय गोष्ठियां अथवा प्रचार के अन्य साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता है जिससे

यह पूरी तरह से सफल हो और हमारा विचार यह सब करने का है । हमने इस प्रयोजन के लिए श्रमिक शिक्षा का सुझाव दिया है । श्रमिक संस्थानों को भी इसमें योगदान देना चाहिए ।

परन्तु इससे भी अधिक उपक्रमों को, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के हों । मजदूरों के लिए अपने द्वार खोलने का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए जिससे कि वे उपक्रमों के कार्यकरण की जानकारी हासिल कर सकें । और शाप स्तर पर, सयन्त्र स्तर पर और उच्चतम स्तर पर सच्चे भागीदार के रूप में काम कर सकें जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है ।

इस देश में श्रमिकों के उत्थान के लिए काफी सहायक एक अन्य कार्यक्रम है और वह है प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम । हम यहां पर काफी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी, बंधुआ मजदूर के पुनर्वास तथा उचित दर दुकानों के साथ सम्बद्ध हैं । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से इस देश के श्रमिक वर्ग को सहायता मिलेगी ।

जैसा कि मैंने कहा है और जैसा कि घोषणा की गई है । श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 31 वें सत्र में निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रोजगार के सभी स्रोतों में न्यूनतम मजूरी को संशोधित किया गया है और यह संशोधन पाँच वर्षों में नहीं किया गया है जैसा कि कानून में कहा गया है अपितु दो वर्गों में अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की वृद्धि होने पर किया गया है । हमने केन्द्रीय क्षेत्र में संशोधन कर दिया है । 1 अक्तूबर 1981 से एक अन्य संशोधन किया जाना है क्योंकि 50 अंकों की वृद्धि हो चुकी है । हमने इसे अधिसूचित कर दिया है और सलाहकारी बोर्ड की मंजूरी के साथ हमारा शीघ्र ही ऐसा करने का विचार है । यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने यह कर दिया है और कुछ अन्य कर रही हैं ।

माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में दो-तीन अवसरों पर उचित ही इस बात पर बल दिया गया कि केवल न्यूनतम मजूरी अधिनियम बनाया जाना ही पर्याप्त नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाये । मैं उनसे सहमत हूं और मैं इसके कार्यान्वयन के संबंध में उनके समान चिंतित हूं । इस प्रकार के बड़े देश में जिसमें 540 लाख अथवा अधिक कृषि श्रमिक हों जो गांवों में फैले हों, जब शोषण की पुरानी प्रकृति वाले कुछ जमीदार हों तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम कार्यान्वयन तन्त्र को सशक्त बनायें । हम ऐसा कर रहे हैं और हमने राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है । इस उद्देश्य के साथ हम मजूरी संदाय अधिनियम, 1936 का संशोधन कर रहे हैं और उसके द्वारा कठोर दंड देने तथा शिक्षा के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं । इसी प्रकार हम न्यूनतम मजूरी अधिनियम का भी संशोधन कर रहे हैं जिससे कि संशोधन सुगम हो, बारम्बार किया जा सके और प्रक्रिया को चाहे अधिसूचना के द्वारा अथवा समिति पद्धति से अथवा सदस्यों के सुझाव के अनुसार वी. डी. ए. फार्मूले के द्वारा सुगम बनाया जा सके । यह सब हमारे विचाराधीन हैं ।

माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय मजूरी नीति का उल्लेख किया है। यह सच है कि इस सम्बन्ध में अनेक प्रयास किए गए हैं। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय मजूरी नीति के लिए काफी समय से मॉग की जा रही है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी, सारे देश के लिए एक समान आर्थिक वेतन की दर के रूप में न तो संभव है और न अपेक्षित है। तथापि यह संभव है कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न एक समान क्षेत्रों में क्षेत्रीय न्यूनतम अधिसूचित किया जा सकता है और उक्त क्षेत्रीय न्यूनतम को नियत करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं।

श्रम मंत्रालय मूल सिद्धान्तों का विवरण, जो मजूरी नीति के भाग हो, तैयार करने के लिए इस प्रश्न पर विचार करता रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में मजूरी नीति के मूल तत्वों तथा मुख्य कार्य का मोटे तौर पर उल्लेख है। श्रम मंत्रालय का यह प्रयास है कि मजदूरों, नियोजकों तथा अन्य सम्बद्ध हितों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से अगले राष्ट्रीय त्रि-पक्षीय श्रम सम्मेलन में, जिसको बुलाने की मैंने अभी घोषणा की है, इन विचारों को मूर्त रूप दिया जाये। इस बीच न्यूनतम मजूरी के क्षेत्र में श्रममंत्रियों के अगस्त 1981 में हुआ सम्मेलन ने सिफारिश की कि जो श्रमिक न्यूनतम मजूरी अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते उनको न्यूनतम मजूरी का लाभ पहुंचाने के लिए एक सामान्य न्यूनतम मजूरी की प्रणाली लागू की जाये। ऐसी सामान्य न्यूनतम मजूरी उपयुक्त सरकार द्वारा रोजगार के निश्चित समूहों जैसे कि कृषि, दुकानों तथा प्रतिष्ठानों और कारखाना प्रतिष्ठानों में क्षेत्र-वार अथवा राज्य-वार सम्बद्ध सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। हमारी सरकार सामान्य न्यूनतम मजूरी की इससे कल्पना को प्रवाभी बनाने के तरीकों पर विचारकर रही है जिससे ऐसे लोगों को, जो गरीबी की रेखा के नीचे है, इस स्तर तक लाया जा सके और कम से कम उन्हें गुजारे लायक मजूरी दी जा सके। यह बताया गया है कि यह सरकार अब वापस आ गई है और ऐसी न्यूनतम मजूरी पर विचार कर रही है जो गरीबी की रेखा से नीचे न हो। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सामान्य न्यूनतम मजूरी उन पर लागू होगी जो अभी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि उसमें रोजगार नहीं होगा जहां पर न्यूनतम मजूरी गरीबी की रेखा से अधिक ऊपर नहीं होगी। गरीबी की रेखा से ऊपर के स्तर पर मजूरी है और रहेगी भी उस पर कोई रोक नहीं है। इस बारे में जो भी भ्रान्तियां हैं वह दूर होनी चाहिए।

एक अन्य पहलू है बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं। मैंने प्रश्नोत्तर काल में कभी भी यह दावा नहीं किया है और न अब कर रहा हूं कि सभी बंधुआ मजदूरों का पता लगा सके हैं; उनको स्वतंत्र करा सके हैं और उनका पुनर्वास कर सके हैं। बंधुआ मजदूर इस सारे देश में फैले हैं। गांधी संगीत प्रतिष्ठान जिसका श्रीमती प्रमिला दंडवते ने उल्लेख किया, के प्रति मैं असहानुभूतिपूर्ण नहीं हूं। परन्तु मैं उन तरीकों, चुनाव तथा नमूनों के संबंध में असहानुभूतिपूर्ण हूं जिसके अनुसार बंधुआ मजदूर की व्याख्या को व्यापक बनाया जाता है और संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर 24 लाख दिखाया जाता है। यह हो सकता है कि मेरे किसी मित्र ने संस्थान को गुमराह किया हो परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि इन लोगों का पता लगाये

जाने का काम न केवल सरकार द्वारा किया जाना है। अपितु प्रत्येक गांव में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी किया जाना है। नमूना सर्वेक्षण द्वारा ऐसा किया गया है और उनकी संख्या 3 लाख आँकी गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा यह दावा नहीं है कि सभी बातें कर दी गई हैं। परन्तु मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस बात को आप समझें कि सरकार 133,000 बंधुआ मजदूरों का पता लगा चुकी है और उनको मुक्त करा चुकी है और उनमें से 1.19 लाख का पुनर्वास किया जा चुका है। हमने 1981-82 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 2.50 करोड़ रु० की राशि दी है। परन्तु आप हर बात से इन्कार करते हैं आप इसके लिए सराहना नहीं करना चाहते। अपना दिल खोलें और यह कहें कि "आपने बहुत कम काम किया है"। मैं वह स्वीकार कर लूंगा। परन्यु आप यह कहते हैं "आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है"। यह सच्चा विपक्ष नहीं है जो सच्चाई की ओर ध्यान न दे तथा केवल हवा में ही बातें करें। अत: मुझे यह कहना है कि बंधुआ मजदूर के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ किया है। इसी प्रकार उचित दर दुकानों की बात है। ये बातें 20 सूत्री कार्यक्रम में हैं। परन्तु इनसे आगे भी बहुत कुछ है। मेरे मित्र पूछते हैं कि कृषि मजदूरों के लिए पेंशन का क्या हुआ? उन्होंने कल्याण निधि की बात की है और अनेक अन्य बातें की हैं। मुझे केवल इतना कहना है कि मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता और ठीक-ठीक उत्तर देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पेंशन तथा अन्य सुविधाएं, कल्याण, शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं देश में उन बड़े कार्यक्रमों के द्वारा ही दी जा सकती हैं जो योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से आरम्भ किये हैं। यह राज्य सरकारों के काम हैं। वे यह कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में बिहार को देखें। बिहार में सरकार ने 60 वर्ष से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन दी है जिसमें सभी कृषि मजदूर भी सम्मिलित हैं। बिहार सरकार इस पर 70 करोड़ रु० व्यय कर रही है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करेंगी। इससे स्थिति में सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री द्वारा सिंचाई शिक्षा, मकानों के लिए स्थान, पीने का पानी के बारे में दिए गए 20 सूत्री कार्यक्रम से उनकी स्थिति में बहुत सुधार होगा तथा इस देश में कृषि मजदूर की गरीबी तथा निस्सहायता पर वास्तविक चोट होगी।

यह हमारा प्रयास है कि हम अथवा सरकार के कानून तथा नीतियों का गांवों में वास्तविक कृषि मजदूरों तक पहुंचें। संगठन और जागरूकता के अभाव से उनको नुकसान पहुंचा है। इसी कारण हम चाहते हैं कि निशुल्क रूप से काम करने वाले कार्यकर्त्ता हों। मैं अपने मित्र श्री कंवर राम की भावनाओं को समझ सकता हूं। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि इन सभी वर्षों के बाद हमने केवल निशुल्क कार्यकर्त्ताओं की मांग ही महसूस की है। यह उनके दिल की आवाज है अत: मैं इसको समझता हूं। वह ऐसे क्षेत्र से हैं, ऐसे वर्ग से हैं, मैं भी उसी वर्ग से हूं और समझता हूं कि गरीबी क्या है : कन्धों पर भार ढोने का क्या अर्थ है। अत: मैं यह कहूंगा कि "देर आए दुरस्त आए"। हमने अब पूरी गंभीरता से इस बात के लिए कदम उठाये हैं कि कृषि श्रमिक कानूनों में सुधार हो।

हम उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, मजदूर संघ संगठित कर रहे हैं, सहकारिताएं बना रहे हैं। 415 खंडों में आठ राज्यों में हमने निशुल्क कार्यकर्त्ता नियुक्त किए हैं। मेरे एक माननीय मित्र ने सुझाव दिया कि श्रम सुपरवाईजरों की तरह ब्लाक सुपरवाईजर नियुक्त किए जायें। हम इस पर विचार करेंगे और इस बारे में राज्य सरकारों की सलाह पूछेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए 35 लाख रु० हैं। अतः हम बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उनको मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए और देश में कृषि श्रमिक के लिए न्यूनतम मजूरी की नीति को कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

हमने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड से भी कहा है कि वे भी इस पर विचार करें जिससे कि प्रौढ़ शिक्षा, उत्पादकता शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा का उनमें प्रसार किया जा सके। वे भी पाठ्यक्रम को इस प्रकार का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम उनको बता सकें कि उनके लिए क्या किया जा सकता है और वे स्वयं क्या करें। श्रीमती प्रमिला दंडवते तथा कुछ अन्य सदस्यों ने श्रमिक शिक्षा की बात की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रमिक शिक्षा श्रम मंत्रालय का एक बहुत बड़ा कार्य तथा कार्यक्रम है। यह मधुर औद्योगिक संबंधों का आधार है। हम इसके प्रसार की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उत्पादकता बढ़ सके तथा वे अधिक उत्तरदायी बन सकें और उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया जा सके। अतः हम श्रमिक शिक्षा का जहां तक हो सके प्रसार करना चाहते हैं।

श्रमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बोर्ड के अध्यक्ष बहुत ही प्राचीन मजदूर संगठन नेता श्री रामानुजम करते हैं। वह सभी संभव प्रयास कर रहे हैं।

यह एक त्रिपक्षी निकाय है। इसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं और अन्य लोगों के भी। एक व्यवसायी संघ उसके साथ सहयोग नहीं करता है—ठीक है; अकेला चना भाड़ नहीं भोड़ता। अन्य भी हैं जो कार्य करेंगे। वे इसे बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। छठी योजना में 1980-81 के दौरान हमने 176 लाख रुपये और 1981-82 के दौरान 195 लाख रु०, खर्च किए। 1982-83 के दौरान 220 लाख रु० खर्च करने का विचार है। इसलिए, इससे हमारी रुचि का पता चलता है।

माननीय मंत्री जी ने बीड़ी कर्मचारियों के कल्याण के बारे में कहा है। उपकर लगाकर हम अधिक चिकित्सालय, अधिक अस्पताल खोलने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमने राज्य सरकारों को उनके न्यूनतम वेतन के बारे में भी लिखा है तथा कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है। मुझे आशा है कि अन्य राज्य भी ऐसा ही करेंगे। इसी प्रकार खनिज-खानों के बारे में, डोलोमाइट और चूना पत्थर (लाइम स्टोन) खानों के बारे में, हम इसे कल्याणकारी निधि से कर रहे हैं। श्री व्यास ने सोप-स्टोन को भी इसमें शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। कठिनाई यह है कि इस समय जबकि आपने नोटिस दे रखा है; यदि मैं इसे शामिल करता हूं, तो मुझे पुनः मंत्रीमण्डल की अनुमति लेनी पड़ेगी और इसमें देरी होगी। मैं ने जो कहा है वह यह है कि "एक विस्तृत विधायी प्रक्रिया के रूप में इसके बारे मैं विचार

करें। जब कभी आप ध्यान दिलायेंगे मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा। मुझे इसे सदन में रखना होगा और उसी समय एक विस्तृत विधायी प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी, एक सौ धाराये आ जायेंगी।" मेरे कुछ मित्र एक दो बातों से सहमत नहीं हैं जिससे सारी बातें ही स्थिर हो जायेंगी और हमें इनका अनुभव है। श्री गिरधारीलाल व्यास जी, हम लोग इस मामले की जाँच करेंगे। मुझे मालूम है कि आपने इसके बारे में इतनी गंभीरता से क्योंकि विचार किया क्योंकि 1977 में 4,024 कर्मचारियों में से लगभग 3220 कर्मचारी राजस्थान सोप-स्टोन में हैं। हम देखेंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं।

मकानों के निर्माण के बारे में ; लौह अयस्क में 12,980 मकानों की स्वीकृति दी गई थी और 11,459 मकान बन चुके है।

लाइम स्टोन और डोलोमाइट में 3,154 मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और 1,000 मकान बन चुके हैं।

माइका खान में 930 मकान स्वीकृत किये गये थे और उनमें से अधिकांश मकान बन चुके हैं।

इसीलिए मैं कहता हूं कि "कल्याण" पर अथवा शिक्षा पर, या मकानों पर अथवा आवास के संबंध में हम यथाशक्ति देने और यथा संभव काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

अब मैं बेरोजगारी के प्रमुख मुद्दे पर आता हूं। इस पक्ष तथा उस पक्ष के सभी सदस्य इसके प्रति चिंतित हैं। दोनों पक्ष के इरादे वास्तव में भिन्न हो सकते हैं किन्तु मैं इस पक्ष अथवा उस पक्ष के ईरादों को चुनौती देता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर, श्री मोहम्मद इस्माइल, श्री आर० पी० यादव, श्री एच०के०एल० भगत जी, श्री गिरधारीलाल व्यास जी, और दोनों पक्ष के अन्य अनेकों मित्रों ने इस बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की है।

हाल में ही 1 अप्रैल 1982 को, ठीक एक सप्ताह पूर्व, रोजगार के बारे में केन्द्रीय समिति की बैठक हुई थी। इस केन्द्रीय समिति में संसद के दस माननीय सदस्य हैं। वास्तविकता यह है कि उस दिन सदन का सत्र चल रहा था और केवल एक माननीय सदस्य समिति में उपस्थित हुए थे। नौ माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। वस्तुतः वे यहां बोले थे। मैं उनका नाम नहीं लेता।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : मैं इस ओर हूं।

**श्री भगवत झा आजाद** : किन्तु आप दूसरी तरफ क्यों नहीं देखते ? मैंने केवल इस तरफ की बात नहीं की थी। मैंने यह कहा था कि दस में से केवल एक आये थे।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैंने यह नहीं कहा ।

**श्री भगवत झा आजाद** : मैंने यह नहीं कहा कि इस तरफ आये और उस तरफ नहीं आये । अब आप सही हैं ।

इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं ; नियोक्ता संगठन हैं । महिला संगठन हैं ।

दिन भर की चर्चा के बाद जो प्रमुख मुद्दा निकला है, वह यह है कि देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या के संदर्भ में युवा पुरुष और महिलाओं में स्व-नियोजन को बढ़ावा देना चाहिए ।

इसलिए तो, जिला श्रम-शक्ति और रोजगार उत्पादक परिषद स्थापित किये जा रहे हैं ।

यह माना गया है कि इस स्थिति में स्व-नियोजन भारतीय अर्थतंत्र की नई संस्कृति है जो बेरोजगारी तथा गरीबी दोनों ही समस्याओं का समाधान कर सकती है । इसलिए, छठी योजना में इस मुद्दे पर बल दिया गया है और कुछ उपाय सुझाये गये हैं । मैं उन सब की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इन मुद्दों पर माननीय सदस्य अपने भाषणों में बोल चुके हैं । अन्ततोगत्वा माननीय सदस्यों ने यह नहीं कहा कि कितनी मात्रा में और क्या-क्या उपाय किये जायें ताकि हमारे युवक-युवतियों को रोजगार मिल सके ।

मुझे यह कहना है कि स्व-नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हम लोग समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ओर ध्यान दे रहे हैं जहां कृषि और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों में 150 लाख परिवारों को स्व-नियोजन के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

हमारे पास ओपरेशन फ्लड-II तथा डेयरी विकास परियोजना के अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें 130 परिवार नियुक्त होंगे ।

रेशम उद्योग में 90 लाख व्यक्ति लगेंगे ।

ट्राइसेम लोगों को स्व-नियोजन के योग्य बनाने के लिए प्रति वर्ष गांव के लगभग 2 लाख युवकों को प्रशिक्षण देगा ।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम, उद्यमकर्त्ता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के लिए इंजीनियर और गैर-इंजीनियर भी समाहित होते जा रहे हैं ।

छठी योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या को नए सिरे से निपटाने के लिए अनेकों नीतियां बनाई जायेंगी, जिन्हें हम मार्गदर्शन, ऋण सुविधा, विपणन, प्रशिक्षण तथा अन्य उपायों के रूप में कार्यान्वित करना चाहते हैं ;

आशा की जाती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष रोजगार के 3000 से 4000 लाख श्रमिक दिन प्राप्त हो सकेंगे । इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम बेरोजगारी की समस्या सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं । न मैं और न मेरी सरकार इस बात का दावा करती है कि अमुक अवधि के भीतर हम इसे समाप्त कर देंगे । ऐसा दाबा तो उन्होंने ही किया था और उन्होंने कहा था तथा उनके प्रधान मन्त्री ने कहा था कि एक निर्धारित अवधि के भीतर वे ऐसा कर देंगे । हम न ऐसा विचार प्रकट करते हैं अथवा दावा करते हैं कि हम एक विशेष अवधि के अन्तर्गत यह कर देंगे ।

हम यह कहते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस बुराई, इस विपत्ति से लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं और हमें हैं कि आगामी वर्षों में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । मैंने जो कुछ कहा है, उसके अलावा भी सभी के लिए रोजगार की गणना का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । किंतु मैंने जो उदाहरण दिए हैं, उससे इस पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो कमी आयेगी, वह परिलक्षित होगी ।

चालू रजिस्टर से पता चलता है कि रोजगार चाहने वालों की संख्या 1979 और 1980 में 13 प्रतिशत से घटकर 1980 में 10 प्रतिशत पर आ गई है । इसी प्रकार मान्यता प्राप्त क्षेत्र में रोजगार 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया है । इसी प्रकार अधिसूचित रिक्तियां सात प्रतिशत बढ़ गई हैं ।

इसीलिए मैं जो कुछ कहता हूं वह यह है । रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में जो बड़े-बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से हमारे पास 970 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, इस प्रकार हमारे पास आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय प्रक्षिक्षण संस्थान हैं— जिनके द्वारा हम रोजगार और प्रशिक्षण दे रहें हैं । मुझे याद है कि श्री होरो ने कहा था कि ये सब शहरी क्षेत्र में है और उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वे पंचायत-वार और ब्लाक-वार हों । मैं कहूंगा कि अपने देश के सीमित साधनों को ध्यान ने रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का पंचायत-स्तर पर होना सम्भव नहीं है । किंतु उन्होंने जो कुछ कहा है और जो महत्वपूर्ण है कि इसका रुझान शहरों की तरफ न होकर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ होना चाहिए । हम लोग इस दिशा की ओर विचार कर सकते हैं और जो सर्वोत्तम हो, वह कर सकते हैं । स्व-नियोजन उपलब्ध कराने के लिए हमारा विचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त 1982 से स्व-नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है, वही हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।

अनेकों सदस्यों ने ठेके वाले श्रमिक नैमित्तिक श्रमिक और प्रवासी श्रमिक के बारे में चर्चा की है । श्री होरो ने प्रवासी श्रमिकों के बारे में ठीक ही कहा है । उन्होंने मुझे मेरे राज्य की याद दिला दी । यह सच है कि बिहार से बड़ी संख्या में श्रमिक देश के अन्य भागों में प्रवास कर रहे

हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी यही हो रहा है। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मचारी अधिनियम, 1979 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम 2 अक्टूबर,1980 से प्रभावी हुए हैं। उसको लागू करने का दायित्व·····।

**श्री चित्त बसु (बारसाट)** : कुछ राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं।

**श्री भगवत झा आजाद** : कुछ राज्य सरकारों ने बना लिए और कुछ ने नहीं बनाए हैं। हमने उन्हें नियम बनाने के लिए कहा है। किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण है उनका लागू करना। लागू उन सरकारों को करना हैं जहाँ से वे प्रवास करते हैं और जिस राज्य में वे कार्य करते हैं दोनों को ही लागू करना होगा।

अत: ठेकेदार को उस राज्य से भी लाइसेंस लेना होगा जहाँ से वे आए हैं तथा उससे भी जहां वे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं।

अत: मैं कहूंगा कि मैं इधर-उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं नैमित्तिक श्रमिकों की बात कर रहा हूं। हमारे मित्र प्रो० मधु दण्डवते जानते हैं वह रेल मंत्री रह चुके हैं कि इन श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है। वह उनके लिए कितना कुछ कर सके थे? क्यों नहीं कर सके थे ? कल उन्होंने चुपचाप तथा दबे स्वर में कहा था। अब मैं भी अपनी आवाज को दवा हुआ ही रखूंगा। रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक हैं। परन्तु सरकारी नीति यह है कि जहां उन्होंने 180 दिन काम किया है, उन्हें स्थायी कर दिया जाना चाहिए। अत: हमारा जोर इसी बात पर है। इस का हल नैमित्तिकता हटाना है और हम इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठेका श्रमिकों के बारे में एक और बात यह भी है। एक अधिनियम पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी सम्भव हो, नैमित्तिकता को समाप्त किया जाए, इन श्रमिकों को नियमित किया जाए। मैं जानता हूं अधिनियम में क्या त्रुटि है। मैं यह सत्य जानता हूं कि जहां कहीं भी राज्य सरकारों की समितियों की अनुमति से उक्त नैमित्तिकता को समाप्त किया गया, वहां वैकल्पिक नौकरी अथवा रोजगार का प्रश्न खड़ा हो गया। इसलिए कार्य दशा को सुधारने के लिए और नैमित्तिकता हटाने पर उन्हें सर्वोत्तम फिरके में लाने के लिए, उन्हें नौकरियां दी जायें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम नहीं जानते हैं कि हम ऐसा कहां तक कर सकेंगे परन्तु हम अपना भरसक प्रयास जरूरी करेंगे।

एक सदस्य ने पालेकर निर्णय के बारे में कहा था··· ।

**श्री समर मुखर्जी (हावड़ा)** : आप हमें ठेका श्रमिकों के बारे में बताईये।

**श्री भगवत झा आजाद** : मैंने दोनों के बारे में कहा—ठेकेदारों के बारे में भी और श्रमिकों के बारे में भी।

अब हम पालेकर निर्णय के बारे में बात करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं परन्तु पालेकर निर्णय को क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकारों का हैं।

892 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से जिन्होंने सूचना भेजी है, केवल 393 तो इन्हें क्रियान्वित कर चुके हैं, 47 ने अंशत: क्रियान्वित की है और 142 ने अभी क्रियान्वित नहीं की है तथा 42 ने न्यायालयों में याचिकायें दायर की हैं। 30 ने बन्द कर देने के नोटिस दिए हैं जिनमें से 6 ने वित्तीय कारणों से ऐसा किया है। हमने राज्य सरकारों को, जो कि उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए वस्तुत: जिम्मेवार हैं, इसे क्रियान्वित करने को कहा है।

अंशकालिक संवाददाताओं के बारे में हम कह चुके हैं कि वे भी अन्य पूर्णकालिक संवाददाताओं के ही समान हैं। जहां उनकी छंटनी की जाती है, वहां हमने राज्य सरकारों से कहा है कि यदि बातचीत द्वारा मामला नहीं सुलझता है तो इसके निर्णय के लिए उपयुक्त तंत्र बनाया जाये।

संक्षेप में मैं कहूंगा कि मैंने माननीय सदस्यों के सभी मुद्दों पर अपना उत्तर दे दिया है और शायद ही कोई मुद्दा बच गया हो। मैं यथावश्यकता इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारी श्रमनीति तथा उसका सारांश, संविधान के निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। मैं हमेशा ही स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा योजनाबद्ध विकास एवम् सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील रहा हूं। इस सरकार की श्रम नीति श्रमिकों, नियोक्ताओं तथा प्रशासकों के साथ संरचना के फलस्वरूप बनी है। सरकार ने द्विपक्षीय वार्ताओं तथा श्रमिकों की भागीदारी की योजनाओं के माध्यम से जिनका जिक्र मैं विस्तार से कह चुका हूं, श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु भी अनेक उपाए किए हैं। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि सरकार की श्रम नीति ऐसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है जिनका मैं पहले ही विस्तार से जिक्र कर चुका हूं परन्तु इस कार्य में हमें अपना मार्गदर्शन हमेशा निदेशक सिद्धांतों से ही मिलता है ताकि उनके लिए, कहे अधिनियमों में संशोधन करके जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि—उन श्रमिकों की कार्यदशा बेहतर बना सकें और हम उन्हें अधिकाधिक सहूलतें देने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं एक बात भूल गया हूं। वह उपदान के बारे में है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है जिसके अधीन श्रमिक के लिए 240 दिन की बात श्रमिकों के लिए बड़ी कठिन हो गई है। हम उक्त निर्णय के प्रकाश में अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखेंगे कि श्रमिकों को मात्र इस बात के लिए कठिनाई में ना पड़ना पड़े कि उनकी कार्य-निरन्तरता में एक दिन का अवरोध पड़ गया था। मुझे श्री दुबे ने एक उदाहरण दी कि एक श्रमिक ने 27 वर्ष तक कार्य किया और क्योंकि डेढ़ दिन का अवरोध था उसे हानि उठानी पड़ी। यह बिल्कुल गलत बात है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में हम अधिनियम में संशोधन करेंगे तथा श्रमिकों को उनका हक देंगे। अत: विभिन्न कानूनों में अपने समाजवादी सिद्धाँतों तथा नीतियों के अनुरूप संशोधन करके हम इस देश के श्रमिकों को यथा सम्भव अधिकतम लाभ देने का प्रयास करेंगे। इसी तरह मैंने संगठित श्रमिकों के बारे में भी विस्तार से कहा है। बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या को हल करने में बीस सूत्री कार्यक्रम भी हमारे प्रयासों को और अधिक

सार्थक बनायेगा । 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई क्षमता के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ बनाना, समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा करना, ग्रामीण रोजगार, भूमि का वितरण, न्यूनतम मजदूरी को प्रभावी ढंग से लागू कराना, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, ग्रामीण परिवारों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना—ये सब बातें औद्योगिक तथा कृषि दोनों ही प्रकार के श्रमिकों की दशा सुधारने में एक नयी दिशा तथा एक नयी क्रांति पैदा करेंगी ।

महोदय, स्वयं रोजगार के नयी प्रवृति के हर प्रकार प्रोत्साहन दिया जायेगा अन्त में, मैं यह दावा करता हूं कि यह बात उद्योग मन्त्री कहा करते हैं—कि इस देश की औद्योगिक तथा कृषि संबंधी बढ़ोत्तरी मेरे कारण—यानि श्रम मंत्री के कारण हुई है जोकि इस देश के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है—कि देश में, वर्ष 1979-80 के 1.4 प्रतिशत की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में अब 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (व्यवधान) यह वर्ष 1980-81 से बेहतर स्थिति है । स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 1979-80 को छोड़कर कभी कहीं गिरावट नहीं आई जबकि वृद्धि केवल 1.4 प्रतिशत हुई थी ।

महोदय इस समय वृद्धि का प्रतिशत 10 है और हमने समूचे ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है जिसके कारण कोयले के उत्पादन में 11.3 प्रतिशत की, विक्रय-योग्य इस्पाद के उत्पादन में 17.5% की, विद्युत उत्पादन में 11.3% की, कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 1979-80 में यह उत्पादन 10.9 करोड़ टन था जो कि वर्ष1980-81 में बढ़कर 12.9 करोड़ रु० हो गया था कितनी अभूतपूर्व वृद्धि है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आजाद साहिब आप भारतीय श्रमकों को इसके लिये बधाई दे सकते हैं जिन्होंने आपके हाथ मजबूत किये हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद :** मैं यही तो कह रहा था । आपने मुझ से पहले ही कह दिया । मैं आंकड़े इसलिये दे रहा हूं ताकि उनका श्रेय श्रमिकों को मिले, मैं यह भी कहता हूं कि हमें चैन नहीं है । जब तक हमें आपका सहयोग नहीं मिलता हम कैसे उत्पादन में सर्वतोंमुखी वृद्धि कर सकते हैं ? श्रमिकों के सहयोग बिना यह कैसे संभव है ? मैं इसका सारा श्रेय श्रमिकों को देता हूं जिन्होंने उत्पादन कार्य में संलग्न रह कर देश को अपना निरन्तर सहयोग दिया है । मैंने उन्हें असन्तोष के समय जीवन दिया था । 19 जनवरी की हड़ताल असफल हुई थी क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया था कि उसके पीछे राजनैतिक स्वार्थ था ।

महोदय, इस देश में श्रमिकों ने अपनी देश भक्ति से यह सिद्ध कर दिया है कि वे हमारी प्रधान मंत्री के पीठ पर हैं जिन्होंने उनके कल्याण के लिये तथा बेहतरी के लिए श्रम प्रधान नीति उन्हें दी है । अतः श्रीमन् में दावा करता हूं कि उम्र वृद्धि का कारण यही सत्य है । परन्तु मैं यही भी कहूंगा कि हम इससे भी संतुष्ट नहीं हैं । शायद आप इसे महसूस न करें । मैं आपको तथ्य तथा आंकड़े दे सकता हूं । मैं समझता हूं कि भीतर से तो ये लोग खूब अनुभव

करते हैं कि हमने दो वर्षों में क्या कुछ कर दिया है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक और अधिक प्रगति न कर लें।

जब तक न मिटेगी भूख और नगण्यता हठ पायेगी,
जब तक न देश की कोटि कोटि जनता रोटी पाएगी।
जब तक न देश के-नौनिहाल समुचित शिक्षा पायेंगे,
जब तक न खेत खलिहानों के श्रमिक बंधु गायेंगे कि

"राम राज्य आ गया"

तब तक हम चैन नही लेंगे। उपाध्याक्ष महोदय, इस देश की श्रमनीति का यही उद्देश्य है। तब तक, हम उसके लिये काम करते रहेंगे। जैसाकि मैंने कहा, खेतों, कारखानों दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को उनका हक नहीं मिल रहा है। वे देश के लिये पर्याप्त धन सम्पदा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हम सभी समाज के लिये कार्य कर रहे हैं। हमें आप सब अपना आर्शीवाद दें कि हम हर तरफ उत्पादन बढ़ाये। मुझे आशा है कि विपक्ष के माननीय सदस्य हमें इस महान उद्यम में अर्थात निर्धनता दूर करने तथा देश में बेरोजगारी मिटाने तथा उत्पादन बढ़ाने में भी अपना रचनात्मक सहयोग तथा समर्थन देंगे। उक्त सहयोग के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हरिकेश बहादुर। वह कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैं एक अत्यन्त साधारण स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में वस्तुतः बहुत सी शंकाये दूर कर दी हैं। परन्तु उन्होंने कुछ और शंकाये भी पैदा कर दी हैं।

मैं यहां कहना चाहूंगा कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा जिसका प्रश्न मैंने कल उठाया था। मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि कटिहार पटसन मिल में श्रमिक समस्या है जहाँ श्रमिकों का दमन किया जा रहा है।

मैं उसकी समस्याओं को जानता हूं मैंने उस स्थान का दौरा किया है। इसे पहले भी माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में लाया गया था। समस्या यह है कि पहले सरकार ने कटिहार जूट मिल का अधिग्रहण किया था लेकिन बाद में मिल के मालिक को इसे सुपुर्द कर दिया। अब मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस मिल का पुनः अधिग्रहण करने और राष्ट्रीयकरण करने जा रही है ?

**श्री भगवत झा आजाद** : महोदय, मुझे आशा है, कि नेशनल हेरल्ड के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता सही है और उनकी सहानुभूति अन्यत्र कहीं केन्द्रित नहीं हैं।

जहां तक, कटिहार जूट मिल का सम्बन्ध है, इस समय पूरे तथ्य मेरे पास नहीं हैं लेकिन, न्होंने मुझे बताया है तो मैं इस बावत पत्र लिखूंगा ।

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : महोदय, अपने विस्तृत और रचनात्मक भाषण में माननीय मन्त्री मदोदय ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या का उल्लेख नहीं किया है । क्योंकि, गत 80 दिनों से बम्बई में कपड़ा मिलों में अपंगु करने देने वाली हड़ताल चल रही है जिससे देश को प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए की हानि हो रही है । हजारों लोगों पर इसका असर पड़ रहा है । दो-तीन दिन पहले मैं बम्बई में था । इस नगर में पहले से ही बहुत अधिक तनाव है । क्या माननीय मन्त्री महोदय सदन को यह बताएंगे कि क्या उन्हें इस समस्या की जानकारी है और वह क्या करने जा रहे हैं ?

दूसरे, अनेक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कानून हैं जो इस समय जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते । क्या माननीय मन्त्री महोदय, इसका अध्ययन करने की कृपा करेंगे क्योंकि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के मजदूर भी वैसे ही भारतीय नागरिक हैं जैसे कि अन्य प्रान्तों के । उन्हें इन कानूनों का संरक्षण मिलने से क्यों वंचित किया जाए ? क्या वे राज्य सरकार को इन कानूनों का क्षेत्राधिकार स्वीकार ने हेतु समझाएंगे ?

श्री भगवत झा आजाद : महोदय, जहां तक बम्बई कपड़ा मिल हड़ताल का संबंध है, इस सदन में मैंने पहले ही विस्तृत वक्तव्य दे दिया है और इसीलिए अपने इस समय दिए उत्तर में मैंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है । यदि माननीय सदस्य महोदय चाहते हैं कि मैं उन बातों को दोहराऊं तो श्रीमन मैं 19 जनवरी की हड़ताल के बारे में कही अपनी बातों के साथ कहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र में बल प्रयोग से अथवा जनशक्ति द्वारा विवादों को निपटाने अथवा निपटाए गए मामलों को बिगाड़ने की एक अन्य प्रवृत्ति पनप रही है । जैसा कि मैंने कहा, हमें विश्वास है । कि सलाह मशवरे द्वारा, समय के साथ साथ, औद्योगिक कानूनों की संस्कृति विकसित हुई है जिसमें मेल मिलाप, मध्यस्थता और न्याय निर्णय शामिल हैं, लेकिन अचानक बीच में कोई दादा आ जाता है वह बड़े जोर शोर से अपनी मांगे उछालता है और हिंसा से उनका समर्थन करता है और अधिकारियों अथवा सरकार से मांगों को स्वीकार करने अथवा परिणाम भुगतने को कहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में कोई भी सरकार इस प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकती । यह सरकार द्विपक्षीय समझौते—मजदूरों और उद्योग के बीच हुए समझौते की पावनता में विश्वास करती है । यह सरकार संसद अथवा बम्बई विधान सभा के कानून जिसे बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम नाम से जाना जाता है, को लागू करने में विश्वास करती है—जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं कि उस अधिनियम में—संशोधन की आवश्यकता है —लेकिन उस अधिनियम में कोई भी संशोधन इस तरीके से नहीं किया जा सकता ।

महोदय हमने इसे कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाया हुआ है। प्रतिष्ठा का मुद्दा किसके साथ ! 2.5 लाख मजदूरों के साथ ! बिल्कुल नहीं। लेकिन, उस तत्व को जिसने इस स्थिति के लिए मजदूरों को गुमराह किया। अवश्य ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं उन माननीय सदस्यों से जो इस सम्बन्ध में मुझसे कह रहे हों अनुरोध करूंगा कि वे मजदूरों से अपील करें वशर्ते कि बम्बई के मजदूरों आर० एम० एम० ए० में उनका कोई प्रभाव हो, मुझे आशा है कि वे द्विपक्षीय समझौते और इसकी पावनता में विश्वास रखते हैं। उन्हें मजदूरों से अपील करनी चाहिए — आने और काम करने की। उनकी जो कुछ भी शिकायतें हैं, निश्चित रूप से संवैधानिक तरीके से उनको निपटाया जा सकता है। बम्बई की कपड़ा मजदूर हड़ताल के बारे में मुझे यही बात कहनी है। हड़ताल समाप्त होती जा रही है। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि मजदूर काम पर लौट आयें और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी रूप में हिंसा को प्रोत्साहित न करें।

जम्मू और कश्मीर में श्रम कानूनों को लागू करने के बारे में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हम भविष्य में भी कोशिश करते रहेंगे ताकि सभी प्रवृद्ध श्रम कानूनों को जम्मू और कश्मीर में लागू कराया जाए, सभी श्रम कानूनों को प्रबृद्ध किया जाए। हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। यदि डा० कर्णसिंह ने इस दिशा में कुछ पहल की थी, अब वह कुछ कर सके होते तो यह हमारे लिए अत्यन्त आसान रहा होता। न तो उन्होंने इस बारे में कुछ किया और न हम ही कुछ अधिक कर सकने की स्थिति में रहे हैं। लेकिन हम इस दिशा में हर संभव कदम उठा रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मोनों के लिए पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा जब तक कि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता कि उसका कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

**कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 65 और 66 के लिए कार्यसूची के स्तम्भ होंगे। दर्शाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ में दिखाई गई भजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

| मांग संख्या | माँग का नाम | 16 मार्च, 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की माँग की रकम | | सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | | राजस्व रु० | पूंजी रु० | राजस्व रु० | पूंजी रु० |
| 65 | श्रम मंत्रालय | 18,52,000 | — | 92,62000 | — |
| 66 | श्रम और रोजगार | 12,10,32,000 | 78,000 | 60,51,58,000 | 3,88,000 |

---

## (दो) वाणिज्य मन्त्रालय

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सदन, वाणिज्य मंत्रालय, जिसके लिए 5 घंटे नियत किए गए हैं, से सम्बन्धित मांगों संख्या 11 से 13 तक के सम्बन्ध में चर्चा शुरू करेगा और मतदान करेगा। यहां सदन में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके, अनुदान मांगों के कटौती प्रस्ताव यहां प्रचालित किए गए है, चाहें तो अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कटौती प्रस्तावों, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं, की क्रम संख्या बताते हुए 1 स्लिप पटल पर भेज सकते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जाएगा। पेश किए गए माने गए कटौती प्रस्तावों के क्रमाँक दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पटल पर रखी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई असंगति पाते हैं तो वे इस असंगति को बिना बिलम्ब के पटल अधिकारी की जानकारी में लाने की कृपा करें।

**श्री आनन्द पाठक** (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मंत्रालय का कार्य निष्पादन न केवल निरुत्साहित करने वाला है अपितु राष्ट्र के लिए अपमानजनक भी है।

सरकार की सांगोपांग आयात और निर्यात नीति ने वर्ष 1980-81 के दौरान देश को 5775-15 करोड़ रुपए के व्यापार घाटे की बिक्षुब्धकारी स्थिति पहुंचा दिया है जिसे सरकार ने अपने कार्यनिष्पादन बजट में स्वीकार भी किया है।

सरकार भुगतानों की वर्तमान बकाया पर काबू पाने में असफल रही है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा अन्य स्रोतों से देश की संप्रभुता की कीमत पर भी ऋण लिए हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए ।

आत्मनिर्भरता की आपकी लम्बी-चौड़ी बातें और दावे कहां गए ? आपने आत्मनिर्भरता की अवधारणा को तिलांजलि दे दी है क्योंकि आपने उन अपमानजनक शर्तों के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का ऋण स्वीकार किया है । जिसे अपने इन्कार किया है, लेकिन गुपचुप तौर पर उन्हें आपने स्वीकार कर लिया है । और एक के बाद एक सामने आ रहे उदाहरणों से यह बात सिद्ध हो रही है ।

महोदय मैं यहां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा दी गई शर्तों के राजनीतिक पहलू की चर्चा नहीं कर रहा हूं । क्योंकि उसकी इस सदन में पहले ही बार-बार चर्चा हो चुकी है परन्तु कौन यह नहीं जानता कि इस सदन में 5 अप्रैल, 1982 को सरकार द्वारा घोषित नई आयात-निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ आपकी गोपनीय सौदेबाजी की प्रत्यक्ष परिणाम है ? आपने उन 123 मदों पर प्रतिबन्धों को उदार बना दिया है जिस पर पहले खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए प्रतिबन्ध था, इनमें 30 मदें, परिष्कृत उत्पादों की थी और 70 मदें कच्चे माल की । इसके परिणामस्वरूप भारत का आयात पर होने वाला खर्चा 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा । दिसम्बर, 1981 के अन्त में यह खर्चा 4200 करोड़ रुपया था और अब यह बढ़कर 6000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा जो एक रिकार्ड होगा । इससे भारतीय उद्योग तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे ।

हमने विदेशी प्रतियोगिता के लिए पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्पुओं के उत्पादन का व्यापक क्षेत्र खोल दिया है । इसी तरह निर्यात की शर्तों को उदार बनाकर आपने वस्तुतः भारत में उत्पादित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर सभी प्रतिबन्धों को वापस ले लिया है आपने 18 शुल्क निवेश पर भी शुल्क बढ़ा दिया है । प्रतिबन्धों को उदार बनाए जाने का कार्य एक ऐसे समय पर किया गया है जबकि देशी बाजार में भारी मंदी की प्रवृत्ति उभर रही है और बिदेशों में भी मंडी के कारण विदेशी कम्पनियों द्वारा हमारे बाजार में अपने सामान की भरमार कर देने की आशंका है । यह बिक्षुब्धकारी आयात निर्यात नीति केवल बड़े पूंजीपतियों के हाथ मजबूत कर सकती है और देश में बहुराष्ट्रीय निगमों की घुसपैठ के लिए दरवाजा खोल सकती है । आप विदेशों से अधिकाधिक पूंजी आमंत्रित कर रहे हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को खुश करने के लिए आप यह सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि यह अब ऋण की दूसरी किस्त देने पर विचार कर रहा है । आपने ऋण लिया है और अपने इसे वापसा देनहै । लेकिन आप इसे वापस कहां से करेंगे ? अतः आपको ऋण का भुगतान करने के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ेगा । इस प्रकार आप साम्राज्यवादियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के शिकंजे से मुक्त नहीं हो सकते । आप विकास के संकट ग्रस्त पूंजीवादी मार्ग को मजबूत करने के लिए पुरे प्रयत्न कर रहे हैं जो बाद में आपको अधिक गंभीर और गहरे संकट में डालेगा । इस प्रकार आप देश को इनके कुचक्र में फंसा रहे हैं और देश के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि उन अन्य देशों में क्या हो रहा है जिन्होंने अपमान जनक शर्तों पर

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण लिए थे। इस कुचक्र से बाहर आइए और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित कीजिए और आयात के बदले कुछ और व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं कि विकसित देश उन वस्तुओं के मूल्य घटा रहे हैं जिनका हम निर्यात करते हैं।

उदाहरण के लिए चाय, पटसन, कपास, कपड़ा, चमड़ा आदि को लीजिए। विकसित देश की संरक्षण नीति का सहारा ले रहे हैं। हाल के वर्षों में मैलबोर्न सम्मेलन, कांनकुन में उत्तर-दक्षिण सम्मेलन तथा दिल्ली में दक्षिण-दक्षिण सम्मेलन हुआ। लेकिन इन सम्मेलनों के परिणाम वैसे नहीं निकले जैसे कि आप आशा रखते थे। अतः आप उस समय तक संकट से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप अपनी नीति को न बदलें। यदि आप विकास के पूंजीवादी मार्ग पर ही अड़े रहेंगे तो इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा।

पटसन के मामले में आप जानते ही हैं कि पटसन व्यापारी तथा एकाधिकारी इस उद्योग में, जो काफी विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। केन्द्र पटसन उद्योग को बड़े पैमाने पर सहायता प्रकट कर रहा है लेकिन पटसन के व्यापारी पटसन उत्पादकों के प्रति अपने दृष्टिकोण में कोई भी परिवर्तन नहीं लाये हैं। उन्होंने असंख्य पटसन के कारखानों, विशेष कर पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में तालाबन्दी की घोषणा कर दी है और वे असंख्य लोगों की छटनी इस आधार पर करना चाहते हैं कि वे फालतू हैं। इन दबावों के साथ मालिक कर्मचारियों को प्रोत्साहित किये बिना उत्पादन की गति स्थिर बनाये रखना चाहते हैं।

पटसन व्यापारी त्रिपक्षीय करारों का उल्लंघन कर रहे हैं और उत्पादन में वृद्धि करने तथा कर्मचारियों के साथ लाभ कमाने की दृष्टि से कर्मचारियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र से स्पष्ट है कि कारखानों के मालिकों ने 1972 तथा 1979 के बीच 46,000 कर्मचारियों को हटा दिया है। ये व्यापारी कानून का पालन नहीं करते और मंदी के नाम पर स्थिति का लाभ उठा रहे हैं।

दूसरी ओर भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्ची पटसन खरीदने के बावजूद भी किसानों को इच्छा के अनुसार मूल्य नहीं मिले और अपनी पैदावार को समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचना पड़ा। इस सम्बन्ध में, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान सभा में सर्व सम्मति से पारित उस प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कहा गया है। प्रस्ताव में सरकार से यह अनुरोध भी किया गया है कि पटसन उत्पादकों, पटसन कर्मचारियों तथा देश के हित में इस मांग को शीघ्र पूरा किया जाए।

चाय उद्योग की समस्या के बारे में मैं कहना चाहूंगा। कि भारतीय चाय निर्यात ने 24 करोड़ किलों का 1981 के अन्त तक निर्यात करके एक अभूतपूर्व रिकार्ड स्थापित कर दिया है और घरेलू खपत में भी वृद्धि हो रही है।

**सभापति महोदय :** भाषण देते समय अध्यपीठ की ओर भी देखिए।

**श्री समर मुखर्जी** : आप जाने माने सभापति हैं। अतः ये आपकी ओर बार-बार नहीं देखते।

**श्री आनन्द पाठक** : इस रवैये से सरकार 1981-82 में 64 करोड़ किलो के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित हुई है लेकिन प्रति एकक मूल्य बसूली पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि विकसित देश विदेशी बाजारों के मूल्यों में कमी कर रहे हैं और ब्रुक बांड लिपटन आदि के व्यापारी तथा एकाधिकारी सस्ते मूल्यों पर चाय खरीद कर तथा ऊंचे मूल्यों पर बेचकर घरेलू मार्केट के मूल्यों में भी हेराफेरी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, निलामी के लिए जो चाय हम भेजते हैं, उससे केवल प्रति किलो 11 से 12 रुपए ही मिलते हैं लेकिन यह बात आश्चर्यजनक है कि सर्व साधारण को चाय काफी के 18 अथवा 20 रुपए प्रति किलो से कम दाम पर नहीं मिलती। यह बात बहुत ही हैरानी की है। न तो उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिल रहे हैं और न ही उपभोक्ताओं को अपनी खपत के लिए सस्ते दामों पर चाय मिल रही है। यह बात हास्यस्पद है। यह जब सरकार द्वारा कई वर्षों से अपनायी जा रही नीति ही के कारण है। इस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही परेशान हैं। फलस्वरूप, चाय-बागान बन्द हो रहे हैं और हजारों कर्मचारियों को रोजगार से निकाला जा रहा है और चाय बागानों की स्थिति उत्तर तथा दक्षिण भारत में दिन प्रति दिन बिगड़ती ही जा रही है।

हाल के वर्षों में चाय के बारे में तथा इस उद्योग की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए और उचित उपायों की सिफारिशें करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों, राष्ट्रीय अधिवेशनों के मंचों तथा अन्य मंचों का आयोजन हुआ है। लेकिन कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। चाय एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके द्वारा करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। इससे राजकोष को भी करोड़ों रुपए की आय होती है। इसके अतिरिक्त, इससे देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में एक उचित नीति अपनाये ताकि चाय उद्योग की वर्तमान कठिनाइयां दूर हो सकें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ठोस सुझाव देता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि बहुत शीघ्र एक उच्च शक्ति प्राप्त जाँच समिति का गठन चाय उद्योग की सभी समस्याओं पर विचार करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए किया जाये। इस सम्बन्ध में, मैं गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1951 में मेनन आयोग का गठन किया गया था और वर्षों की जांच के बाद इसने सरकार को एक मूल्यवान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यह प्रतिवेदन बहुत पहले संसद में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह प्रतिवेदन अब बहुत पुराना पड़ गया है और स्थिति भी परिवर्तित हो गयी है। अतः मैं माँग करता हूं कि इसी प्रकार के एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन उस उद्योग की समस्याओं का पता लगाने तथा उपचारात्मक सुझावों की सिफारिश करने के लिए किया जाये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सभी बंद तथा संकटग्रस्त चाय बागानों को केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार में ले ले क्योंकि चाय अधिनियम को केन्द्रीय सरकार लागू करता है। ऐसा

प्रावधान है कि सरकार जांच द्वारा अथवा किसी जांच के बिना ही चाय-बागान को अपने अधिकार में ले सकती है । अत: सरकार को उन चाय बागानों को बिना जाँच के अपने अधिकार में लेना चाहिए, जो उत्पादन में वृद्धि करने में असफल रहे अथवा जिनके उत्पादन में पिछले तीन वर्षों से कमी होती आ रही है और जो कर्मचारियों को मजूरी देने में असफल हुए हों ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि सभी प्रकार की आवश्यक सहायता, वित्तीय अथवा अन्यथा छोटे स्तर के चाय जत्पादकों को उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि बैंक ऋण कोयला उर्वरक तथा अन्य आवश्यक सामान उचित दरों पर उन्हें उपलब्ध किया जा सके । कभी कभी यदि कोयला मिल भी जाये तो वैगन नहीं मिलते । अत: वाणिज्य मंत्रालय को रेल मंत्रालय से ताल-मेल करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादन के समय जब कोयला आवश्यक हो तो वैगन भी उपलब्ध किए जाएं ताकि उत्पादन में रुकावट न आए । इसी तरीके से आप चाय उद्योग की सहायतार्थ कुछ कर सकते हैं अन्यथा यह हर प्रकार की समस्याओं का सामान करता रहेगा ।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि साधारण चाय का सामान्य मूल्य छोटे तथा सीमान्त उत्पादकों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से निश्चित किए जाने चाहिए । सामान्य मूल्य उत्पादन लागत से कम नहीं होने चाहिए ताकि उन्हें श्रमिकों को मजदूरी देने, स्टोर की चीजें खरीदने तथा आवश्यक सामग्री का क्रय करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि भारतीय चाय व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम को छोटे चाय बागानों से कुछ तैयार चाय का सीधे क्रय करना चाहिए ताकि उन्हें धन की कमी का सामना न करना पड़े । अर्थात बागों के संचालन के लिए उनके पास आवश्यक धन हो

कपड़ों के क्षेत्र का कार्य भी सराहनीय नहीं प्रतीत होता । बड़े बड़े निर्यातक सीमांत छोटे तथा मध्यम दर्जे के निर्यातकों की कीमत पर निर्यात की वस्तुओं के अधिक भाग का निर्यात कर रहे हैं । वे अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कपड़ा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर खुश करते रहते हैं । पता चला है कि ए. ई. पी. सी की कार्यकारी समिति ने विभाग के संयुक्त सचिव की उपस्थिति में 26 जनवरी 1982 की अपनी बैठक में पालम एयर कार्गो कार्यालय में हुए 59 4 9 रुपए के गबन को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया था जैसे कि समाचार पत्रों में खबर छपी थी । वे पिछले 1,1½ वर्षों से अपने लेखों की लेखा परीक्षा नहीं करवा रहे हैं ।

यह भी पता चला है कि ए. ई. पी. सी. की कार्यकारी समिति ने इन परिषदों द्वारा दी गई सुविधाओं से अपने 60 प्रतिशत सदस्यों को वंचित किया है । अत: यह परिषद भी कुछ एकाधिकारियों के हाथ में है । वे सभी लाभ ले रहे हैं । अत: मैं चाहता हूं कि इस नीति को परिवर्तित किया जाये ताकि कपड़ा क्षेत्र में भी छोटे तथा सीमांत निर्यातकों को कुछ मिल सके ।

काफी तथा इलायची सम्बन्धी भी कुछ समस्यायें हैं । इनकी भी ऐसी ही स्थिति चल रही है । मेरे विचार में इन क्षेत्रों में भी छोटे उत्पादक संकट का सामना कर रहे हैं और बड़े बड़े व्यापारी सभी लाभों का आनन्द ले रहे हैं ।

चमड़े की भी यही स्थिति है । बड़े निर्यातकर्ताओं को सभी लाभ मिल रहे हैं, और छोटे निर्यातकर्ता कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । इसीलिए मैं मांग करता हूं कि चर्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि देश का और व्यापक हित हो कामगारों को लाभ हो तथा देश के लिए अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा को अर्जित किया जा सके ।

महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यबाद देता हूं और मांगों का विरोध करता हूं ।

**कटौती प्रस्तावों का पाठ**

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :**

**एन० जे० एम० एल०, हावड़ा, का राष्ट्रीय इकाई के छंटनी किए गए कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्कयता । (2)**

**"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।"**

**गिरिडीह जिले में चंदोसी, मालदह, जमुआ, डोरेंडा में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के क्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता । (3)**

**"कि वाणिज्य मंत्रालम शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।"**

**प्रति मास तैयार किए गए अभ्रक को अभ्रक डीलरों से भारतीय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अनिवार्य रूप से खरीदे जाने की आवश्यकता । (4)**

**"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाए ।"**

**राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम संक्रेल की राष्ट्रीय यूनिट, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराने में असफलता । (8)**

**"कि सूती वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 27-39) को कम करके । रुपया किया जाये ।"**

**कुप्रशासन के कारण एन० जे० एम० सी० की राष्ट्रीय यूनिट में मासिक उत्पादन में आई गिरावट को रोकने में असफलता । (9)**

"कि सूती वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 27-39) में 1 रुपया कम किए जाए।"

एन० जे० एम० सी० की राष्ट्रीय यूनिट के पटसन के गोदामों में आग लगने की दुर्घटना की जांच कराने की आवश्यकता। (10)

"कि सूती वस्त्र हथकरघा तथा हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 27-39) में 1 रुपया कम किए जाय।"

अधिक संख्या में छंटनी किए गए पटसन मजदूरों को बहाल करने की आवश्यकता। (11)

"कि सूती वस्त्र हथकरघा तथा हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 27-39) में 1 रुपया कम किए जायें।"

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता। (17)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

सरकार द्वारा व्यापार असंतुलन को काफी कम करने की आवश्यकता। (18)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

राज्य व्यापार निगम के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता। (19)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

देश के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में काफी की बिक्री और प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता। (20)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

विदेशों में नए क्षेत्रों को अधिक कॉफी का निर्यात करने की आवश्यकता। (21)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

बढ़िया किस्म की कॉफी का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता। (22)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड और तम्बाकू बोर्ड के कार्यक्रम में सुधार करने की आवश्यकता। (23)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

निर्यात संवर्धन के लिए बेहतर विक्रय व्यवस्था की आवश्यकता। (24)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

विदेशी बाजारों को अच्छा माल निर्यात करने की आवश्यकता। (25)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं कामर्स डिपार्टमेंट की मांगों का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब से आयी है, यानी 1980 में, उससे पहले जिस प्रकार का गैप जनता पार्टी सरकार ने हमारे व्यापार का किया था, ऐक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, हर मसले में इन्होंने देश का मटिया मेट कर दिया था और ऐसी हालत पैदा हो गयी थी कि देश को उठाना बड़ा मुश्किल हो गया। आज श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ दो साल में ऐसी स्थिति पैदा की गई कि हम हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐक्सपोर्ट को बढ़ाया है और इम्पोर्ट भी कम किया है। ट्रेड डैफिसिट जो करीब 7,000 करोड़ रु० के आस पास था उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यह गैप क्यों बढ़ा? पैट्रोलियम पदार्थों की बजह से जो हमारे यहां अपनी आवश्यकता के मुताबिक नहीं होते और जिसको बाहर से मंगाना पड़ता है, उसकी वजह से ट्रैड गैप बढ़ा है। दूसरे जनता पार्टी के रूल के समय में जिस प्रकार का हमारी इंडस्ट्रीज का डाउनफाल हुआ है, उनका प्रौडक्शन घटा उसकी वजह से इम्पोर्ट करना पड़ा। इस कारण ट्रेड गैप बढ़ा है। इसलिए ऐसी सरकार जिसको कोई अनुभव न हो क्षमता न हो, जिसमें कोई भी ऐसा लीडर न हो जिसके नेतृत्व में देश खुशहाल बन सके, ऐसे लोगों को अगर सरकार में बैठा दिया जाय तो निश्चित तरीके से देश की यही हालत होगी। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में सरकार न आई होती, तो पता नहीं हिन्दुस्तान का क्या होता, वह किस रास्ते पर जाता और उसकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो जाती। श्रीमती इन्दिरा गांधी के मजबूत नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का जो प्रयास किया गया है, वह बहुत प्रशंसनीय है। इसी तरह ट्रेड गैप को कम करने और व्यापार को बढ़ाने का जो प्रयास किया गया है, वह भी बहुत प्रशंसनीय है।

एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो एक बड़ा कदम उठाया गया है, वह है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की स्थापना। नियमों को लिबरलाइज करके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है और केवल उसी सामग्री को इम्पोर्ट किया जा रहा है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज पनपें और हमारी कृषि का विकास हो। टी, टोबैको, केशु, कर्नल्ज, राइस, मैरिन प्रौडक्ट्स, आयल केक्स, माइका, लेदर एण्ड लेदर मैनुफे क्चर्ड फुटवीयर, रेडीमेड गारमेंट्स केमिकल्ज एण्ड एलाइड प्राडक्ट्स, पर्ल्ज प्रेशस स्टोन्ज, हैंडमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है। किसी आइटम का एक्सपोर्ट तो 234 परसेंट तक बढ़ा है। ऐसा कोई आइटम नहीं है, जिसका एक्सपोर्ट 24, 25 परसेंट न बढ़ा हो। लेकिन कुछ आइटम्ज ऐसे हैं, जिनका एक्सपोर्ट घटा है। वे हैं काफी, स्पाइसिज, काटन, आयरन एण्ड स्टील

**काटन फेब्रिक्स, जूट मैनुफेक्चर**। मेरा निवेदन है कि इन चीजों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हमारे यहां काफी मिकदार में पैदा होती है, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ा कर हम ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं।

मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी की कुछ बातों की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने नैशनल टेक्स्टाइल कार्पोरेशन के जरिये बहुत सी मिलें अपने हाथ में ली हैं। उनके जरिए गरीब लोगों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। लेकिन सरकार ने बहुत से आइटम्ज को कम कर दिया है। अब साड़ी, धोती और लट्ठा आदि सिर्फ दो तीन आइटम्ज रखे हैं। जब सरकार इतनी सबसिडी देती है, तो गरीबों के लिए दिए जाने वाले कपड़े की आइटम्ज में कमी क्यों की गई है? ये पूंजीपति पहले बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते रहे हैं और जनता का शोषण करते रहे हैं। सरकार ने उन्हें ड्रिल और कई अन्य प्रकार के कपड़े के बारे में छूट दे दी है। इससे उन लोगों को और ज्यादा शोषण करने का मौका मिलेगा। मेरा आग्रह है कि पुरानी पालिसी को फिर से लागू किया जाए और जो आइटम्ज पहले प्रोड्यस किए जाते थे, उन्हें जारी रखा जाए, ताकि गरीबों को उससे लाभ हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन टेक्सटाइल मिलों को आपने टेक-ओवर किया है या नेशनलाईज किया है उनमें आपको बहुत सा पैसा सक्सीडी में देना पड़ता है लेकिन लाखों मजदूरों के हित के लिए आपका यह कार्य उचित ही है। अगर आप मजदूरों के लिए 200 या 400 करोड़ भी खर्च कर देते हैं तो आपकी यह पालिसी गलत नहीं है बल्कि एक सही पालिसी है क्योंकि सरकार का यह भी फर्ज होता है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये। इसलिए आप 500 करोड़ या जो भी पैसा इन नेशनलाइज्ड या टेक-ओवर की हुई मिल्स पर खर्च कर रहे हैं और उसके द्वारा लाखों मजदूरों को काम दे रहे हैं वह एक प्रशंसनीय बात है। इस कार्य से आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पिछली दफा आपने कहा था कि अब आगे जो मिलें सिक होंगी उनको सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी ···(व्यवधान) अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

**सभापति महोदय** : अभी आपके दो मिनट और हैं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : अभी मुझे 5-10 मिनट और चाहिए।

**सभापति महोदय** : 5-10 मिनट तो नहीं हैं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार ने जो पालिसी बदली है कि आगे से किसी सिक मिल को अपने हाथ में नहीं लेगी, मैं समझता हूं निश्चित तौर से वह पालिसी सही नहीं है। कोई भी सिक मिल हो उसको या तो आप ठीक कीजिए, उस पर नियंत्रण कीजिये अन्यथा अगर कोई भी मिल बन्द हो जाती है और मजदूर बेकार हो जाते हैं तो उससे देश का बहुत नुकसान होगा।

सभापति महोदय, मेरी कांस्टीयुएन्सी में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है जिसके सम्बन्ध में मैं पिछले दो सालों से कहता चला आ रहा हूं कि मैनेजमेंट ने उस मिल को सिक बना दिया है।

उन्होंने वहां से करोड़ों रुपया निकाल कर नयी इंडस्ट्री लगा ली है और आज वह मिल भूखी है, उनके पास काटन नहीं है, टूल्स और इंप्लीमेंट्स नहीं हैं तथा अन्य प्रकार की सामग्री नहीं है। उसके ऊपर 20 लाख रुपया प्राविडेन्ट फंड का बकाया है और साढ़े तीन लाख ई. एम. आई. का बकाया है। इस प्रकार से उस पर करोड़ों का बकाया है और कर्ज का पैसा वापिस मांगा जा रहा है। इस मिल में साढ़े तीन हजार मजदूर काम कर रहे हैं। इस मिल को तुरन्त अपने हाथ में सरकार को लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने राजस्थान सरकार को भी कहा था लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। आपके डिपार्टमेंट ने भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। टेक्सटाइल कार्पोरेशन के कुछ लोग अवश्य वहां पर गए थे और उन्होंने छानबीन की थी लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जो पैसे वाले सेठ हैं वे प्रता नहीं किस तरह से अपना प्रभाव जमाकर आपकी सरकारी मशीनरी को किस प्रकार से मैनीपुलेट करते हैं, इसका कोई अन्दाजा नहीं लगता है। मन्त्री महोदय से हमको बहत आशा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस टेक्सटाइल मिल को अपने हाथ में ले, इसको टेक-ओवर करे या नेशनलाइज करे जौर साढ़े तीन हजार मजदूरों को बेकारी से बचाए। ऐसी संभावना है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स पर कभी भी ताला लग सकता है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मिलकर 1965-66 में इसको टेक-ओवर किया था और उसके बाद एक करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया था। फिर पता नहीं क्यों यह मिल सेठ लोगों को वापिस कर दी गई। आज पुनः वह मिल सिक हो गई है। सरकार इसको अपने हाथ में लेकर साढ़े तीन हजार मजदूरों को लाभ पहुंचाए।

सभापति महोदय, भारतवर्ष में बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश— इन तीन प्रदेशों में माइका पैदा होता है। इस साल के लिए आपने लिखा हैं कि आप मिठको के जरिए से 22-23 करोड़ का माइका एक्सपोर्ट करेंगे।

मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि यह अपका मिटको एक पैसे का भी माइका नहीं खरीद रहा है और वहां तमाम खाने बन्द हो रही हैं और हजारों मजदूर, जो उनमें काम करते थे, वेकार हो रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति इस मिटको ने पैदा कर दी है। वहां पर जितना माइका खरीदा जाना चाहिए था, आप स्वयं आंकड़े मंगाकर देख सकते हैं उतना माइका इन्होंने नहीं खरौदा है। जबकि राजस्थान के अन्दर खास तौर से भीलवाड़ा में सारा माइका पैदा होता है, उसमें कितना माइका इन्होंने खरीदा और कितना माइका पिछले साल में खरीदा जाता था तथा इस साल कितना खरीदा है। इसमें भी बड़े-बड़े पूंजीपतियों से खरीदा जाता है, मगर छोटे-छोटे जो लोग गरीब है, जो 5-10-15 हजार रुपया लगाकर काम करते हैं, उनसे कौन खरीदेगा। इसलिए यदि आप इस स्थिति को नहीं संभालेंगे, तो 22-23 करोड़ रुपए का जो फौरन एक्सचेंज मिलता है, उसमें भी बड़ा घाटा आयेगा।

दूसरा निवेदन, हमने भीलवाड़ा माइका बेस पेपर मिल लगाने की बात सरकार से की थी और सरकार ने इस बात को भी माना है। पिछले साल भी जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि हम इस बात को मानते हैं कि वहाँ एक माइका के ऊपर पेपर-मिल/लगनी

चाहिए, मगर उसको आज तक कार्यरूप नहीं दिया गया। वहाँ पर यदि माइका बेस मिल लगती है, तो निश्चित तरीके से हजारों मजदूरों को काम मिलेगा और वहां पर जो माइका वैस्ट पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसका उपयोग होगा और पेपर बनेगा तथा फॉरन एक्सचेंज मिलेगा। मुझे माननीय मन्त्री जी से पूरी उम्मीद है कि वे इस वाजिब माँग को स्वीकार करके और इसी वर्ष में माइका पेपर मिल लगाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि उसके जरिए वहाँ के गरीब मजदूरों को रोजगार-धंधा मिल सके ;

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय को धन्यबाद देते हुए, कॉमर्स मिनिस्ट्री की डिमाण्ड का मैं समर्थन करता हूं।

**श्री सी० डी० पटेल** (सूरत) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान माँगों का समर्थन करता हूं।

इस मंत्रालय के बारे में कुछ महत्त्वपुर्ण सुझाव देना चाहता हूं।

जहां तक व्यापार अन्तर का सम्बन्ध है, स्थिति सुखद नहीं है। वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें तो इस मंत्रालय का कार्य निष्पादन बहुत प्रशंसनीय है। किन्तु वर्ष 1978 की तुलना में आयात नीति को और उदार बनाया गया है। इस नीति के अनुरूप आपने 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत कच्चे माल की लगभग 100 मदों और मशीन सम्बन्धी 85 मदों के आयात किए जाने की अनुमति दी गई है। इससे हमारे व्यापार में जो पहले से ही असंतुलन है वह और भी बढ़ जाएगा। इस असंतुलन को कम करने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाते रहना होगा, परन्तु वस्त्र कपड़ा और चाय जैसी पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना होगा। तेल और उर्वरक के अधिकाधिक उत्पादन से आयात में कम धन खर्च होगा। इससे सभी असंतुलन कम होगा।

व्यापार संबंधी इस असंतुलन को कम करने के लिए कृत्रिम रेशम उद्योग बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। किन्तु इस उद्योग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत जो कि मेरा निर्वाचन-क्षेत्र है कृत्रिम रेशम के कपड़े का सबसे बड़ा केन्द्र है। इस उद्योग की सीमाजन अड़चनों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह है कच्चा माल उपलब्ध न हो पाना। गुजरात औद्योगिक निवेश निगम को वर्ष 1971 में नाइलान-6 फिलामेंट यार्न तैयार करने के लिए आशय पत्र स्वीकार कर लिया गया था। उस समय उसकी अधिष्ठापित क्षमता 2,180 मीटरी टन थी। तत्पश्चात उसे 4,200 टन बढ़ाया गया और फिर 6,000 टन तक बढ़ा लिया गया। किन्तु किसी-न-किसी कारण वश इस परियोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया के पूरे होने में किसी-न-किसी बहाने से देर होती चली गयी। अत: मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए अनुमोदन यथाशीघ्र प्रदान करने के लिए समुचित उपाय करें।

बिजली करघे में कृत्रिम रेशम तैयार करने के लिए उन्हें नाइलान फिलामेंटयार्न का आयात करना होगा। पिछले वर्ष के बजट भाषण में भी मैंने सरकार से एसीटेट फिलामेंटयार्न पर

आयात-शुल्क कम करने के लिए लिए कहा था। पिछले बजट में इसे 125 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। एसीटेटयार्न के केवल एक ही स्वदेशी विनिर्माता हैं। उसका संयंत्र बहुत पुराना है, और कम साध्य है तथा उसकी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग भी नहीं हो सकता है। फिर भी विभिन्न स्वार्थी वर्गों ने यह अभ्यावेदन किया है कि आयात शुल्क बढ़ाया जाए, ताकि सरसिल्क उद्योग की इस फैक्टरी को लाभ हो सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अभ्यावेदन पर ध्यान न दें।

आयातित फिलामेंटयार्न पर लगाए जाने वाले शुल्क की जांच करना भी आवश्यक है। यह निवेदन है कि सहायक शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

बिजली करघा बोर्ड की दिनांक 11.3.82 को आयोजित बैठक में बिजली करघों के लिए रेशे सम्बन्धी नीति के बारे में यह कहा था कि इस बिषय की जांच के लिए सुझाव दिया गया है कि बिजली करघों के विभिन्न वर्गों द्वारा कृत्रिम रेशों और फिलामेंट यार्न के उपयोग पर जो इस समय प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसे जारी रखा जाए या नहीं। हालांकि विभिन्न वर्गों द्वारा दवाब डाला गया है फिर भी मैं यह कहूंगा कि नीति में परिवर्तन न किया जाए क्योंकि वर्तमान नीति योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जहां तक कपड़े और रेशम के कृत्रिम रेशों का सम्बन्ध है, हमारी प्रणाली पश्चिमी देशों की प्रणाली से भिन्न है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिजली करघा क्षेत्र को लम्बे अरसे तक संरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी अर्थ-व्यवस्था स्वतंत्र है, वहां योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था नहीं है और उनके यहां कच्चे माल का असीम भंडार है। उक्त बातों को देखते हुए जहाँ तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है वर्तमान नीति को जारी रखा जाना चाहिए।

कृत्रिम रेशों की मांग स्वदेशी उत्पादन की अपेक्षा अधिक बढ़ रही है। इसीलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कृत्रिम रेशों और फिलामेंटयार्न के लिए हम नई क्षमता अधिष्ठापित करें। उसी रूप में कृत्रिम फिलामेंटयार्न के उत्पादन के लिए आई. एम. टी. और कैप्रोलैक्टम का उत्पादन करने वाली यूनिटों का विस्तार किया जाना चाहिए और बहुलीकरण क्षमता भी अधिष्ठापित की जानी चाहिए। आई. पी. सी. सी. और जी. आई. एफ. सी. जैसी सरकारी क्षेत्र की एजेंसियां एक रूपता की चरण तथा आई. एम. टी. या कैप्रोलैक्टम तक का उत्पादन करने पर ही नहीं रुकें वरन् चिप्स का उत्पादन करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ें। नायलान, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माता के लिए इच्छुक यूनिटें इसका विनिर्माण करें और आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी जारी रहनी चाहिए।

एक मुद्दा जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह है जरी, बहुत प्राचीन उद्योग है। यह सही है कि समस्याएं बहुत छोटी हैं। बहरहाल, हालांकि विभिन्न वर्ग लगातार यही अभ्यावेदन कर रहे हैं, फिर भी इन छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन समस्याओं का समाधान करवाएं। पहली समस्या जरी के

लिए सोने की उपलब्धता की है। क्योंकि सोने के भाव में बहुत जादा उतार-चढ़ाव होता है, इसलिए इसकी पूर्ति प्रतिमाह औसत दर पर की जानी चाहिए, अर्थात् जो पहले किया जाता था, उसे फिर से जारी किया जाए, दूसरी बात यह है कि सरकार की घोषित नीति है कि चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। परन्तु जैसाकि मैंने कहा है कई पलों से यह दवाब डाला जा रहा है कि इस प्रतिबन्ध को हटाया जाय। लेकिन मैं मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रतिबन्ध को जारी रखा जाय।

इसके अलावा निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, वे अपर्याप्त हैं। इस सम्बन्ध में नकद सहायता की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। गुजरात के दक्षिणी भाग, सूरत में जरी उद्योग और हीरा-उद्योग स्थित है। इस क्षेत्र का सूरत एक बड़ा वाणिज्यिक केन्द्र है। इसलिए एक विदेशी डाकघर-यद्यपि यह वाणिज्य मंत्रालय का काम नहीं है—से निर्यात में काफी सहायता मिलेगी। इसलिए सूरत में एक विदेशी डाकघर खोलना आवश्यक है।

दूसरे, मैं कांडला पत्तन मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसे 1965 में स्थापित किया गया था। 10 वर्षों तक इसका विकास नहीं हुआ। पहले 10 वर्षों में, इस क्षेत्र में मुश्किल से 23 इकाईयां स्थापित की गई, और उनकी भी समुचित देखभाल नहीं की गई। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1974 के बाद इसका विकास शुरू हुआ है। 1978 में कौल समिति गठित की गई थी। इस समिति की कई एक सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उन्हें स्वीकार किया गया। लेकिन अभी कई अन्य सिफारिशों पर विचार किया जाना बाकी है। इसलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि कौल समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया जाय और उन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री पी. एल. टंडन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट शायद 31 मार्च, 1982 तक पेश करनी थी। लेकिन हमें नहीं पता इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है या नहीं। अगर चेयरमैन द्वारा रिपोर्ट पेश कर दी गई है तो यथाशीघ्र उसकी सिफारिशों पर विचार करके उन पर उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है। कुछ छोटी-मोटी समस्यायें हैं। इन समस्याओं पर बिचार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कई अध्यावेदन भी दिये गए हैं। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, इस वर्ष यह लक्ष्य से ज्यादा है। कर छुट्टी के बाद 1984-85 तक हमें 300 करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिये। अगर आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि हमने पूरी निष्ठा से इन कदमों को नहीं उठाया हैं और इस तरह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

हीरा उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है और पता नहीं कैसे उसे हस्तशिल्प के साथ जोड़ दिया गया है। 1982-83 के लिए हस्तशिल्प की वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य 2.710 करोड़ रु० रखा गया है। इन हस्तशिल्पों के निर्यात का लक्ष्य 1160 करोड़ रु० है। इन हस्तशिल्प की वस्तुओं एवं इनके निर्यात के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। परन्तु इन

वस्तुओं में प्रमुख चीज हीरा है जिसे हम मणि कहते हैं । इन वस्तुओं का वार्षिक निर्यात 600 करोड़ रुपये से भी अधिक है परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि यह बहुत शोचनीय स्थिति है कि –वर्तमान मंत्रालय ने इस उद्योग की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है । हम इसके लिए कच्चा माल पैदा नहीं कर रहे हैं। उसका आयात किया जाता है। हम इन हीरों को तराश कर पालिश करके फिर उनका निर्यात करते हैं । हम प्रति वर्ष करीब 700 करोड़ रु० के हीरे निर्यात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस उद्योग को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको विशेषज्ञों द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए ।

श्रीमन्, बुलसर एवं सूरत इन दो जिलों में हीरों की पालिश का काम होता है । रिकार्ड में स्वाभाविक तौर पर बम्बई को ही निर्यात का स्थान बताया जाता है । लेकिन असल में उनका निर्माण दक्षिण गुजरात के बुलसर और सूरत जिलों में होता है । जैसा कि मैंने पहले कहा था सूरत में विदेशी डाकघर स्थापित किया जाना जरूरी है । लेकिन यह मंत्रालय कह सकता है कि विदेशी डाकघर स्थापित करना उनका काम नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय सीमा और उत्पाद शुल्क और डाकघर विभिन्न मंत्रालयों से अंतर-सम्बन्धित हैं । लेकिन जो मंत्रालय सबसे ज्यादा संबंधित है वह वाणिज्य मन्त्रालय है क्योंकि इस पत्तन से सभी प्रकार के निर्यात में आसानी हो जायेगी । इस पत्तन से चुंगी वापसी तथा लाइसेंस लेना आसान है ।

इसलिए इस मंत्रालय के लिए वहां विदेशी डाकघर बहुत आवश्यक है ।

भारत में, खासकर सूरत में हम बुनी हुई निवार/इलास्टिक टेप का निर्माण करते हैं; देश की मांग के अनुसार हम काफी उत्पादन कर रहे हैं । इसके बावजूद आयात की अनुमति दी जा रही है । जब उसकी किस्म की जाँच की गई तो यह पाया गया कि देशी और आयात की गई वस्तुओं की किस्म में कोई अन्तर नहीं है । इस तरह अगर इनकी जांच हो और सरकार इस प्रकार के कदम उठाए कि देशी और आयात की गई वस्तुओं की किस्म में फर्क न रहे तो मैं समझता हूं कि इस वस्तु विशेष के आयात पर हम पूरी तरह प्रतिबन्ध खगा सकते हैं । हम इसकी आवश्यक मात्रा का उत्पादन भी कर सकते हैं ।

मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं । मुझे नहीं पता कि यह इस मंत्रालय से संबंधित है या नहीं । मैंने वित्त मन्त्री को व्यक्तिगत तौर पर भी अभ्यावेदन दिया था । वह गैर-मादक पेयों को बोतलों में भरने वालों की कठिनाईयों के बारे में है । जहां तक उनके उत्पाद के वर्गीकरण का प्रश्न है । मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है । इस बारे में पहले ही फैसला हो चुका है । पर इसमें एक बहुत असुविधाजनक धारा जोड़ दी गई है कि अगर कोई बोतल में भरने का काम करने वाला स्वतंत्र व्यक्ति किसी विशेष ब्रान्ड का उत्पादन बन्द भी कर देता है फिर भी उसे शुल्क अदा करना पड़ेगा। इस तरह, सभी छोटे बोतल में भरने का काम करने वालों को उत्पादन बन्द कर देना पड़ेगा और उनका व्यापार ठप्प हो जायेगा । अगर यह मंत्रालय इस बात से संबंधित है तो, उसे जरूर इस पर गौर करना चाहिए ।

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री शिवराज पाटिल को बधाई देता हूं कि उनको वाणिज्य मंत्रालय का इंडीपेंडेंट चार्ज मिला है और राज्य मंत्री के रूप में मिला है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ विचार है कि यह जो इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका कि सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से है, जहां पर कि विदेशी शक्तियाँ के तनाव चल रहे हैं, इस वाणिज्य मंत्रालय को एक राज्य मंत्री को देना कुछ चिंता का भी विषय है।

जहाँ तक वाणिज्य राज्य मंत्री का सवाल है, उनकी क्षमता, उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं होगा। हम चाहेंगे कि यह वाणिज्य मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में उनके पास न रहे, बल्कि एक फुल फलैज्ड मिनिस्टर बना कर उनको यह चार्ज दिया जाए।

सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय पर जो बहस चल रही है इसके लिए पांच घंटे का समय दिया गया है, मैं संसदीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा मंत्रालय है जिसके अधीन प्लानटेशंस हैं. एक्सपोर्ट काउंसिल्स हैं, फोरन ट्रेड है, ऐसी कारपोरेशंस हैं जिनका करोड़ों रुपए का टर्न ओवर है, उन सब पर बहस के लिए पाँच घंटे का समय अपर्याप्त है। इस पर ज्यादा समय लगाया जाना चाहिए। खासकर मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट पालिसी की घोषणा की गयी जो कि विवादास्पद है। इस पर प्रतिक्रियाएं आनी आरम्भ हो गयी हैं और आगे भी प्रतिक्रियाएं आयेंगी, इसलिए इस पर कम से कम एक दिन का समय रखा जाए जिससे कि माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें।

सभापति महोदय, हमारा जो फोरन ट्रेड में गेप है इस पर बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है और सरकार ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन सरकार, ऐसा लगता है कि गत वर्ष की अपेक्षा हमारी स्थिति बढ़िया है, इस पर संतोष करना चाहती है। हम तसल्ली करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि गत वर्ष का आपका जो फारेन ट्रेड का गैप था, मुझे डर है, डर ही नहीं विश्वास है कि इस साल उससे भी ज्यादा हो जाएगा।

सभापति जी, 1978-79 में एक्सपोर्ट था 5555 करोड़ रुपए का और इंपोर्ट था 7398 करोड़ का। इस प्रकार ट्रेड गैप था—1843 करोड़ का। 1980-81 में एक्सपोर्ट था 6709 करोड़ रुपए का और इंपोर्ट था। 12465 करोड़ का। इस प्रकार गैप था 5756 करोड़ का 1981-82 के इकनामिक सर्वे ने जनवरी तक के जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार एक्सपोर्ट है 7700 करोड़ और इंपोर्ट अनुमानित है 13200 करोड़ का। इस प्रकार 5500 करोड़ का गैप जनवरी तक आंका गया है। अभी दो महीने और पड़े हैं, फरवरी-मार्च।

इसके अलावा मैं राज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे इनविजिबल अकाउंट्स हैं, उनकी स्थिति इस साल की अपेक्षा गत वर्ष ज्यादा अच्छी थी। हमारे इनविजिबल एकाउंट्स

भी इस साल कम होने वाले हैं। अगर आप जोड़ें तो पता लगेगा कि करंट-एकाउंट का डेफिसिट 7000 करोड़ को भी क्रास करने वाला है और यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसके साथ-साथ हमारी आयात-निर्यात नीति पर विचार करते समय यह विचार करना पड़ेगा कि इस ट्रेड गैप के साथ-साथ हमारे फारेन एक्सचेंज की स्थिति क्या होती जा रही है।

अभी जो आयात-निर्यात नीति घोषित की गई है, उससे ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत विदेशी मुद्रा है, कोई चिंता नहीं है, दिल खोलकर खर्च करो, लेकिन आज विदेशी मुद्रा की स्थिति इस प्रकार है —

वर्ष 1978-79 में फारेन एक्सचेंज एसेट्स 5219.9 करोड़ था और यह उस समय था जब आई. एम. एफ. को 206.9 करोड़ री-पेमेंट था। देखा जाए तो 1978-79 में अगर हम री-पेमेंट न करते तो 5426.8 करोड़ का हमारा फारेन करेंसी एसेट था। आज 1981-82 में जनवरी तक जो स्थिति है, अभी दो महीने बाकी हैं— हमारा फारेन एक्सचेंज 3529.7 करोड़ रह गया है और इसमें भी आई० एम० एफ० के लोन का 638.8 करोड़ जोड़ा हुआ है। अगर इसको न जोड़ें तो फारेन एक्सचेंज केवल 2890.9 करोड़ रह जाएगा।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब हमारी विदेशी मुद्रा लगातार गिरती चली जा रही है और विकसित देशों की टेंडेंसी प्रोटेक्शनिज्म की है, हम बार-बार कहते है कि विश्व व्यापार के अंदर नंदी चल रही है तो इन स्थितियों में सरकार ने जो वर्तमान आयात-निर्यात नीति घोषित की है, वह हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता, जैसा कि अभी मेरे पूर्व-वक्ता ने कहा है। 85 भिन्न प्रकार की मशीनरी को आप ओ० जी० एल० में ले आए। सौ से अधिक रा—मेटेरियल को ओ० जी० एल० में ले आए। जो वैल्यू सीलिंग थी, उसमें भी हर इंपोर्ट के लिए हर जगह बढ़ाया गया है। टेक्नालाजी एण्ड नो हाउ में इंपोर्ट को काफी एलाउ किया गया है, रिलेक्स किया गया है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक तो रा मटीरियल एक्चुयल यूजर्स के लिए ओ० जी० एल० में था, आपने तो जो एक्चुअल यूजर्स नहीं हैं, उनको भी इन नई पालिसी के तहत ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की स्वीकृति दे दी है।

यह स्थिति कब है ? उस समय है जब हमारे देश में कई प्रकार की वस्तुएं जो भारत में बनाई जा सकती थीं उनके कारखाने बन्द पड़े हैं या जितनी उनकी क्षमता है, उतनी क्षमता के साथ वे काम नहीं कर पा रहे हैं। यह उत्पादकता वर्ष है इस वर्ष में पैदावार बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे कारखाने जो फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं और जिन पर विदेशी वस्तुओं के आयात के कारण आघात लग रहा है, नई इम्पोर्ट नीति के कारण आघात लग रहा है, ओ० जी० एल० में जो आपने रिलैक्सेशन दिए हैं उसके कारण आघात लग रहा है क्या वे मारे नहीं जाएंगे ? क्या बार बार उत्पादकता बढ़ाने की

जो आप घोषणा कर रहे हैं, यह खोखली नहीं रह जाएगी ? आपने जो रिलैक्सेशन ईम्पोर्ट में दिए हैं, इम्पोर्ट पालिसी को जो आपने लिब्रल किया है, क्या ऐसा करके आपने ठीक किया है। दिल खोल कर, दीवाने बन कर आपने ये रियायतें दी हैं। गत वर्ष भी इम्पोर्ट्स को आपने लिब्रलाइज किया था। आँकड़ों के आधार पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिन वस्तुओं के अन्दर गतवर्ष आपने इंपोर्ट को लिब्रलाइज किया था, क्या उससे उन यूजर्स ने उन उत्पादकों ने जिन्होंने इम्पोर्ट किया, उस अनुपात में अपनी वस्तुओं का निर्यात भी किया जितने निर्यात की आप उन से अपेक्षा करते थे ? मेरा कहना यह है कि यह नहीं बढ़ा। नगण्य निर्यात ही इस कारण से हुआ।

आपने घोषणा की है कि इम्पोर्ट पालिसी को लिब्रलाइज करने से उत्पादन देश का बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ देश का निर्यात भी बढ़ेगा और ट्रेड गैप जो है वह कम होगा। मैं समझता हूं कि यह एक मृग मरीचिका ही सिद्ध होने वाली है। जो डिफिसिट आज है यह बढ़ कर नौ हजार करोड़ से ऊपर ही अगले साल में जाने वाला है। आपने इम्पोर्ट पालिसी को लिब्रलाइज किया है। लगातार आप के ऊपर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि आई० एम एफ० से लोन लेने की बात जब आई थी तब यह कहा गया था कि दबाव में आकर हमारी आर्थिक नीतियों का निर्धारण होगा। हमारी इम्पोर्ट पालिसी जो इस हद तक लिब्रलाइज की गई है मैं समझता हूं कि यह आई० एम० एफ० के दबाव में आ कर ही की गई है और इससे देश का कोई भला नहीं होगा।

मै एक केस की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसकी चर्चा शायद लोक सभा में नहीं हो पाई है। यह स्टेनलैस स्टील के इम्पोर्ट का केस है। फोल्ड रोल्ड स्टेनलैस शीट्स का नाम ओ० जी० एल० में नहीं है। इस पर ड्यूटी बहुत अधिक है। लेकिन लैकुंन का फायदा उठा कर फोल्डिड एंगल्ज को, मुड़े हुए एंगल्ज को जो प्रेक्टीकली स्टेनलैस शीट ही होती है, उनको फोल्डेडएंगल्स बता कर उनका इम्पोर्ट किया गया। हजारों टन का इस तरह से इम्पोर्ट किया गया। इस ओर इशारा करने के बाद भी भारत सरकार ने अपनी गलती को सुधारा नहीं और इस कारण से करोड़ों रुपये का नुकसान इस स्टेनलैस स्टील के वोगस इम्पोर्ट के कारण, धोखाधड़ी के कारण हुआ। सारे केस में जाने का समय नहीं है। केवल मैं एक इशारा भर कर देना चाहता हूं।

इन शीटों, प्लेटों आदि पर आजकल 220 प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लगता है, इसके अलावा 30 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और 363 रु० सी० वी० डी० देना पड़ता है। यह ड्यूटी है, इससे बच कर के कि यह हमारे केवल फोल्ड एंगिल्स हैं केवल 220 परसेंट ड्यूटी की जगह पर 60 परसेंट दिया 30 परसेंट की जगह 25 परसेंट दिया और इस प्रकार की एक एक कन्साइनमेंट के अन्दर 10 से 25, 30 करोड़ रु० का अनुसूचित लाभ उठाया है। क्या यही आपकी पौलिसी है। इसी तरीके से आप अपनी इम्पोर्ट पौलिसी को लिबरेलाइज करना चाहते हैं जिससे लोग अनुसूचित लाभ उठा सकें ? मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। भूतपूर्व वित्त मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद हैं मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी इम्पोर्ट, ऐक्सपोर्ट पौलिसी है,

जिसको आपने लिबरेलाइज किया है यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में आकर किया है, और इसके आधार पर हमारे फौरेन ऐक्सचेंस के साथ खिलवाड़ होगा और इस समय जो गैप करीब 7 हजार करोड़ रु० का है यह बढ़कर 8, 9 हजार करोड़ रु० तक जा सकता है ।

आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति क्या है ? क्या हम अपनी नीति का निर्धारण करते समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो विकसित देश हैं, उनका जिस प्रकार का रोल इसके अन्दर चल रहा है, और उनके मुकाबले में जो विकासशील देश है जिसमें भारत भी शामिल हैं, अपनी सुविधाओं के लिए जिस प्रकार हम गिड़गिड़ाते हैं और उसके बाद भी विकसित देशों की उपेक्षा होती है उसको देखते हुए क्या लगता है कि इस ऐक्सपोर्ट इम्पोर्ट पौलिसी के आधार पर कुछ बनेगा ? मुझे लगता है कि विकसित देश शायद कुछ रहम कर जायें कि हिन्दुस्तान ने अपनी इम्पोर्ट पौलिसी लिबरेलाइज की अब हमें भी अपनी पौलिसी को लिबरेलाइज करके सामान को लाने की इजाजत देनी चाहिए । मैं समझता हूं यह हमारे साथ धोखा होगा । इतिहास इस बात का साक्षी है ।

ओपेक कन्ट्रीज के तेल की बात की जाती है । कहा जाता है कि जब ओपेक कन्ट्रीज ने अपने तेल का मूल्य बढ़ाया था तो विकसित देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, थोड़ी देर के लिए एक धक्का विकसित देशों को भी लगा । लेकिन विकसित देश, जिनका विश्व व्यापार पर पूरा कब्जा है उन्होंने अपने आपको सम्भाल लिया । जितना उनको अधिक पैसा देना पड़ा उससे भी अधिक अपने यहां से एक्सपोर्ट कर के औपेक कन्ट्रीज के अन्दर उस पैसे को कमा लिया । यहां तक कि जो ओपेक कन्ट्रीज के पास बढ़ा हुआ पैसा आया उसका इन्वेस्टमैंट भी विकसित देशों में ही हुआ । लेकिन हिन्दुस्तान जैसा देश इन परिस्थितियों के कारण पिट गया, और आज स्थिति यह है कि जो विकसित देश हैं, अगर हम दो देश ले लें केवल यू०एस०ए० और पश्चिम जर्मनी, इन दो देशों का विश्व के व्यापार के अन्दर एक बटे चार भाग है । और इनमें भी अगर केवल पश्चिम जर्मनी को ले लिया जाय तो जितने हम विकासशील देश हैं, ओपेक कन्ट्रीज को निकाल दीजिए, उन सब के बराबर केवल विश्व का व्यापार पश्चिमी जर्मनी का है । और जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं जिनमें 13 देश हैं बिश्व का जो कुल व्यापार है उसका 70 फीसदी व्यापार केवल 13 देशों के हाथ में है । और इस विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कुल कितना है ? 0.5 प्रतिशत । यह बिल्कुल नगण्य है । हमें देखना चाहिए कि विकसित देश विश्व व्यापार में विकासशील देशों का कितना शोषण कर रहे हैं । विकसित देश अपने कुल व्यापार का 70 प्रतिशत व्यापार वे आपस में करते हैं, जबकि विकासशील देश अपने कुल व्यापार का केवल 19 प्रतिशत व्यापार की आपस में करते है ओपेक कन्ट्रीज के कुल तेल का 76 प्रतिशत तेल डेवेलप्ड कन्ट्रीज में जाता है और ओपेक कन्ट्रीज की इम्पोर्ट आवश्यकता का 82 प्रतिशत डेवेलप्ड कन्ट्रीज से पूरा किया जाता है ।

विकसित देशों का 78 प्रतिशत एक्सपोर्ट केबल मैनुफेक्चर्ड प्राडक्ट्स का है, जबकि 22 प्रतिशत प्राइमरी प्राडक्ट्स का है । इसकी तुलना में विकासशील देश केवल 20 प्रतिशत

मैनुफेक्चर्ड प्राडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते है। भारत और विकासशील देशों के लिए सबसे अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि 1972 में फूड और रा मैटीरियल का जितना विश्व व्यापार में एक्सपोर्ट होता था, उनका लगभग 33 प्रतिशत भाग विकासशील देशों का था, लेकि 1980 उनका भाग केवल 27 या 28 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलव यह है कि मैनुफैक्चर्ड गुड्ज में विकसित देशों की मानोपली तो है ही और अब फूड और रा मैटीरियल में भी उनकी पेनीट्रेशन और दखल शुरू हो गया है, जो कि ज्यादा चिन्ता का विषय है।

इस स्थिति का सामना करने का केवल एक ही उपाय है कि हम विकासशील देशों के साथ ओपेक कन्ट्रीज को भी अपने साथ लेने का प्रयास करें, जिनका शोषण विकसित देश कर रहे हैं, और उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि वे विकासशील देशों के साथ म्युचुअल ट्रेड को बढ़ाएं।

जहां तक साउथ-साउथ कांफरेंस का सम्बन्ध है, वह प्रयास वहुत बढ़िया है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला ? वही पुरानी घोषणाएं की गईं कि साथ रहने की आवश्यकता है, साथ रहेंगे आदि। लेकिन इस कांफरेंस का निर्णय क्या हुआ ? यह भी बिचार करने का विषय है कि ग्रुप 77 के कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया। जहां तक विकासशील देशों के फोरम का सम्बन्ध है, भारत को उसकी लीडरशिप की भूख नहीं है और न होनी चाहिए। लेकिन हम सब का एक ही दर्द है कि हम सब का शोषण हो रहा है, इसलिए हम उनको अपने साथ लें। आज विकसित देशों को जितना भी रा-मैटीरियल, लेटैस्ट टेक्नालाजी के आधार पर अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए चाहिए, उसका अधिकांश भाग विकासशील देश दे रहे हैं लेकिन आज पश्चिमी देशों का किस प्रकार का आर्थिक शिकंजा विकासशील देशों के ऊपर है उसके चलते यह महसूस करना या सोचना कि वे हमारे साथ आ करके आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, यह सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं भारत, जिसने अपनी धरती पर महात्मा गांधी को पैदा किया और जिसने सबसे पहले विदेशी वस्त्रों के वहिष्कार करने का नारा दिया, वह अन्य विकासशील देशों को अपने साथ लेकर उनसे कह सकता है कि आज तुम्हें कुरबानियाँ देनी होंगी। हमें उन देशों को तैयार करना पड़ेगा और हम मिलकर विकसित देश, खासकर जो पश्चिमी देश है, उनके खिलाफ एकोनामिक वार का नारा लगायें। जब तक विकसित देशों के खिलाफ एकोनामिक वार का नारा लगाने के लिए हम विकासशील देशों को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम केवल मृग मरीचिका में ही रहेंगे।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो अर्थ नीति है, जो आयात-निर्यात नीति है उसमें आप कितना ही रिलैक्शेशन दे दें, कितनी ही लिबरल पालिसी बना दें, लेकिन उसका फायदा किसको होने वाला है ? यह जो विकसिल देश है उनसे कितनी मात्रा में मशीनरी आने वाली है इसका कोई अन्दाजा नहीं है। उन देशों से यह आशा करना कि वे अपनी प्रोटेक्शनिस्ट मेनटैलिटी को छोड़ देंगे, निरर्थक होगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में श्रम सस्ता है। यही कारण है कि हमने लेवर इंटेन्सिव प्रोडक्ट्स के मामले में मार्केट्स में अपने लिए स्थान बनाया। लेकिन जैसे ही हम अपना कुछ स्थान बनाने लगे, विकसित देशों ने प्रोटेक्शनिस्ट टेन्डेन्सी आरम्भ कर दी। इसलिए उन देशों से किसी प्रकार की कोई आशा करना बेकार है। हमें विकासशील देशों को ही अपने साथ लेना पड़ेगा और तभी हम कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

**वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस माह की पांच तरीख को आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गई थी, जिसका कि कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देना विपक्ष का नवीनतम् फैशन बन गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी नीति न केवल प्रेस समेत व्यापार और उद्योग ने ही स्वागत किया है नहीं बल्कि उसे साहसिक एवं लघु क्षेत्र के लिए भी लाभकारी माना गया है।

श्रीमन्, मैं अपना भाषण एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा। मैं सिर्फ दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों -- हथकरघा और हस्तशिल्प- का निर्देश करूंगा। हथकरघा उद्योग को हमारी नई वस्त्र नीति में, जिसकी गत वर्ष घोषणा की गई थी तथा प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित नए बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जहां तक रोजगार का प्रश्न है हथकरघा उद्योग में करीब एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इस संबंध में उसका स्थान कृषि के बाद आता है।

छटी योजना में हथकरधा क्षेत्र में 410 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है जो कि आधार स्तर पर 4% और कारखाना क्षेत्र में 8% अधिक है।

हथकरघा उद्योग विकास को सरकार बहुत महत्व दे रही है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि छठी योजना में इसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए केवल 37.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

इसके अतिरिक्त राज्य-क्षेत्र में 190.93 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

इस सदन में प्रश्न-काल के समय कई दफा बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने के बारे में प्रश्न उठाया गया है। हथकरधा बुनकरों को सूत की सप्लाई सुनिश्चित रखने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

कताई मिलों और कम्पोजिट मिलों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे अपने कुल बिक्रीयोग्य सूत का कम से कम 50% लच्छियों की शक्ल में पैक करें। इसके अतिरक्त इन लच्छों का 85% 40-40 या इससे कम बटों में होना चाहिए।

नं० 2 : 25 हथकरघा बुनकरों की सहकारी कताई मिलों की स्थापना जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 25,000 तकुओं की होगी जिसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 32 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अब तक 36 मिलें जिनकी क्षमता 84 लाख तकुओं की है हथकरघा बुनकर सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जा चुकी हैं। 1981-82 में 650 लाख रु० सहायतार्थ दिए गए और 1982-83 में 800 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है।

जहां तक हथकरघा बुनकरों के लिए चलती पूंजी का प्रश्न है मैं माननीय सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भी सुधार हुआ है।

जहां तक सहकारी क्षेत्र में ऋणों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण की शर्तों को हथकरघा वित्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजनाओं का अध्ययन करने वाली समिति की सिफारिशों पर काफी उदार बना दिया गया है। योजना के अंतर्गत उधार की सीमा को जो 1976-77 में 2643 करोड़ रुपये थी। बढ़ाकर 1979-80 में 60 करोड़ और 1980-81 में 90 करोड़ कर दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके 100 करोड़ रुपए से बढ़ जाने की संभावना है।

जहां तक सहकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों का सम्बन्ध है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हथकरघा क्षेत्र को ऋण देने की प्रणाली का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किए गए अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। हथकरघा बुनकर 25,000 रु० तक के मिले जुले ऋणों के हकदार पहले से ही हैं। जिन पर 9% से लेकर 11½% तक ब्याज अदा करना पड़ता है और जिन पर विलम्ब की सुविधा भी उपलब्ध है।

कुछ सदस्यों ने जनता कपड़ा योजना का उल्लेख किया है। कमजोर वर्गों को कपड़ा सस्ती दर पर उपलब्ध कराने और हथकरघा बुनकरों को बराबर काम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्तूबर, 976 में हथकरघा क्षेत्र में नियंत्रित कपड़ा पैदा करने के लिए यह योजना चलायी गई थी। 14 राज्यों और 1 केन्द्र शासित क्षेत्र में आजकल यह योजना चलाई जा रही है। 1976-77 में जनता कपड़े का उत्पादन 1 करोड़ मीटर था जो कि 1980-81 में बढ़कर 29 करोड़ मीटर हो गया। 1981-82 के प्रथम 9 माहों के अस्थायी आंकड़े 25.8 करोड़ मीटर हैं और 1982-83 के लिए इसका लक्ष्य 32.5 करोड़ मीटर का है।

सदन को तो इस बात की जानकारी है कि सरकार हथकरघा क्षेत्र के सरंक्षण के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है। हथकरघा क्षेत्र में विपणन की समस्याओं को हल करने के लिए एक नीति समर्थन उपाय है केवल हथकरघा महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए कुछ लाइनों के आरक्षण की योजना जैसा कि माननीय सदस्यों ने संकेत किया है। वर्तमान को नीति लागू करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है जिससे इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। इस अधिसूचनाओं को बार-बार न्यायालय में चुनौती दी जाती रही है। हथकरघा क्षेत्र में आरक्षण की विभिन्न

समस्याओं से निपटने के लिए वाणिज्यिक मंत्रालय ने एक भूतपूर्व कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल आरक्षण आदेशों के समस्त विषय पर विचार करेगा, जिसमें आरक्षण को आवश्यक वस्तु कानून के अंतर्गत रखने के स्थान पर एक नया कानून लाने की आवश्यकता भी शामिल है। अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और सरकार के विचाराधीन है, हमने पहले यह भी घोषित किया है कि सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा वस्त्र विकास निगमों के गठन का किया निर्णय है और आशा है कि हम इसे इस वित्तीय वर्ष में ही शुरू कर देंगे। हमें यह भी आशा है कि उत्तर-पूर्वी की हथकरघा वस्त्र तकनीकी संस्थान शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देगा। हथकरघा वस्त्र निर्यात 1970-71 में 25.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 1980-81 में 330 करोड़ रुपये हो गया है।

अब हम शिल्प उद्योग के विषय में विचार करें। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उद्योग भी हमारी अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष 1982-83 के लिए इस उद्योग के वास्ते 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1982-83 के दौरान प्रस्तावित प्रमुख विधान सम्बन्धी गतिविधियां कालीन बुनाई धातु के कलात्मक वर्तन, हाथ के छपे वस्त्र, बेंत और बांस, डिजायन बनाने और तकनीकी विकास परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण और विपणन में व्यापक प्रशिक्षण से सम्बन्धित हैं। इस प्रयोजन के लिए 6.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अकेले हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए 443 प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं और एक लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब बढ़िया किस्म के कालीनों की बुनाई के विकसित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अन्य शिल्पों के लिए भी प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं—धातु के कलात्मक बर्तनों के लिए 41 और बेंत तथा बांस के शिल्प के लिए 39 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। एक राष्ट्रीय कालीन संस्थान तथा एक हाथ से छपे वस्त्र संस्थान के गठन करने का भी प्रस्ताव है ताकि इन दोनों वस्तुओं में तकनीकी और डिजायन संबंधी सुधार लाया जा सके।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : किस स्थान पर ? क्या इसका निर्णय कर लिया गया है ?

**श्री पी० ए० संगमा** : हम निर्णय करेंगे। महोदय, जम्मू और कश्मीर में 100 विकसित प्रशिक्षण केन्द्र गठित करने का भी प्रस्ताव है। उन शिल्पकारों के फायदे के लिए जो आमतौर से कमजोर वर्गों के हैं, राज्य सरकारों राज्य निगमों और सहकारी समितियों के सहयोग से समान सुविधा केन्द्रों के गठन का प्रस्ताव है। यदि आप वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पता चल जायेगा कि उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ये समान सुविधा केन्द्र हथकरघा के छपे हुए वस्त्र, कालीन, लकड़ी, धातु के कलात्मक वर्तन सहित विभिन्न प्रकार के शिल्पों वाले उन क्षेत्रों में खोले जायेंगे जहां ये शिल्प बहुतायत में हैं और रंगने, लकड़ी के काम और इलैक्ट्रो प्रिंटिंग आदि की सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। राज्य सरकारों और बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से शिल्पकारों को आवास व कार्यशालायें बनाने में सहायता करने की एक योजना तैयार करने का भी प्रस्ताव है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों विशेषरूप से प्रशिक्षण क्षेत्र में, के परिणामस्वरूप हीरे व

जवाहरातों को छोड़कर हमारा हस्तशिल्प निर्यात जो 1970-71 में 37 54 करोड़ रुपए था 1979-80 में बढ़कर 314.26 करोड़ रुपए हो गया। श्री पाटिल ने बताया है कि हस्तशिल्प निर्यात मुख्यत: हीरों व जवाहरातों का होता है परन्तु जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं वह हीरों और जवाहरातों के अलावा हैं।

अनन्तिम आँकडों के अनुसार 1980-81 में निर्यात 357.10 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ और 1981-82 के प्रथम दस महीनों में 313.60 करोड़ रुपए का। अपने निर्यात निस्पादन में और वृद्धि करने के उद्देश्यों कालीनों के लिए एक नई निर्यात संवर्द्धन परिषद को फरवरी, 1982 में पंजीकृत किया गया है और यह शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देगी।

मैंने यह भी सोचा था कि मैं रेशम उद्योग के बारे में भी कुछ बताऊंगा, लेकिन बहुत शीघ्र ही इस सदन में रेशम उद्योग के विषय में हमें विस्तार से चर्चा करने का इस समय अवसर मिल जाएगा जब हम केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम को संशोधित करने के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मैं रेशम उद्योग पर अभी और कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि जहां तक हथकरघा वस्त्रों शिल्पों और रेशम उद्योगों का सम्बन्ध है हम यह देखने का हर सम्भव उपाय कर रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हो।

इस शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री शान्तु भाई पटेल** (सावरकंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्य मंत्रालय की डिमांड्स पर जो आज चर्चा चल रही है, उसमें भाग लेने के लिए जो आपने समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

इसके साथ साथ दो-तीन सुझाव मुझे काटन के बारे में देने हैं। काटन का जो उत्पादन वर्ष है, उसमें काटन के किसानों ने बहुत अच्छी तरह से काटन का उत्पादन किया। पहले हमें देश में काटन बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। इस वजह से सरकार ने और काटन के किसानों ने इस पर अपना पूरा ध्यान लगाया। शोधन करके सरकार ने अच्छे बीज किसानों को दिए और फर्टीलाइजर्स की व्यवस्था भी की। इससे काटन का उत्पादन इतना बढ़ा कि अब देश में किसानों को काटन का पूरा दाम भी नहीं मिल रहा है। उत्पादन पहले कम था इसीलिए विदेशों से काटन इम्पोर्ट करना पड़ता था। सरकार ने काश्तकारों को, किसानों को प्रोत्साहन दिया और उन्होंने इसका उत्पादन बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा। ए० पी० सी० ने परामर्श दिया है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल इसका 25 टका दाम बढ़ना चाहिए और किसानों को ज्यादा दाम देना चाहिए जिससे कि उनको घाटा न हो। लेकिन सपोर्ट प्राइस देने के लिए अभी तक दाम नहीं बढ़ाए गये हैं।

जो काटन सी० सी० आई० परचेज करती है, व्यापारी मार्किट से खरीदता है, उसके खरीदने के भाव में गिरावट आयी है। लास्ट ईयर फरवरी मास, 1981 में एक क्विंटल का

दाम 607 रुपए था, इस साल, 1982 में इसका एक क्विंटल का 524 रुपए है । 1981 में मार्च मास में इसका दाम 586 रुपए क्विंटल था, इस साल 82 में 487 रुपये क्विन्टल है । मेरा कहना यह है कि एक क्विन्टल पर सौ-सौ रुपया कम हो गया है तो आप अनुमान लगाइये कि एक गठरी पर कितना कम हो जायेगा । हमारे देश में कितनी लाख गठरियों का उत्पादन होता है, यह आप जानते हैं । इससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा । इसके बारे में कामर्स मिनिस्ट्री को पूरा ध्यान देना चाहिए ।

काटन कारपोरेशन जो काटन खरीदने जाता है या इसके द्वारा काटन खरीदने की प्रेक्टिश है उसके मायने यह है कि मार्किट में जो दाम काटन के हैं वे कम न हों और किसानों को घाटा न हो । यह काटन कारपोरेशन किसानों को संरक्षण देने के लिए बना है । इसलिए इस कारपोरेशन को किसानों से सही भाव पर काटन खरीदना चाहिए । जो किसान का कास्ट आफ प्रोडक्शन होता है वह तो कम से कम किसान को मिलना चाहिए । हम यह नहीं कहते कि उसको ज्यादा मुनाफा दो, पर इतना पैसा तो दो जिससे कि उसको कम से कम घाटा तो न पड़े । किसान को पूरा दाम मिले इसकी व्यवस्था कामर्स मिनिस्ट्री को करनी चाहिये और जल्दी से करनी चाहिए ।

लास्ट ईयर गुजरात में सी० सी० आई० ने दस लाख गाँठें खरीदी थीं । इस साल अभी तक सात लाख गांठें खरीदी हैं । इसलिए कामर्स मिनिस्ट्री को सी० सी० आई० को कहना चाहिये कि चालू वर्ष में वह ज्यादा काटन की खरीद करे और किसान को पूरा पैसा दे । इसके लिए अभी से व्यवस्था करने की जरूरत है । अगर काटन बोने वाले को पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो किसान अगले साल क्या करेगा । इसका भी ख्याल मिनिस्ट्री को करना चाहिए ।

हिन्दुस्तान में जो कारखाने चलते हैं, इंडस्ट्री चलती हैं, अगर एक्सपोर्ट करने पर उनका पूरा दाम नहीं मिलता है तो उसके लिए उनको सब्सीडी दी जाती है ताकि वे माल दूसरे मुल्कों में भेज सकें । इसी तरह से किसान जो काटन तैयार करके काटन कारपोरेशन को देता है उसके लिये भी सब्सीडी दी जानी चाहिए और उसकी काटन को परदेश में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए । काटन कारपोरेशन के साथ जो सहकारी संस्थाएं हैं, फेडरेशन हैं, उनको भी माल बाहर भेजने और एक्सपोर्ट करने की पूरी परमीशन देनी चाहिए । उनको भी इस प्रकार की सब्सीडी देनी चाहिये जिससे कि वे माल एक्सपोर्ट कर सकें और किसान को उसकी उपज का पूरा दाम मिल सके ।

एन. टी. सी. मिल्स जो कंट्रोल का कपड़ा तैयार करती हैं वह कंट्रोल का कपड़ा बड़े-बड़े शहरों में जाता है और वहीं बिक्री होता है । यह कंट्रोल का कपड़ा जिन गरीब लोगों और देहातों के गरीब और सामान्य लोगों के लिये बनता है, उन तक देहातों में वह कपड़ा नहीं पहुंच पाता है । वह कपड़ा ग्रामीण लोगों तक देहातों में पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए । कोआप्रेटिव सोसायटीज द्वारा इस कपड़े का वितरण करने की आप व्यवस्था करें तो मेरे ख्याल से कंट्रोल का कपड़ा देहातों तक अच्छी तरह से पहुंच सकेगा और उन लोगों को मिल सकेगा

जिनके लिये यह बनता है। इस तरह से यह कार्य अच्छी तरह से हो सकेगा। सहकारी संस्थाओं को उचित मात्रा में कपड़ा दिया जाए, जिससे वे सही प्रकार से वितरण कर सकें। देहातों में भी जनसंख्या के आधार पर उचित मात्रा में कपड़ा पहुंचाया जाए, ताकि देहात की जनता को भी इसका लाभ मिल सके।

काटन का एक्सपोर्ट बढ़ाइए और इसके लिए सबसिडी दीजिए, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था करवाने के लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** (आरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं सरकारी पक्ष के लोग जनता पार्टी को दोषी ठहरा कर कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे। जनता के कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। जनता पार्टी को दोष देकर जनता की सारी दिक्कतों और तकलीफों की जिम्मेदारी जनता पार्टी के ऊपर टालना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, वाणिज्य मंत्रालय के दो विभाग हैं। एक है वाणिज्य विभाग और दूसरा वस्त उद्योग आदि विभाग। वाणिज्य विभाग के अनेकों काम हैं—वैदेशिक व्यापार को संगठित करना, उसका विकास करना, विनियमन करना, विभिन्न प्रकार की सहायता करना, बाजारों का संरक्षण करना, किस्मों पर नियन्त्रण करना, भारतीय उत्पादकों और निर्यात को बढ़ावा देना आदि-आदि। मैं यह पूछना चाहता हूं कि विगत दो-ढाई वर्षों के बीच में इस ओर कितना काम हुआ है कोई स्पष्ट नीति सरकार की नहीं है। अस्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के कारण यह काम नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 1979 में टंडन समिति बनी। उसकी रिपोर्ट है कि जब तक कृषि उत्पादन का निर्यात नहीं बढ़ेगा, तब तक निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकेगा। लेकिन आज कृषि का उत्पादन बढ़ाने की चिंता किसको है? करोड़-पतियों के दबाव में पड़कर कृषि की सभी योजनाएं खटाई में पड़ी हुई हैं। उत्पादन घटता जा रहा है। जब गेहूं आप बाहर से मंगवाने लगे है तो निर्यात कहां से करेंगे? देश में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग अन्न के लिए छटपटा रहे हैं, ऐसी हालत में निर्यात के बारे में आप कहां सोच सकते हैं? किसान मर रहा है। समितियां केवल दिखाने के लिए बनती हैं, उनकी सिफारिशें मानने के लिए नहीं बनती। अगर उनकी सिफारिशों पर चला जाए तो कुछ काम हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। स्टेट्स ट्रेड्स कारपोरेशन की क्या स्थिति है। हालत दयनीय है। लूट है यहां। 1979-80 में जहां 636 करोड़ का निर्यात था वहां वह 1980-81 में घट कर 450 करोड़ का ही रह गया, यानी लगभग चालीस प्रतिशत कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप इसकी जांच करेंगे?

एक व्यापार मेला प्राधिकरण है। इसका काम है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करना, सरकार की ओर से प्रदर्शनियों तथा मेलों की व्यवस्था करना आदि। लेकिन हो क्या रहा है? कोई संतोषजनक काम नहीं हो रहा है। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रोमोशन एण्ड

मार्किटिंग डिबेलेपमेंट असिस्टेंस का काम है। उसका काम है भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना। लेकिन इसमें भी बढ़ावा देने का काम नहीं हो रहा है। भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं के लिए विदेशों में मंडियों की खोज और उनके विकास का भी इसका काम है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ईमानदारी के साथ आप इन सब बातों को सोचें, समझें और इन पर विचार करें। सचमुच में यह काम क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। यह बहुत दुखद बात है। चारों ओर लूट मची हुई है। विदेशी व्यापार आपका चौपट हो रहा है।

भारत के उत्तर पूर्वी इलाके, बिहार बंगाल, असम और उड़ीसा, बहुत गरीब हैं। इनकी एक ही मनी क्राप है, जूट। इसकी क्या हालत है? 1930 से ही उत्पादकों की दयनीय दशा में सुधार लाने के लिए समितियां बनती आ रही हैं। एक के बाद एक समिति बनती चली आ रही है, उनकी रिपोर्टें भी निकलती आ रही है लेकिन उनकी समस्यायें ज्यों की त्यों हैं, किसी भी सरकार ने उनकी समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। भारत का विभाजन होने के फलस्वरूप सारी जूट फैक्ट्रियाँ भारत के हिस्से आ गई और खेती पाकिस्तान में चली गई। इस बीच हमारे किसानों ने बहुत मेहनत करके जूट की पैदावार को बढ़ाया और इन फैक्ट्रियों को चलाए रखा। लेकिन किसानों की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती गई। जांच होती रही, जांच में कोई कमी नहीं आने दी गई लेकिन उनकी दशा सुधारने के कोई कारगर उपाय नहीं किये गए, उनकी जान बचाने के कोई तरीके नहीं अपनाए गए। उत्पादक को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले इसकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। वे बेचारे बड़े कष्ट में हैं। विगत वर्ष 9 मार्च को वाणिज्य मंत्री जी ने इसी सदन में वस्त्र नीति के बारे में एक घोषणा की थी। इस एक वर्ष में क्या प्रगति हुई है, मैं चाहता था कि संगम्मा साहब हम को उसकी रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। घोषणा के कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं —

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो ठीक है अन्यथा आप अपना भाषण सोमबार को पुनः प्रारम्भ कर सकते हैं।

**श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : मैं सोमबार को पुनः प्रारम्भ करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पी० वेंकट सुब्बया।

———

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### दिल्ली नगर निगम, अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचना आदि

**गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पो० वेंकट सुब्बय्या) :—** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (३) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या यू० 11013/2/82- दिल्ली की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण), जो दिनांक 8 अप्रैल, 1982 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनाँक 11 अप्रैल 1980 के आदेश में संशोधन किया गया है जिससे कि दिल्ली नगर निगम के निरस्त रहने की अवधि को 11 अप्रैल 1982 से 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सके।

(2) अधिसूचना जारी करने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 384/82]।

———

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### चालीसवां प्रतिवेदन

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे। श्री रामनाथ दुबे।

**श्री रामनाथ दुबे (बांदा) :—** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 7 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 40वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

**उपाध्यक्ष महोदय :—** प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 7 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 40वें प्रतिबेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

## आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि और मेहनतकश लोगों की हालत को सुधारने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री के० ए० राजन द्वारा रखे गए 'मेहनतकश लोगों की दशा में सुधार करने के उपाय' विसयक संकल्प पर और चर्चा पुनः प्रारम्भ करते हैं। श्री के० ए० राजन।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने केवल संकल्प रखा था। मैं आर्थिक ढाँचे से सम्बन्धि कुछ मूल प्रश्नों के बारे में बता रहा था। कीमतों में इतनी ज्यादा वृद्धि क्यों हो रही है जिससे इस देश के सभी लोग जस्त हैं ? अब मैं देश में मूल्य वृद्धि के उन वास्तविक कारणों की चर्चा करूंगा जिनमें मेहनतकश लोगों के दैनिक जीवन पर, वास्तव में कुछ भाव पड़ रहा है। कारण है विकास के लिए संसाधन जुटाना। इससे सारा बोझ आम जनता पर पड़ता जा रहा है। सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष करों में जिनका प्रमुख अंग वस्तुओं पर लगाने वाला उत्पादन शुल्क है, तेजी से वृद्धि हो रही है। यदि आप दैनिक उपभोग की 18 वस्तुओं जैसे कपास, वस्त्र, चीनी, चाय, काफी, तम्बाकू, नमक, मिट्टी का तेल आदि पर उत्पादन शुल्क के आंकड़ों की जाँच करें तो उनके 1981-82 में 2762.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर लगाये गए उत्पादन शुल्क से यह स्पष्ट पता चलेगा कि इन वस्तुओं के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई गई है। चीनी पर 1980-81 में वसूल किया गया उत्पादन शुल्क 6.41 करोड़ रुपये था, जो 1980-81 में बढ़कर 228.5 करोड़ रुपए हो गया। चाय के बारे में यह आँकड़े 1950-51 में 3.36 करोड़ रुपये थे जो 1980-81 में बढ़कर 70.32 करोड़ रुपये हो गए। तम्बाकू पर उत्पादन शूल्क 1950-51 में 31.99 रुपये का था जो 1980-81 में बढ़कर 40.39 करोड़ रुपये हो गया। साबुन पर जो आम आदमी के उपभोग का वस्तु है, उत्पादन शुल्क 1950-51 में 1.50 करोड़ रुपये का था जो 1980-81 में 25 करोड़ रुपये हो गया। निर्मित वस्तुओं की कीमतें और उन पर उत्पादन शुल्क कई गुना बढ़ गये हैं और हमारी मेहरवान सरकार इन की तरफ से आंखे बन्द किये बैठी है। अधिकांशतः यह सारा भार आम लोगों पर डाल दिया जाता है। दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और सभी दवा बनाने वाली कम्पनियां दवाओं की कीमतों में वृद्धि करती चली जा रही हैं। इससे आम आदमी को अपने दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरे, घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है जिससे श्रमिकों द्वारा अर्जित धन जान बूझकर और बलपूर्बक उच्च वर्ग की ओर परिवर्तित किया जा रहा है।

तीसरे, कमी की अर्थव्यवस्था और बिक्रेता-बाजार की प्रक्रिया चल रही है। हमारे उद्योग-पतियों ने बहुत काला धन एकत्र कर लिया है। उन्होंने जो इतनी भारी रकम एकत्र की है, जो इस समय लगभग 30,000 करोड़ रुपये है वे उसे भूमि तथा अन्य इच्छित वस्तुएं खरीदने में लगाते हैं। एक निष्क्रिय सरकार जो दूकानदारों से निपटना नहीं चाहती वह हमेशा यह कहती है

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों व मेहनतकश लोगों की हालत सुधारने का संकल्प 8 अप्रैल 1982

कि वर्तमान समस्याओं का हल उत्पादन बढ़ाने में है। यह वास्तविक स्थिति है, जो उनके लिए एकल स्वर्ग के समानतः है और जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य चुनौती है।

अब आर्थिक सर्वेक्षण और इस सभा में दिए गए बजट भाषण में यह दावा किया जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक पर नियंत्रण रखा जा रहा है और इसमें गिरावट का रूप दिखाई दे रहा है। परन्तु यदि यह मान लिया जाए कि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आ रही है तब क्या इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ठीक से प्रतिबिम्बित रहा है? आम जनता और मेहनतकश लोग, विशेषकर गाँवों में रहने वाले अपनी दैनिक आवश्यकताओं और वस्तुओं के लिए खुदरा दुकानों पर ही निर्भर रहते हैं। अब एक नई बात चलाई गई है कि थोक मूल्य सूचकांक गिर रहा है। लेकिन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में इस गिरावट का क्या प्रभाव है? वे कहते हैं कि इन दोनों में समायान्तर है। लेकिन दुर्भाग्य से, समायांतर का सिद्धांत वास्तविक जीवन में काम नहीं करता। मैं एक लेख से उद्धृत करता हूं :—

> "यद्यपि थोक मूल्य सूचकांक में पिछले कई महीनों में सामान्यतः गिरावट आई है तथापि पिछले एक वर्ष में कई अनिवार्य मदों के मूल्य तेजी से बढ़े हैं। उदाहरणार्थ, 15 नवम्बर 1980 से 14 नवम्बर, 1981 को कुछ वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में प्रतियपा परिवर्तन इस प्रकार था। मिर्च +97.9, प्याज +95.9, मछली +46.9, मूंगफली का तेल +26.4, तिल का तेल +12.7, ज्वार +12.5; वनस्पति +11.7, चाय +10.8 और चावल + 10.4।"

यह थोक मूल्यों के सूचकांक का सही निरूपण है, हालांकि इसमें खुदरा और उपभोक्ता मूल्यों में गिरावट बतायी गयी है। यह आम जनता के हित में नहीं है। जिसे क्यों अपने जीवन निर्वाह के लिए इन्हीं आवश्यक वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यह वास्तविक स्थिति है, जिसमें हम रह रहे हैं। आप थोक मूल्यों में गिरावट की कितनी भी बातें करें वास्तविकता यह है कि अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। यह समस्या आम आदमी के सामने है और विशेषकर गांव में रहनेवाले लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोग इस समस्या से परेशान हैं इसे हल करने का क्या उपाय है? हम पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि मूल्यों को उस स्तर तक कम किया जाएगा जिस स्तर पर सभी लोग अपने रहन-सहन के स्तर के अनुसार आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि ऐसा करने की इच्छा के बावजूद भी हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने में असफल रहे हैं। यह बहुत गम्भीर समस्या है और गरीब लोग, जिनमें गांवों में रहने वाले कृषि मजदूर और मध्यम वर्ग के अन्य लोग शामिल इस समस्या से पीड़ित हैं। अब हमें अपनी व्यवस्था के अनुसार सोचना है और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना है कि हम समग्र स्थिति को देखते हुए मूल्यों में किस प्रकार स्थिरता लायें।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक ढंग से लागू करना होगा। जहाँ तक मैं समझता हूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सारे देश में 2.98 लाख उचित दर की दुकानें हैं। एक वर्ष में उनकी संख्या केवल 25 हज़ार बढ़ाई गयी है और अधिकतर उचित दर दुकानें शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में है। बहुत सी दुकानों पर तो केवल साइन बोर्ड टंगे हुए हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुएं शायद ही कभी इन दुकानों पर उपलब्ध होती हैं। यदि आप कम से कम आवश्यक वस्तुएं लोगों को सप्लाई करने की व्यवस्था कर दें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर और सुनिश्चित ढंग से काम कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा गांवों तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और कृषि मजदूर ही वे लोग हैं जो मूल्य वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस प्रकार सुचारु ढंग से चला सकते हैं ? सरकार के कार्यक्रम के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए कि यह अर्थ व्यवस्था का एक स्थायी पहलू बन जाए और इसका विस्तार देश के सभी भागों में किया जाए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही पिछड़े हुए सुदुर और दुर्गम्य क्षेत्रों में/ समुदाय के कमजोर वर्गों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह सत्य है कि व्यवहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक ढंग से नहीं चल पाई है। हम इस स्थिति पर इस सभा में कई बार चर्चा कर चुके हैं। उचित दर दुकानों से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ तक हो पाई है। इन दुकानों के माध्यम से कौन-कौन सी वस्तुयें सप्लाई की जाती हैं ? मूल्यों को स्थिर करने में इनका क्या योगदान रहा है ? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभाव से कह सकता हूं कि हम इन उचित दर की दुकानों या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के लाखों गरीब लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

इसलिए अपने संकल्प में मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। यह देखने के लिए कि उचित दर दुकानों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराई जायें, कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि गरीब लोगों को क्रय शक्ति और उनके रहन-सहन की दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पहले ही उनके लिए अपना जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। चाहें वे कृषि मजदूर हों, मध्यम वर्ग के लोग हों या श्रमिक वर्ग के हों। इतने वर्षों में उनकी मजदूरी में वास्तव में कमी आई है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही रहे हैं। दुर्भाग्यवश सरकार की मजदूरी नीति में ऐसे उपाय नहीं हैं जिनसे रहन-सहन के बढ़ते हुए खर्च को कम किया जा सके क्योंकि वे मजदूरी ढांचे को स्थिर करने या मजदूरी को इसी स्तर पर स्थिर करने का प्रयास कर रही है। इस सन्दर्भ में हमें आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर बनाने के सम्बन्ध मे गम्भीरता से विचार करना होगा।

इस संकल्प के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यदि वह मूल्यों को स्थिर रखना चाहती है तो दो या तीन उपाय करे। सबसे पहले सारे देश में और विशेषकर ग्रामीण

क्षेत्रों में जहां गरीब किसान, मजदूर तथा दस्तकार रहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जाल बिछाया जाए।

फिर सरकार को चाहिए कि वह खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले ले। क्योंकि इसी स्तर पर मूल्यों में अस्थिरता आती है क्यों एकाधिकारी लोग कुछ हेर-फेर करके भारी लाभ कमाना चाहते हैं। अतः थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहिए और उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण किया जाना चाहिए।

इसके बाद उपभोक्ता वस्तुयें जैसे वस्त्र, चीनी, खाद्य तेल आदि को एकाधिकारियों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। इन वस्तुओं को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि हम ऐसा करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। इसलिए कई राजनीतिक दलों और दूसरे संगठनों ने सुझाव दिए हैं कि चीनी, वस्त्र और औषध उद्योग का राष्ट्रीयककण कर दिया जाए। श्रीमान, जब तक आप यह ठोस कदम नहीं उठायेंगे तब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं कर सकती है और गरीब लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें राहत नहीं पहुंचा सकती। पिछले 30-35 वर्षों में हमारा अनुभव रहा है कि किसानों और उपभोक्ताओं को व्यापारियों और एकाधिकारियों द्वारा लूटा गया है जो कि महत्वपूर्ण वस्तुओं के सारे उत्पादन को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए मूल्यों को स्थिर करने के लिए आपको कुछ आधारभूत कदम उठाने चाहिए और मैं इस संकल्प के माध्यम से दो उपाय करने का सुझाव देता हू।

1. खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना आवश्यक है और

2. वस्त्र, चीनी और औषध उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

इससे बहुत राहत मिलेगी और आबश्यक बस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आयेगी। कम से कम आम आदमी को तो राहत मिलेगी। इस संकल्प के माध्यम से मैं सुझाव देता हूं और मेरे इस सुझाव को किसी विशेष वर्ग या विशेष पार्टी की बात न समझी जाये क्योंकि मूल्य वृद्धि से सारा देश दुखी है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था तथा आम आदमी के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं इस संकल्प के माध्यम से यह दो उपाय करने का सुझाव देता हूं।

पहली बात है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना और दूसरे, खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने तथा कपड़ा उद्योग, चीनी और औषध उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता है।

मैं सिफारिश करता हूं कि यह सभा इस संकल्प को स्वीकार करे।

**श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा)** : श्री राजन आपने इस संकल्प में इन सभी बातों का उल्लेख नहीं किया है। दुर्भाग्यवश, संकल्प में राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—**

"यह सभा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर और निर्बाध वृद्धि तथा उसके परिणाम-स्वरूप सभी मेहनतकश लोगों के जीवन-स्तर और कार्य करने की स्थितियों में गिरावट तथा श्रमिकों के कार्मिक संघ अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह मेहनतकश लोगों की दशा को सुधारने हेतु कारगर कार्यवाही करे ।"

**श्री नवल किशोर शर्मा :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में, —

(एक) "तथा श्रमिकों के कार्मिक संघ अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों" का लोप किया जाए ।

(दो) कि अन्तिम से पहली पंक्ति में "मेहनतकश" शब्द से पूर्व यह जोड़ा जाये ।

"रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर" । (1)

**श्री मूल चन्द डागा (पाली) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में, —

(एक) 'वह' के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाये,—' देश में तेजी से उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से"

(दो) "सुधारने हेतु" के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"अवांछित हड़तालों एवं तालाबन्दियों आदि की कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए" । (2)

**श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय द्वारा रखा है और अन्त में जो उन्होंने बातें बताई, यदि उसी भावना से यह संकल्प रखा है, तो मैं उस भावना का हृदय से स्वागत करता हूं ।

हिन्दुस्तान में अभी तक वेज पॉलिसी नहीं बन पाई है । आज इतने सालों के बाद भी हम लोगों को इस बात के लिए सोचना होगा कि वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ी और देश में गरीब लोगों के अन्दर अशान्ति क्यों बढ़ी और उनके कारणों में हमें गहराई से जाना चाहिए । इसके लिए जिन्होंने यह संकल्प रखा है, मैं उनका बड़ा आभारी हूं ।

पहली बात तो यह है कि प्रशासन का खर्चा काफी बढ़ गया है। काम करने वाले लोग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करते हैं और अपनी पूरी ताकत से काम नहीं करते हैं। आप दफ्तरों में, कार्यालयों में, कहीं पर भी चले जाइए, उन के व्यवहार से आम आदमी प्रसन्न नहीं है। आज राजस्थान में हड़ताल हो रही है। 3 लाख 25 आदमी हड़ताल पर आ गए हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको पीछे से उत्साह दे रही हैं। इतने आदमियों के हड़ताल पर आने के कारण वहां का सारा प्रशासन ठप्प हो गया है और हालत यह हो रही है कि जयपुर की गलियों और सड़कों पर गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपने यहां जो पैसा विकास के लिए रखते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रशासन पर खर्च हो जाता है। एक अन्य कारण यह है कि हम ने 20 हजार करोड़ रुपया राष्ट्रीय उपक्रमों पर, पब्लिक सैक्टर पर लगा दिया है जिस का देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है। राजन साहब, आपकी पार्टी अब तक यह कहती आई है कि हर चीज का सरकारीकरण कर दिया जाय। क्या यही नैशनलाइजेशन है? हमने पहले भी कहा था -- हम उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं जिनके कारण हम लोग कुछ आगे बढ़ सकें। ऐसे उद्योगों को सरकार अपने हाथ में ले जिन को साधारण आदमी न कर सकता हो, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम ने सभी चीजों का नैशनलाइजेशन कर लिया। इसका क्या नतीजा निकला? दिल्ली का परिवहन निगम है 60 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। आपका कोल इण्डिया लि० 200 करोड़ रुपए के घाटे में है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया भी इसी तरह बहुत बड़े घाटे में चल रहा है। क्षमा करें, रेल मंत्री जी, यहां बैठे हैं। रेलवे हमारी सबसे बड़ी पब्लिक अण्डरटेकिंग है— पूछ लीजिये— कितना घाटा हो रहा है? हर साल किराये बढ़ाये जाते हैं, हर साल घाटा बढ़ता जाता है।

क्या आपने कभी इसका कारण सोचा है? स्पष्ट है कि हमारे अन्दर राष्ट्रीय चरित्र की कमी है, नैशनल कैरेक्टर नहीं है। इधर बैठने वाले जब कभी चर्चा होती है तो यह वकालत करते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ हड़ताल हमारा नारा है और आप ये बातें बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं। दूसरी तरफ जो गांव के गरीब लोग हैं, कृषि मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं उनको 3 रुपए या 4 रुपए भी नहीं दे पाते हैं।··· (व्यवधान)··· मुझ से पहले बोलने वाले जो वक्ता थे, हम उनकी बात से कुछ सीखें। उन्होंने कहा था कि यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है, इस पर हमें मिल कर सोचना चाहिये।

मैं आप से एक बात पूछता हूं—आज जो मंहगाई बढ़ती जा रही है, यह क्यों बढ़ी है? आज हर चीज के दाम बढ़ गये हैं, स्टील के दाम बढ़ गये, खेती के काम में आने वाली हर चीज के दाम बढ़ गये लेकिन क्या काश्तकार को उस की उपज के दाम उसकी कास्ट के अनुसार मिल रहे हैं? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन उसकी चीजों का भाव तय करता है तो हमारे चित्त वसु जी कहने लगते हैं कि यह कमीशन कास्तकारों का दुश्मन है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर चीज बैलेंस्ड दृष्टि से देखनी चाहिए। कमीशन को किसान की कठिनाई को भी देखना है साथ ही उपभोक्ता की कठिनाई को भी देखना है।

देश के अन्दर मंहगाई का जो सबसे बड़ा कारण, मेरी दृष्टि में है, वह काला धन है। आपने भी इसका जिक्र किया है—यह धन कैसे पैदा हुआ और कैसे बढ़ता जा रहा है ? मैं इस वक्त आँकडे उपस्थित नहीं कर सकता लेकिन यह सच्चाई है कि इन्कम टैक्स की मशीनरी ईमान्दारी और निष्ठा के साथ इनकम-टैक्स वसूल नहीं करती जिस का परिणाम है कि देश में तकरीबन 30 हजार करोड़ रुपया काले धन के रूप में फैला हुआ है। हमारे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों के साथ गठबन्धन रखते है, उनके गठबन्धन के कारण देश में काला-धन बढ़ गया है। आप देखिये— आज कितनी एक्साइज ड्यूटी वसूल हो रही है ...।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** बहुत वसूल कर रहे हैं।

**श्री मूल चन्द डागा :** आप को ऐसा बोलना ही चाहिए, यही तरीका अख्तियार करना चाहिए, इससे फायदा होता है। हर आदमी को ऐसी जुबान में बोलना चाहिये जिससे राजनेता खुश हों। यह जुबान अच्छी है। मैं यह बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे जो बात जंचती है, वही कहता हूं और आर्टीकिल 19 में यह है कि हर एक सदस्य ईमानदारी से जो उसके मन में बात हो, वह कहे।

मैं एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात कह रहा था। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उन को पता होगा कि हजारों मकान बेनामी ट्रान्जेक्शन में आज कम कीमत पर बिक जाते हैं जबकि उनकी कीमत ज्यादा होती है। मैंने इस पर एक सवाल किया था कि आपने ऐसे कितने मकानों को लिया है, तो उत्तर यह आया कि केवल 12 मकानों को अपने कब्जे में लिया है। आज कितने लोग मकान बना रहे हैं और काला धन उसमें लगा रहे हैं। कितने मकानों पर आप ने टैक्स वसूल किया है। डाइरेक्ट टैक्स आप वसूल नहीं कर पाते और उसके कारण एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं और जब एक्साइज ड्यूटी लगती है, जोकि एक इनडाइरेक्ट टैक्स है, तो उस के कारण कीमतें बढ़ती जाती हैं। एक्साइज ड्यूटी लगाने का एक कारण यह है कि डाइरेक्ट टैक्स है, वह हम ठीक से वसूल नहीं कर पाते। हमारे वित्त मंत्री जी इसको बताएंगे कि आज हजारों एक्साइज के कैसेज हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि एक्साइड ड्यूटी के लिए तो वे कोर्ट से स्टे आर्डर ले आते हैं और सरकार को चुका नहीं रहे हैं लेकिन इन्कम टैक्स के अन्दर उनको डिडक्शन मिलता है। हमारे वित्त मंत्री जी इसका उत्तर देंगे कि क्या ऐसी बात नहीं है कि वे एक्साइज ड्यूटी तो वसूल नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्टे आर्डर उन लोगों ने ले लिया है और इन्कम टैक्स में उन लोगों को डिडक्शन मिलता है। हजारों ऐसे मुकदमें एक्साइज ड्यूटी के ऐसे हैं जो 10-10 और 15-15 सालों से अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे चटर्जी साहब, जोकि यहां चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हैं, उन्हें मालूम होगा कि कितने लोग मुकदमे कर के अदालतों से एक्साइज ड्यूटी के मामले में स्टे आर्डर ले आए हैं क्योंकि वे हाई कोर्ट और

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। एक्साइज ड्यूटी सरकार को मिल नहीं रही है और इन्कम टैक्स में डिडक्शन का लाभ वे उठा रहे हैं। हजारों ऐसे मुकदमे चल रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। 9 अरब रुपया आप का रिकवरी का बकाया है, यह इन्कम टैक्स के आंकड़े बताते हैं। एक्साइज ड्यूटी के जो अफसर हैं, वे बहुत ईमानदार हैं. बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, उनकी भलमनसाहत के बारे मे मैं क्या कहूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का कारण क्या था? इसका एक ही कारण था कि हम लोगों ने कभी इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया था कि 1950 के बाद इतना प्रशासनिक खर्चा बढ़ जाएगा। 1950 में जो प्रशासन का खर्चा था, उससे आज 162 परसेन्ट ज्यादा वह बढ़ गया है। इतना परसेन्ट खर्चा बढ़ गया है जो हमने सोचा भी नहीं था। सारी तरफ से पैसा इकट्ठा करते हैं और सरकारी कर्मचारियों को दे देते हैं और इस कारण हमारा इतना खर्चा बढ़ गया है। इसके लिए आप को एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर और डाइरेक्ट टैक्स बढ़ा कर पैसा वसूल करना पड़ता है।

अब जनता क्लाथ, कन्ट्रोल्ड क्लाथ को ही ले लीजिए। कामर्स मंत्रालय के मन्त्री उत्तर देते हैं कि सारी मिलें घाटे में हैं और 250 करोड़ रुपए का घाटा है, यह आपने रिपोर्ट में देखा होगा। यह जो जनता कपड़ा है, इसके लिए आप सब्सीडी देते हैं। एक बीमारी सब्सीडी की ऐसी चली है कि सब जगहों पर सब्सीडी दी जाती है। फूड में सब्सीडी, कपड़े पर सब्सीडी और इस सब्सीडी पर करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं। आंकड़ों को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि 900 करोड़ रुपए की सब्सीडी फूड में देते हैं। 1-40 तैसे प्रति किलो आप गेहूं खरीदते हैं और गेहूं बेचते कितने पर हैं हैं? आपका जो फूड कारपोरेशन है, उसमें 10 हजार से ज्यादा आदमी हैं, इतनी ज्यादा लेवर वहां लगी हुई है और उसको आप हटा नहीं सकते। हटाओ, तो उधर बैठने वाले आवाज लगाते है कि हड़ताल हमारा नारा है।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : यह हम भी कहते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : हम यह नहीं कहते हैं। हम तो वही बात कहते हैं जो सही होती है। हम वही काम करते हैं जो सही काम होता है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आपने प्रस्ताव रखा है उसमें जो एक कारण आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का बताया है, उससे मैं एग्री करता हूं। जब तक इन्डायरेक्ट टेक्सिज कम नहीं होंगे, डायरेक्ट टैक्सिज की वसूली ठीक नहीं होगी तब तक मंहगाई बढ़ती जाएगी।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि आपने विच्छु के काटे, सांप के काटे और जहरीले सांप के काटे का भी एक ही इलाज बताया है। आपने बस एक नारा दे दिया है कि राष्ट्रीयकरण कर दो। हम लोगों ने सोच समझ कर मिक्सड इकोनोमी का फार्मूला बनाया है आप सब का राष्ट्रीयकरण करने की बात कहते है। मेरे यहाँ राजस्थान में खेतड़ी प्रोजेक्ट है उसमें 79 करोड़ रुपए का घाटा है। इस सारे घाटे के चलते वह प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि सारा काम केवल राष्ट्रीयकरण से ही नहीं होगा। काम होगा डायरेक्ट टेविसज की ईमाददारी से वसूली से और इन्डायरेक्ट टैक्सिज को कम करने से।

इसके साथ ही हम सब लोग मेहनत करें। इसीलिए हमारी प्रधान मंत्री ने नारा दिया है—श्रम एव जयते —का। पुरुषार्थ में ही भाग्य बनता है और सब कुछ बनता है। मगर आप जिस प्वाइंट पर सोच रहे हैं उसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि वह आप छोड़ दीजिए।

मैं आप से कहता हूं कि हड़ताल न करायी जाएं। जो हड़ताल करता है उसको रोकना चाहिए। तभी देश का उत्पादन बढ़ेगा। हड़ताल कौन करता है? जो मजदूर 20-25 रुपए रोज कमाता है वही हड़ताल करता है। अगर गांव में काश्त करने वाला मजदूर यह काम करने लगेगा तो खेती कौन करेगा। जब पैदावार कम होगी तो क्या हालत होगी। आपने पब्लिक डिस्ट्रियब्युशन सिस्टम की बात कही, वह बात होनी चाहिए।

हमारे राजन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है और जिस ढंग से उसे समाप्त किया है वह बात तो मुझे ठीक लगी। उसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सभी का राष्ट्रीयकरण कर दो। इस बात से मैं नाइत्तिफाक करता हूं। हमारी मिक्स्ड इकोनोमी चलनी चाहिए, डायरेक्ट टेक्सिज ज्यादा वसूल होने चाहिएं और इन्डायरेक्ट टेक्सिज कम होने चाहिएं।

**श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, इस संकल्प के माध्यम से सभा को मूल्य वृद्धि के विषय पर चर्चा करने और सरकार का ध्यान उस जनता की ओर आकृष्ट करने का, जिसके लिए दो समय की रोटी की व्यवस्था करना भी कठिन हो रहा है, एक और अवसर मिला है। मुझे वर्तमान बहस से कोई ठोस निष्कर्ष निकलने की आशा नहीं है। सरकार यह दिखाने के लिए कि मूल्य नियंत्रण में हैं, हमारे सामने कुछ आँकड़े प्रस्तुत कर देगी। परन्तु आप जानते हैं कि हमने देश का योजनागत तरीके से विकास करने का बीड़ा उठाया है जिसका लक्ष्य समाज में व्याप्त असमानता को कम करना तथा जनता के रहन-सहन के स्तर में समानता लाना भी है ; हमारे सामने बहुत से लक्ष्य हैं : हम लोगों को मुफ्त शिक्षा देना चाहते हैं : हम उन्हें पेय जल, भोजन और मकान मुहैया कराना चाहते हैं। परन्तु आप इस बात से सहमत होंगे कि इन सभी मामलों में हम अपने निर्धारित लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारी प्राप्तियों के बावजूद हम कोई प्रशंसनीय परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश, पिछले लगभग 30 वर्षों से चल रहे विकासात्मक कार्यकलापों के बावजूद, विकास के लाभ जनसाधारण तक नहीं पहुंच पाये हैं और आप देख रहे हैं कि निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है।

बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार के इस दावे के बावजूद कि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है और उन्होंने मुद्रास्फीति को कम करके 2.1 प्रतिशत कर दिया है, हम देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि ही रही है। यहां तक कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी सरकार ने यह स्वीकार किया है कि दालों, खाने के तेलों, फलों, सब्जियों, दूध और दूध से बने पदार्थों-अन्डों, मछली और मांस के मूल्य बढ़ रहे हैं और इनमें और वृद्धि भी हो सकती है। आज यह स्थिति है। हम केवल यह कहकर बात नहीं टाल सकते कि थोक मूल्य गिरा है। आप देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक वर्ग में असंतोष है और जैसा कि श्री डागा ने कहा है कि हमारी कोई मजदूरी नीति नहीं है। हम विकास के लाभ जनसाधारण तक नहीं पहुंचा पाये हैं। हम भूमि सुधारों को कार्यान्वित नहीं कर पाये हैं। हम कोई ऐसा प्रभावी तन्त्र नहीं स्थापित कर पाये हैं जो यह सुनिश्चित कर सके कि कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाये। हमारे पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो स्वयं देय महंगाई-भत्ते के औचित्य को सुनिश्चित कर सके और सरकार इसके भुगतान की व्यवस्था करा सके। इसके अभाव में आप देख रहे हैं कि हर जगह असंतोष है और स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि यदि आप इस सम्बन्ध में प्रभावी उपाय नहीं करेंगे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इससे एक प्रकार का संकट पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश एवं देश के कई दूसरे भागों में यही स्थिति विद्यमान है। सामाजिक-आर्थिक अन्याय के विरुद्ध लोग स्वयं को संगठित कर रहे हैं। वे मजदूरी और सामाजिक न्याय के लिए फरियाद कर रहे हैं कृषि मजदूर भूमि चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और स्वयं प्रतिपक्ष, जब हम सरकार में थे, सब इस बात से सहमत थे कि भूमि सुधारों को यथाशीघ्र लागू किया जाए परन्तु इसके बावजूद, हमें इस दिशा में सफलता नहीं मिली और अब तक हम इन सुधारों को लागू नहीं कर सके हैं। हम समाचारों में पढ़ते हैं कि इतनी भूमि वितरित की गई है। परन्तु यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ कुछ दूसरी ही कहानी होगी। इसलिए हर जगह असंतोष व्याप्त है। आप देखेंगे कि असंतोष हिंसात्मक आन्दोलनों के रूप में सामने आयेगा। हमारे देश के लिए ये खतरनाक संकेत है। यदि हम देश का प्रशासन सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं कानून और व्यवस्था बनाये रखना चाहते हैं ताकि विकास कार्य निर्विघ्न चलते रहें, तो हमें इन खतरनाक संकेतों की ओर ध्यान देना होगा।

महोदय, बिहार के कई भागों में हम देख रहे हैं कि हिंसात्मक आन्दोलन चलाये जा रहे हैं और कृषि मजदूर भारी संख्या में संगठित हो रहे हैं और कई स्थानों में वास्तविक किसानों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। जमीदार अपनी जमीन पर पूरी खेती नहीं कर पा रहे हैं।

वे फसल काटने के लिए खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। इसका परिणाम है भारी असंतोष और भय आदि। देश के कई भागों में उदासीनता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए, मैं इस विस्फोटक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि उन्होंने देश में विद्यमान मूल्य स्थिति के बारे में कोई दृष्टिकोण अपना लिया तो स्थिति के विस्फोटक हो जाने की सम्भावना है। यदि आडम्बरहीनता का वातावरण बन गया होता और यदि उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति जनता में विश्वास पैदा करने की सोचते और उन व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करते जो आज दुखी हैं, तो जनता शायद हिंसात्मक आन्दोलनों के लिए संगठित होकर कठिनाईयों को सहन कर लेती। दूर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ।

इसके बाद खर्चे की बात आती है। महोदय, मैं श्री डागा से सहमत हूं कि आयकर विभाग को प्रत्यक्ष कर की वसूली करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, हम देखते हैं कि दिल्ली में कई आधुनिक कालोनियां हैं। यदि आप रिकार्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि जिन मकानों के निर्माण पर 10 लाख या 15 लाख रुपये लागत आई थी उन पर 3 लाख या 5 लाख रुपए मूल्य पर कर-निर्धारण किया गया है। इस प्रकार लोग धन कर से बच जाते हैं। यदि कराधान तन्त्र वास्तव में कुशल होता, तो आज जो आप आधुनिक सुसज्जित मकान देख रहे हैं और जो गन्दी बस्तियों में रह रहे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें भी आप ऐसी स्थिति में देखते। स्थिति इतनी न बिगड़ी होती और असंतोष उस सीमा तक न पहुंचता जिस तक आज पहुंच चुका है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थिति की ओर ध्यान दे।

यहां तक कि प्रो० गेलब्रेक जैसे उदारवादी अर्थशास्त्री, जिन्हें किसी भी रूप में वामपंथी नहीं समझा जा सकता, को भी एक साक्षात्कार में यह कहना पड़ा :

> "मेरे मन में सदैव ही यह विचार आता रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, कि निर्धनता के साथ-साथ धनाढ्यता, धन का अस्तित्व मूलतः कुछ निनैतिक सा है और मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन मेरा इसमें विश्वास है। और इसलिए इस अन्तर को कम करना नैतिक-उत्तरदायित्व है।"

ये विचार एक ऐसे व्यक्ति के हैं जो वामपंथी विचाराधारा के नहीं हैं बल्कि एक उदारवादी अर्थशास्त्री हैं। उनका कहना है कि उन्नत देशों में सामाजिक सेवाओं का इतना आधिक्य है कि लोगों को इस प्रकार का अन्तर महसूस नहीं होता परन्तु यहां पर सामाजिक सेवाओं का अभाव है। शायद अभी भी पांच लाख गांवों में से 1½ लाख गांवों में पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तथा योजनागत विकास के बत्तीस वर्ष बाद भी यह स्थिति है।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : आपके पिताजी के जमाने से चल रहा है।

**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : जी हां, और मैं भी उसमें था। जैसा कि श्री डागा ने आपको बताया कि हमें अपने गिरेवां में झांक कर देखना चाहिए तथा मसलों के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

महोदय, इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो न्यूनतम मजदूरी के प्रभावी भुगतान को सुनिश्चित कर सके। यदि आप देहात में जाएं तो आप देखेंगे कि भूमिधर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आपने उन्हें सही मूल्य पर आवश्यक सामग्री / सुविधायें प्रदान नहीं की हैं। तब वे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कैसे दे सकते हैं। अतः आपको अपना ध्यान उस ओर भी देना चाहिए। अर्थात् इस बात की ओर कि वे लोग न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है।

सरकार ने उर्वरकों, बीजों आदि के मूल्यों में वृद्धि कर दी है। कृषि उपज के लाभकारी मूल्य के लिए शोर मच रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें इस स्थिति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

महोदय, हाल ही में वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार गांवों तक करेंगे। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गाँवों तक नहीं पहुंची है और वह आवश्यक सेवायें प्रदान करने में असफल रही है। यहां तक कि दिल्ली में भी बहुत सी उचित दर दुकानों पर कोई न कोई वस्तु अनुपलब्ध रहती है। यही नहीं महोदय, पिछले 2.98 लाख उचित दर दुकानें थीं और सरकार ने उनमें केवल 25 हजार की वृद्धि की है। क्या सरकार समझती हैं कि इस गति से वह गांवों में इनकी व्यवस्था कर सकेगी और नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करा सकेगी ? मैं समझता हूं कि यह बड़ी गम्भीर स्थिति है और मैं महसूस करता हूं कि सरकार को इस बारे में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

अब मैं कानून व व्यवस्था की स्थिति पर आता हूं। हर जगह यह स्थिति खराब चल रही है—बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश आदि जहां भी आप जायें आपको यही स्थिति मिलेगी और सरकार की रिपोर्ट यह है कि कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा हैं। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हम पाते हैं कि ग्रामीण लोग भय के कारण अन्धेरा होने के बाद अपने घरों से नहीं निकलते और तब भी आप यह कहते हैं कि सब ठीक है, हिंसक वारदातें हो रही हैं। केवल दो दिन पहले ही मंधुबनी में हरिजनों पर गोली चलाये जाने के प्रश्न पर विपक्षी दल सदन से उठकर चले गए थे। वे इस प्रश्न पर विचार करना चाहते थे। यदि इस प्रश्न पर चर्चा की जाती तो उससे सम्बन्धित सभी बातों पर चर्चा होती। किंतु इसकी अनुमति नहीं दी गई। आज देश में यह हो रहा है। आपको देश की स्थिति देखनी चाहिए। इसलिए जो सुझाव मैं देना चाहता हूं वह यह है। इस बहस का उत्तर माननीय वित्त मन्त्री देंगे। यदि वह काले धन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो उनको भूसम्पत्ति का व्यापार करने वाले लोगों से निपटना पड़ेगा। आयकर विभाग के प्राधिकारियों को इसके बारे में अधिक सावधान रहना होगा। उन्हें यह

सुनिश्चित करना होगा कि भूसम्पत्ति के व्यापार में लगे व्यक्ति भारी लाभ कमाकर और रोजकोस को कुछ भी भुगतान न करके पीडित होने से न बच जायें। कल हम दिल्ली में 'भूमि हड़पने' पर विचार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि कुछ लोग बेशुमार रुपया कमा रहे हैं जो सब अनर्जित लाभ है। आयकर अधिकारी और आसूचना शाखा उन्हें पकड़ने का कष्ट ही नहीं करती। जब काला धन बढ़ेगा तो आप मूल्यों को स्थिर नहीं रख सकते। इसलिए आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले प्रशासन को कारगर बनायें। आपको कुछ प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। आपको यह देखना होगा कि राजस्व की चोरी कहां पर हो रही है और आपको समाज के इन बड़े चोरों को पकड़ना चाहिए। मैं श्री डागा से सहमत हूं, आपको उन लोगों को पकड़ना होगा जो काला धन्धा करते हैं। आपको फिजूल खर्चों को रोकना चाहिए और मितव्ययता का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए।

तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि आपको खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने होंगे। आपको प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक ऐसा तन्त्र बनाना चाहिए जिसमें वहाँ की जनता के प्रतिनिधि— भाग लें और जो यह देखें कि क्या इन खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। जिन दिनों में खेती का काम नहीं होता तब वहां के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। हमने काम के बदले अनाज देने की योजना शुरू की थी जिसकी सब ने प्रशंसा की है। किन्तु दुर्भाग्यवश इस सरकार ने आते ही इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया तथा आपको यह सुनकर खेद होगा कि उनके द्वारा निर्मित मानव घण्टे 15 लाख के आसपास ही हैं। जब तक कि आप मन्दे की स्थिति में (जब खेती का कोई काम न हो) उन्हें काम नहीं देंगे उन्हें स्वयं अपने लिए धन कमाने के साधन ढूंढने पड़ेंगे। आज हमारे देश के विभिन्न भागों में जो अराजकता फैली हुई है वह इसी कारण है। मैं श्री डागा से सहमत हूं कि हमारे यहां कोई मजदूरी सम्बन्धी नीति नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार द्वारा एक मंजूरी, मूल्य और आय नीति अपनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। इसके अभाव में हम हमेशा यह महसूस करते हैं कि किसी प्रकार का तनाव चल रहा है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है; दूसरी ओर श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं किया जाता और वे असुन्तुष्ट रहते हैं, मेरे मित्र श्री भगत ने श्रमिकों का आभार प्रकट किया और कहा कि उन्होंने 19 जनवरी को विपक्ष की हड़ताल के आह्वान का समर्थन नहीं किया। आपने जरूरी सेवायें बनाये रखने का अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसी तलवारें उनके सिरों पर लटका रखी है। 19 तारीख को 50,000 कामगार जेलों में ढूंस दिए गए थे। आप यह कैसे कह सकते हैं कि कामगार संतुष्ट हैं और सम्पूर्ण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य कर रही है।

महोदय, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि सरकार को इस स्थिति को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए और हमारे सुझावों पर विचार करके उचित कदम उठाने चाहिए ताकि देश में नियमित गृह युद्ध संघर्ष और उपद्रव शुरू न हो जाए जो हमें टालना होगा। हमारे आगे खतरे

का संकेत है । हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते और यदि हमने अवहेलना की तो यह देश के लिए घातक होगा । (इति)

*श्री सी. पलानी अप्पन (सलेम) : सभापति महोदय, मैं डी· एम. के. की ओर से मैं अपने मित्र श्री के० ए० राजन के संकल्प पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा । यह संकल्प उचित समय पर रखा है जबकि जरूरी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रुक नहीं रही है ।

पिछले 30 वर्षों में, रुपये का मूल्य घट कर 20 पैसे रह गया है । दुर्भाग्यवश मजदूरों की मजूरी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है । मुझे बड़े खेद के साथ यह संकेत करना पड़ रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने उच्चाधिकारियों का वेतन 1500 रु० प्रति माह तक बढ़ा दिया है । इस भारी वृद्धि के लिए बताये गए कारण सुसंगत नहीं है । निस्सन्देह निम्न आय पाने वाले कर्मचारियों का वेतन भी 200 रु० से 400 रु० तक बढ़ा दिया गया है । किन्तु वेतन को प्रति माह 3500 रु० से बढ़ा कर 5000 रु० कर देने का कोई औचित्य नहीं है और यह देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के सिद्धांत के प्रतिकूल है । इसकी गम्भीरता इसलिए और बढ़ जाती है । हमारे 40 करोड़ लोग केवल 75 पैसे प्रति दिन ही कमाते हैं । केन्द्रीय योजना आयोग ने इन आँकड़ों को स्वीकार किया है । वे सभी निर्धनता की रेखा से नीचे हैं । जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए । अन्यथा निर्धन लोग कठिनाई में पड़ जायेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती । वहाँ पर कोई उचित मूल्य की दुकाने भी नहीं हैं ।

हमारे देश में 7 लाख गांव और पुरवे हैं जबकि उचित दर की दुकानों की संख्या केवल 2.79 लाख है इसका अर्थ यह हुआ कि तीन गांवों के लिए एक उचित मूल्य की दुकान है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अविलम्ब सुदृढ़ करना चाहिए । खाद्य अपमिश्रण गांवों में आम बात है क्योंकि इसे रोकने के लिए यहां कोई प्रशासनिक कर्मचारी नहीं हैं । खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सलाहकार परिषदें होनी चाहिए और इन में व्यापारियों के प्रतिनिधि— भी होने चाहिए । तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है और इसकी भी जांच होनी चाहिए ।

चावल मिलों को दिए जाने वाला धान काले बाजार में बेचा जाता है । कभी-कभी अच्छा धान काले बाजार में बेच दिया जाता है और खराब-धान को चावल में बदल दिया जाता है जिसे कि निर्धन लोग खा भी नहीं सकते । खाद्य तेलों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध— कराया जाना चाहिए । मूल्य बढ़ रहे हैं । देश में सीमेंट की भारी कमी है । सीमेंट और खाद्य तेलों का खुले सामान्य लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात किया जाना चाहिए ताकि ये उचित मूल्य पर उपलब्ध— हो सकें । लारियों चेसिस और टायरों पर 60% उत्पादन शुल्क लगने से जरूरी वस्तुओं के

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

लाने-लेजाने के प्रभार में वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप जरूरी वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। रेल भाड़े में भी काफी वृद्धि हुई है और यह स्वभाविक है कि इसका प्रभाव जरूरी वस्तुओं पर पड़ेगा। जिन कारणों से भी जरूरी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो उन पर विचार करके उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए। तमिलनाडु में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाने वाला अनाज काले बाजार में बिकता है। यह गोदामों से ही काले बाजार में बेच दिया जाता है। इसकी किसी तटस्थ प्राधिकरण द्वारा जाँच होनी चाहिए। भारत में 90 करोड़ रु० का 'बेबीफूड' प्रति वर्ष बेचा जाता है। 'बेबी फूड' का मूल्य नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए।

मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव राज्य के नियमों का उल्लंघन करने का आदी है। यह भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति जानकर अथवा अनजाने में प्रतिदिन 20 बार कानून का उल्लंघन करता है। इसे कठोर नियमों से नहीं रोका जा सकता। देश की सामाजिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में मनोविज्ञानिक परिवर्तन होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। (इति)

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : सभापति महोदय, अनेक सदस्यों ने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यदि आप इस संकल्प की जांच करें तो आपको मालूम होगा कि इसके तीन मुख्य भाग हैं। भाग (क) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों से सम्बन्धित है, और श्री राजन ने इसे' आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर और निर्बाध वृद्धि' बताया है। अतः स्वाभाविकतः प्रश्न उठता है। क्या मूल्यों में निरन्तर और निर्बाध वृद्धि हो रही हैं? तत्संबंधी अभिलेख तथा तथ्य और आकड़े क्या हैं? इस संकल्प का दूसरा भाग'''सभी मेहनतकश लोगों के रहन-सहन तथा कार्य-परिस्थियों के बारे में हैं। मैं अभी तक समझ नहीं सका हूं कि वहां उनका मेहनतकश लोगों से क्या अभिप्राय है। हम यह अनुमान लगा लें कि वह ग्रामोण क्षेत्रों के मजदूरों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। संकल्प का तीसरा भाग ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा मजदूरों की स्वतन्त्रता के विरुद्ध किए गए,उपायों से संबंधित है। यह मेहनतकश लोगों का ही समानार्थी है, जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया है। जहां तक संगठित का प्रश्न है, मेहनतकश लोगों तथा तथा कार्मिक संघों के अधिकारों और उनकी आजादी के बीच क्या संबंध है? क्या वे आपस में, एक हैं अथवा अलग-अलग हैं? उनके आपसी दायित्व और अधिकार क्या हैं। और अन्त में श्री राजन सरकार से यह मांग करते हैं कि वह इन मेहनतकश लोगों की दशा सुधारने के लिए प्रभावी उपाय करे।

अतः इस संकल्प में काफी विरोधामास तथा संदिग्धता है। यहीं मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों और किन परिस्थितियों में अपना तर्क इस सभा के सम्मुख रखा है। हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आधार-भूत ढांचे आदि, आदि में पिछले तीन वर्षों की अवधि की तुलना में 1980 से प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास हुआ है।

इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से है, लेकिन उसका तो सभी लोगों पर असर पड़ता है। जिन लोगों में खरीद करने की क्षमता है उन पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। अतः कीमतों में किसी भी वृद्धि को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। साधारण लोनों पर और समूचे रूप से सभी लोगों पर क्या प्रभाव है, न कि दो वर्गों पर, जैसा कि संकल्प में उल्लेख किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तथा और आकड़े हमें यह बताते हैं कि 1982 में थोक मूल्य सूचकांक 5.4 प्रतिशत रह गया है, जबकि 1980 में यह 22.8 प्रतिशत था। श्री राजन ने भी इस तथ्य को कबूल किया है। सी. पी. आई., दल नहीं बल्कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, भी 14.4 प्रतिशत से घटकर 12.7% रह गया है। देश में हमारी अर्थ व्यवस्था में मूल्यों तथा मुद्रास्फीति पर बराबर नियन्त्रण रखा गया है। यही कारण है कि जैसा कि मैंने कहा है, अब आप इस संकल्प का विशेषण करें तो आपको इसमें अत्यधिक विरोधामास तथा संदिग्धता मिलेगी। जब तक हमारे देश में उचित उत्पादन तथा उसका ठीक वितरण नहीं होता, मूल्य वृद्धि को रोकना असम्भव है।

अब मैं संकल्प के दूसरे भाग पर आता हूं। देश में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ? यह बताया गया है कि 1981 में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 229.18 लाख थी। धन के वितरण और राष्ट्र के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है ? हमारे देश में मूल्य वृद्धि में उनका क्या योगदान है। सरकार द्वारा किए गए उपायों से उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है ? ये तथ्य हैं जिनका हमने व्यवस्थित ढंग से बिश्लेषण करना है।

वर्ष 1978-79 में संगठित क्षेत्र में 36.62 मिलियन जन दिवस की हानि हुई। 1980-81 में यह हानि घटकर 23 मिलियन जन दिवस रह गई। जन दिवस की हानि का और उत्पादन के रुक जाने का समूची मूल्य प्रणाली पर क्या प्रभाव है ? इससे देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता पर क्या असर पड़ता है ? यहां हमें राष्ट्र और अर्थ-व्यवस्था के प्रति संगठित क्षेत्र की जिम्मेदारी को देखना है।

जन-दिवस की हानि होने के तीन मुख्य कारण हैं। प्रथम कारण है मजदूरी, दूसरा भत्ते तथा तीसरा विविध मांगे। जन-दिवसों की हानि हड़तालों तथा ताला बन्दियों के कारण होती है। 1981 में, हड़तालों के कारण 57 प्रतिशत और ताला बन्दियों के कारण 43 प्रतिशत जन दिवसों की हानि हुई। यदि हड़ताल अथवा तालाबन्दी होती है तो स्वाभाविकतः इसका तत्काल प्रभाव हमारी अर्थध्यवस्था में मूल्य प्रणाली पर पड़ता है क्योंकि हमारी एक मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था है। यह हानि दो क्षेत्रों में प्रकट होती है। केन्द्रीय क्षेत्र में यह हानि कुल जन-दिवस का 22 प्रतिशत और राज्य क्षेत्र में 88 प्रतिशत है। मैं यह तथ्य और आँकड़े इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि सभा को यह मालूम हो जाए कि हम कहां हैं तथा हमारे देश में मूल्य वृद्धि का क्या मुख्य कारण है। केन्द्रीय क्षेत्र में, 168 सरकारी उद्यमों में, अकेले पिछले एक वर्ष में,

182 करोड़ रुपए की हानि हुई। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के 75 सरकारी उद्यम 754 करोड़ रुपए की हानि के लिए जिम्मेदार हैं। अतः हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में संगठित क्षेत्र की क्या जिम्मेदारी है? जब एक सरकारी उद्यम को इतनी अधिक हानि होती है तो स्वाभाविक है कि इस देश के लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः, 27 जून 1980 को मैंने अपने भाषण में अपने तुच्छ ज्ञान तथा जानकारी के आधार पर कहा था कि हमें आवश्यक सेवाओं में हड़तालों तथा तालाबन्दियों पर पूर्ण-प्रतिबन्ध लगाना होगा। मैंने 23 जुलाई 1980 को इस माँग को दोहराया कि हमें हड़तालों तथा तालाबन्दियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। अब मैंने इस सभा को तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं जो स्पष्टतया इस मांग को न्यायोचित ठहराते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उपाय किए हैं। श्री राजन को चाहिए कि वह सरकार द्वारा इन दो बातों-हड़तालों तथा तालाबन्दियों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में किए गए उपायों का समर्थन करे। मैं नहीं समझता कि क्यों वह इस प्रश्न पर चुप बैठे हुए थे।

एक अन्य पहलू भी है जिसे मैं अस्वीकार अथवा उपेक्षित नहीं कर सकता, और वह है रोजगार। महोदय, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि आप पीठासीन हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे आप तहदिल से चाहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1980 में "15.95 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार थे"। यदि आप इसका गहराई से विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि युवक इस कुचक्र के शिकार हैं 1981 में यह संख्या बढ़कर 17.42 मिलियन पहुंच गई। इस देश के संगठित श्रम क्षेत्र की क्या जिम्मेदारी है? क्या उन्होंने कभी इन बेरोजगार युवकों के बारे में सोचा है? उनके प्रति उनका क्या योगदान है। मैं बहुत गंभीरता से उनसे यह प्रश्न पूछता हूं।

जन संख्या बढ़ रही है और 1981-86 के वर्षों के दौरान इसमें 1 6 प्रतिशत बृद्धि का अनुमान लगाया गया है तथा श्रम शक्ति जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक दर से बढ़ेगी। अन्य शब्दों, में बेरोजगार युवकों की वर्तमान संख्या में प्रतिबर्ष बृद्धि हो रही है। 1979-80 से 1994-95 तक श्रम शक्ति में 180 मिलियन व्यक्ति और बढ़ जाएंगे। मात्र 1980-85 के दौरान, इसमें 34 मिलियन लोग और बढ़ जाएंगे। हम कहां खड़े हैं? इस वृद्धि दर को रोकने के लिए हमारी क्या योजना है?

इस संकल्प का एक और भाग है जो मेहनतकश लोगों से संबंधित है। 1973 में ग्रामीण मजदूरों की संख्या 199.83 मिलियन थी। 1981 में यह बढ़कर 349.73 मिलियन पहुंच गई। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। हमारे देश के सामने खड़ी इस महान तथा गंभीर समस्या का स्वरूप कितना बड़ा है।

यह एक अन्य बात के लिए भी उत्तरदायी है : अर्थात् हमारी 51 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता की रेखा के नीचे है। स्वाभाविक है कि इस संकल्प का उस प्रश्न से भी संबंध है। मूल्य वृद्धि के इस कुचक्र के प्रति हमारे देश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि इसे रोकने के लिए सरकार सभी उपाय कर रही है, तथापि इस मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत है।

अतः विरोधाभासी तथा संदिग्ध होते हुए भी इस संकल्प ने एक प्रश्न को उठाया है। वर्तमान मजदूरी कीमतें तथा आय नीति, यदि कोई है तो उसका पुनर्निर्धारण तथा पुनर्मूल्यांकन करना होगा। जिन लोगों को इस नीति का लाभ है और जिनको इसका लाभ नहीं है उनके बीच जब तक समानता नहीं आ जाती तब तक एक गंभीर आर्थिक संकट बना रहेगा जिसके परिणाम स्वरूप भारी राजनैतिक संकट अत्यधिक अस्थिरता आ सकती। इसीलिए सरकार को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करते हुए मुझे मालूम हुआ है कि इसमें काफी ग्रामोन्मुखी कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष गुजर चुके हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों को कहां तक लाभ हुआ है ? साधारण लोगों को इनसे कहां तक लाभ हुआ है ?

काश कि मेरे पास इतना समय होता कि मैं प्रस्तावना अध्याय की ओर ध्यान दिला सकता जहां स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा है। और जो लाभान्वित हुए हैं वे उस लाभ का एक भाग लोगों को देने के लिए राजी नहीं है। यह एक विरोधाभास है। जो विभिन्न प्लान-स्कीमों से लाभान्वित हुए है वे नहीं चाहते कि अपनी समृद्धि अपने लाभों को उन अधिसंख्यक लोगों तक भी पहुंचाया जाए जिन्हें कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि वे इन समस्याओं को, जिनको अनेक माननीय सदस्यों ने यहां उल्लेख किया है, कैसे सुलझाएंगे। और भी अनेक सदस्य इस तथा अन्य पहलुओं पर बोलेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार संगठित श्रम की दिशा में क्या वास्तविक कार्यवाही कर रही है ? मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ? क्या वह इस क्षेत्र में वर्तमान नियमों को कार्यान्वित कर रही है ? क्या सरकार मजदूरी, कीमतें तथा आय में अनुपात संबंधी कोई विधान ला रही हैं ? इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर ता हूं।

*श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : सभापति महोदय, मैं मलायलम में बोलूंगा। मैं वहां से शुरू करूंगा जहां श्री अराकल ने समाप्त किया है। उन्होंने कहा है कि देश में आर्थिक संकट देश को राजनैतिक संकट की ओर ले जा रहा है। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता

*मलयालम में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हूं कि श्री राजन द्वारा प्रस्तावित यह संकल्प कोई अधिक अच्छा नहीं है। तथापि, यह आज की स्थिति के बहुत अनुरूप है। इस संकल्प की बिषय-वस्तु पर इसी मंच पर लगभग हर अवसर पर चर्चा हुई है। यह चर्चा संभवतया मेरे पैदा होने से भी पहले शुरू हुई होगी। और फिर स्वयं इसी सत्र, संकल्प में उठाए गए प्रश्नों पर अनेक अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई है, उदाहरणत: धन्यवाद प्रस्ताव सामान्य बजट आदि, आदि पर चर्चा। लेकिन जहां तक मूल समस्याओं का सम्बन्ध है, उनके समाधान के लिए कभी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है।

1970 में एक नारा लगाया गया था जिसने देश भर की जनता को प्रभावित किया। नारा था 'गरीबी हटाओ'। हमने समझा कि शायद गरीबी हटाओ कार्यक्रम से लोगों की कुछेक मूल समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। वह भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सका। 1980 में सरकार ने कहा कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। 1982 में 20 सूत्री कार्यक्रम पुन: चलाया गया। इस सभी से यह पता चलता है कि प्रारम्भ में जो समस्याएं विद्यमान थीं वे केवल बढ़ी ही हैं तथा सरकार इसके विपरीत अपने प्रबल प्रकथन के बावजूद इन समस्याओं को सुलझाने में असफल रही है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ उपलब्धियां हुई हैं लेकिन सरकार बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्याओं, जिन्होंने हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है, का हल खोजने में पूर्णतया असफल रही है। श्री राजन ने अपने भाषण में सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है। इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मूल्यों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आँकड़े देना नहीं चाहता। इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है आपको आंकड़ों को नहीं देखना पड़ता है कि मूल्य में वृद्धि हो गई है। यह वास्तविकता है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कई वर्षों से अपूर्व वृद्धि हुई है।

यद्यपि आप यह कहते हैं कि मुद्रा स्फीति की वृद्धि की दर कम हो रही है, मूल्य बढ़ रहे है। मान लीजिए, किसी विशेष वस्तु के मूल्य बढ़कर 100 से 110 हो गए हैं, आप यह कहेंगे कि मुद्रा स्फीति 10 प्रतिशत हैं। जब मूल्य में 120 रु० तक वृद्धि होती है तो आप कहेंगे कि मुद्रा स्फीति की दर कम हो गई है। लेकिन मूल्यों में वृद्धि होती रहेगी। आप आंकड़ों का एक इन्द्रजाल बना सकते हैं। लेकिन आप वास्तविकता से अपनी आंख नहीं मूंद सकते। आपने छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की है लेकिन इस योजना में कोई प्रभावी प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है जिससे कि इस देश की मूल्य वृद्धि तथा बेरोजगारी की समस्याओं पर काबू पाने का प्रयास किया जा सके। यदि आप रुपए के मूल्य की गणना करने के लिए 1960 को आधार वर्ष मानते है तब हम यह पाएंगे कि 1981 तक रुपए का मूल्य कम हो कर 21.7 पैसे तक रह गया है। यदि आप बहुत पीछे जाकर 1947 को आधार वर्ष

मानते हैं तो आप पाएंगे कि आज रुपए का वास्तविक मूल्य केवल 16 पैसे है। इस दर से वर्ष 1985 तक रुपए का वास्तविक मूल्य कम होकर केवल 12 या 10 पैसे रह जाएगा। इस प्रकार एक ओर रुपए का मूल्य कम हो गया है और दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। वास्तव में हमारे देश में यह हो रहा है। इस दर पर, 1985 तक किसी खुदरा दुकान से कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने साथ रुपयों से पूरी भरी टोकरी ले जानी पड़ेगी। आने वाले वर्षों में वित्तीय स्थिति ऐसी होने जा रही है। हमने योजनागत विकास को अपनाया है। वह बहुत अच्छा है। लेकिन योजनागत विकास की तीन दशाब्दियों के बाद आज हम क्या देखते हैं? यह स्वयं योजना के दस्तावेजों में स्वीकार किया गया है कि यहां तक कि हमारे लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके खुद के अनुमान के अनुसार लगभग 2 लाख और 31 हजार गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लगभग 68 लाख लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। 37.87 लाख लोग गन्दी बस्तियों में अनुमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कोई योजना अथवा कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार, हमारे देश में एक लाख 33 हजार बन्धुआ मजदूर हैं। एक करोड़ तथा 70 लाख लोगों के नाम रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में दर्ज हैं। कहा जाता है कि 68 प्रतिशत जनता अनपढ़ है। यह सब विवरण 20-सूत्री कार्यक्रम तथा छठी पंचवर्षीय योजना में दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति को इस बात का पता है। लेकिन इसका उपचार क्या है? यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। वास्तव में, यह कार्यक्रम आज इस देश के समक्ष आने वाली महाकाय समस्याओं के छोर को भी नहीं छुएगा। यदि संसद इन समस्याओं को सुलझाने में स्वयं को असमर्थ पाती है तो इससे बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो जाएगी। जनता का संसदीय प्रक्रिया में विश्वास नहीं रहेगा।

संसदीय लोकतन्त्र संस्था के लिए एक बड़ी भारी चुनौती बनाने जा रही है। देशोन्माद ताकतें अपने सिर उठा रही हैं। यदि लोगों का यह विश्वास है कि संसद तथा विधान सभाएं केवल हमारे ऊपर अधिक से अधिक बोझ डालती हैं और समस्याओं को नहीं सुलझा रही हैं तब वे यह सोचेंगे कि ये प्रतिष्ठान आवश्यक नहीं है? वे आप से पूछेंगे कि संसद क्यों होनी चाहिए। यदि लोग यह सोचना आरम्भ कर देते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संसदीय प्रणाली पर एक भारी चोट पड़ने जा रही है। हमें इस संभावित घटना से संस्थान की तथा लोगों की रक्षा करनी है। लोगों को फूट डालने वाली ताकतों तथा प्रजातन्त्र में विश्वास न रखने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाना पड़ेगा। इस प्रणाली में उनके विश्वास को पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने की बजाए इस देश के शासकों ने लोगों के खिलाफ दमनकारी उपाय करने के रास्ते को चुना है जिनका केवल यही अनुरोध है कि यदि सरकार उनके दुखों को दूर करने में समर्थ नहीं है तो कम से कम उन्हें उनमें वृद्धि तो न करें। संगठन बनाने तथा विचारों का आदान-प्रदान करने का अधिकार श्रमिक वर्ग का मौलिक

अधिकार है। उन पर शासक वर्ग द्वारा यह कृपा नहीं की गई है। जब स्वतन्त्रता आन्दोलन चल रहा था श्री बालगंगाधर तिलक को सिंगापुर निर्वासित कर दिया गया था। इसका विरोध करते हुए संगठित श्रमिक वर्ग ने एक आन्दोलन का सूत्रपात किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें मुक्त किया गया था। यह इस देश के श्रमिक वर्ग द्वारा सूत्रपात किया गया वह आन्दोलन ही था जिसने संविधान बनाने वाले नेताओं के अन्दर यह भावना भरी थी कि संगठन बनाने तथा विचारों का आदान-प्रदान करने के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में प्रति-स्थापित किया जाए।

अतएव, यदि हमारे देश के वर्तमान शासक यह कहते हैं कि श्रमिक वर्ग को अपने आप को संगठित नहीं करना चाहिए अथवा बेहतर जीवन स्तर के लिए विचारों का आदान-प्रदान नहीं करना चाहिए और यह कि उन्हें जो कुछ भाग मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, तब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश में संसदीय प्रजातन्त्र की प्रणाली के लिए प्राणघातक बनने जा रहा है।

दूसरा विषय जिस पर मैं बोलना चाहता हूं वह भूमि सुधार है, जो 20-सूत्री कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय है। श्री राजन ने इस समस्या के लिए कतिपय हल सुझाए हैं। वास्तव में, फालतू भूमि उपलब्ध होने के बारे में कोई समस्या नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या भूमि सुधार सम्बन्धी कानून को पारित कर दिया जाएगा और उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार भूमि सुधार कानून को कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं हो पाई है यद्यपि इसे 20-सूत्री कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है। 8 लाख एकड़ जमीन फालतू जमीन के रूप में उपलब्ध है। लेकिन इसे भूमिहीन लोगों के बीच वितरित नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि इसे तकनीकी तथा कानूनी अड़चनों के कारण वितरित नहीं किया जा सका था।

महोदय, केरल में भूमि सुधार को लागू करने के लिए हमने एक कानून पास किया था। फालतू जमीन सरकार के नियंत्रण में आ गई थी लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा फालतू जमीन को वापस लेने के लिए निजी मालिकों की सहायता करने का एक प्रयास किया गया था केरल भूमि सुधार अधिनियम में उपबन्ध 6-ग बड़ी चतुराई से जोड़ा गया था। उस उपबन्ध के माध्यम से भूमि के सभी जाती अन्तरणों को, जो 1974 तथा 1980 के बीच किए गए थे, प्रमाणित ठहराने के लिए अनुरोध किया गया था। इस प्रकार जो भूमि हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों के पास जानी चाहिए थी वह जमीन के मालिकों द्वारा वापस ले ली गई है। 1980 में हमने एक संशोधन किया था जिसमें उस आपत्तिजनक संशोधन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था जिसके अन्तर्गत खण्ड 6-ग को अधिनियम में शामिल किया गया था। दुर्भाग्यवश उस कानून पर अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है और यहाँ तक कि 2 वर्षों के बाद भी इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। यदि आप भूमि सुधार तथा 20-सूत्री कार्यक्रम में ईमानदार हैं और यदि आप वास्तव में यह विश्वास करते हैं कि भूमि सुधार का

तात्पर्य लोगों के दिमागों में भूमि के साथ मोह तथा निकट सम्पर्क की भावना उत्पन्न करना है, क्योंकि उस मोह की भावना का देश के प्रति प्यार करने से निकट सम्पर्क जुड़ा है। तब मैं आप से पूछूंगा कि ऐसा क्यों है कि 1980 में केरल विधान सभा द्वारा पारित किया गया भूमि सुधार संशोधन विधेयक को' जो कांग्रेस सरकार द्वारा भूमि सुधार के उद्देश्य को पूरा न करने के लिए जोड़े गए संशोधन को अवैध ठहराने के लिए बनाया गया था, अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है। इससे केवल यह प्रतीत होता है कि आप भूमि सुधार सम्बन्धी अपने गम्भीर प्रतिपादन के बारे में ईमानदार नहीं हैं।

इसी प्रकार, नागरिक पूर्ति निगम के मामले को लें। केरल में हमारे पास बेहत्तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लोगों को मूल्य वृद्धि से कम से कम कुछ सीमा तक रक्षा कर सकती है। श्री वी० सी० शुक्ला, भूतपूर्व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रशंसा की थी। शायद, ऐसा करने के बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था और सरकार से काफी पहले जाना पड़ा था। लेकिन वह एक अलग बात है। ऐसा क्यों है कि आप देश में कुशल वितरण प्रणाली की स्थापना नहीं कर सकते? ऐसी क्या बात है कि आप भूमि सुधार को लागू नहीं कर सकते? यह केवल इसलिए है कि सरकार की ओर से ईमानदारी की कमी है। यह सरकार की ओर से ईमानदारी की कमी ही जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसने देश को गम्भीर समस्याओं ने घेर लिया है। यह संकल्प इसी पृष्ठभूमि के विरुद्ध यह संकल्प सदन के सामने लाया गया है। यह संकल्प का प्रस्ताव इस आशा के साथ नहीं किया गया है कि इसके पारित हो जाने के बाद मूल्य वृद्धि तथा बेरोजगारी की समस्याएं एकदम हवा में उड़ जाएंगी। हमें ऐसी आशाएं नहीं हैं। कम से कम भविष्य में मूल्य रेखा को रोकने में सरकार की सफलता तथा असफलता के बारे में आंकड़ों से खेलने तथा तर्कों और जवाबी तर्कों में उलझने की बजाए हमें अपने आप को ईमानदारी से उन लोगों के कष्टों को कम करने के लिए समर्पित कर देना चाहिए जो गरीबी की रेखा से भी नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं और जिन्हें रोजाना एक जून का भोजन भी नहीं मिलता है और हमें उनके दिमागों में यह भावना पैदा करने का प्रयास करना चाहिए कि वे भी स्वतन्त्र भारत के अभिन्न अंग हैं। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि ये एकमत से इस संकल्प को पारित कर दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**सभापति महोदय** : संकल्प के लिए दो घंटे का समय दिया गया था। दो घंटे 5.20 बजे तक पूरे हो जायेंगे। अब सदन की कार्रवाई चालू रखने का क्या तुक है?

**कुछ माननीय सदस्य** : समय बढ़ाना चाहिए।

**सभापति महोदय** : क्या मैं यह समझूं कि हम इस संकल्प का समय सांय 6.00 बजे तक बढ़ायें?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

**सभापति महोदय :** मेरे विचार में यह आज ही पूरा किया जाना चाहिए ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** आज चर्चा पूरी हो जाने दें । उत्तर अगले दिन दिया जा सकता है ।

**सभापति महोदय :** केवल दो या तीन वक्ता और है । यदि वे इस विषय पर बोलते हैं तो यह 5 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि अधिकाँश सदस्य पहले ही बोल चुके हैं ।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । अगर बीच में श्री राजन ने दो लाइनें जोड़ दीं कि "श्रमिकों के कार्मिक संघ अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है" यह पंक्तियां संकल्प की भावना के बिल्कुल विपरीत हैं । इसलिए इन दो लाइनों को छोड़ कर मैं शेष संकल्प का स्वागत करता हूं । कांग्रेस सरकार जब से आयी है उसने मुद्रास्फीति को घटाने का प्रयत्न किया है । अभी कम्युनिस्ट सदस्य कह रहे थे कि मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ने के जाल में पता ही नहीं लगता क्या हाल है । यह कथन उनका लोगों को गुमराह करने वाला है । सरकार ने जो अच्छा काम किया है उसकी भी तारीफ करनी चाहिए । मुद्रास्फीति घटी है, होलसेल प्राइसेज घटी हैं, मगर रिटेल प्राइसेज नही घटी हैं, बराबर बढ़ रही हैं । सही बात है कि बहुत सी चीजों की कीमतें रुकी हैं, मगर बहुत सी चीजों की बढ़ रही हैं । इसलिए इन बढ़ती हुई कीमतों पर चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक है । बढ़ती हुई कीमतें, रिटेल प्राइसेज कब रुक सकती हैं ? जब वितरण प्रणाली मजबूत हो और गरीब लोगों को सस्ते दाम पर आवश्यक वस्तुयें उस प्रणाली के जरिए पहुंचा जा सकें तभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी । इसलिए वितरण सिस्टम को ठीक करना चाहिए । कुछ सदस्य कह रहे थे कि इस सरकार ने डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम कुछ नहीं किया, बहुत से गाँवों में डिस्ट्रिब्यूशन एजेंसी नहीं हैं । मेरी राय में यह बात सही नहीं है । सरकार ने दो लाख से ऊपर फेयर प्राइस शौप्स खोली हैं । गांवों में हर पंचायत स्तर पर एक दुकान खोल कर आवश्यक सामग्री देने की सरकार ने व्यवस्था की है । मैं मानता हूं कुछ दुकानें और खोलनी चाहियें ताकि 2, 3 हजार आबादी पर एक फेयर प्राइस शौप हो जाय और लोगों को सस्ते दाम पर चीजें मिल सकें । जो चीजें अभी उनको दी जा रही हैं, चीनी को छोड़ कर, गेहूं आदि पूरा नहीं मिल पा रहा है, कम मिलता है । इसलिए गेहूं ठीक प्रकार से उपलब्ध हो, और चावल खाने वालों को चावल पूरा उपलब्ध हो, तभी काम ठीक होगा ।

इसके साथ मोटे कपड़े की भी बात है । मैंने अभी वाणिज्यक मन्त्रालय की मांगों पर बोलते हुए कहा था कि मोटा कपड़ा जो एन० टी० सी० मिल्स द्वारा बनाया जाता है उसमें भी सरकार ने कमी कर दी है । धोती, साड़ी और लट्ठे को बनाने की ही बात की है । बाकी कपड़ा आपने छोड़ दिया है । इस तरह से गांव के लोगों को जो कपड़ा मिलना चाहिए कंट्रोल भाव पर उसमें कमी कर दी है, जो कि नहीं करनी चाहिए । और जो कपड़ा एन० टी० सी० के जरिए

बनता है उसको सब्सिडी देते हुए भी गरीब लोगों को वितरित करने की व्यवस्था को आपको मजबूत करना चाहिए ।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

इसी तरह अगर हम एडिबल आयल और जीवन के लिए आवश्यक अन्य सामग्री लोगों को ठीक प्रकार से उपलब्ध करायें, तो महंगाई की वजह से जो भार गरीब आदमियों पर पड़ रही है, उसे खत्म किया जा सकता है ।

अगर गांव के लेवल पर को-आपरेटिव सोसायटीज को मजबूत बनाया जाये, तो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम भी मजबूत हो सकता है । केरल, मद्रास और महाराष्ट्र आदि कुछ प्रान्तों में डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है । लेकिन चूंकि अन्य प्रान्तों में को-आपरेटिव सैक्टर और को-आपरेटिव सोसायटीज को मजबूत नहीं बनाया गया है, इसलिए वहां लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है । मैंने पिछले साल एक रेजोल्यूशन पर बोलते हुए कहा था कि जिस तरह सरकार फूड, फर्टीलाइजर और अन्य चीजों पर सबसिडी देती है, उसी तरह वह को-आपरेटिव सोसायटीज को चार पाँच सौ करोड़ रुपया देकर उन्हें फिनांशली वायबल यूनिट बना दे । हम को-आपरेटिव सैक्टर को जितना मजबूत बनायेंगे, उतना ही अच्छा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा और उसके द्वारा हम गरीबी की सतह से नीचे के 40 परसेंट लोगों की तकलीफ को दूर कर सकेंगे ।

20-पायंट प्रोग्राम में कहा गया है कि हम पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेंगे और लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करायेंगे । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आपने 1975 में 20-पायंट प्रोग्राम चलाया, अब फिर चलाया, लेकिन उससे लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । मैं बताना चाहता हूं कि 20-पायंट प्रोग्राम के अंतर्गत देश में बहुत काम किया गया है । लोगों को हाउस साइट्स दी गई हैं, लोगों पर महाजनों और साहूकारों के कर्जों को माफ किया गया है, लोगों को बैंकों से ऋण दिलाए गए हैं, खेती-बाड़ी के लिए जमीनें और अन्य साधन दिए गए हैं । इससे बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है ।

इसी 20-पायंट प्रोग्राम के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा । यदि हम हर साल 30 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित करते हैं, तो कितना उत्पादन बढ़ेगा और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या माननीय सदस्य इसका अंदाज नहीं लगा सकते ? वह तो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए कहते हैं कि 20-पायंट प्रोग्राम से क्या मिलेगा । 20-पायंट प्रोग्राम के अंतर्गत बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, नई इन्डस्ट्रीज लगेंगी औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी । 20-पायंट प्रोग्राम देश की रीड की हड्डी है और देश को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम है । इस प्रोग्राम में मकान, ऋण, फैमिली प्लानिंग,

बिजली और पीने के पानी को शामिल किया गया है। जीवन का कौन सा आवश्यक पहलू है, जो इस 20-पायंट प्रोग्राम में नहीं है ? अगर हम इस प्रोग्राम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, तो हम देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।

श्री राजन और दूसरे साथियों ने कहा कि एसेंशल सर्विसिज (मैनटेनेंस) एक्ट और नैशनल सिक्युरिटी एक्ट के रूप में मजदूरों के सिर पर जो तलवार लटक रही है, उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि मजदूरों को तंग और परेशान किया जाए। ये कानून उन राजनैतिक पार्टियों और उन सिर-फिरे लोगों को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो इस देश में गड़बड़ी करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, उत्पादन में बाधा डालना चाहते हैं। इन लोगों को रोका जाए ताकि हम जो देश में प्रगति कर रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं उसमें कोई रुकावट न आए। जनता के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे पीने का पानी है, बिजली है, इनको ही अगर ट्रेड यूनियन वाले रोक दें, उनकी सप्लाई में बाधा उत्पन्न कर दें तब फिर काम कैसे चल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस प्रकार के कानून बनाए और यह जो कानून सरकार ने बनाया है वह मजदूरों के खिलाफ नहीं है। आज तक कभी इन कानूनों को मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया है, अगर इस्तेमाल किया गया है तो सैबोटीयर्स के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया है जिन्होंने कि एसेंसियल सर्विसेज की सप्लाई में बाधा डाली थी और जिन्होंने सरकार की प्रगतिशील नीतियों को कार्यान्वियत करने में बिघ्न डाला था। ऐसे लोगों के खिलाफ ही ऐक्शन लिया जाता है।

यहां पर यह कहा जाता है कि देश में ब्लैकमनी बढ़ गई है, प्राफिटियरिंग बढ़ रही है और स्मगलिंग बढ़ रही है। लेकिन इसका दोष किसके ऊपर है ? सन् 1975 में हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाया था और सख्त कदम भी उठाए गए थे। सारे स्मगलर्स को जेलों में भर दिया गया था। तमाम प्राफिटीयर्स, ब्लैकमार्केटीयर्स और हार्डर्स को जेलों में डाल दिया गया था लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो उसने उन सभी को आजाद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि चोर, बदमाश, गुण्डे— सभी को पूरी आजादी है, खूब लूटें और खायें, किसी प्रकार की कोई रोक-थाम नहीं है। तो देश की हालत को खराब करने का श्रेय मार्किसस्ट भाइयों को है जिन्होंने अपना समर्थ देकर जनता पार्टी की सरकार को वहां पर बिठाना था। उनको यह बात सोचनी चाहिए कि गलत तत्वों का समर्थन करने से इस देश का कभी लाभ नहीं होगा।

उधर से नेशनलाईजेशन की बात भी कही गयी है। लेकिन जो बहुत सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाईजेशन किया गया है उसका क्या नतीजा हुआ ? मैं नेशनलाईजेशन के खिलाफ नहीं हूं बल्कि उसके पक्ष में हूं लेकिन जैसा आप जानते है हमारे देश के नेता पं० जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी— सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारा देश ऐसा है जहां

मिक्सड एकोनामी चलनी चाहिए। उसी के अनुरूप इस देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आप कहते हैं कि शुगर मिल्स, फूड, टेक्सटाइल इंडीस्ट्रीइज, सभी को नेशनलाइज कर दिया जाए लेकिन अभी जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या दशा है ? आज पब्लिक सैक्टर में काम करने वाले मजदूरों में ज्यादातर मार्क्सिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की ही ट्रेड यूनियन्स हैं। आप लोग किस तरह से पब्लिक सेक्टर को चला रहे हैं और वहाँ पर क्या प्राफिट है— इसको भी देखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सभी इंडस्ट्रीज को नेशनलाईज किया जाना चाहिए तो पहले प्रोडक्शन बढ़ाने में आपको पूरा सहयोग देना चाहिए। तभी सरकार भी सोच सकती है कि नेशनलाईजेशन से देश को फायदा होगा। लेकिन आपकी यह दोनों परस्पर विरोधी बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि आज मजदूरों की दशा बड़ी दयनीय है, उनको मिनिमम वेज तक नहीं मिलता है। हमारे राजस्थान में पिछले चार सालों में भयंकर अकाल की स्थिति है। राजस्थान सरकार पूरा सहयोग नहीं दे रही है। भारत सरकार भी पूरा पैसा नहीं दे ती है। इसलिए राजस्थान में लागों की स्थिति बहुत ही खराब है। लोगों के पास न तो पीने के लिए पानी है और न खाने के लिए अनाज है और मजदूरी की भी व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार पूरा सहयोग नहीं देगी तो वहां के जो किसान और मजदूर हैं उनकी क्या हालत होगी ?

हमारे राजस्थान में आज के समय में दस लाख मजदूर काम करते थे, लेकिन आज वहां पर दो-ढ़ाई लाख मजदूर काम कर रहे हैं राजस्थान सरकार ने पांच-सात दिन पहले 15 हजार शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्डट्राइब्स के लोगों को पैसे के अभाव में नौकरी से निकाल दिया। इस प्रकार के लोगों को उल्टा काम पर रखने की आवश्यकता है या निकालने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि उनको रखा जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं बराबर पैरवी करता हूं कि उनको काम पर लिया जाए। यदि इन ग्रामीण मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, तो उनकी आर्थिक हालत कैसे अच्छी होगी। इसलिए मैं विशेषकर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि राजस्थान सरकार से कह कर, जिन 15 हजार शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स मजदूरों को निकाला है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन लोगों को काम पर लिया जाये।

इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : महोदय, मैं अपने अभिन्न सहयोगी श्री राजन द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिए उठा हूं। संकल्प की अन्तिम पंक्तियों में सरकार से पिछले लोगों की दशा सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। जैसा कि आपने सुना कामरेड राजन ने हमारे देश की जनसंख्या के एक हिस्से के लोगों की मुसीबतों और दुर्दशा का वर्णन किया। मैं इस अवसर पर इस सदन का ध्यान और सदन के माध्यम से पूरे देश

और सरकार का ध्यान, हमारे देश के गांवों में रहने वाले लोगों की दुखद दशा की ओर दिलाना चाहता हूं ।

मैं आपका ध्यान, वास्तव में देहातों में बढ़ती हुई गरीबी की ओर दिलाना चाहता हूं । जैसा कि आप जानते है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या न केवल ग्रामों में बल्कि शहरों में भी लगातार बढ़ रही है । चूंकि मैं आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं मैं अपने को देश के ग्रामीण लोगों की भी जीने और काम करने की परिस्थितियों तक ही सीमित रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं 1960 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या 22 करोड़ थी। यह 1972 में बढ़कर 25 करोड़ हो गई । और महोदय, छटी पंचवर्षीय योजना के अनुमानों के अनुसार यह 29 करोड़ हो गई है । मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि छठी योजना के अनुमान गलत नहीं हैं । कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या पहले ही 37.5 करोड़ हो चुकी है । एक विशेष पहलू यह है कि इस देश के योजना आयोग द्वारा अनुमानित, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 29 करोड़ लोगों में से 16 करोड़ लोग "अत्यन्त निर्धन" हैं । "अत्यन्त निर्धन" का वास्तव में अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यह है कि इस वर्ग के लोगों की आय, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की आय का 75 प्रतिशत है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन लोगों की पहुंच गरीबी की रेखा के भीतर आने वाले लोगों की आय के 75 प्रतिशत तक दी है । इसलिए, आप इन 16 करोड़ लोगों की मुसीबतों और दयनीय दशा का अन्दाजा भली भांति लगा सकते हैं ।

वास्तव में मेरे पास उपलब्ध दाल ही के आंकड़ों के अनुसार 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 25.9 करोड़ है । मार्च 1980 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1.66 करोड़ थी । यह है आपकी उपलब्धि ।

एक अन्य पहलू जिसका इस सदन में कभी उल्लेख नहीं हुआ, मैं उसकी ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह पहलू कर्जदारी और कर्ज के बोझ से सम्बन्धित है । मैं आशा करता हूं कि प्रो० रंगा इस बात से सहमत होंगे कि इन कारणों का दबाव अत्यधिक है । 1951-52 में किए गए ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के अनुसार सम्पूर्ण देश में कुल ऋण का भार 750 करोड़ रुपए था । यह बोझ 10 वर्ष पश्चात पढ़कर 2400 करोड़ रुपए हो गया । 1971-72 में किए गए नमूना सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि कुल ऋण का भार 3000 करोड़ रुपए के लगभग है । इस संबंध में एक गैर सरकारी अनुमान भी है । गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार कुल ऋण भार 6000 करोड़ तक पहुंच चुका है । दुर्भाग्य वश अभी हाल में कोइ सर्वेक्षण नहीं किया गया । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की ऋण ग्रस्तता के सम्बन्ध में एक और सर्वेक्षण करायें । निसन्देह मेरे युवा मित्र यह जानकर प्रसन्न होंगे और मेरे साथ आवाज मिला कर इस बात की मांग करेंगे कि इस प्रकार का सर्वेक्षण अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में भी कराया जाए क्योंकि इस वर्ग के लोगों में ऋण ग्रस्तता काफी अधिक है। इसलिए आप यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के ग्रामीण जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है।

खेतिहर मजदूर के सम्बन्ध में मैं कम ही कहूं तो अच्छा है क्यों सदन के लिए इस समस्या की गम्भीरता को समझना आवश्यक नहीं है। सदन इससे वाकिफ है इस समस्या की गम्भीरता यह है कि भूमिहीनता बढ़ती जा रही है। कृषक भूमि से बिमुख होते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में आंकड़े यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है। मैं इस सदन का ध्यान इस देश के 5 करोड़ कृषि मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिए समस्या के इस पहलू की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक दुखद स्थिति जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं यह है कि 1964 से 1975 के दौरान कृषि श्रमिकों के कार्य दिवसों की संख्या अर्थात रोजगार क्षमता 1964 में 208 से घटकर 1975 में 185 हो गई। यह अभी भी बढ़ रही है ...।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : वह जनसंख्या में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है उन्हें यह भी बताना चाहिए।

**श्री चित्त बसु** : इसका यहाँ जिक्र न करें।

न्यूनतम मजदूरी नियत की गई है किन्तु उस पर अमल नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने में सरकार का दृष्टिकोण मजदूरी को गरीबी की रेखा पर बनाए रखना है। क्या हमने इन ख्यालों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त की है कि हमारा देश हमेशा गरीब रहेगा। न्यूनत्तम वेतन की हमारी सम्पूर्ण परिकल्पना इसे गरीबी की रेखा पर बनाए रखने की है, जैसे हमारा उद्देश्य गरीबी की रेखा को पार न करने का हो। हम अपने लोगों को हमेशा ही गरीबी में रखना चाहते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि प्रो० रंगा को मुझसे नाराज न होकर मुझ से सहमत होना चाहिए।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : यह बढ़ेगी ही।

**श्री चित्त बसु** : यह तो उनकी नीतियों के कारण बढ़ रही है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : सरकार की नीतियों के कारण नहीं।

**श्री चित्त बसु** : मेरी नीतियों के कारण नही बल्कि उनकी नीतियों के कारण। वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

**श्री चित्त बसु :** मैं केवल एक बात कहूंगा और मेरे विचार से जो सारे सदन को संतुष्ट कर देगी और वह यह है कि 5 प्रतिशत बड़े किसानों के पास देश की कुल कृषि भूमि का 35 प्रतिशत है। यह एकाधिकार न केवल विद्यमान है बल्कि भूमि पर यह एकाधिकार नियंन्त्रण और अधिक मजबूत होता जा रहा है। पिछली कृषि गणना के अनुसार 4 प्रतिशत बड़े भूमिपतियों के पास अब भी कुल कृषि भूमि का 31 प्रतिशत है। और दूसरी ओर 70 प्रतिशत कास्तकारों के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है।

यह है वह देश जिसका आपने निर्माण किया है।

**प्रो० एन० जी० रंगा :** मेरे दोस्त वे लोग वह भूमि भी खो बैठते, पश्चिम बंगाल में ।।

**श्री चित्त बसु :** पश्चिम बंगाल देश का ही भाग है। हम इस बात का दावा नहीं करते कि पश्चिम बंगाल में गरीबी समाप्त कर दी गई है। जब तक आप यहां पर हैं हम पश्चिम बंगाल के लोगों को खुशहाल नहीं बना सकते।

**प्रो० एन० जी० रंगा :** मैं तो यहीं पर रहूंगा। (**व्यवधान**)।

**श्री चित्त बसु :** दुर्भाग्य की बात यह है कि आप यहां पर रहेंगे। यह बात मैं भी स्वीकार करता हूं। जब तक आप यहाँ है देश को गरीबी भुगतनी पड़ेगी। (**व्यवधान**)।

ग्रामीण परिसम्पत्तियों के केन्द्रीकरण को देखते हुए उपर 10 प्रतिशत के पास कुल भूमि का अधिकांश भाग है और 20 प्रतिशत के पास कुल ग्रामीण परिसम्पत्तियों का केवल 1 प्रतिशत दी है। यह है वह भारत जिसका आपने निर्माण किया है।

मैं भूमि सुधार के प्रश्न का उल्लेख करूंगा जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर और गरीब भी खाई को पाटने का महत्वपूर्ण कदम समझा जाता है।

आपकी उपलब्धि क्या रही है। आपकी उपलब्धि यह है कि कई राज्यों में कानून बनने के 33 वर्ष बाद भी कई 38 लाख एकड़ फालतू भूमि है। अभी तक सरकार द्वारा अधिकार में ली गई भूमि केवल 12 लाख एकड़ है तथा अभी तक वितरित की गई भूमि 15 से 16 लाख एकड़ है। फालतू भूमि का अनुमान क्या है ?

छठी योजना में बताया गया है कि यह 15 लाख एकड़ होगी।

यदि यही बात है, तो यह कुल खेती योग्य भूमि का केवल 1% है।

भूमि वितरण का यही लक्ष्य उपलब्ध किया गया है।

मैं प्रो० महलनेबिस द्वारा किए गए अध्ययन का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने वताया था कि यदि 20 मानक एकड़ की अधिकतम सीमा रखी जाती है तो 630 लाख भूमि फालतू हो जायेगी तथा इसे 5 करोड़ भूमिहीनों में वितरित किया जाएगा।

भूमि कहां चली गई है ? स्वभावतः आप समझ सकते हैं कि उसका बेनामी स्थानातरण हुआ है। (व्यवधान)।

मैं इन बेनामी अन्तरणों के कई उदाहरण दे सकता हूं।

इसलिए भूमि सुधार कार्य हो गए हैं। भूमि सुधार समाप्त किए गए हैं। तथा आप भूमि सुधारों को क्रियान्वित नहीं करना चाहते हैं।

केरल में उन्होंने भूमि सुधार लागू किए हैं।

आपको अपनी कमियों पर गर्व है।

हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है।

आपके पास एकमात्र रामवाण अथवा जन्तर प्रधान मन्त्री का 20 सूत्री कार्यक्रम है।

यह 20 सूत्री कार्यक्रम और कुछ नहीं केवल कुछ नीतियों का उल्लेख मात्र है जोकि आप वर्तमान समाजिक आर्थिक हालात में लागू करना चाहते हैं।

आपके आय तथा परिसम्मपतियों के ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं।

जब तक आय तथा सम्पत्तियों के ढांचों का पुनर्गठन नहीं किया जाता तब तक जनता की समस्या अर्थात् गरीबी का उन्मूलन नहीं किया जा सकता।

इसलिए श्री राजन के संकल्प का समर्थन करते हुए मैं सभा से आग्रह करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये तथा सरकार को निर्देश दिया जाए कि मूलभूत सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन किया जाए। सबको न्याय मिलना चाहिए जोकि केवल न्याय तथा सम्पत्तियों के वितरण के ढंग में परिवर्तन करके ही उपलब्ध किया जा सकता है।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : सभापति जी, मैं चित्त बसु जी का भाषण ध्यान से सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि देहात में साहुकार लोग गरीबों से नाजायज इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं। बीस परसेंट तक मन्थली इन्ट्रेस्ट लेते हैं। जब देश में एमर्जेंसी का डिक्लेअरेशन हुआ था तो जो यह धंधा करने वाले लोग थे वे सब वहां से भाग गए थे। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से चाहता हूं कि जितने भी बड़ा सूद लेने वाले लोग हैं उन सबको अपने देश से भगाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गरीब लोगों की हालत नहीं सुधर सकती।

श्री सत्यनारायण सिंहा हमें 32 साल पीछे ले गए। मैं सिर्फ सात-आठ साल पीछे ले जाना चाहता हूं। आठ साल पहले इस देश में ऐसा भी आया था कि इन्फलेशन बिल्कुल खत्म हो गया था और प्राइसिज नीचे गिरने लगी थीं उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सजेशन दिया

था कि यह जो डी० ए० अलाउन्स दिया जा रहा है इसे कम किया जाए। उस समय इन्दिराजी ने यह कहा था कि किरानियों को जो डी० ए० मिल रहा है उसको कम न किया जाए।

उस वक्त हमारे पास एक हजार करोड़ टन अनाज गोदामों में था और पांच हजार करोड़ रुपया खजाने में था। वह सब खत्म हो गया। 1977 के बाद वह सारा अनाज खत्म हो गया, और सारा पैसा खत्म हो गया। शक्कर का उत्पादन हम 65 लाख टन तक ले गए थे। वह भी खत्म हो गया। इसके कारण गन्ना पैदा करने में किसान डर रहा था। जहां 65 लाख टन तक शक्कर पैदा होती थी उसको हम 38 लाख टन तक घर ले आए। अब दो सालों में फिर हम उसको 70 लाख टन तक करने जा रहे हैं। इसके कारण उसकी प्राइस गिर रही है। दूसरी चीजों की भी प्राईसिज हम नीचे लाते जा रहे हैं। आपको मालूम है जब गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था तो उस समय इन्फलेशन का रेट 6 5 परसेंटथा अब वह 5 परसेंटपर आ गया है। क्या यह इम्प्रूवमेंट नहीं है ? इम्प्रूवमेंट नहीं है तो और क्या है।

टेक्सिज के मामले में भी मैं कहना चाहता हूं कि आजकल टेक्सिज जिस तरीके से रिकवर किए जा रहे हैं वैसे किसी जमाने में भी नहीं किए गए। कोई भी टेक्स आप ले लीजिए। चाहे इनकम टेक्स हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, सभी टेक्स ज्यादा से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि टेक्सिज का पैसा गवर्नमेंट के पास बढ़ता जा रहा है।

जो हम एक्पोर्ट करना चाहते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें यह लग रहा है कि जो 70 लाख टनशक्कर आ रही है उसका क्या करना चाहिए। अगर इसी तरह से उत्पादन बढ़ता जाएगा तो अनइकोनोमिक कन्डीशन पैदा होती आएंगी और फिर उससे प्रोडक्शन गिरने का डर है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो हमारा एक्सेस प्रोडक्शन हो उसका एक्सपोर्ट करे। चावल का, गेहूं का सब चीजों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। आप कहते हैं कि हमारे यहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इससे गरीबों को नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि इन्दिरा जी के जमाने में गरीबों का जितना ख्याल रखा जा रहा है उतना ख्याल किसी जमाने में भी नहीं रखा गया। किसी जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइसिज गिरी हों। मुझे आज यह डर है कि कहीं ये प्राइसिज अनरेम्युनरेटिव न हो जाएं।

हमारे आंध्र प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रियब्यूशन सिस्टम के अन्तर्गत तेलुगु दिन से यह प्रोग्राम बनाया है कि एक-एक गाँव में एक एक लारी असेंशल आर्टिकल ले कर जाएगी और वह लारी कौन-से गाँव को जा रही है, यह उस पर लिखा रहता है। लारी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही, यह बात हर आदमी देख सकता है और उसको पकड़ सकता है। इस तरह की व्यवस्था नए मुख्य मंत्री श्री वेंकट साहब के समय में शुरू की जा रही है। इस तरह की व्यवस्था हर जगह लागू की जाए। आप वैस्ट-बंगाल में जाकर देखिए कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उत्पादन बढ़ने से ही काम नही चलेगा, वितरण व्यवस्था भी ठीक करनी होगी।

हमारे यहां खाने के तेल की कमी है, जिसके लिए हम लोगों ने कृषि मंत्री राव साहब से कई बार कहा है कि आइस सीड्स को प्रोत्साहन दें। आज हमें 600 करोड़ रुपए का प्रति-वर्ष खाद्य तेल आयात करना पड़ता है।

इसी प्रकार पेट्रोल के उत्पादन की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से खाद आदि कई चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं और जब से इजराइल-अरब युद्ध शुरू हुआ है, जिसमें अमरीका ने भी हिस्सा लिया है, उसके बाद से अरब लोग मनमाने ढंग से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इससे हमारी इकानामी पर असर हो रहा है।

इन सारी मुसीबतों के बावजूद जो गवर्नमेंट इन समस्याओं का सामना कर रही है और इन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है, ऐसी गवर्नमेंट को तो शाबासी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, उनके समय में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अगर सही दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृटि से न देखा जाए तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा काम हो रहा है।

**श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा** (कोडरमा) : सभापति महोदय, वह जो प्रस्ताव राजन जी ने रखा है, इसका मैं समर्थन करता हूं। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार यह बिल्कुल सही प्रस्ताव है।

इस समय जो श्रम बेचने वाला मजदूर है, उसकी समस्याओं को सरकार को दूर करना चाहिए। जब तक श्रमिक खड़ा है तब तक देश खड़ा है। अगर श्रमिक गिर जाता है तो देश गिर जाता है। आज श्रमिक की भुजाओं पर देश का निर्माण कार्य चल रहा है। उनकी सुख-सुविधाओं की ओर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

आज श्रमिक की स्थिति दिन-ब-दिन गिरती चली जा रही है। इस दिशा में सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए श्रमिकों को समानान्तर सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इस कारण मजदूरों को विवश होकर के आन्दोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ता है। अगर सरकार उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान दे तो मजदूर के लिए इन हथियारों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सरकार 'एसमा' और एन. एस. ए. द्वारा कानूनन पाबंदी लगाती है तो श्रमिकों के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। उसका उत्साह खत्म हो जाता है।

आज देश हित में, उद्योगों के हित में मजदूरों को उनके काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। अगर काम का पूरा दाम नहीं मिलता है तो ऐसी अवस्था में उसको आंदोलन का अधिकार मिलना चाहिए।

आज बिना आन्दोलन के कोई काम नहीं होता है। जब तक जोरों से आवाज नहीं उठाई जाती है तब तक किसी की बात को सुना नहीं जाता है। बहुत से मित्रों ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जितना आज गरीबों के लिए किया जा रहा है उतना शायद कभी नहीं हुआ। छठी योजना में बहुत से प्रावधान भी गरीबों के लिए किए गए हैं। लेकिन उनका ट्रांस्लेशन एक्शन में हो रहा हो जमीन पर कार्रवाई हो रही हो, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सुनहरे नारों से अगर गरीबों के दर्दों की दास्तान समाप्त हो सकती थी तो वह कभी की समाप्त हो गई होती। नारों से दर्द दूर नहीं हो सकता है। दर्द दूर करने के लिए उचित दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मूल्यों को कम करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। विधि व्यवस्था के जितने कानून हैं सब असफल हो चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए आपको चाहिए कि रियायती दरों पर आप उनके लिए जीवन के लिए आवश्यक सामान मुहैया करने के लिए कोऔप्रेटिव स्टोरों की स्थापना करते और गारंटीड सभी मजदूरों के लिए उचित दर पर सामान देते ताकि मंहगाई का असर उन पर न पड़ता। यह व्यवस्था आप नहीं कर पाए। इस वास्ते वाध्य हो कर आपको उनके वेतन बढ़ाने पड़ते हैं, मंहगाई भत्ता उनको देना पड़ता है, इनकी अन्य आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते हैं और उनको आवाज भी उठाने नहीं देते हैं, बोलने भी नहीं देते हैं तो आपका यह कदम प्रजातंत्रीय नहीं कहा जा सकता है, जनतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है। डिगनिटी आफ लेवर, श्रम की मर्यादा को आपको मानना होगा। हमारा देश जनतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उनके अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है, धीरे धीरे उन पर कुठाराघात हो रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। साम्यवादी देशों में श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है, श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है, उसके और उसके परिवार के जीवन यापन की गारंटी दी गई है। हम समाजवाद की बात करते हैं, समतावाद की बात करते हैं। लेकिन इसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, इसको जमीन पर नहीं उतारते हैं। इसका नतीजा यह है कि मजदूरों की दशा बिगड़ती जा रही है। इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा।

जितने श्रमिक संगठन है उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने नियंत्रण में लाने की आप कोशिश करते रहते हैं। जिन यूनियंज की सदस्यतानगण्य होती है उनको अपना हित साधन करने के लिए आपके द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। ऐसा सभी प्रतिष्ठानों में, सभी उपक्रमों में होता है। इस कारण से मजदूरों के जो सही प्रतिनिधि हैं वे आगे नहीं आ पाते है। जे० सी० एम० में भी पार्टी लाइंज पर प्रतिनिधियों को चुन लिया जाता है। जो मजदूरों के सही प्रतिनिधि नहीं होते हैं उनको—चुन लिया जाता है, जो चमचागीरी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को रख लिया जाता है। इस वास्ते मजदूरों का हित सिद्ध नहीं होता है। मैं मांग करता हूं कि डैमोक्रेटाइजेशन आफ जे० सी० एम० तथा और यूनियंज का होना चाहिए। यह वेरिफाई किया जाना चाहिये कि श्रमिक किस यूनियंज के साथ हैं और जिस यूनियन

के साथ श्रमिक हों उस यूनियन को ही आपकी तरफ से मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। जब सरकार उसको मान्यता प्रदान नही करती है तो उत्पादन को भी क्षति पहुंचती है, राष्ट्र का अहित भी होता है, उद्योग का अहित भी होता है और साथ ही साथ श्रमिकों का भी अहित होता है। तब आप की चाहे जो मजबूरी हो, मजदूर यही कहेंगे कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिएं।

बीसवीं शताब्दी में जिन प्रकार का जीवन श्रमिकों को बिताने को मिलना चाहिए, जिस प्रकार का एक आदमी को जीने का अधिकार है, रोटी कपड़ा, मकान तथा अन्य आवश्यक सुविधायें अर्थात पानी बिजली या स्वास्थ्य की व्यवस्थायें, कल्याण के काम, सब उनके लिए नहीं होते हैं तो उस अवस्था में वे आन्दोलन करने के लिए मजबूर होते हैं। इसी दिशा में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण श्रमिकों की हालत खराब है। गाँवों के लिए बहुत योजनायें बनायीं जैसे एकीकृत योजना, ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय श्रम नियोजन कार्यक्रम आदि। लेकिन एक भी योजना जमीन पर नहीं दिखाई देती। इसी तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम कहीं जमीन पर नहीं दिखाई देता। अगर जमीन पर आ जाय तो निश्चय ही देश का भला हो सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। 20 आदमी ब्लाक में बैठकर मीटिंग कर लेते हैं, लोगों का टी०ए०, डी०ए० बन जाता है और वहीं मामला समाप्त हो जाता है।

**श्री राम स्वरूप राम** (गया) : 20 सूत्री कार्यक्रम में कहीं भी टी०ए०, डी०ए० का प्रोवीजन नहीं है।

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : आपको मालूम नहीं। अधिकारी लोग मीटिंग में आने का अपना टी०ए०, डी०ए० बनाते हैं। आपको देखना चाहिए कि जमीन गरीबों को मिली कि नहीं गाय वगैरह उनको मिली कि नहीं। बैंक जितने गांवों में खुलते हैं सब में परसेंटेज बढ़ गया जिसके बिना कोई बैंक ऋण नहीं देता है। और जितनी भी एजेन्सीज हैं सब बोगस हैं। आपने कहा था 650 गरीब परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं ऋण दिया जाएगा। आपने दूसरी फाइनेंसिंग बन्द कर दी, लेकिन किसी को अभी तक ब्लाक में ऋण नहीं दिया गया। मैं हजारीबाग और गिरिडीह के बारे में कह सकता हूं कि 650 लोगों की लिस्ट भी अभी तक लोगों को नहीं मिल पायी है। अभी हाल की घटना है कम्पोनेंट प्लान के अनुसार गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में एक ब्लाक के दो हरिजनों को 2,750 रु० दुधारू गाय खरीदने के लिए दिया गया लेकिन बी० डी० ओ०, एनीमल हस्बेंडरी अफसर और बैंक मैनेजर तीनों ने मिलकर 800 रु० की एक बूढ़ी गाय जो साल भर भी जिन्दा नहीं रह सकती, अच्छी गाय की जगह वह उसको दे दी। उस गरीब को 2750 रु० वापस करने होंगे लेकिन गाय मिली 800 रु० वाली परिणाम यह होगा कि उस ऋण की अदायगी करने में उसका सारा परिवार बिक जायगा। कैसे वह गरीबी रेखा के ऊपर उठेगा ? वहां के ईमादार डी०डी०सी० ने केस करवाया तो सारे ब्लाक के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक संघ बनाकर कहा कि डी०डी० सी० जब तक यह केस वापस नहीं लेगा तब तक हम बैठकों का बहिष्कार करेंगे। मैंने मन्त्री जी

को लिखा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या 20 सूत्री कार्यक्रम यही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और अधिकारी मिलजुल कर के 500 रु० की गाय दें और 2,000 रु० हजम कर जायें ? क्या इससे गरीबों की हालत सुधरेगी ? तो आपको व्यावहारिक चीजों को देखना चाहिए। केवल भाषणों से कोई कल्याण नहीं हो सकता।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता जी, मैं बहन विद्या जी का संकल्प यहां पर आये इसके लिए अपनी बात जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय राजन से एक बात जानना चाहता हूं कि वह कितना ही टायलिंग मासेज का नाम लें, वह उनका साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश के टायलिंग मासेज, गरीब तबका, मजदूर, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उनका हित किसी के साथ खड़ा हुआ है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है। कोई उसके हित के लिए कुछ करने की क्षमता रखता है या रखती है तो वह श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। आज जिस प्रकार के विरोधाभास में उनकी पार्टी फंसी हुई है, कभी वह हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कभी विरोध में भी रहना चाहते हैं, माननीय सभापति जी जो आपकी पार्टी है, वह उसके साथ भी अपना सम्पर्क रखना चाहते हैं, तो उसी तरीके के विरोधाभास का संकल्प भी लाये हैं। उन्होंने एक तरफ मूल्यवृद्धि की बात कही है कि सरकार को इसे कंट्रोल करना चाहिए। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं, बावजूद इसके कि हमने इन्फलेशन को कंट्रोल कर लिया है, उत्पादन को बढ़ाया है लेकिन जो आम आदमी के उपभोग की चीजें हैं, उनकी कीमतें जिस प्रकार से नियंत्रित होनी चाहिए थी, वह नियन्त्रित नहीं हो पाई हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सोचें और उसको ज्यादा इफैक्टिव बनायें और ऐसा बनायें कि आम आदमी को कम-से-कम उसके उपभोग की चीजें आवश्यकता की चीजें सस्ते दामों पर मिल सकें। ऐसे व्यक्तियों को सस्ते दाम पर मिल सकें जिसकी आमदनी बहुत कम है।

लेकिन राजन साहब को यह सोचना पड़ेगा कि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जिस टायलिंग मासेज के नाम वह संकल्प लेकर आप आये हैं, उस आम आदमी का कोई हित नहीं हो सकेगा। उनकी पार्टी और उनके सहयोगी जिस प्रकार की नीति का अनुसरण कर रहे हैं, जिस तरह से वह गा-बगाह उत्पादन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, उससे आम आदमी का हित नहीं हो सकता है। उस तरीके से मंहगाई नहीं रुक सकती है, आम उपभोक्ता की चीजें सस्ते दामों पर नहीं मिल सकती हैं।

उन्होंने राष्ट्रीयकरण की बात कही है। मैं स्वयं जितने मूलभूत उद्योग हैं, उनके राष्ट्रीय करण का हिमायती हूं, लेकिन हमारे पब्लिक सैक्टर में जिस प्रकार से आज नुक्सान पर नुक्सान हो रहा है, उस पर भी तो उनको बिचार करना चाहिए। अधिकाँश पब्लिक सैक्टर में उनकी पार्टी की या वामपन्थी पार्टी की यूनियनें हैं और वह लोग जिस प्रकार उन पर अड्डा जमाकर एक के बाद एक नुकसान अंडरटेकिंग्ज को डाल रहे हैं, उससे आम आदमी का राष्ट्रीयकरण के प्रति

जो स्नेह और श्रद्धा थी, वह घटती जा रही है । इसलिए जरूरी है कि अगर वह राष्ट्रीयकरण के वास्तविक अर्थों में हिमायती हैं तो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में अपनी यूनियनों को कहें कि वह उत्पादन बढ़ायें और अनुशासन में रहें ।

मैं समझता हूं कि सरकार की जो नीति है, श्रमिकों को अनुशासन में रखने की, वह श्रमिकों के और आम आदमियों के हित में है, सारे राष्ट्र के हित में है, इसलिए कहीं विरोधाभास की बात इसमें नहीं है । हमारी नीति में विरोधाभास की बात नहीं है ।

कुछ लोगों ने कई प्रकार की बातें कहीं, कुछ लोगों ने जमींदारी, भूमिसुधार की बात कही । यह तो कांग्रेस पार्टी है जो भूमिसुधार को उसने लागू किया । भूमिसुधार को जिसने धर्म मानकर इम्पलीमैंट करवाया । वह लोग चाहे केरल का उदाहरण दें या पश्चिम बंगाल का, जब उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, तो उनके पहले केरल में और पश्चिम बंगाल में भूमिसुधार नियम कांग्रेस पार्टी लागू कर चुकी थी ।

इन्हीं शब्दों के साथ जो इनका संकल्प है, उसमें जो विरोधाभास है, मैं उसका विरोध करता हूं और मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज मूल्यवृद्धि के सम्बन्ध में सोचने की जरूरत है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ओर अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है । धन्यवाद ।

**सभापति महोदय :** श्री मायातेवर ।

**प्रो० एन० जी रंगा** (गुंटूर) : क्या अब मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देना है ? हमारे पास कितना समय है ?

**सभापति महोदय :** यदि सभा चाहती है तो हम समय बढ़ा सकते हैं । क्या सभा इस बात से सहमत है कि इस संकल्प पर चर्चा का समय आधा घंटा बढ़ाया जाये ?

**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

**सभापति महोदय :** ठीक है यही सब की राय है । सभा आधा घंटा समय बढ़ाने को सहमत है । यह समय अगले निर्धारित दिन दे दिया जायेगा । श्री मायातेवर ।

**श्री के० मायातेवर** (डिन्डीगल) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री राजन के संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं । श्रीमान, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं । देश की आर्थिक स्थिति 1979-80 में अत्यन्त चिन्ताजनक थी तथा जनता काल में बहुत ही विषय स्थिति प्रतीत हो रही थी । 1980 के दौरान यह अवगति पर थी 1981-82 में यह प्रगति कर रही है परन्तु फिर भी उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य कम नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय

तथा राज्य सरकारों को ठोस कार्यवाही करनी होगी। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों का दायित्व है कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए मिलकर प्रयत्न करें। सभी परिवारों को आवास सुविधाएं अथवा आश्रय देना तथा बेरोजगारों को रोजगार देना, सभी जरूरतमंद गरीब लोगों को खाना कपड़ा देना। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है।

यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरा अपने निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगल जिला मदुरै है, वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी तमिलनाडु सरकार द्वारा सप्ताह में तीन बार उपलब्ध किया जाता जाता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मैं इस महीने की 17 तारीख से संकेतिक भूख हड़ताल कर रहा हूं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमें पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, परन्तु उसके साथ ही हम बच्चों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं जिससे देश में जन संख्या की विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि का मूल्यों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

श्रीमान, सर्वप्रथम मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए ठोस प्रयत्न करना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

देश के सभी भागों में भारी बिजली की कटौती हुई है। हम जानते हैं कि व्यवहारतः सभी राज्य सरकारों ने बिजली की खपत में 40-60 प्रतिशत तक कटौती की है। बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का यह एक कारण है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि यदि उत्पादन बढ़ता है तो मूल्य स्वतः ही कम होने चाहिए। परन्तु हमें अत्यन्त आश्चर्य होता है कि यह सिद्धान्त सही नहीं उतर रहा है। इसका कारण क्या है? वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करने में कौन उत्तरदायी है। जिसके कारण खुले बाजार में उपभोक्ता मूल्य बढ़ते हैं? वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने बड़ी क्षमता से देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को रोका है। इतना ही नहीं। उन्होंने जनता शासन के दौरान मुद्रा स्फीति की 22% की दर को घटाकर 1980-81 में 16 % पर ले आये। इस समय यह लगभग 5 अथवा 6 प्रतिशत है। तब भी हम देखते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य घटे नहीं हैं कहीं न कहीं कुछ खराबी अवश्य है। इन बात के होते हुए कि हम मुद्रास्फीति की वृद्धि प्रवृत्ति को रोक पाये हैं और इसे कम कर 5 अथवा 6 प्रतिशत पर लाये हैं, फिर भी मूल्य कम नहीं हुए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं इसलिए मैं केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरदायी व्यक्तियों से अपील करता हूं कि देश में समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चलाने वाले काले धन वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : आप केवल आन्ध्र प्रदेश का ही क्यों उल्लेख कर रहे हैं?

श्री के०मायातेवर : मैं 4 अन्य दक्षिणी राज्यों को भी ले रहा हूं। हम वहां पर खतरनाक हालत का सामना कर रहे हैं। हमने समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में पढ़ा है कि सरकार द्वारा परिचालित वैद्य धन के साथ-साथ देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का काला धन चल रहा है। इस काले धन को दृढ़ता से समाप्त किया जाना चाहिए। आपको इन लोगों पर कोई दया नहीं करनी चाहिए। वास्तव में वे लोग ही देश का शासन चला रहे हैं। कुछ राज्यों में काले धन वालों का शासन है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

6 01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 12 अप्रैल, 1982/22 चैत्र, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———